नवम माला, खंड 9, अंक 16

शुक्रवार, 31 अगस्त, 1990
9 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 62
Date 4-9-91

(खंड 9 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

विषय-सूची

नवम माला, खंड 9 तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 16 शुक्रवार, 31 अगस्त, 1990/9 भाद्र, 1912 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर ।		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 325, से 327	...	1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 328 से 345	...	20-32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3757 से 3842, 3844 से 3866, 3868 से 3946 और 3948 से 3991	...	32-201
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	221-229
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति	...	228-229
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति		
कार्यवाही सारांश—सभा पटल पर रखे गए	...	229
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति		
चौथा प्रतिवेदन	—	229
सभा का कार्य	...	229-230

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

नियम 377 के अधीन मामले ... 230-235

(एक) सहकारी बैंकों से किसानों आदि द्वारा लिए गए 10,000 रुपए तक के ऋण माफ किए जाने की मांग

श्रीमती जे. जमुना ... 230-231

(दो) दिल्ली की निचली अदालतों के वकीलों के आन्दोलन को लोगों के हित में शीघ्र समाप्त कराये जाने की मांग

श्री जे. पी. अग्रवाल ... 231

(तीन) कर्नाटक के चिकमगलूर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने तथा वहां औद्योगिक विकास केन्द्र की मंजूरी दिए जाने की मांग

श्री डी. एम. पुट्टे गौड़ा ... 231

(चार) सम्भल, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से होने वाले भू-कटाव की रोकथाम किए जाने की मांग

डा. एस. पी. यादव ... 231-232

(पांच) देश में आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों को रोकने तथा देवरिया जिले के सलेमपुर के लिए मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाए जाने की मांग

श्री हरि केवल प्रसाद ... 232

(छः) फलों और उनके रस का प्रयोग बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री महेश्वर सिंह ... 233

(सात) एन.ओ.सी.आई.एल. मुम्बई को पर्यावरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस न दिए जाने की मांग

श्री विद्याधर गोखले ... 233-234

(आठ) पान के पत्तों को निर्यात-योग्य कृषि उत्पाद के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग

श्री चित्त बसु

(गो) राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ के अनियमितताओं की जांच किए जाने की मांग

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ... 231-235

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1990 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प
स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) विधेयक
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1990 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक

श्री बसवन्त सिंह ... 235-236

प्रो. मधु दण्डवते ... 236-237

डा. चिन्ता मोहन ... 237-238

श्री अजय मुखोपाध्याय ... 239-241

श्री हरीश रावत ... 241-243

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ... 243-244

श्री ए. चार्ल्स ... 244-246

श्री सूर्य नारायण यादव ... 246

श्री महेश्वर सिंह ... 246-247

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

नौवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ... 247

किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उपायों के बारे में संकल्प—जारी ... 247-281

श्री दिलीप सिंह भूरिया ... 247-351

श्री ए.एन. सिंह देव ... 251-253

श्री के.डी. सुल्तानपुरी ... 253-257

डा. महादीपक सिंह शाक्य ... 258-260

श्री सुशांत चक्रवर्ती ... 260-262

श्री मान्धाता सिंह	...	262-265
श्री राम लाल राही	...	265-268
श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख	—	268-269
श्री महेश्वर सिंह	...	269-271
श्री पी. नरसा रेड्डी	...	271-273
श्री बसाई चौधरी	...	274-275
श्री के. एस. राव	...	275-278
श्री चित्त बसु	...	278-280
श्री सरजू प्रसाद सरोज	...	280-281

लोक सभा

शुक्रवार 31 अगस्त, 1990/9 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा 11.03 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सर रिचर्ड एटनबोरो के विरुद्ध मुकदमा

[अनुवाद]

+

*325. श्री बी. एन. रेड्डी :

श्री वसंत साठे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को चलचित्र "गांधी" से कितना लाभ हुआ तथा इसमें से कितनी राशि "सिने कर्मकार कल्याण कोष" में अंतरित की गई है;

(ख) क्या सरकार का सर रिचर्ड एटनबोरो के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है क्योंकि उन्होंने अप्रैल, 1981 में भारत सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार, चलचित्र "गांधी" से अर्जित लाभ का कुछ अंश अंतरित नहीं किया; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

(क) फिल्म गांधी के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा किए गए सह निर्माण और वित्त करार पर इंडो-ब्रिटिश फिल्म लिमिटेड (जिसे निर्माता कहा गया है), सर रिचर्ड एटनबोरो, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (जिसे सहनिर्माता कहा गया है) और इंटरनेशनल फिल्म इन्वेस्टर्स और गोल्ड क्रेस्ट फिल्म इंटरनेशनल (जिसे आई.एफ.आई. कहा गया है) के बीच दिनांक 10 अप्रैल, 1981 को हस्ताक्षर किये गये थे इस करार के अनुसार फिल्म के निवल लाभ का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है :—

आई.एफ.आई.	31.485 प्रतिशत
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	18.515 प्रतिशत
सिने आर्टिस्ट्स वेलफेयर फंड	5 प्रतिशत
निर्माता का हिस्सा	5 प्रतिशत
निर्देशक, लेखक, कलाकार और अन्य सहकर्मी	40 प्रतिशत

इस बंटवारे के अनुसार, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को लाभ के पूरे हिस्से के रूप में 3.05 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। फिल्म को हुए कुल निवल लाभ का 5 प्रतिशत सिने आर्टिस्ट्स वेल्फेयर फंड को दिया जाना है। दिनांक 5 अगस्त, 1990 की स्थिति के अनुसार, ब्याज सहित यह राशि 11.45,635 पौंड (लगभग 3.8 करोड़ रुपये) बैठती है। इसमें से मूल धन की राशि 7,00,000 पौंड और उस पर ब्याज की राशि 4,45,635 पौंड बठती है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को सिने वर्कर्स वेल्फेयर फंड को कोई रकम अन्तरित नहीं करनी थी, क्योंकि उसे मूल करार में परस्पर सहमति के अनुसार अर्थात 18,515 प्रतिशत लाभ ही प्राप्त हुआ है। सिने आर्टिस्ट्स वेल्फेयर फंड को देय फिल्म के निवल लाभ के पांच प्रतिशत राशि भारत को नहीं भेजी गई है क्योंकि करार के एक पक्ष सर रिचर्ड एटनबोरो ने उपर्युक्त धमार्थ निधि के नाम, उसके क्षेत्र और उसके औचित्य के बारे में कुछ मुद्दे उठाए हैं। फिलहाल निवल लाभ की यह 5 प्रतिशत राशि एक न्यास निधि में जमा है।

(ख) और (ग) सरकार इस मामले में दोहरी कार्रवाई कर रही है अर्थात् सर रिचर्ड एटनबोरो के साथ बातचीत कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे फिल्म से अर्जित निवल लाभ की 5 प्रतिशत राशि सिने आर्टिस्ट्स वेल्फेयर फंड में जमा करने पर सहमत हो जाएं और साथ ही सरकार बातचीत के वांछित परिणाम न निकलने की सूरत में ब्रिटेन की अदालत में इस मामले को निपटाने के लिए अपने को तैयार कर रही है।

श्री वी.एन. रेड्डी : महोदय, "गांधी" फिल्म के निर्माता 1983 से लाभ कमा रहे हैं। और इसमें राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का हिस्सा 18½ प्रतिशत है। कुल निवल आय में से 5 प्रतिशत उन्हें फिल्म कलाकार कल्याण कोष को देना चाहिए। मन्त्री महोदय ने यह जानकारी देकर बहुत कृपा की कि लाभ का यह भाग 3.8 करोड़ रुपये के लगभग जमा हो गया होगा। अब तक 3.8 करोड़ रुपये जमा हो गए हैं लेकिन पिछले छ: वर्षों से यह धन हमें नहीं भेजा गया है। हम सर रिचर्ड एटनबरो को इस कल्याण कोष के लिए धन को देने के लिए क्यों नहीं कहते हैं क्योंकि जो धन वह अब तक रोके हुए हैं वह 'गांधी' फिल्म का है।

श्री पी. उपेन्द्र : लगभग 11 लाख पाऊंड या 3.8 करोड़ रुपया इस कोष के नाम पर जमा है और मूल समझौते के अनुसार इस धन को फिल्म कलाकार कल्याण कोष में हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई कोष नहीं है। केवल फिल्म श्रमिक कल्याण कोष है और सर एटनोबरो का यह कहना है :

"कि मैंने फिल्म कलाकार कल्याण कोष को धन देने का वायदा किया था और चूंकि फिल्म कलाकार कल्याण कोष नाम का कोई कोष नहीं है अतएव यह धन के लिए मैं बाध्य नहीं हूं।"

तदुपरांत इस कानूनी कमी को दूर करने के लिए हमने फिल्म कलाकार कल्याण कोष की स्थापना की। अब हम इस राशि को इस कोष में हस्तांतरित कराने के लिए उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं।

श्री बी. एन. रेड्डी : राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का हिस्सा 18½% और फिल्म कलाकार कल्याण कोष के लिये केवल 5 प्रतिशत। लगभग 3·8 करोड़ रुपये के रुपये जमा हुए हैं इसमें 2.4 करोड़ रुपये मूलधन हैं और लगभग 1.4 करोड़ ब्याज हैं। यदि 5 प्रतिशत पर हमने इतना धन जमा कर दिया है, तब राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के लिये निर्धारित 18½ प्रतिशत पर हमने केवल 3.05 करोड़ रुपये ही कैसे एकत्र किये हैं।

श्री पी. उपेन्द्र : राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को लाभ का 18.5 प्रतिशत मिला है लेकिन 3.05 करोड़ रु. का निवल लाभ है। निवेश की गई परिसम्पत्तियों का 6.4 प्रतिशत उन्हें पहले ही मिल चुका है। यह उनको मिले 6.5 करोड़ रुपये की राशि से अतिरिक्त है।

अध्यक्ष महोदय : श्री वसंत साठे।

श्री वसंत साठे : फिल्म कलाकारों और श्रमिकों के लिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैं जानता हूं कि यह भी सच है कि महात्मा गांधी पर फिल्म बनाने के कारण ही बाद में उन्हें 'सर' की उपाधि मिली। जहां तक मैं श्री एटनबरो को जानता हूं, सर एटनबरो अपनी जुबान के पक्के और एक सम्मानित व्यक्ति हैं और गांधी फिल्म ने उन्हें इस हद तक प्रभावित किया है कि मुझे इस बात में कोई शक नही है कि यदि सच्चाई और सम्मान की भावना को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिये गांधी जी संघर्ष करते रहे उनको सही तौर पर संपर्क किया जाए, तो सर एटनबरो श्रमिक और कलाकार जैसे शब्दों के तकनीकी पहलू में नहीं पड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति जिसे अंग्रेजी शब्दों या कानून की सामान्य जानकारी है, वह यह समझ सकते हैं कि श्रमिक एक आम शब्द है जिसमें सब कलाकार तक शामिल होते हैं। यदि आप इस पर इतना जोर दे रहे हैं, तो हम उन्हें ठीक है कहने के लिये मना सकते हैं। आप इस राशि को कलाकारों के नाम पर जमा कर सकते हैं। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम कलाकारों के कल्याण के लिये आम शब्द श्रमिक का ही प्रयोग करेंगे। इससे समस्या का समाधान हो सकता था और मेरा ऐसा विश्वास है कि यह संभव है।

यह समझौता मेरी उपस्थिति में हुआ था। इस बारे में बात हुई थी। स्वयं सर एटनबरो ने यह सुझाव दिया था कि लाभ के कुछ भाग का प्रयोग हमें उन लोगों के कल्याण के लिये करना चाहिये, जो फिल्म उद्योग में कार्य करते हैं। उस समय उन्होंने "कलाकार" शब्द का प्रयोग नहीं किया था। मैंने स्वयं फिल्म श्रमिक कल्याण कोष संबंधी विधेयक प्रस्तुत किया था और इस कारण मैं यह जानता हूं कि उस समय न तो ऐसा कोई कोष था और न ही विधेयक लेकिन ऐसा करने की भावना जरूर थी।

मैं नहीं समझता कि सर रिचर्ड एटनबरो अपनी इस भावना के विपरीत कार्य करेंगे। मैं ऐसा महसूस करता हूं, कि यदि सभा इस संसद की भावना को उन तक पहुंचाया जाए, तो इससे काम हो जायेगा।

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दण्डवते) : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री वसंत साठे : मैं उसी पर आ रहा हूँ मधु जी, कम से कम आपको ऐसा नहीं करना चाहिये। आप इस हुनर के पुराने खिलाड़ी रहे हैं (व्यवधान) मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ कि इस सब को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित कर लिया जाए कि सरकार को उनसे संपर्क करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि क्या वह स्वयं इस ओर पहल करेंगे अधिकारी स्तर पर तो वह यह कर ही रहे हैं। इस मंत्रालय को सौंपने से पूर्व यह एक अच्छा कार्य वह कर सकते हैं वह स्वयं सर रिचर्ड एटनबरो के साथ व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है। क्या वह इस राशि को हस्तान्तरित करने के लिए सर रिचर्ड एटनबरो को मनायेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इसको पूछने में आपने 10 मिनट लगाये हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : मैं माननीय श्री साठे के तर्क का पूर्णतया समर्थन करता हूं। इस वर्ष 27 जून को लन्दन में मैं सर रिचर्ड एटनबरो से मिला था··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय सर रिचर्ड एटनबरो से पहले ही मिल चुके हैं।

श्री पी. उपेन्द्र : मैंने वही उद्गार व्यक्त किये थे, जिसका श्री साठे ने उल्लेख किया है। आपने गांधी फिल्म का निर्माण करके अच्छा नाम कमाया है। आपको दिये गए आश्वासन के प्रति ईमानदार होना चाहिए। कानूनी की आड़ मत लीजिए। इरादा बहुत स्पष्ट था कि ऐसा कदम मत उठाइए। अतएव हम आपके इस दावे को नहीं मानते कि वह श्रमिक है और कलाकार नहीं। वास्तव में आपके द्वारा प्रस्तुत और पारित अधिनियम की परिभाषा में यह कहा गया है कि श्रमिक में कलाकार भी शामिल है। इसलिए वास्तव में कोई कमी नहीं है। फिर भी मैंने उन्हें सहमत करने की कोशिश की। बातचीत अभी भी जारी है। मुझे आशा है कि राशि को हस्तान्तरित करने पर वह सहमत हो जाएगा।··· (व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, हम भारतीय स्थलों पर निर्मित विदेशी फिल्मों की बात कर रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार सिटी आफ जाय के फिल्मांकन के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और क्या इस कारण इस स्थान पर कुछ समस्याएं पैदा हो गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न का भाग नहीं है। यह प्रश्न सर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी से संबंधित है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, इसमें बड़े करोड़ों रुपए का मुनाफा हुआ है और ऐसा लगता है कि गांधी जी के नाम पर फिल्म बनी, लेकिन अब इस मुनाफे का मोह सर रिचर्ड साहब को हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। अब मेरा सवाल यह है कि जो प्रोफिट केलकुलेट किया है, क्या भारत सरकार में उस प्रोफिट और एकाउंटस की जांच की है ? इसके बाद उन्होंने लिखा है कि नेट प्रोफिट हुआ है, क्या यह सही है या नहीं ? इसके बारे में कोई स्क्रूटनी हिन्दुस्तान की ओर से, किसी एजेन्सी ने की है।

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : स्क्रूटनी एन.एफ.डी.सी. की तरफ से हुई है।

[अनुवाद]

एन.एफ.डी.सी. सह निर्माता भी है। उन्होंने इसमें धन भी लगाया है, 'एकाउंट्स की जांच के बाद ही उन्होंने यह हिस्सा निर्धारित किया है।

(व्यवधान)

श्री के. एस. राव : महोदय माननीय मंत्री और भूतपूर्व मंत्री श्री साठे 'सर' रिचर्ड एटनबरो को जाने बिना ही उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते लेकिन, वास्तविकता यह है कि उन्होंने "महात्मा गांधी" के नाम का इस्तेमाल किया है। श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य भारत में बुनियादी सुविधाओं के बारे में बता रही थीं यह भी की राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने इस परियोजना को वित्तीय सहायता दी है। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा काफी सहायता दी गई है। यदि उनके निवेश से इसकी तुलना की जाये, तो धन के रूप में तो यह राशि कुछ नहीं है। अत: यह माना जा सकता है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम बुनियादी सुविधाओं और वित्तीय सहायता दोनों तरह से प्रमुख साझीदार है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न बोलिए।

श्री के. एस. राव : कानूनी और नैतिक रूप दोनों से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम प्रमुख साझीदार है। सर रिचर्ड एटनबरो की जो प्रशंसा की गई है उसे दृष्टिगत रखते हुए तो उन्हें यह राशि बहुत पहले ही दे देनी चाहिए थी, पांच वर्ष पूर्व ही अब मैं समझता हूँ कि वह तकनीकी पहलू की आड़ लिए हुए हैं, शब्द श्रमिक है। कलाकार नहीं। उन्हें यह अच्छी तरह पता है कि कल्याण कोष अधिनियम इस कमी को पूरा करने के लिए बाद में लागू किया गया है मुझे उनकी राशि घोटाले की नीयत पर शक है। दूसरी बात यह कि वह अपनी कम्पनी की लेखा परीक्षित रिपोर्ट भी नहीं भेज रहे जिसमें यह दिया गया हो कि उन्होंने इस फिल्म से कितना लाभ कमाया है क्योंकि इस फिल्म का समूचे विश्व में प्रदर्शन किया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री के. एस राव : केवल फिल्म कलाकार ही 3.8 करोड़ रुपए की राशि नहीं खो रहे हैं अपितु राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को देय पूर्ण राशि भी नहीं मिली होगी क्योंकि उन्हें लेखा परीक्षा रिपोर्ट नहीं मिली है । राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सर एटनबरो द्वारा भेजी गई बिना लेखा परीक्षित रिपोर्ट के आधार पर अपने खातों में छोटी-2 राशि क्रेडिट कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पांच वर्ष की देरी होने के पश्चात् क्या वह इसे गम्भीरता पूर्वक लेते हुए सर एटनबरो के खिलाफ दण्डनीय कार्यवाही करेंगे जिससे कि 3.8 करोड़ रुपये की यह राशि, फिल्म श्रमिकों को शीघ्र मिलना सुनिश्चित किया जा सके और वह राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को लेखा परीक्षित रिपोर्ट शीघ्र भेजें ?

श्री पी. उपेन्द्र : श्री के. एस. राव ने यह कहा है कि ऐसा पांच वर्षों से चल रहा है । मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता । लेकिन, मैं इतना ही कहूंगा कि जब से मैंने कार्यभार संभाला है, इस कार्य में प्रगति हुई है और तेजी से प्रगति हुई है । उस धन को प्राप्त करने के लिए हम सभी संभव उपाय कर रहे हैं । और उन्हें इसके लिए राजी करने के अन्य उपाय भी विचाराधीन है ।

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने उन्हें समझाया है परन्तु उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि यह समझाने में असफल रहे तो क्या वह कानूनी कार्यवाही करेंगे क्योंकि यह उस भागीदारी समझौते का उल्लंघन है जो दो पार्टियों के बीच हुआ था, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या कानूनी कार्यवाही की जाएगी ?

श्री पी. उपेन्द्र : इस समय मैं इसके बारे में कोई धमकी नहीं देना चाहता । पहले हम समझौते का तरीका अपनाते हैं इसके असफल होने पर दूसरे तरीके भी है ।

नागपुर और विदर्भ क्षेत्रों में इस्पात उद्योग

*326. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर और विदर्भ क्षेत्रों में छोटे तथा मध्यम वर्ग के इस्पात उद्योग को कच्चे माल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है,

(ख) यदि हां, तो क्या स्टील एण्ड हार्डवेयर चैम्बर्स आफ विदर्भ ने सरकार का ध्यान बोकारो, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों से रियायती दर पर स्क्रैप उपलब्ध कराए जाने की ओर आकर्षित किया है, और

(ग) यदि हां, तो नागपुर और विदर्भ क्षेत्रों में इस्पात एककों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) एक विवरण सदन-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) एकीकृत इस्पात कारखानों से संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्यों के आधार पर कतिपय श्रेणी के इस्पात के माल की कुछ कमी है।

(ख) और (ग) स्टील एण्ड हार्डवेयर चैम्बर्स आफ विदर्भ द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की गई है। स्थिति निम्नानुसार है—

(i) नागपुर में सेल का एक स्टाकयार्ड है। बहतर रेलवे साइडिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने से सम्बन्धित मामले पर रेल मंत्रालय के परामर्श से जांच की जा रही है।

(ii) स्क्रैप की बिक्री कारखानों से ही की जाती है और इस समय नागपुर में कोई स्क्रैप यार्ड के खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(iii) कारखानों में उत्पादित स्क्रैप (गलत शील स्क्रैप को छोड़कर) का 30 प्रतिशत भाग उसी राज्य के वास्तविक प्रयोक्ता उद्योगों, जिस राज्य में कारखाना स्थित है, को दे दिया जाता है।

(iv) अर्ध-तैयार माल का वितरण संयुक्त संयंत्र समिति के वितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अर्थात् उपलब्धता पर आधारित तीन वर्षों की बेहतर खरीद के आधार पर किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, स्टील इन्डस्ट्रीज ज्यादातर पब्लिक सेक्टर में हैं और इस देश का सबसे ज्यादा ब्लैक मनी स्टील से जनरेट होता है। पूरा ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है और इसमें सबसे ज्यादा स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज सफर करती हैं। आज देश की परिस्थिति, खासकर मेरे रीजन विदर्भ की स्थिति यह है कि स्माल, मीडियम इंडस्ट्रीज को स्टील नहीं मिलता, परन्तु ब्लैक में व्यापारियों के माध्यम से चाहे जितना स्टील मिल जाता है। यह सही स्थिति वहाँ की मैं आपको बता रहा हूं और इसके लिए रिसपांसिबल है जैसा कि मन्त्री जी ने अपने स्टेटमेंट में बताया है, जे पी सी गाइड लाइन्स। जिन अधिकारियों ने जे पी सी गाइड लाइन्स बनाई हैं, वे इस तरह से बनाई हैं कि जिससे भ्रष्टाचार जोरों से पनपे और अधिकारी चाहे जितना पैसा बना सकें, सारा डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं के डिस्क्रिशन पर है। जे पी सी गाइड लाइन्स के अनुसार 3 साल के प्रोडक्शन के बेसिस पर अलाटमेंट करना होता है लेकिन होता क्या है, पहले साल यदि इंडस्ट्री की उत्पादन क्षमता 400 टन की है, लेकिन उसको अलाट किया गया 50 टन, तो तीन साल में उसकी क्या केपेसिटी बनेगी। इतनी डिफेक्टिव गाइड लाइन्स की वजह से पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए क्या मन्त्री महोदय इन जे पी सी गाइड लाइन्स को बदलने पर विचार करेंगे, ताकि इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार समाप्त हो सके।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : अध्यक्ष महोदय, जे पी सी गाइड लाइन्स के बारे में माननीय सदस्य का सुझाव मैंने नोट कर लिया है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, नोट कर लिया है।

[अनुवाद]

यह सकारात्मक जवाब नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं, कि क्या मंत्री महोदय यह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि संयुक्त संयंत्र समिति के निर्देश दोषपूर्ण हैं। (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खान : माननीय सदस्य इस बात को एप्रीशिएट करेंगे कि मैं आज अपने सहयोगी श्री दिनेश गोस्वामी की अनुपस्थिति में उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। इसलिए मेरे लिए उतने विस्तार में जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत : श्री दिनेश गोस्वामी को क्या हो गया है? उनके बारे में अफवाहें फैल रही हैं कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है अथवा उनको क्या हो गया है। क्या वह बीमार हैं? यदि वह बीमार हैं तो हम उनके शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना करते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मंत्री जी को जिम्मेवारी के साथ जवाब देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मंत्री जी जिम्मेवारी से कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ने···(व्यवधान) मुझे पहले पूरी बात कहने दीजिए, उसके बाद आप शोर मचाईये। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : हम केवल इसलिए कह रहे हैं कि आपसे जरूरत पड़ने पर कहा गया है कि उत्तर दीजिए। हमें लगता है कि दिनेश गोस्वामी ने उत्तर देने से इन्कार कर दिया है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हरीश रावत जी, आप बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खान : अध्यक्ष महोदय, माननीय भजन लाल जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और मंत्री भी रहे हैं। प्रश्न काल में नीतियों पर प्रश्न नहीं होते हैं। अगर किसी फैक्ट पर प्रश्न हो, तथ्य देने के बारे में प्रश्न हो तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं अगर मंत्रालय का प्रभारी मैं होता तो बावजूद इसके कि प्रश्न काल में नीतिगत प्रश्न नहीं उठाए जाते हैं, मैं उसका उत्तर देता। (व्यवधान)

श्री भजन लाल : क्यों नहीं उठाए जाते ?···(व्यवधान)···

श्री आरिफ मोहम्मद खान : आप नियमों की किताब देख लीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आरिफ साहब, आप जे.पी.सी. के बारे में जो उत्तर है वह दीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैंने इसलिए निवेदन किया था···(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह बात तय कर दीजिए कि कौन से प्रश्न पूछे जाएं और कौन से नहीं। क्या नीति संबंधी प्रश्न नहीं पूछे जा सकते ? (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमान्, मैं मिस-गाईड करूंगा तो मैं यहां से निकल के नहीं जा सकता। आप मेरे खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव ला सकते हैं। (व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने नीति संबंधी प्रश्न तो नहीं पूछा। (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैं नहीं कह रहा हूं कि आप न पूछिए। मैंने केवल इतना कहा है कि नियमों में जो प्रावधान है, अगर उसको देखें तो प्रश्न काल में नीतिगत प्रश्न नहीं होते। मैं यह नहीं कहता कि जवाब नहीं दिया जाता है। आप किताब देख लीजिए। आप लोग नियम जानते हैं, लेकिन मैं भी नियमों को जानता हूं। (व्यवधान)

श्रीमान्, मैंने निवेदन यह किया कि जे पी.सी. की गाईड-लाईन्स में संशोधन करने के लिए आपने की जो परिस्थिति है उसके लिए माननीय सदस्य उन गाईड-लाईन्स को दोषी मानते हैं जो जे.पी.सी. द्वारा दी गयी हैं। मैंने यह कहा कि जो सुझाव इन्होंने दिया है उसे मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। मैंने उस सुझाव को नोट कर लिया है। अभी-अभी मुझे सूचना उपलब्ध करायी गयी है कि जे.पी.सी. गाईड-लाईन्स की पुर्नसमीक्षा इस्पात और खनन मंत्री के विचाराधीन है। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, विदर्भ इण्डस्टरी, चेम्बर और कामर्स और हार्डवेयर एसोशिएशन ने गोस्वामी जी जब नागपुर गए थे, उन्हें अपने दुःखदर्द और मुश्किलें बतायी थीं। परिस्थिति यह है कि स्टील का जो रॉ-मैटीरियल है वहां की स्माल स्केल इण्डस्टरीज को और मीडियम स्केल इण्डस्टरीज को नहीं मिलता। कईयों को 25 परसेंट, 30 परसेंट मिलता है। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि उस निवेदन पर विचार करके सरकार ने क्या एक्शन लिया ? जिससे मेरे यहां की जो स्माल स्केल इण्डस्टरीज, नागपुर और विदर्भ रीजन की इण्डस्टरीज सुचारू रूप से चल सकें। क्योंकि स्माल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और एक तरफ बढ़ावा देने की बात करें, दूसरी तरफ रा-मैटीरियल जो स्टील है उसको बढ़ाया सके और औद्योगिकरण को बहुत बड़ी क्षति होती है, इस बारे में सरकार ने क्या कार्य किया है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मेरे पास है, उसके अनुसार कुल मिलाकर पूरे देश में बीस प्रतिशत की कमी है, जो रॉ-मैटीरियल कच्चा माल चाहिए स्माल स्केल इंडस्ट्री को और माध्यम स्केल इंडस्ट्री को इस्पात और लोहे से संबंधित लेकिन इस वर्ष अप्रैल से लेकर जून तक जो कच्चा माल उपलब्ध कराया गया है और पिछले वर्ष की बात कर रहा हूं तो पिछले वर्ष की तुलना में तीन से प्रतिशत अधिक है स्माल स्केल में और महाराष्ट्र को कुल मिलाकर कच्चा माल एलोकेशन किया गया था। इसमें नागपुर के आंकड़े नहीं हैं। ये पूरे महाराष्ट्र के हैं।

[अनुवाद]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : यह अधिष्ठापित क्षमता का 20 प्रतिशत है । मेरा यह प्रश्न है । महोदय, वह इस प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खान : आप नाराज मत होइए, नाराज होने की कोई बात नहीं है ।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दण्डवते) : आपकी वेदना उल्लास में बदल दी जाएगी ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नाराज नहीं हैं सिर्फ तकलीफ बता रहे हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : जो निर्धारित मापदण्ड है और जो कुल मिलाकर उत्पादन है, उसके आधार पर ही डवलपमेंट कमीश्नर आयरन एंड स्टील कच्चे माल का एलोकेशन करते हैं और जो महाराष्ट्र राज्य के लिए निर्धारण किया गया है उसका 143 परसेंट जितना एलोकेशन किया गया है उससे ज्यादा 148 परसेंट कुल मिलाकर उपलब्ध कराया गया है जबकि आल इंडिया के लिए ये ही आंकड़े मिलाकर 88 प्रतिशत है । मैंने शुरू में ही कहा कि कहीं उसकी कच्चे माल की कमी है । जिस ज्ञापन के बारे में आपने बात की है, उस ज्ञापन के बारे में जो प्रश्न उठाए गए हैं उसके बारे में मैंने अपने मूल उत्तर में कहा है । एक बात यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो कहा है कि छोटी और मध्यम दर्जे की इकाइयों को और जो एक्चुअल यूजर्स हैं उनको माल पाने में परेशानी है और जो ज्ञापन दिया गया है उसमें कहा गया है :

[अनुवाद]

एककों की अधिष्ठापित क्षमता और अनुषंगी एककों की सार्वजनिक नीलामी को समाप्त किया जाए तथा माल के ट्रेड कोटा में वृद्धि की जानी चाहिए ।

[हिन्दी]

तो उन्होंने छोटी और मध्यम दर्जे की इकाइयों को कोटा बढ़ाने की वजह से ट्रेडर्स को बढ़ाने की बात की बात की है । सरकार की यह कोशिश है कि कम से कम यह माल जो बिल्कुल यूजर्स हैं और जो लघु और मध्यम इकाइयां है उनके पास ज्यादा से ज्यादा जाए ।

[अनुवाद]

श्रीमती बासव राजेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की नीति के अनुसार अनुषंगी एककों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से कहा गया है कि वे अपना उत्पादन बढ़ायें और विस्तार करें । परन्तु आज हम देखते हैं कि स्क्रैप जैसे प्रमुख कच्चे माल की कमी है । खनिज और धातु व्यापार निगम 'चैनलाइजिंग एजेंट है जो स्क्रैप का आयात और आपूर्ति कर रही है । उद्यमियों से भी कहा गया है कि वे स्क्रैप का आयात करें । परन्तु इसके बारे में चैम्बर्स आफ कामर्स, नागपुर ने भी बताया है कि स्क्रैप की बहुत ज्यादा कमी है । अनेक छोटे और मध्यम दर्जे के इस्पात संयंत्र बंद

होने के कगार पर है । इसके कारण होने वाली असुविधा को देखते हुए क्या मंत्री महोदय हमें आश्वासन देंगे कि आगे स्क्रैप की सप्लाई प्रमुख सप्लायर रेलवे अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को रियायती दर पर की जाएगी ।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : स्क्रैप का वितरण संयुक्त संयंत्र समिति के निर्देशों के अन्तर्गत नहीं आता है । उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जो स्क्रैप और दोषपूर्ण माल पैदा होता है उसे इस्पात सयंत्र अपनी वाणिज्यिक नीति के अनुसार बेचते हैं । कच्चे माल की कमी के कारण हम 2000 करोड़ रुपये से अधिक का 1.5-2 मिलियन मीट्रिक टन स्क्रैप का आयात कर रहे हैं ।

श्रीमती बासव र.श्वरी : महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है । मेरा प्रश्न था क्या आप इस बात का आश्वासन देंगे कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इन लोगों को रियायती दर पर स्क्रैप की सप्लाई की जाएगी ?··· (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खान : यह सम्भव नहीं है ।

[हिन्दी]

प्रो. महादेव शिवनकर : माननीय अध्यक्ष जी, रा-मेटिरियल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है । वर्धा जिले में भूतपूर्व ऊर्जा मंत्री ने दो बार एक ही जगह पर एक इस्पात कारखाने का भूमि पूजन किया था, लेकिन स्क्रैप उपलब्ध नहीं होने के कारण या रा-मेटिरियल उपलब्ध नहीं होने के कारण वहां कारखाना शुरू नहीं हो सका, क्या यह बात सही है ? दूसरा मेरा सवाल है कि रा-मेटीरियल और कच्चा लोहा भरपूर मात्रा में चन्द्रपुर गढ़ और चिरोली जिलों में उपलब्ध है । महाराष्ट्र माइन्स कार्पोरेशन ने उसमें लीज ले रखी है, लेकिन वहां किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है । इसलिए उसके सम्बन्ध में क्या केन्द्र सरकार ध्यान देकर वहां रा-मेटीरियल उपलब्ध करायेगी ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : हमारा तो पूरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल उपलब्ध कराया जाये ताकि कारखाना चले और ज्यादा उत्पादन हो सके । भूतपूर्व ऊर्जा मंत्री ने कितनी बार भूमि पूजन किया उसकी विस्तार से मेरे पास जानकारी नहीं है । माननीय सदस्य अगर किसी खास कारखाने के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मैं उनको उपलब्ध करवा दूंगा । क्योंकि यह तो जे.पी.सी. की गाइड लाइंस से सम्बन्धित प्रश्न है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : यह बात हो सकती है कि स्क्रैप की कमी के कारण आयात करने की आवश्यकता हो, लेकिन जितना स्क्रैप उपलब्ध है स्टील प्लांट में उसके वितरण के सम्बन्ध में बहुत त्रुटिपूर्ण तरीका अपनाया जा रहा है । जो छोटे यूनिट्स हैं, जो छोटी रोलर्स मिल्स हैं सीधे उनकी आवश्यकतानुसार कोटा तय करने के बजाय बड़े लाट में उसका आवंटन किया जाता है । इससे बड़े व्यापारी उसको खरीद लेते हैं और उसके बाद वे अपना मुनाफा लगाकर उसको जरूरतमंद इकाइयों को बेचने का काम करते हैं । इससे न केवल छोटे उद्योगों को परेशानी होती है, बल्कि जो छोटी इकाइयां स्टील पैदा करती है उसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं । इस सम्बन्ध में जब स्टील प्लांट के अधिकारियों से बात करते हैं, जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि उनका व्यावसायिक आधार है, उनसे जब बात करें कि बजाय लाट में बेचने के आप इंडीविजुवल जिसको जितनी जरूरत है

उसको देना चाहिए तो वह कहते हैं कि हमारा मुख्य काम स्टील बनाना है, स्क्रैप बेचने का नहीं है, इसलिए हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। जो छोटी यूनिट्स हैं उनको जो कमी है उनको भरपूर स्क्रैप मिले इस दृष्टि से आपको नीति बनानी चाहिए और जो बड़े व्यापारी मुनाफे के आधार पर उनको स्क्रैप बेचने का काम करते हैं तो उसके चलते जो छोटी यूनिट्स हैं जो कि फिनिश गुड्स बनाती हैं उसकी कीमतें बढ़ रही हैं उसको रोकने के लिए सरकार विचार करे और छोटी यूनिट्स को आवश्यकतानुसार सस्ता माल मिले यह भी देखे।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : इसके बारे में जो नीति है, वह मैंने बता दी थी कि स्क्रैप का का वितरण जे. पी. सी. की गाईडलाइन्स के अन्तर्गत नहीं आता है और इसमें कार्मशियल कंसीड्रेशन के हिसाब से वह अपना फैसला लेती है लेकिन माननीय सदस्य ने इन गाईडलाइन्स के चलते हुए लघु इकाईयों को विशेषतः जो कठिनाइयां आ रही हैं, उसके बारे में जो सुझाव दिये हैं, उस पर निश्चित रूप से हम विचार करेंगे।

श्री जनार्दन यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार में जो छोटी और मध्यम इकाईयां हैं···

अध्यक्ष महोदय : जनार्दन जी, यह सवाल विदर्भ के बारे में है आप इस बारे में पूछिए।

श्री जनार्दन यादव : जो स्क्रैप निकल रहा है, उसमें बिहार का बंटवारा है लेकिन आज सारी इकाइयां बंद हैं क्योंकि स्क्रैप नहीं मिल रहा है। क्या उन इकाइयों को चलाने में बिहार को स्पेशल कोटा दिया जाता है?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन्, जिस राज्य में स्टील मिल स्थित है, उसमें निकलने वाला जितना भी स्क्रैप होगा, उसका एक तिहाई उत्पादन केवल उस राज्य के लिए सुरक्षित है। इसलिए मैं समझता हूं कि बिहार की स्टील इकाईयों को मिलने वाला कुल स्क्रैप दूसरे राज्य की तुलना में निश्चित रूप से बेहतर स्थिति में है और जैसा मैंने कहा कि यदि गाईडलाइन्स के चलते कोई कठिनाईयां आ रही हैं तो लघु और मध्यम इकाईयों के लिए गाईडलाइन्स की समीक्षा की जा रही है और जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, उसके बारे में पूरा विचार किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री लोक नाथ चौधरी : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि विदर्भ और नागपुर क्षेत्र में मध्यम वर्ग के ऐसे कितने इस्पात उद्योग हैं जो अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्या सरकार ने इसके बारे में कोई मूल्यांकन किया है?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसका भी कोई मूल्यांकन किया है कि देश में ऐसी कितनी मिलें हैं जो अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रही हैं क्योंकि इसका श्रमिकों के रोजगार पर प्रभाव पड़ता है।

इस दृष्टि से क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ताकि सभी मिलों को अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने का अवसर मिल सके?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : महोदय, देश में विभिन्न छोटे अथवा मध्यम वर्ग के इस्पात

उद्योगों और अन्य एककों को जो कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है उसके आंकड़े मौजूद हैं परंतु मुझे यह कहते हुए खेद है कि विभिन्न एककों की अधिष्ठापित क्षमता के बारे में मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं अपने मंत्रालय से पता करूंगा और यदि ये आंकड़े मिल जायेंगे तो मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा।

अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग 30 प्रतिशत से लेकर 65 प्रतिशत तक किया जाता है। कच्चे माल, बिजली और अन्य श्रम समस्याओं के कारण इसका इतना कम उपयोग होता है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, हमें इस समस्या पर काबू पाना है।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान घटनाक्रम से मैं बहुत चिंतित हूं। श्री आरिफ मोहम्मद खां, जो प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, सिर्फ वे ही मेरे अच्छे मित्र नहीं हैं, अपितु श्री दिनेश गोस्वामी भी मेरे अच्छे मित्र थे और अच्छे मित्र बने रहेंगे। लघु इस्पात संयंत्रों को धातु छीजन की आपूर्ति के लिए उनसे जब एक शिष्टमंडल मिला था, तो उन्होंने विशेष रूप यह आश्वासन दिया था कि वर्ष के पहले छः महीनों के अंदर वे यह सुनिश्चित करेंगे कि खनिज व धातु व्यापार निगम उद्योग के लिए धातु छीजन की अपेक्षित मात्रा का आयात करए और डालर में भुगतान करने वाले देशों से, करने में सफल हो जाए। मंत्री जी ने कहा था कि 1.5 मिलियन टन का आयात किया जा रहा है। इस संख्या के बारे में मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं। मुझे आशा है, कि मंत्री जी इस बारे में आश्वस्त हैं। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि इस में से कितनी मात्रा में आयात किया गया है। क्योंकि प्रायः होता यह है कि जब तक आयात किया जाता है, तब तक अवधि पूरी हो जाती है और आगामी वर्ष प्रारम्भ हो जाता है और हमेशा आपूर्ति में कमी हो जाती है क्योंकि खनिज व धातु व्यापार निगम आयात करने में सुस्त है।

महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि इस्पात और खान मंत्री, श्री दिनेश गोस्वामी ने हमें जो आश्वासन दिया था, वह अभी भी है अथवा नहीं मैं नहीं जानता कि वे अभी भी इस्पात और खान मंत्री हैं कि नहीं या यह आश्वासन बदल गया है। क्योंकि यह आश्वासन दिया गया था कि पहले छः महीनों के अंदर वे यह देखेंगे कि लघु इस्पात संयत्रों को जितना इस्पात चाहिए, उसका आयात कैनेलाइजिंग ऐजेंट करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि वह आश्वासन अभी भी है या बदल गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे इसे पूरा करने में सफल क्यों नहीं हो पाए क्या उनकी अनुपस्थिति के कारण यह आश्वासन समाप्त हो गया है या मंत्रियों के बदलने से कुछ भी हो सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी उक्त मंत्री से पूरा अधिकार प्राप्त करने के बाद उत्तर दे रहे हैं या मंत्रिमंडल के एक सदस्य के तौर पर उत्तर दे रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : महोदय, मैं इसका उत्तर नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको इसका उत्तर नहीं देना है। आप विशेष प्रश्न का उत्तर दीजिए ·

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खान : हमारे मित्र में सूक्ष्म वृत्तान्त देने का विवेक है। मुझमें इतनी योग्यता नहीं है। वे बाल की खाल निकाल सकते हैं किन्तु मैं यह नहीं कह रहा।

प्रो. मधु दण्डवते : उनके पिता ने इसी सदन में आश्वासन दिया था।

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : वे आ चुके हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : किन्तु मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा इस्पात और खान मंत्री श्री दिनेश गोस्वामी ने उन्हें आश्वासन दिया था तो मैं उस आश्वासन के बारे में उनकी सभी चिन्ताओं को दूर करना चाहता हूं,

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : 'अगर' से आपका क्या तात्पर्य है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : उन्होंने एक आश्वासन दिया था। आप निश्चिन्त रहिए, वह आश्वासन पूरा किया जाएगा। वे स्वयं इसे पूरा करेंगे। अतः, आप इस ओर से निश्चित रहिए।

पियरलैस जनरल फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट कंपनी के पास जमा धनराशि

[हिन्दी]

*327. श्री एम. एस. पाल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पियरलैस जनरल फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट कंपनी के सर्टिफिकेट धारियों की ओर से सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कंपनी द्वारा उनकी शेयरों की जमाराशियां वापस नहीं की जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कम्पनी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करने का है ताकि इसके पास लोगों की जमाराशियां उन्हें वापस की जा सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दंडवते) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को पीयरलैस जनरल फाइनांस एंड इन्वेस्टमैंट कम्पनी के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली हैं जिनमें अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान में देरी, ब्याज/मृत्यु संबंधी दावों का निपटारा न किया जाना और सर्टिफिकेट आदि के परिपक्वता मूल्य का भुगतान न किए जाने की बात कही गई है। सर्टिफिकेट धारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायती-पत्रों को कंपनी को अग्रेषित किया गया है।

विद्यमान कानूनी प्रावधानों और मार्गनिर्देशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकार को जमाकर्ताओं या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान करने के लिए पीयरलेस जैसी किसी प्राइवेट गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को बाध्य करने का कानूनी अधिकार नहीं है। प्रभावित पार्टियों के लिए सामान्य न्यायिक माध्यमों का आश्रय लेना होता है।

श्री एम. एस. पाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि वह अधूरा है। सरकार ने इस कम्पनी के विरुद्ध किसी तरह की कार्यवाही करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। मेरा विचार है कि कम्पनी ने फेरा का भी

वायोलेशन किया है और कम्पनीज एक्ट के प्रावधानों का भी वायोलेशन किया है। इसके अलावा लोगों द्वारा जमा कराये गये, करोड़ों रुपये इकट्ठा करके, यह कम्पनी खा गयी है। माननीय वित्त मंत्री जी जब इस सदन में विपक्ष में थे, तब भी इनके पास इस कम्पनी के संबंध में शिकायतें आती रही हैं और आज भी वित्त मंत्री जी को विभिन्न सोर्सेज से शिकायतें मिल रही हैं। पहले भी आपने तत्कालीन वित्त मंत्री को लिखा था...

अध्यक्ष महोदय : पाल साहब, आपके दो प्रश्न हैं, आप दूसरे सवाल में बाकी पूछ लीजियेगा।

श्री एम. एस. पाल : मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि फेरा का वायोलेशन करने और कम्पनीज एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण क्या इस कम्पनी के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की है। दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि आप पियरलैस कम्पनी को कब तक नेशनेलाइज करने का विचार रखते हैं। सरकार के पास इस कम्पनी को नेशनेलाइज करने का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है, अखबारों में आता रहा है और सभी लोगों को मालूम है कि सरकार शीघ्र इस कम्पनी को नेशनेलाइज करने जा रही है परन्तु अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। आप इसे कब नेशनेलाइज कर देंगे? इसके अलावा एम्पलाईज के बारे में भी अनेक शिकायतें मिलती रही है, वहां काम करने वाले कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जाती, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, रिट्रेंचमैंट कर दी जाती है और जब माननीय वित्त मंत्री जी इस सदन में विपक्ष में बैठते थे।

अध्यक्ष महोदय : पाल साहब, आपके दो सवाल है, आप शेष भाग दूसरे सवाल में पूछ लीजिये, अब आप बैठिये।

प्रो मधु दण्डवते : माननीय सदस्य ने बताया है कि पियरलैस कम्पनी के सिलसिले में भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के पास काफी शिकायतें आई हैं। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि ये सारे सवाल हल करने में दिक्कत यह हो रही है कि एक समय ऐसा था कि कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 408 के तहत इन सारी शिकायतों को हल करने के लिए कम्पनी बोर्ड की ऐडवाईज पर सरकार ने 4 बोर्डों पर अपने मेम्बर नियुक्त करने का फैसला किया। लेकिन यह सारा मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के पास चला गया और कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्णय किया कि कम्पनी एक्ट के तहत कम्पनी बोर्ड पर सरकार को अपने मेम्बर नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ रिजर्व बैंक आफ इंडिया निदेशों के अनुसार हम किसी हद तक नियन्त्रण रख सकते है। इस मामले में जो कुछ कार्यवाही हो सकती है वह कोर्ट के सामने हो सकती है। जितनी शिकायतें इस कम्पनी के सिलसिले में आई है यदि उनके बारे में कुछ विचार करना है या कोई इलाज करना है तो कोर्ट के सामने जाकर शिकायत करनी पड़ती है, उनके ही फैसले का इन्तजार करना पड़ता है। इसलिए आगे चलकर हम लोगों को कानून और उनके प्रावधान में संशोधन करना होगा ताकि जो शिकायतें आती हैं उनको हल करने की कोशिश सरकार कर पाए।

श्री एम. एस. पाल : नेशनलाईजेशन के संबंध में मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया है। इम्पलाईज के साथ ज्यादती हो रही है, जैसा कि दण्डवते जी को बताया है, उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री को रिपोर्ट भी दी थी। उस संबंध में क्या कर रहे है?

प्रो. मधु दण्डवते : मैंने सारी शिकायतों के बारे में बताया था। यह मामला आज के प्रावधानों के अनुसार सिर्फ कोर्ट में तय हो सकता है, इसलिए संशोधन करना होगा। दूसरा सवाल राष्ट्रीयकरण के सिलसिले में पूछा था। आज हालत ऐसी है कि सरकार के पास जितने संसाधन हैं उनको देखते हुए किसी कम्पनी या कारखाने का राष्ट्रीयकरण करते समय यह ख्याल करना पड़ता है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेस हैं। इसलिए जहां राष्ट्रीयकरण आवश्यक है वहां जरूर सोचेंगे लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

श्री भवानी शंकर होटा : माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी बोर्ड, सरकार बोर्ड में एक सदस्य प्रस्तावित करना चाहती थी, किन्तु कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसे अस्वीकृत कर दिया, वे इससे सहमत नहीं हुए। क्या सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कभी भी उच्चतम न्यायालय में कोई अपील की ? माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को समझने में मैं असमर्थ हूं। इसमें कहा गया है :

"सर्टिफिकेट धारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायती पत्रों को कम्पनी को अग्रेषित किया गया है।"

यह धोखाधड़ी का एक स्पष्ट मामला है जो अपराधिक प्रक्रिया दण्ड संहिता के अन्तर्गत आता है। मेरे ख्याल से केन्द्रीय सरकार इस स्थिति में असहाय नहीं है। सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? प्रभावित पक्षों को राहत के लिए सामान्य न्याय व्यवस्था का सहारा लेना पड़ेगा। अब मुद्दा यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने यह काम करने के लिये पीयरलेस कम्पनी को अनुमति दे दी है। जब उन्होंने इस कम्पनी को अनुमति दी थी, तो उन्हें इस पर कुछ नियंत्रण रखना चाहिए। अनुमति देते समय किस प्रकार के नियंत्रण की अवधारणा की गई थी; अगर ऐसी कोई पूर्वकल्पना नहीं की गई थी तो भारत सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

प्रो. मधु दण्डवते : जहां तक कानूनी प्रक्रिया का संबंध है, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहूंगा कि कुछ मुद्दों और कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय में की गई कुछ टिप्पणियों पर हम पहले ही एक अपील दायर कर चुके हैं। दूसरे, कानूनी उपाय के अतिरिक्त आज कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक की कुछ सीमित शक्तियां हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने कम्पनी को सलाह दी कि सार्टीफिकेट धारकों को भुगतान देने के लिए ही वापसी की जानी चाहिए। कम्पनी कार्य विभाग ने पहले ही कम्पनी को सलाह दी है कि इसके निवेश कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 के उपबन्धों के अनुसार होने चाहिए। मैं इस सभा को सूचित करना चाहूंगा कि जहां तक इस कम्पनी का संबंध है, उसके विरुद्ध यह शिकायत है कि जब भी कर्ज लिये जाते है, तुरन्त भुगतान नहीं किए जाते। इसी प्रकार, जहां तक निवेश का संबंध है, कई बार वे परिसम्पत्तियां और पूंजी की तुलना में भी निर्धारित सीमा से अधिक होता है। मैं सभा को यह भी सूचित करना चाहता कि जहां तक इस कम्पनी का संबंध है, इसकी कुल परिसम्पत्तियां 1002 करोड़ रुपए की है जब कि निवेश 798-71 करोड़ रुपए का है। इन सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए और जैसा कि मैंने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो सीमित शक्तियां है हम उनका उपयोग करने का प्रयास करेंगे। किन्तु जब तक कुछ कड़े उपाय नहीं किए जाते, तब तक ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध मिली सभी शिकायतों को दूर करना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की पियरलेस जनरल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिलीं और उन शिकायतों पर जो नियम हैं, कानून है, व्यवस्थायें हैं उसके अनुसार कुछ कार्यवाही नहीं की जा सकती। ऐसी ठगी व्यापक रूप से चल रही है, जिसका प्रचार प्रसार चल रहा है, एडवरटाइजमेंट्स अखबारों में आ रहे हैं, छप रहे हैं, ऐसी कई संस्थायें काम कर रही हैं और लोगों के गाढ़ी कमाई के पैसे को ठग रही हैं। ऐसी ही एक और कम्पनी है लक्ष्मी चन्द मगाजी, जिस कम्पनी ने भी गरीबों के मजदूरों के पैसे ज्यादा ब्याज के लालच में लेकर रखे हैं और यह कम्पनी वहाँ से गायब हो गई है तो ऐसी जो कंपनियां चलती हैं, जिनका कि प्रचार प्रसार होता है, जिसका कि विज्ञापन होता है, ऐसी कम्पनियों के खिलाफ सरकार कोई निश्चित प्रावधान करेगी, ऐसी ठगी को रोकने का कोई निश्चित प्रयास करेगी और करेगी तो कब तक इस बारे में सब लोगों को राहत देने के उपाय किये जायेंगे ?

प्रो. मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, यह सवाल है पियरलेस कम्पनी का और माननीय सदस्य गये लक्ष्मीचन्द कम्पनी के पास लेकिन चूंकि आपने उनको सवाल पूछने की इजाजत दी है तो मैं उनको इतना आश्वासन देना चाहता हूं कि इस कम्पनी में जिन लोगों ने डिपाजिट्स रखे हैं, उनका एक डेलीगेशन मुझे दो मर्तबा मिलने के लिए आया था, मैं गुजरात में गया, उस वक्त भी मिला, मध्य प्रदेश में गया था, उस वक्त भी मिला और मैंने उनको आश्वासन दिया है··· (व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत : अजमेर में भी आपकी सेवा में निवेदन किया है, लक्ष्मी चन्द मगाजी कम्पनी के बारे में।

प्रो. मधु दण्डवते : जितना कम निवेदन किया जाय, वह अच्छा है लेकिन मैं आप को आश्वासन देना चाहता हूं, इस सदन में कि इस मामले में जितने गलत काम इस कम्पनी ने किये हैं, उसके बारे में हम निश्चित निर्णय लेकर, जिन लोगों को, डिपाजिटर्स को नुकसान हुआ है, उसके सिलसिले में उचित कार्यवाही करेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : समय की कमी के कारण मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगी। मंत्री जी सहित हम सभी जानते हैं कि हम राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं। उसके होने तक, मैं जानना चाहूंगी कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान कानूनी प्रावधान और दिशा निर्देश, जो कम से कम मंत्री जी की क्षमता के अन्दर है उन्हें तुरन्त इस तरह पुनः निर्मित किया जाएगा, जो जमाकर्ताओं और श्रमिकों के हित में हो और राज्य के भी हित में हो।

प्रो. मधु दण्डवते : भारतीय रिजर्व बैंक की कुछ नियामक शक्तियां हैं। किन्तु जैसा मैंने पहले सदन को सूचित किया था, ये शक्तियां अत्यन्त सीमित हैं और पीयरलेस कम्पनी और इसी प्रकार की अन्य कम्पनियों के अनुभव को देखते हुए, हम भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का क्षेत्र व्यापक करेंगे ताकि अन्य सभी उपायों के होने तक उन्हें न्याय मिल सके।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, यों सदन के नियमों के अनुसार मंत्री को नाराज होने का तो कोई नियम है नही और मैं समझता हूँ कि यदि मैं यह कहूँगा कि मधु दण्डवते जी मुझसे नाराज तो नहीं होंगे तो मधु दण्डवते जी एज संसद सदस्य जिन मामलों को उठाते रहे, आज उन्हीं मामलों को वह एज वित्त मंत्री निर्णय नहीं कर पा रहे हैं और दोनों मे बहुत अन्तर दिखाई दे रहा है......

अध्यक्ष महोदय : सवाल पर आइये।

श्री हरीश रावत : माननीय मंत्री जी ने अपने मूल उत्तर में भी और जो कुछ उन्होंने कहा है, उसमें भी आपने बिल्कुल असमर्थता जाहिर की है। पियरलैस कम्पनी की चीटिंग इत्यादि के विषय में, कदम इत्यादि उठाने के विषय में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो दो निर्णय लिए थे—एक निर्णय तो यह था कि रिजर्व बैंक की गाइड लाइन्स को सख्ती से लागू किया जाए जिसमें सेविंग्स वगैरह को सिक्योर किया जा सके और दूसरा यह था कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के विषय पर ध्यान दिया जाए। दूसरे के विषय में तो हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया है जिसके ऊपर आपने अपील कर रखी है। लेकिन पहले के विषय में कि जो सेविंग्स वगैरह है उनको सिक्योर किया जाए इस निर्णय के अधीन 15 मार्च, 1987 से पहले की जो बचत हैं, उनके ऊपर यह निर्णय लागू नहीं हो पा रहा है, उसके बाद की बचतों पर तो लागू हुआ है, तो क्या आप रिजर्व बैंक आफ इंडिया को नई गाइड लाइन्स या डायरेक्शन्स देंगे जिससे मार्च, 1987 के पहले की बचतों पर भी वह निर्णय लागू हो सके, इस सम्बन्ध में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

प्रो. मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, सबसे पहले रावत जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी सवाल आप पूछें, मैं नाराज नहीं होता हूँ। मधु दण्डवते जब विरोधी दल में बैठते थे तब वे जो कहते थे, वह अब वित्त मंत्री बनने के बाद नहीं कहते या करते हैं, हमारे मित्र चन्द्रशेखर जी भी यही कहते हैं, यह सही है अध्यक्ष जी कि जब आप विरोधी दल में बैठते थे, तो आप पाइंट आफ आर्डर उठाते थे, लेकिन अब स्पीकर बनने के बाद आप पाइंट आफ आर्डर नहीं उठा सकते हैं। तो पद के अनुरूप जिम्मेदारी अलग-अलग हो जाती है। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला नहीं हूं। आपने मेरा उत्तर ठीक से सुना नहीं, जब गीता जी ने सवाल पूछा था, तो मैंने अपनी राय दी थी कि सारी कम्पनियों को देखने के बाद मेरी निश्चित राय यह है कि रिजर्व बैंक की डायरेक्शन्स में जो कुछ आज तक सीमा है, उसमें हमको तब्दीली करनी पड़ेगी—सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में और लाभ के बारे में। मैं आपको निश्चित तरीके से यह बताना चाहता हूं कि ये तब्दीलियां हम अवश्य करेंगे।

श्री गुमान मल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहता हूँ कि ये चिट फण्ड कम्पनियां लोगों के साथ चीट कर रही हैं और विधवाओं, गरीबों और फौजियों का इन कम्पनियों ने पैसा जमा कर के सारे देश के अंदर शोषण किया है, तो क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय इन चिट फण्ड कम्पनियों और फायनेन्सिंग कम्पनियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का प्रावधान करेंगे या नहीं ?

प्रो. मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, बैन करेंगे या नहीं, यह तो नीति-विषयक वक्तव्य है और उसके विषय में मैं अकेला सदन में खड़े होकर ऐलान नहीं कर सकता हूं। आपको एक आश्वासन मैं जरूर देना चाहता हूं कि डिपाजिटर्स को और अन्य लोगों को कम्पनियों की तरफ से कई परेशानियां सहन करनी पड़ती हैं, इस सम्बन्ध में, हमारे पास जितनी भी शिकायतें आती हैं, हम उनको हल करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसके लिए अभी मैंने कहा है कि आर.बी.आई. की जो गाइड लाइन्स हैं, उनके अन्तर्गत उसकी सीमा भी हमें बढ़ानी होगी। इतना ही नहीं कम्पनीज एक्ट के मुताबिक चन्द धाराएं ऐसी थीं जिनके अनुसार हम कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद यह सुविधा भी खत्म हो गई है। हम लोगों ने उसके लिए अपील की हुई है। यदि इस काम के लिए हमें नियमों में संशोधन करना आवश्यक हुआ, तो वह भी हम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, अपने लिखित उत्तर में वित्त मंत्री ने अपनी लाचारी दर्शायी है। जमाकर्ताओं और दूसरों को बचाने के लिए जिन कड़े कदमों को उठाने की जरूरत है, उन्होंने उनकी भी चर्चा की है। महोदय, समस्या बहुत साधारण है। पहले जब भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा निर्देश नहीं थे, तब एक बहुत कारगर बिक्री अभियान के द्वारा राजनैतिक दलों से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा, उन्होंने लोगों को कम्पनी की पालिसी लेने के लिए प्रेरित किया। सिर्फ प्रथम वर्ष के लिए प्रीमियम एकत्र किए गए और फिर उन्हें व्यपगत होने दिया गया। इस प्रकार, उन्होंने काफी राशि एकत्र कर ली, हजारों करोड़ रुपए से भी ज्यादा। फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर रोक लगाई। उनके दिशा निर्देशों में कहा गया है कि पालिसी समाप्त नहीं होगी और पालिसी के परिपक्व होने की अवधि के बाद भी उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। मैं कर्मचारी संघ के बहुत निकट सम्पर्क में हूं। वहां के कुछ प्रबंधकों से भी मेरा सम्पर्क है। वित्त मंत्री से मिलने वाले शिष्टमंडल का भी मैंने प्रतिनिधित्व किया। समस्या यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा निर्देशों के रहते हुए, कम्पनी कार्य नहीं कर सकती। इसलिए वे यह कर रहे हैं कि वे सभी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं जिसमें उनके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नियां भी शामिल हैं वे उनके नाम पर कम्पनियां खोलते हैं और ब्याजमुक्त ऋण आदि देते हैं। इसलिए, मेरा प्रश्न यह है कि सरकार के सामने इन कम्पनियों में राष्ट्रीयकरण के अतिरिक्त कोई और उपाय है।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं माननीय सदस्य को स्मरण कराना चाहूंगा कि हालांकि भारतीय दिशा निर्देश बहुत सीमित हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान निर्देशों के अन्तर्गत कम्पनी को अपनी पूंजी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा योजना, अनुमोदित प्रतिभूति और अन्य सुरक्षित जमा योजनाओं में सिर्फ 10:70:20 के अनुपात में निवेश करनी होती है। किन्तु, इसका उल्लंघन किया जा रहा है। जहां तक इस उल्लंघन का संबंध है, मैं सोचता हूं, कि यह अनियमितता, भारतीय रिजर्व बैंक के सीमित दिशा निर्देशों से भी रोकी जा सकती है। जहां तक अन्य पहलुओं का संबंध है, जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उनके बारे में कर्मचारी संघों ने पहले ही हमें अपने ज्ञापन दे दिए हैं। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि ज्ञापन और उनकी मांगों पर पहले से ही विचार किया जा रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बेलाडिला खानों में लोह-अयस्क का भण्डार

[हिन्दी]

*328. श्री मानकूराम सोढ़ी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में स्थित बेलाडिला खानों के लौह-अयस्क भण्डार के कब तक समाप्त होने जाने की सम्भावना है;

(ख) 31 मार्च, 1990 तक वहां से कितना लोह-अयस्क निकाला जा चुका है;

(ग) क्या सरकार का सातवां इस्पात संयंत्र बस्तर जिले में इस सिद्धान्त के आधार पर स्थापित करने का विचार है कि उत्पादन केन्द्र ऐसे स्थानों के निकट स्थापित किए जाएं जहां कच्चा माल उपलब्ध हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) बेलाडिला में + 65 प्रतिशत लोहांश वाले उच्च श्रेणी के प्रमाणित लोह अयस्क के निक्षेप लगभग 6500 लाख मी. टन हैं। स्वदेशी उपभोग की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए आशा है कि वे लगभग 40 से 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे।

(ख) 31 मार्च, 1990 तक लगभग 1340 लाख मी. टन लोह अयस्क का दोहन किया जा चुका है।

(ग) और (घ) इस समय बस्तर जिले में इस्पात कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एकीकृत इस्पात कारखाना स्थापित किये जाने का निर्णय संसाधनों की उपलब्धता, कच्चा माल, तैयार उत्पादों के लिए बाजार में मांग इत्यादि जैसी विभिन्न बातों पर आधारित है। कच्चा माल पाये जाने के स्थान की समीपता उन विभिन्न कारणों में से एक है जिस पर विचार किया जाता है।

राजस्व आसूचना निदेशालय तथा आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे

[अनुवाद]

*329. श्री मदन लाल खुराना :

श्री शंकर मुंजारे :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान देश में केन्द्रीय जांच ब्यूरो, आयकर विभाग तथा राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा कितने छापे मारे गए;

(ख) उन व्यक्तियों/कम्पनियों आदि का ब्यौरा क्या है, जिसके यहां छापे मारे गए; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, आयकर तथा राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा व्यक्तियों/कम्पनियों के कार्यालय/निवास पर गत छः महीनों के दौरान मारे गए छापों तथा उसके परिणामों के बारे में आंकड़े नीचे दिए गए हैं।—

	मारे गए छापों की संख्या	जब्त की गई सम्पत्ति का मूल्य
		(करोड़ रुपए में)
केन्द्रीय जांच ब्यूरो	53	2.02
		जब्त की गई अचल लेखा बाह्य परिसम्पत्तियां।
आयकर	2211	74.65 (जब्त की गई परिसम्पत्तियां। 114.05 (स्वीकार की गई लेखाबाह्य आय)
राजस्व आसूचना निदेशालय	201	85.00 (जब्त निषिद्ध माल)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

[हिन्दी]

*330. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल कितनी शाखायें हैं और उनमें राज्य-वार कितने कर्मचारी तथा अधिकारी कार्यरत हैं; और

(ख) इन बैंकों द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या उपाए किए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 को (नवीनतम उपलब्ध) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं, कर्मचारियों तथा अधिकारियों की राज्यवार स्थिति निम्नानुसार है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शाखाओं की सं.	कर्मचारियों की सं.	अधिकारियों की सं.
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	17	24	25
आंध्र प्रदेश	1112	5909	1283

1	2	3	4
असम	382	1133	428
बिहार	1829	4449	1989
गुजरात	400	808	465
हरियाणा	290	1171	402
हिमाचल प्रदेश	127	469	124
जम्मू और कश्मीर	256	792	305
कर्नाटक	1063	4117	1383
केरल	269	664	233
मध्य प्रदेश	1592	3789	1963
महाराष्ट्र	584	1515	720
मणिपुर	27	49	29
मेघालय	45	83	48
मिजोरम	44	69	58
नागालैंड	8	13	10
उड़ीसा	815	2662	954
पंजाब	189	362	266
राजस्थान	1062	2529	1304
तमिलनाडु	206	721	290
त्रिपुरा	84	547	119
उत्तर प्रदेश	3020	9784	4063
पश्चिम बंगाल	825	3135	1025
जोड़	14247	42794	17486

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जमाराशियां जुटाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करने के लिए उनका उपयोग करना और साथ ही ऐसे क्षेत्रों में छोटे तथा सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों आदि के संस्थागत ऋण उपलब्ध

कराना था। देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और उनकी 14247 शाखाएं हैं तथा इनके अन्तर्गत 369 जिले आते हैं। 31 दिसम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार 161.24 लाख ऋण खातों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमाराशियों की रकम 1285.82 करोड़ रुपये थी जो 31 दिसम्बर, 1989 में बढ़कर 283 50 लाख जमा खातों के अन्तर्गत 3643.55 करोड़ रुपए हो गयी है। इस प्रकार जमा खातों में 76 प्रतिशत और जमा रकमों में 183 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। इसी प्रकार, इस अवधि में, लक्ष्य समूह ऋणकर्ताओं की संख्या 70.12 लाख से बढ़कर 112.25 लाख और ऋण की राशि 1407.67 करोड़ रुपये से बढ़कर 3154.93 करोड़ रुपये हो गयी है। इस प्रकार खातों की संख्या में 60 प्रतिशत और रकमों में 124 प्रतिशत वृद्धि हुई जिससे देश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिये काफी मदद मिली है। अलबत्ता, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कारगरता में आगे और सुधार लाने के वास्ते हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं ताकि ये बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बढ़ती हुई जिम्मेवारी उठा सकें।

अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहन

[अनुवाद]

*331. श्री कैलाश मेघवाल :

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश तथा कर नियमों को सरल बनाने और आकर्षक प्रोत्साहन देने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों और प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है तथा इन्हें कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) और (ख) अनिवासी भारतीयों के लिए भारत में, निवेश के वातावरण में सुधार करने की दृष्टि से सरकार अपनी नीति की निरन्तर समीक्षा करती रहती है। समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों पर सरकार उचित रूप से विचार करती है। आर्थिक कार्य विभाग में एक सलाहकार समिति अनिवासी भारतीय निवेश की नीति और प्रक्रिया सम्बन्धी पहलुओं की जांच पड़ताल करती है। औद्योगिक विकास विभाग में भी एक विशेष अनुमोदन समिति है जो अनिवासी भारतीय उद्यमियों को एकल स्थान सेवा सुविधा प्रदान करती है।

भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम का बिहार के सिंहभूम जिले को
प्रमुख निर्यात केन्द्र बनाने का प्रस्ताव

*332. श्री के. एस. राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम का बिहार के सिंह भूम जिले को कुछ खनिजों के लिए प्रमुख निर्यात केन्द्र बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में लौह अयस्क आदि सहित खनिजों की उपलब्धता के बारे में कोई सर्वेक्षण तथा अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा वित्तीय संस्थाओं के समक्ष वित्तीय कठिनाइयाँ

*333. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :

श्री हरीश रावत :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों और वित्तीय एजेंसियों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि उन्होंने ब्याज की दरें बढ़ाने एवं बेहतर शर्तों के लिए सिण्डीकेट बना लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. के संयंत्रों में अनबिका इस्पात स्क्रेप

*334. श्री एस. बी. थोरट : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार, तीन महीने से अधिक समय से संयन्त्र-वार अनुमानतः कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का इस्पात-स्क्रैप अनबिका पड़ा हुआ है;

(ख) क्या सरकार को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. द्वारा इस्पात-स्क्रैप की बिक्री में किए गए विभिन्न कदाचारों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारी उपाए किये गये हैं और उसके क्या परिणाम रहे ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) भिलाई इस्पात संयंत्र में पिछले तीन महीने से 8.52 करोड़ रुपये मूल्य का 16,390 मी. टन स्क्रैप निपटान के लिये पड़ा हुआ है। "सेल" के अन्य इस्पात संयंत्रों में इस प्रकार का कोई निपटाई हेतु स्क्रैप नहीं पड़ा हुआ है।

(ख) और (ग) निपटान से सम्बन्धित कार्य पद्धति तथा अनुबन्धन सम्बन्धी कुछ शिकायतें तथा कतिपय उल्लंघन के आरोपों की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनकी समुचित स्तर पर जांच और उपयुक्त कार्रवाई की गई है/की जाती है।

(घ) सरकार ने सेल को निदेश दिया है कि वह संयंत्रों में उत्पन्न होने वाले स्क्रेपों को प्राप्त करने और उनको चरणों में और समयबद्ध रूप से निपटान के सम्बन्ध में कार्य पद्धति तैयार करे।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा दूरदर्शन में कार्य-मूल्यांकन

*335. श्री राम अवध : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को दूरदर्शन के कैमरा मैन और लाइटिंग सहायकों की तुलना में वरिष्ठ इंजीनियरिंग सहायकों, इंजीनियरिंग सहायकों और तकनीशियनों के बारे में कार्य-मूल्यांकन और सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है ताकि दूरदर्शन की उक्त इन्जीनियरी श्रेणियों के वेतनमान बढ़ाये जा सकें;

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन के बिल्कुल भिन्न काडर के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों, जिनमें न तो कोई समानता है और न ही उनमें कोई तुलना की जा सकती है, के तुलनात्मक अध्ययन अथवा कार्य-मूल्यांकन कराए जाने का क्या औचित्य है; और

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् से कार्य-मूल्यांकन कराने का काम जारी रखने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन के इंजीनियरी और तकनीकी स्टाफ संघ ने बताया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में तुलनीय पदों की कुछ श्रेणियों के वेतनमानों में असमानता है और संघ ने तकनीकी/इन्जीनियरी स्टाफ के लिए ऊंचे वेतनमान की मांग की है। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् जैसे किसी व्यावसायिक निकाय से इसे मामले और अन्य सम्बन्धित मामलों पर अध्ययन शुरू करने के लिए कहना उचित होगा। यह मूल्यांकन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् या किसी उपयुक्त सरकारी एजेंसी के माध्यम से आगे जारी रहेगा।

हल्दिया में लघु इस्पात संयंत्र

*336. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में समुद्र तट पर एक लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) हल्दिया में समुद्र तट पर लघु इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पर्यटन केन्द्रों एवं तीर्थ स्थानों के बारे में प्रचार

*337. श्री पी सी थामस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय हमारे पर्यटन केन्द्रों एवं तीर्थ स्थानों के बारे में प्रचार करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन का केरल में साबरीमाला तीर्थस्थल के बारे में एक कार्यक्रम का प्रसारण करने का विचार है, जहां प्रति वर्ष भारी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दूरदर्शन केन्द्र त्रिवेन्द्रम, इरुमेलि पेट्टा तुल्लाल समारोह कवर करता आ रहा है, जहां तीर्थयात्री प्रतिवर्ष साबरीमाला को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। केन्द्र ने हाल में साबरीमाला तीर्थयात्री केन्द्र पर एक वृत्तचित्र भी प्रसारित किया है।

काजू का आयात

*338. श्री टी. बशीर : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में काजू के आयात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और काजू-उत्पादकों को क्या प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) देश में कच्चे काजू के आयात में वृद्धि का मुख्य कारण काजू के संसाधकों/निर्यातकों में फैली यह आशंका है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में आए तूफान के कारण उत्पादन में कमी आ जाएगी। इसके साथ ही एक अन्य कारण यह भी है कि काजू गिरी की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे काजु का आयात अधिक लाभदायक हो गया है।

(ग) काजू का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से आठवीं पंचवर्षीय योजना में काजू के लिए एक समेकित विकास कार्यक्रम रखा गया है जिसकी मुख्य बातें और उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(1) वनस्पति प्रचार तथा सीयोन बैंकों के रख-रखाव द्वारा काजू बागानों को बेहतर बनाने का कार्यक्रम।

(2) क्लोनल रोपण सामग्री के साथ क्षेत्र विस्तार का कार्यक्रम।

(3) क्लोनल रोपण सामग्री के उत्पादन और वितरण के लिए कार्यक्रम।

(4) उपर्युक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त स्टाफ और आकस्मिक निधियों आदि की व्यवस्था।

ग्रेनाइट की खानों का खनन

[हिन्दी]

*339. श्री मानकूराम सोढ़ी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में किन-किन क्षेत्रों को ग्रेनाइट खनन के लिए पट्टे पर दिया गया है;

(ख) पट्टेदारों के नाम क्या हैं और इन्हें किन शर्तों पर पट्टा दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार का रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए बस्तर में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन करने हेतु कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) मध्य प्रदेश शासन द्वारा बस्तर जिले के कोण्डा-गांव, कोन्टा और कांकेर तहसीलों में ग्रेनाइट के विदोहन हेतु उत्खनि पट्टे दिए गए हैं।

(ख) कुल 17 ग्रेनाइट उत्खनि पट्टे निम्नलिखित छः पार्टियों को दिए गए हैं :—

(1) मैसर्स श्रीचन्द लूनिया	—	1 पट्टा
(2) श्री विनोद लूनिया	—	3 पट्टे
(3) मैसर्स आर्बुदा ग्रेनाइट	—	4 पट्टे
(4) श्री महिन्द्र सिंह	—	1 पट्टा
(5) श्री संतोष कुमार बापना	—	2 पट्टे
(6) मैसर्स इम्पीरियल ग्रेनाइट	—	6 पट्टे

पट्टा स्थल, अनुदान की तारीख तथा पट्टा-अवधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सभी पट्टे इस शर्त पर दिए गए हैं कि पट्टा धारी करार की तारीख से एक वर्ष के भीतर ग्रेनाइट तराशी और पालिश कारखाना लगायेगा।

(ग) बस्तर जिले में उद्योगों को प्रोत्साहन की दृष्टि से, मध्य प्रदेश शासन ने यह नियम बनाया है कि प्रत्येक पट्टाधारी, पट्टा अनुदान की तारीख से एक वर्ष के अन्दर जिले में तराशी और पालिश कारखाना लगायेगा। चूंकि बस्तर "ग" श्रेणी का औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला है, अतः जिले में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को लाइसेंस देने, रियायती दर पर वित्त व्यवस्था, आदि प्राथमिकता जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाते हैं।

विवरण

बस्तर जिले में प्रदत्त ग्रेनाइट उत्खनि-पट्टों का ब्योरा

क्रम सं.	पट्टाधारी का नाम	गांव तहसील	अनुदान की तारीख	अवधि
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स श्रीचन्द लूनिया	जेलपारी कोंडागांव	16/3/86	5 वर्ष
2.	श्री विनोद लूनिया	गट्टीपालना कोंडागांव	12/4/82	5 वर्ष
3.	श्री विनोद लूनिया	गट्टीपालना कोंडागांव	5/12/88	5 वर्ष
4.	श्री विनोद लूनिया	कोरंबिड़गांव कोंडागांव	28/6/89	5 वर्ष
5.	मैसर्स आरबुदा ग्रेनाइट एंड मारबल कम्पनी, बम्बई	कोकारी कांकेर	3/3/89	5 वर्ष
6.	मैसर्स आरबुदा ग्रेनाइट एंड मारबल कम्पनी, बम्बई	मुण्डपार कांकेर	3/3/89	5 वर्ष
7.	मैसर्स आरबुदा ग्रेनाइट एंड मारबल कम्पनी, बम्बई	मुण्डपार कांकेर	3/3/89	5 वर्ष
8.	मैसर्स आरबुदा ग्रेनाइट एंड मारबल कम्पनी, बम्बई	मुण्डपार कांकेर	3/3/89	5 वर्ष
9.	श्री महिन्द्र सिंह	सोडामा कोण्डागांव	20/4/89	5 वर्ष
10.	श्री संतोष कुमार बत्रा	लेण्डगोरदा	23/8/89	5 वर्ष
11.	श्री संतोष कुमार बत्रा जगदलपुर	लेण्डगोरदा कांकेर	23/8/89	5 वर्ष
12.	मैसर्स इम्पीरियल ग्रेनाइट, मद्रास	मुलाविसोली कोण्टा	5/5/90	10 वर्ष
13.	मैसर्स इम्पीरियल ग्रेनाइट, मद्रास	मुलाविसोली कोण्टा	5/5/90	10 वर्ष
14.	मैसर्स इम्पीरियल ग्रेनाइट, मद्रास	मुलाविसोली कोण्टा	5/5/90	10 वर्ष

1	2	3	4	5
	15. मैसर्स इम्पीरियल ग्रेनाइट, मद्रास	मुलाबिशोली कोण्टा	5/5/90	10 वर्ष
	16. मैसर्स इम्पीरियल ग्रेनाइट, मद्रास	मुलाबिशोली कोण्टा	5/5/90	10 वर्ष
	16. मैसर्स इम्पीरियल ग्रेनाइट, मद्रास	मुलाबिशोली कोण्टा	5/5/90	10 वर्ष

काफी बोर्ड भंग करना

[अनुवाद]

*340. श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी :

श्री बी. एस. बासवराज :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या काफी बोर्ड को भंग करने और काफी अधिनियम संशोधित करने की मांग भी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) पूल एजेंटों (क्योरिंग संगठनों द्वारा गलत आचरण किये जाने की शिकायतें मिली हैं।

(ख) और (ग) सरकार को इस आशय का अभिवेदन मिला है कि काफी बोर्ड को तोड़ दिया जाए और ऐसा प्रस्ताव भी मिला है कि काफी अधिनियम में संशोधन किया जाए। इस मामले की सरकार ने जांच की है और यह निर्णय किया गया है कि काफी बोर्ड भंग करने के लिए प्राप्त अभिवेदन पर आगे कोई विचार नहीं किया जाए, विशेषकर लघु काफी उपजकर्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं करने का विचार है।

काफी अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव भी नहीं माना गया है।

मध्य प्रदेश में ऋण माफी योजना का कार्यान्वयन

*341. श्री परसराम भारद्वाज : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को ऐसी जानकारी मिली है मिली है कि कोई राज्य सरकार

किसानों की ऋण माफी योजना को कार्यान्वित करने के लिए खाताधारियों की जमा राशि में से धन उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों पर दबाव डाल रही है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और क्या उन राज्य सरकारों की उक्त कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के विरुद्ध थी; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दंडवते) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं लाया गया है जिसमें किसी राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों से जमाकर्ताओं की धनराशि को ऋण राहत योजना के कार्यान्वयन में लगाने के लिए जोर दिया हो। भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बट्टे खातों की लागत का सम्पूर्ण भार वहन करेगी। सरकारी बैंकों के मामले में 50 प्रतिशत लागत भारत सरकार वहन करेगी। शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा और अपने हिस्से की लागत को पूरा करने के लिये राज्य सहकारी बैंक तथा राज्य भूमि विकास बैंक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से रियायती ऋण प्राप्त कर सकते हैं। योजना के प्रावधानों के अनुसार ऋण राहत का निर्धारण किए जाने तक और बैंकों की नकदी में सुधार लाने के लिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भारत सरकार के मेयर का एक भाग अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराएगा।

विदेशी पर्यटकों से अर्जित विदेशी मुद्रा

*342. श्री के. चोक्का राव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटकों से अर्जित विदेशी मुद्रा का वर्षवार, ब्यौरा क्या है; और

(ख) अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु देश में पर्यटन सुविधाओं में सुधार करने और नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) 1988-89 और 1989-90 के दौरान पर्यटन से क्रमश: 2103 करोड़ रु. तथा 2456 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा आय होने का अनन्तिम अनुमान है।

(ख) पर्यटन स्थलों का विकास करना और ऐसे केन्द्रों पर पर्यटक सुविधाओं में सुधार करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इस संबंध में केन्द्र सरकार के प्रयासों में गैर-सरकारी पूंजी-निवेश लुभाने के लिए प्रोत्साहनों की व्यवस्था करना और राज्य सरकारों को विशिष्ट परियोजनाओं के वास्ते वित्तीय सहायता देना शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार ने पर्यटन का संवर्धन और विकास के लिए अठारह नए यात्रा परिपथ निर्धारित किए हैं।

अपर्णा आश्रम द्वारा किये गये आयात पर सीमा-शुल्क से छूट

*343. श्री अजय मुखोपाध्याय :

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू में अपर्णा आश्रम में जापान से टेलीमेट्रिक पोलीग्राफ सिस्टम आयात करने पर सीमा-शुल्क में छूट दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि आश्रम के अधिकारियों ने टेलीमेट्रिक पोलीग्राफ सिस्टम का आयात करने के बजाय अन्य उपकरणों का आयात किया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने सीमा-शुल्क छूट के दुरुपयोग और उल्लंघन के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) से (घ) जापान से टेलीमेट्रिक पोलीग्राफ सिस्टम का आयात करने के लिए जम्मू में अपर्णा आश्रम को राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क लगाए जाने से कोई विशेष अथवा तदर्थ छूट नहीं दी गयी है। एक साप्ताहिक प्रकाशन में यह आरोप लगाया गया है कि वर्ष 1983 में अपर्णा आश्रम ने महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा "अनुसंधान के आंकड़ों को रिकार्ड करने, प्रयोग करने तथा योगाभ्यास करने" के लिए उपकरणों हेतु सीमा शुल्क से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया था। तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच-पड़ताल चल रही है।

कुछ खनिजों को गौण श्रेणी से अलग करना

[हिन्दी]

*344 श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगमरमर, ग्रेनाइट, बजरी और अन्य आयामीय पत्थर खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत गौण खनिज की श्रेणी में आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन खनिजों को गौण श्रेणी से अलग करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कारणों सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार की विकेन्द्रीकरण नीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने इस संबंध में कोई विरोध पत्र भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है, यद्यपि इस सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) इन खनिजों के बढ़ते हुए आर्थिक महत्व तथा भारी निर्यात क्षमता को देखते हुए, इन खनिजों के वैज्ञानिक तथा क्रमबद्ध विकास हेतु, पर्यावरण और परिवेश संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखकर, कानून में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो सकता है। ऐसे उपायों का विकेन्द्रीकरण की नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि संसाधनों के बावजूद पट्टा अनुदान के अधिकार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के पास ही रहेंगे।

(घ) और (ङ) कुछ खनिजों की सूची से हटाने के प्रस्ताव पर सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से राय मांगी गई है। राजस्थान सरकार इस प्रस्ताव से असहमत है तथा इस आशय का एक पत्र राज्य के मुख्य मन्त्री से मिला है। पत्र में उठाए गए मुद्दों पर विचार किया जा रहा है।

इंडियन ओवरसीज बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों लोगों के लिए आरक्षण

[अनुवाद]

* 345. श्री हेत राम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए सेवाओं में आरक्षण संबंधी सरकार के निदेशों का सही पालन किया जा रहा है;

(ख) क्या उक्त बैंक में सीधी भर्ती/पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित काफी पद पहले से रिक्त चले आ रहे हैं; और

(ग) इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण नीति को सही ढंग से लागू कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दंडवते) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि आज की तारीख तक प्रत्यक्ष भर्ती में अधीनस्थ स्टाफ संवर्ग में अनुसूचित जनजातियों के 5 रिक्त स्थान तथा लिपिकीय से अधिकारी संवर्ग (जे.एम.जी एस-1) की पदोन्नतियों में अनुसूचित जनजातियों के 66 रिक्त स्थान बकाया है। बैंक को चालू विशेष भर्ती अभियान-1990 के दौरान सीधी भर्ती में पिछले बकाए को पूरा कर लेने और तदुपरांत बैंक द्वारा पहले से ही शुरू की गई पदोन्नति प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद पदोन्नतियों में पिछले बकाए को कम करने की उम्मीद है।

काफी बोर्ड द्वारा ऋण प्रदान करना

3757. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड ने इस वर्ष काफी उत्पादकों को ऋण न देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या काफी उत्पादक संघों की ओर से, इस निर्णय के विरुद्ध आपत्तियां प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या काफी बोर्ड द्वारा अधिकांश काफी उस समय बेची जाती है, जब काफी का मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत कम होता है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) जी, नहीं। बोर्ड के केवल फसल गिरवी मंजूर करने के लिए वर्तमान 40 हेक्टेयर तथा उससे कम रकबा सीमा को इस वर्ष करके 10 हेक्टेयर तथा उससे कम तक सीमित करने का निर्णय किया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1990-91 के दौरान फसल ऋणों को पहले की 40 हेक्टेयर सीमा से घटाकर 10 हेक्टेयर की जोत तक सीमित करने के खिलाफ प्लाण्टर्स एसोसिएशन से आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि विकास ऋणों की 40 हेक्टेयर तक व्यवस्था करने के लिए अधिक बजटीय प्रावधान किए जाने चाहिए।

(ङ) और (च) जुलाई, 1989 से अन्तर्राष्ट्रीय काफी कोटा के स्थगन तथा 1988-89 सीजन में से अब तक की सर्वाधिक 214,00 टन की फसल वर्ष 1989-90 में विपणन के लिए उपलब्ध होने के कारण, काफी बोर्ड को कोटा मुक्ति अवधि में अधिकतम सम्भव मात्रा की बिक्री सुनिश्चित करानी पड़ी। यह इस भय के कारण किया गया कि कोटा प्रणाली को सितम्बर, 1991 के सम्मत अवधि से पहले किसी भी समय फिर से लागू किया जा सकता है और ऐसी दशा में भविष्य में अधिक कोटा निर्धारित करने के लिए मानदण्ड निर्यात में पिछला निष्पादन ही होगा।

उरुगुए बहुपक्षीय व्यापार वार्ता में भारत की स्थिति

3758. श्री शांताराम पोटदुखे : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत उरुगुए बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के अन्तर्गत वस्त्र, व्यापार संबंधी निवेश उपाय तथा एक ओर विकसित देशों के बीच और दूसरी ओर विकसित और विकासशील देशों के बीच गम्भीर मतभेद वाले बौद्धिक गुण तथा सेवाओं के व्यापार संबंधी पहलुओं जैसी कठिन समस्याओं के क्षेत्र में अपनी स्थिति स्पष्ट करने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय यह मामला किस चरण में विचाराधीन है; और

(ग) इन मुद्दों पर औद्योगिक रूप से सम्पन्न देशों तथा विकासशील देशों के बीच सर्व-सम्मति की क्या संभावनाएं हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्री धरन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग) वस्त्र के मामले में भारतीय स्थिति यह है कि मल्टी फाइबर अरेंजमेंट को 31 जुलाई, 1991 को वर्तमान संलेख के समाप्त होने पर समाप्त कर दिया जाना चाहिए तथा वस्त्र क्षेत्र को प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार में एकीकृत किया जाना चाहिए। इस स्थिति में वस्त्र निर्यात करने वाले देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्र उद्योग शामिल हैं। और क्लोदिंग ब्यूरो देशों ने मल्टी फाइबर अरेंजमेंट (एम.एफ.ए.) को प्रावस्थित करने के लिए एक सांझा प्रस्ताव रखा है। यहां तक कि विकसित देशों ने भी एम. ए. एफ. को प्रावस्थित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। परन्तु यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने अनेक शर्तें लगाई हैं जिनको पूरा करना विकासशील देशों के लिए कठिन है और संयुक्त राज्य ने प्रस्ताव किया है कि इसे निरस्त करने की कार्रवाई किये जाने से पहले इन प्रतिबन्धों को सार्वभौमिक किया जाना चाहिए। संयुक्त राज्य को इस प्रस्ताव का कनाडा को छोड़कर सब सबने विरोध किया है।

व्यापार निवेशों संबंधी उपायों पर विकासशील और विकसित देशों को जो मुद्दा विभक्त करता है, वह यह है कि क्या निवेश संबंधी उपायों जैसे निर्यात दायित्व और स्थानीय विनिर्माण की आवश्यकताओं को नियंत्रित कर दिया जाए और यहां तक कि समाप्त भी कर दिया जाना चाहिए जैसे कि विकसित देशों की मांग है अथवा क्या उसके केवल प्रतिकूल व्यापार प्रभावों को ही दर्ज किया जाना चाहिए जैसा कि विकासशील देशों द्वारा द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

इंटलेक्चुअल प्रोपर्टी राईटस के व्यापार से संबंधित पहलुओं पर हम जबकि जाली और चुराई गई वस्तुओं के संबंध में सीमावर्ती उपायों पर हम गाट समझौता करने को तैयार है मानदंडों और मानकों के बारे में हमने यह निश्चय किया है कि समझौतों के परिणामों को गाट में नहीं रखा जा सकता है। अनेक विकासशील देशों ने इस पर हमारे दृष्टिकोण का समर्थन किया। विकासशील देशों के बीच सर्वसम्मति है कि मानदंडों में विकासशील देशों के विकास प्रौद्योगिकीय और जनहित को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। विकसित देश इंटलेक्यूअल प्रोपर्टी राईट्स पर व्यापक समझौते को दृढ़ता से गाट में रखना चाहते हैं और वे हमारे विकास और चिन्ता के अन्य मामलों को पूरी तरह ध्यान में नहीं रखना चाहते हैं।

अधिकांश विकासशील देशों के लिए सेवाओं के संबंध में उनकी मुख्य दिलचस्पी जनशक्ति के निर्यात की संभावना के बारे में है। विकसित देश इस संबंध में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं और अपनी राजनैतिक कठिनाईयों का उल्लेख कर रहे हैं। भारत ने भी विकसित देशों द्वारा प्रस्तुत की गई सेवा तत्व की स्थायी संस्थापना को संभावना को बहु-उद्देषीय ढांचे में शामिल करने हेतु प्रस्ताव का विरोध किया है।

व्यापक रूप से यह कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अन्य विकासशील देशों की सहायता से ही भारत अब तक अपनी स्थिति बना सका है। इस समय यह कहना कठिन है कि इसका अन्तिम परिणाम किस रूप में होगा। यह बात सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अर्थात ई.ई.सी.

और यू.एस.ए. पर निर्भर करती है कि वे कृषि के महत्वपूर्ण क्षेत्र में कहां तक समझौता कर सकते हैं। विकासशील देशों के लिए अपनी समस्या को प्रकट कर उसमें सफलता प्राप्त करने का कार्य संधिवार्ताओं के अन्तिम चरण पर दृढ़तापूर्वक इकट्ठे खड़े होकर उनकी क्षमता पर निर्भर करता है।

राजस्थान में खनिजों पर आधारित उद्योगों की स्थापना

3859. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में खनिजों पर आधारित उद्योग स्थापित करने की भारी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में खनिजों पर आधारित कुछ उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ निर्धारित किये गये स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

चीन के साथ व्यापार समझौता

3760. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री पी. नरसा रेड्डी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग में सुधार करने के लिए चीन के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुणिल श्री चरन) : (क) जी, नहीं। तथापि, 20 सितम्बर, 1989 को आर्थिक सहयोग और व्यापार विकास और प्रौद्योगिकी संबंधी भारत-चीन संयुक्त समूह की प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक की समाप्ति पर एक व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किया गया।

(ख) संलेख की सूची में दोनों देशों के लिए हितकर निर्यात मदें शामिल हैं। लोह अयस्क, क्रोम अयस्क, इंजीनियरी उत्पाद भारत के हित वाली निर्यात मदें हैं। कच्ची रेशम वाले पिग लोहा चीन के निर्यात हित की मदें हैं।

पारस्परिक निधियां

3761. श्री समत कुमार मण्डल :

श्री शान्ताराम पोटदुखे :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पारस्परिक निधियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है;

(ख) यदि हां तो इन निधियों का मुद्रा-बाजार पर क्या असर पड़ा है,

(ग) क्या सरकार इन निधियों पर नियंत्रण रखती है, यदि हां, तो किस प्रकार का नियंत्रण रखती है,

(घ) क्या सामान्यतया पारस्परिक निधियों को ही, और विशेषकर अपतटीय निधियों को आगामी महीनों में पूंजी निवेश के नये क्षेत्रों का पता लगाने का चुनौती भरा काम करना होगा, और

(ङ) यदि हां, तो इन पारस्परिक निधियों का संचालन करने वाले इन बैंकों का विचार आने वाले दुष्कर कार्य को किस प्रकार से करने का है ?

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दंडवते) : (क) से (ङ) इस समय भारतीय यूनिट ट्रस्ट समेत केवल सात पारस्परिक निधियां कार्यरत हैं,

सरकार ने पारस्परिक निधियों के संबंध में मार्ग दर्शी सिद्धान्त जून, 1990 में जारी किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अन्य बातों के साथ-साथ पारस्परिक निधियों की स्थापना, प्रबन्ध और निवेश उद्देश्य तथा नीतियां शामिल हैं इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में पारस्परिक निधियों का भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान है।

सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों अनुसार, पारस्परिक निधियों द्वारा मुद्रा बाजार प्रपत्रों में निवेश की राशि सामान्यत: उनकी अल्पावधिक नकदी आवश्यकताओं के लिए, उनकी परिसम्पत्तियों के 25 प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए। नए निवेश अवसरों का पता लगाने और उनसे संबंधित कार्यों का प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी पारस्परिक निधियों और अपतटीय निधियों की है।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं को मंहगाई भत्ता/राहत

3762. श्री एस. सी. वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं को वेतन/पेंशन के विभिन्न स्तरों पर अतिरिक्त मंहगाई भत्ता/राहत प्रदान करके, कितने प्रतिशत मंहगाई को निष्प्रभावित कर दिया जाता है;

(ख) क्या वेतन और पेंशन के एक समान स्तरों पर मिलने वाले मंहगाई भत्ते के निष्प्रभावित

किए जाने वाले हिस्से में अन्तर है, यदि हां तो सरकार के विचार में ऐसे पेंशन प्राप्तकर्ता बढ़ते हुए मूल्यों का भार कैसे वहन करेंगे; और

(ग) क्या सरकार का वर्तमान असंगति को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन-भोगियों के लिए सीमान्त समायोजन की शर्त के अधीन जिस सीमा तक मूल्य वृद्धि का निराकरण किया जाता है वह नीचे दी गई है—

सेवारत कर्मचारी वेतन रेंज (मूल वेतन) प्रतिमाह	प्रतिशत निराकरण	पेंशनभोगी पेंशन रेंज प्रतिमाह	प्रतिशत निराकरण
3500/-रुपए तक	100 प्रतिशत	1750/रुपए तक	100 प्रतिशत
3501/-रुपए से 6000/-रुपए तक	75 प्रतिशत	1751/- रुपए से 3000/-रुपए तक	75 प्रतिशत
6000/-रुपए से अधिक	65 प्रतिशत	3000/-रुपए से अधिक	65 प्रतिशत

(ख) और (ग) सेवारत कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए प्रतिशत-निराकरण चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है और इससे पेंशनभोगियों को सीमांत समायोजन की शर्त के अधीन वही प्रतिशत-राहत दी जाती है जो ऐसे पेंशनभोगियों द्वारा सेवा में होते हुए लिए जा रहे वेतन के बराबर वेतन लेने वाले सेवारत कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के रूप में दी जाती है। पूरी पेंशन योग्य सेवा के लिए पेंशन, वेतन के 50 प्रतिशत पर दी जाती है ताकि कोई भी कार्यरत कर्मचारी जब सेवा-निवृत्त होता है तो वह उसी प्रतिशतता से महगाई राहत पाता रहे जिस पर वह वेतन पर मंहगाई भत्ता पाया था और इस तरह इसमें कोई विसंगति नहीं है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को बैंकों में भर्ती से पूर्व प्रशिक्षण

3763. श्री अमाविचरण दास : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को भर्ती से पूर्व और पदोन्नति से पूर्व प्रशिक्षण देने हेतु लगाई जाने वाली प्रत्येक कक्षा में औसतन कितने विद्यार्थी सम्मिलित किए जाते हैं;

(ख) यह प्रशिक्षण कितनी अवधि का होता है; और

(ग) क्या इन बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भर्ती पूर्व

और पदोन्नति से पूर्व अपेक्षाकृत उपयोगी प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाने को कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : बैंकों से उनके पास उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को भर्ती पूर्व एवं पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण देने की आशा की जाती है। अतः एक कक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम अथवा अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 6 दिन है। पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि के संबंध में सरकार ने कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

(ग) जी, नहीं।

आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा ब्रिस्टल की खरीद

3764. श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या वाणिज्य मन्त्री आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा ब्रिस्टल की खरीद के बारे में 4 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न सं. 7557 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस खरीद का अधिकांश हिस्सा अभी भी गैर-सरकारी क्षेत्र को दिया जाता है और सरकारी क्षेत्र के एककों को, जहां आवश्यक हो, 10 प्रतिशत की दर से शून्य अधिमान का लाभ नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) कानपुर और कलकत्ता स्थित आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालयों द्वारा ब्रिस्टलों और ब्रिस्टल ब्रुशों आदि की खरीद हेतु वर्ष 1989-90 में और 1990-91 में अब तक दिये गये टेंडरों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) ये मदें केवल लघु क्षेत्र से खरीद करने के लिये आरक्षित हैं जो गैर-सरकारी या सरकारी क्षेत्र के हो सकते हैं। सरकार की नीति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के एकक लघु एककों की तुलना में किसी मूल्य अधिमान के पात्र नहीं हैं।

(ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 में दिए गए टेंडरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पूर्ति तथा निपटान निदेशालय, कानपुर और कलकत्ता द्वारा ब्रिस्टलों और ब्रशों के लिए वर्ष 1989-90 और 1990-91 में दिए गए टेंडरों का ब्यौरा

अवधि	क्षेत्र	ठेका संख्या तथा तारीख	भंडार	मूल्य रुपए	फर्म का नाम
1	2	3	4	5	6
1989-90	पूर्ति तथा निपटान	1. के-2/377 दि. 4.11.89	ब्रश	91,125/-	मैसर्स ए.के. घोषाल एंड संस कलकत्ता

1	2	3	4	5	6
	निदेशालय कानपुर	2. के-2/404 दि. 7.2.90	कपड़े साफ करने के ब्रश	9,72,225/-	मै. मुलकराज एंड कम्पनी जलन्धर
		3. के-2/406 दि. 8.2.90	झाड़ू लगाने के ब्रश	1,62,240/-	—वही—
		4. के-2/430 दि. 22.3.90	जानवरों के खरहरा करने के ब्रश	1,95,060/-	मै.ए.के. घोषाल एंड संस कलकत्ता
		5. के-2/431 दि. 22.3.91	धूल झाड़ने साधारण ब्रश एम.के.-2	1,46,853/-	—वही—
1990-91		1. के-2/447 दि. 3.5.90	जूते पालिस करने के ब्रश	98,228/-	मै. रुकमणी देवी एंड कं. आगरा
		2. के-2/455 दि. 15-5-90	क्लींकिग ब्रश क्लीनिंग	3,23,242/-	—वही—
		3. के-2/467 दि. 29.6.90	तोपें साफ करने के ब्रश	9,01,485/-	मै. मुल्कराज एंड कं. जलन्धर
		4. के-2/479 दि. 20.7.90	इंडियन ड्रंस्ड ब्रिस्टल	2,85,120/-	मै. ब्रशवेयर लि. कानपुर (भारत सरकार उपक्रम)
		5. के-2/480 दि. 20.7.90	सफाई के ब्रश	3,52,879/-	मै. सेन्ट्रल ब्रश बक कलकत्ता
		6. के-2/481 दि. 20.7.90	सफाई के ब्रश	5,46,720/-	मै. एक्स सोल्जर स्टोर जलन्धर शहर
—वही—	पूर्ति तथा निपटान निदेशालय कलकत्ता	1. सी, पी-6/504/1902/29.8.89/सी.ओ.ए.सी./336 दि. 19.4.90	बुहारी के लिए ब्रश (पीतल) 300 एम.एम लेड	1,20,865/-	मै. ए.के. घोशा एंड संस कलकत्ता

शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक योजना के मामले में नीति परिवर्तन

3765. श्री प्रकाश बी. पाटिल :

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक योजना के मामले में अनेक नीति परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किये जाने वाले परिवर्तनों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इससे किस सीमा तक निर्यातोन्मुखी-एककों के कार्य में सुधार लाने में सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नीति परिवर्तनों के विवरण अभी तैयार किए जा रहे हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा लघु बचत योजनाओं में पूंजी निवेश

3766. श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा विभिन्न राज्यों में लघु बचत योजनाओं में पूंजी निवेश करते समय किन मानदण्डों और या नियमों का पालन किया जाता है;

(ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा राज्यवार उपरोक्त योजनाओं में किए गए पूंजी निवेश का 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में कम पूंजी निवेश किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में खनिजों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

3767. श्री बबनराव ढाकने : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान, कुछ राज्यों में खनिजों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां पता चले खनिजों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन स्रोतों से खनिजों का खनन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी हां । पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के लगभग सभी राज्यों में कोयला व लिग्नाइट, बेस मेटल (तांबा, सीसा, जस्ता)' स्वर्ण, उर्वरक खनिजों पर विशेष बल के साथ, खनिजों की खोज की गई। अनुमानित स्रोत भंडार हैं :—

(मिलियन टन में)

कोयला	13137
लिग्नाइट	1086
तांबा अयस्क	44.77
सीसा जस्ता अयस्क	106.28
स्वर्ण अयस्क	5.918 (20 टन स्वर्ण युक्त धातु)
फास्फोराइट तथा एपेटाइट	7.893
चूना पत्थर	1835.109
मैंगनीज अयस्क	24.416
क्रोमाइट	2.973

(ग) स्रोतों का विदोहन एक सतत क्रियाकलाप है तथा विस्तृत गवेषण तथा ग्राह्यता अध्ययनों के माध्यम से विदोहन की प्रौद्यो-आर्थिक उपादेयता प्रमाणित होने के बाद, संबंधित केन्द्रीय राज्य सरकारी उपक्रमों तथा प्रायवेट एजेंसियों द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाते हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे में भारत के हिस्से की कमी

3768. श्री माधवराव सिन्धिया :

श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विस्तृत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपने कोटे के हिस्से में कमी की असाधारण समस्या का सामना कर रहा है, जबकि इसने अप्रतिबन्धित शर्तों (विशेष आहरण अधिकार दस लाख में कोटा) में अपने नये कोटे में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या क्या कदम उठाने का विचार है अथवा उठाये गए हैं ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे में समग्र

रूप से हुई वृद्धि का वितरण एक जटिल फार्मूले के द्वारा निर्धारित होता है जिसके अन्तर्गत परिकलित कोटों पर आधारित वर्तमान कोटा आबंटन (जिसे समानुपातिक घटक कहा जाता है) और चयनात्मक आबंटनों को अधिक महत्व दिया जाता है। जबकि परिकलित कोटों का निर्धारण एक फार्मूले द्वारा किया जाता है जो कि चालू मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद, सरकारी आरक्षित संपत्ति, चालू प्राप्तियां चालू अदायगियां और वार्षिक चालू प्राप्तियों की परिवर्तनशीलता जैसे परिवर्तियों की एक कार्यवृत्ति है। कोटों की आठवीं समीक्षा में बढ़े हुए कोटों का वितरण उस समय प्रचलित अन्कों और परिकलित घटकों के बीच 40 : 60 के भारांश वाले फार्मूले के आधार पर किया गया था। नौवीं समीक्षा में, समानुपातिक और परिकलित घटकों के लिए आवंटन भारांश 60 : 40 रहा है। वर्तमान प्रक्रिया के आधार पर भारत सहित बहुत-से विकासशील देशों के कोटे का अंश परवर्ती कोटा आबंटनों में कुछ घटता रहा है। इसका कारण यह है कि कोटा परिकलन से संबंधित मौजूदा फार्मूले में सदस्य राष्ट्र की आर्थिक क्षमता और निर्यात की मात्रा, आदि को अधिक महत्व दिया जाता है। भारत, अन्य कई विकासशील देशों के साथ मिलकर इस असंतुलन की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाता रहा है। कोटों की दसवीं समीक्षा के दौरान कोटा संबंधित फार्मूलों की समीक्षा किए जाने के लिए सहमति हो गई है।

उड़ीसा में कालाहांडी में खनिजों की खोज के लिए सर्वेक्षण

3769. श्री डी. अमात : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के कालाहांडी जिले में कोई भू-विज्ञान सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर विभिन्न खनिज पदार्थों के कितनी-कितनी मात्रा में भंडार पाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का इन भंडारों का दोहन कराने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा ओड़िसा राज्य खनन एवं भू-तत्व निदेशालय द्वारा कालाहांडी जिले में बॉक्साइट, चूनापत्थर, ग्रेफाइट, रत्नों, क्वार्टज, फेलस्पार, सीसा अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के लिए अन्वेषण किया जा रहा है। केवल बाक्साइट के 300 मिलियन टन तथा चूना-पत्थर के 5.6 मिलियन टन के भंडार आकलित किये गए हैं।

(ग) और (घ) कालाहांडी जिले में विभिन्न खनिजों के विदोहन हेतु 79 खनन पट्टे स्वीकृत किये गए हैं।

इस जिले में खनिजों का वर्तमान वार्षिक उत्पादन इस प्रकार है :—

चूनापत्थर	—	13,500 टन
ग्रेफाइट	—	200 टन

क्वार्टज	—	3,600 टन
फेलस्पार	—	20 टन

चांदी संबंधी बुलियन एक्सचेंज की स्थापना

3770. **श्री सी. श्रीनिवासन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों में बुलियन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए चांदी धातु इत्यादि से संबंधित अधिसूचना को रद्द करने के लिए बुलियन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन से कोई मांग प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) और (ख) बुलियन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें चांदी बुलियन को 8 जून, 199० से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 123 के अन्तर्गत अधिसूचित करने के विरुद्ध इस आधार पर अभिवेदन किया गया है कि इस चांदी के गहनों के कारोबार में लगे हुए गरीब शिल्पकारों तथा छोटे कामगारों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

प्रवर्तन एजेन्सियों के हाथ मजबूत करने के लिए चांदी बुलियन को इस धारा के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है ताकि वे देश में तस्करी द्वारा चांदी लाए जाने को और अधिक प्रभावी ढंग से रोकने में सक्षम हो सकें। तथापि, चांदी के गहनों के कारोबार में लगे हुए शिल्पकारों और कामगारों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा की गई है।

बड़ी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा व्यय किया जाना

3771. **श्री सादमन मरांडी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की अधिकांश बड़ी कम्पनियां सामान्यतः जितनी विदेशी मुद्रा कमाती हैं उसका दस गुना खर्च कर देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का यह विचार है कि आयात की विकास दर, जो इस समय कुल राष्ट्रीय उत्पाद की दुगुनी है, को कम से कम तीस प्रतिशत कम किया जाना चाहिये; और

(घ) यदि हां, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) और (ख) भारत में कम्पनियां, लाभांशों, रायल्टियों तकनीकी जानकारी संबंधी शुल्कों, पूंजीगत माल के आयात, विदेशी तकनीशियनों की नियुक्ति, भारतीयों के विदेशों में प्रशिक्षण आदि जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा में प्रेषणाएं करती हैं। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, वैधानिक रूप से कम्पनियों से यह अपेक्षा की जाती है

कि वे अपने तुलन पत्र (बैलेंश शीटों) के एक भाग के रूप में अपनी विदेशी मुद्रा की प्रेषणाओं के संबंध में सूचना प्रकाशित करें। तथापि, मांगे गए पैटर्न के अनुसार सरकार द्वारा सूचना संकलित नहीं की गई है। यह उल्लेखनीय है कि विगत में बहुत सी कम्पनियों की स्थापना आयातों के प्रतिस्थापना के लिए की गई थी और मुख्यतः निर्यात प्रधान नहीं हैं। उभरती हुई भुगतान शेष की स्थिति को देखते हुए, सरकार सभी कम्पनियों द्वारा निर्यात संबंधी प्रयासों में भाग लेने की आवश्यकता को महत्व देती है।

(ग) और (घ) पिछले पांच वर्षों में रुपया मूल्य में आयातों की औसत वृद्धि दर लगभग 16.4 प्रतिशत रही है और वर्तमान मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर 13.8 प्रतिशत थी। आयात नीति को इस प्रकार तैयार किया जाता है जिससे कि अनावश्यक आयात न किया जाए जबकि इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन और निर्यात को समर्थन प्राप्त हो।

आशुलिपिकों के पदों का दर्जा बढ़ाना

3772. श्री जनक राज गुप्त : क्या वित्त मंत्री आशुलिपिकों के पदों पर प्रतिबंध आदेश लागू करने के बारे में 10 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2227 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा आशुलिपिकों के उन पदों के सृजन/पदोन्नयन हेतु ऐसे कोई अनुदेश जारी किए गए हैं, जिनका अधिकारियों के पदों के साथ-साथ सृजन/पदोन्नयन किया जाना अपेक्षित था, लेकिन अभी तक सृजन पदोन्नत नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) से (ग) 10.3.89 के लिखित प्रश्न संख्या 2227 के उत्तर में यह स्पष्ट किया गया था कि संवर्ग पुनरीक्षा के फलस्वरूप सृजन/पदोन्नयन के लिये आवश्यक समझे जाने वाले आशुलिपिकों के पदों के लिए यदि ऐसे पदों का ब्यौरा साथ-साथ मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के लिए सूचित किया जाता है तो प्रतिबन्ध आदेशों में अलग से ढील दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। पदों के सृजन के बारे में 5 जून, 1990 को जारी किए गये मार्ग-निर्देशों में इन अनुदेशों को दोहराया गया है। इन अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि जब कभी संवर्ग पुनरीक्षा के एक भाग के रूप में पदोन्नयन का सुझाव हो तो निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अतिरिक्त वैयक्तिक तथा सहयोगी कर्मचारियों की आवश्यकता के कारण होने वाले प्रभावों को भी समग्र संवर्ग पुनरीक्षा प्रस्ताव के एक भाग के रूप में प्रदर्शित करना चाहिये।

मिजोरम को वित्तीय सहायता

3773. श्री. राम नगेश काचले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम को 90.50 करोड़ रुपये की दी गई सहायता नितान्त अपर्याप्त है;

(ख) क्या राज्य सरकार को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है तथा यह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन-राशि जुटाने में असमर्थ है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का मिजोरम को और अधिक वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) और (ख) मिजोरम के लिए 1990-91 के लिए 125 करोड़ रुपए के वार्षिक योजना परिव्यय का पूर्ण वित्त-पोषण 90.58 करोड़ रुपए की रुपए की केन्द्रीय सहायता से और 34.42 करोड़ रुपए के राज्य के अपने ससाधनों, से, जिसमें 23.48 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन जुटाना भी शामिल है, किया गया है। 1990-91 के लिए आबटित की गई 90.58 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता 1989-90 के लिये आबटित की गई केन्द्रीय सहायता से 8 प्रतिशत अधिक है। तथापि, राज्य सरकार ने कहा है कि उनके लिए 23.48 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन जुटाना कठिन है और उन्होंने अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) मामला विचाराधीन है।

बैंकों में खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाएं

[हिन्दी]

3774. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए खिलाड़ियों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं; और

(ख) बैंकों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने खिलाड़ी भर्ती किए गए ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती संबंधी एक योजना लागू है। सरकार ने हाल ही में बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें कुछेक मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बारी से पहले पदोन्नति देने की व्यवस्था की गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में बैंकों में नियुक्त किए गए खिलाड़ियों की संख्या से संबंधित आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है।

दूरदर्शन के नये स्टूडियो का एशियाई खेलगांव परिसर में काम करना

[अनुवाद]

3775. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के नये स्टूडियो को एशियाई खेल गांव परिसर, नई दिल्ली में कब चालू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने सुचारू रूप से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है;

(ग) विभिन्न प्रकार के उपकरणों, कम्प्यूटरों एवं एयर कण्डीशनरों आदि पर कुल खर्च की राशि कितनी है;

(घ) क्या कम्प्यूटरीकृत उपकरण सुचारू और सक्षम रूप से कार्य कर रहे हैं और क्या इन उपकरणों पर कार्य कर रहे व्यक्ति आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त हैं; और

(ङ) उपकरणों के समुचित रख-रखाव और देख-रेख के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी· उपेन्द्र) : (क) एशियायी खेल गांव परिसर में दूरदर्शन का केन्द्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द्र 6 फरवरी, 1989 को सेवा के लिए चालू किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) 31 जुलाई, 1990 को स्थिति के अनुसार केन्द्र में लगाये गये उपकरों की पूंजीगत लागत पर 3154-64 लाख रुपये की राशि खर्च की गयी।

(घ) और (ङ) केन्द्र में अर्हताप्राप्त कर्मचारी रखे गए हैं और वहां के उपकरण ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं। मूल उपकरणों के कारगर रखरखाव और देख रेख के लिए केन्द्र में पर्याप्त अतिरिक्त कलजों और अनुषंगी उपकरणों की व्यवस्था की गयी है।

"मिटको" का कारोबार

3776. श्री रामदास सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान "मिटको" का विदेशों के साथ अभ्रक का कुल कितना कारोबार हुआ तथा उन देशों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या किसी देश ने इस प्रकार के किसी सौदों के संबंध में असंतुष्टि व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान मिटको का कुल निर्यात कारोबार 31 29 करोड़ रुपये का था। निर्यात, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य, पोलैण्ड, रोमानिया, सोवियत संघ, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया, चिली, डीपीआरके, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, हांगकांग, इटली, जापान, मेक्सिको, नीदरलैंड, फिलीपीन्स, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, स्विटजरलैंड, सीरिया, ताइवान, थाइलैण्ड, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, पश्चिम जर्मनी तथा युगोस्लोवाकिया को किया गया।

(ख) और (ग) वर्ष 1988-89 में बेल्जियम के मैसर्स सी ओ जी ई बी आई ने संशोधन-पूर्व कीमतों का अभ्रक कतरन की आपूर्ति य लिए मिटको के साथ अपने विवाद के सम्बन्ध में सरकार से शिकायत की। मिटको और मैसर्स सी ओ जी ई बी आई के बीच विचार विमर्श करके अब इस विवाद को हल कर लिया गया है और मैसर्स सी ओ जी ई बी आई ने अभ्रक कतरन की आपूर्ति के लिए मिटको को और आर्डर दिए हैं।

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण

3777. डा. पी वल्लल पेरुमन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार सेंन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में कितने अधिकारियों को सीधी भर्ती की गई;

(ख) अधिकारी संवर्ग में सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए अनुसुजित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्त पदों की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) क्या बैंक प्रबन्ध मंडल ने सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर अब तक एकाकी पदों (आइसोलेटिड पोस्टस) पर भर्ती हुए कर्मचारियो के मामले में "पदो के समूहन" (ग्रुपिंग आफ पोस्टस) के प्रावधानो को कार्यान्वित किया है अथवा कार्यान्वित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की सूचना के अनुसार अधिकारी सवर्ग में गत तीन वर्षों में को गई सीधी भर्ती की वर्षवार स्थिति नीचे दी गई है :—

1987 : 45;　　　　1988 : 25;

1989 : शून्य

(ख) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि 31.12.89 को स्थिति के अनुसार अधिकारी संवर्ग में सीधी भर्ती और लिपिकीय संवर्ग से अधिकारी सवर्ग में पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों में खाली पड़े बकाया आरक्षित स्थानों की संख्या नीचे लिखे अनुसार थी।

(एक) अधिकारी संवर्ग के लिए सीधी भर्ती।

अनुसूचित जाति—8　　　अनुसूचित जनजाति—8

(दो) लिपिकीय संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति :

अनुसूचित जाति—179;　　　अनुसूचित जनजाति—219

(ग) बैंक ने सूचित किया है कि उसने सीधी भर्ती जे. एम. जी. एस.-I और जे. एम. जी. एस.-II के सभी विशेषज्ञ पदों को नियमानुसार स्केल के क्रम से एक साथ इकट्ठा किया है।

बोकारो स्टील सिटी में अस्पताल की स्थापना

3778. श्री ए. के. राय : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता की मांग पर और बोकारो स्टील सिटी के बलिडीह क्षेत्र में एक अस्पताल और एक स्कूल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) बलिडीह क्षेत्र में पहले से ही कई स्कूल विद्यमान हैं तथा नजदीक में इलाज के लिए अस्पताल भी उपलब्ध हैं जिसका परिवर्धन/विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है, अतः बलिडीह क्षेत्र में नये स्कूल अथवा अस्पताल स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में नगरों का दर्जा बढ़ाना

3779. श्री रविनारायण पाणि : क्या मन्त्री वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में "क" श्रेणी के कितने नगर हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उड़ीसा में "क" श्रेणी के नगरों के रूप में कुछ अन्य नगरों का दर्जा बढ़ाने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) उड़ीसा में कोई "क" श्रेणी का नगर नहीं है।

(ख) उड़ीसा में किसी भी नगर का "क" श्रेणी के नगर के रूप में दर्जा बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पंजाबी दर्पण कार्यक्रम के लिए कलाकार

3780. श्री कृपाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन के पास पंजाबी दर्पण कार्यक्रम के लिए केवल थोड़े से ही कलाकार हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके लिए महिलाओं सहित अच्छे कलाकारों उद्घोषकों को नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इन कलाकारों की नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी॰ उपेन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) और (घ) दूरदर्शन यह सुनिश्चित करता है कि जहां तक संभव हो सके केवल ऐसे कलाकार ही आमंत्रित किए जाएं जो कार्यक्रम की अपेक्षाएं पूरी करते हों और जिनकी आवाज अच्छी हो तथा जिन्हें पंजाबी भाषा, संस्कृति और कला अच्छा ज्ञान हो। उद्घोषकों का चयन भी उनकी प्रमाणित गुणवत्ता के आधार पर ही किया जाता है।

बैंक में प्रोबेशनरी अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए आयु-सीमा तथा अवसरों की संख्या

3781. श्री केशरी लाल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र बैंकों में प्रोबेशनरी अधिकारियों के मामले में ऊपरी आयु-सीमा को बढ़ाकर 28 वर्ष कर दिया है, जैसा कि हाल में सिविल सेवा परीक्षा के लिए किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक और इसके सम्बद्ध बैंकों में प्रोबेशनरी अधिकारियों के लिए अवसरों को तीन से बढ़ाकर चार कर दिया है, जैसा कि हाल में सिविल सेवा परीक्षा के लिए किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) मामला सरकार के विचाराधीन है।

उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में खनन पट्टा मंजूर करना

3782. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में विभिन्न खानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में गैर-सरकारी व्यक्तियों/कम्पनियों को इन खानों के पट्टे मंजूर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन खानों के लिए पट्टा मंजूर करने में भारी अनियमितताएं हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : ओड़िसा सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य के सम्बलपुर जिले में खनन पट्टों की संख्या 1 जनवरी, 1990 को इस प्रकार है :—

कोयला खानें	—	11
चूना पत्थर खानें	—	3
ग्रेफाइट खानें	—	42
फायर क्ले और चीनी मिट्टी खानें	—	34
क्वार्टज सिलिमेनाइट और स्टेटाइट खानें	—	10
एस्बेटस, मैंगनीज अयस्क और कायनाइट खानें	—	6
		106

(ख) चालू वित्त वर्ष में, राज्य सरकार ने सम्बलपुर जिले में किसी पार्टी को खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग को सहायता

3783. श्री एडुआर्डो फैलेरो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग की सहायता सम्बन्धी नीति बनाने हेतु वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है;

(ख) क्या इस समिति ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जब्त करके छोटी कम्पनियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है,

(ग) क्या भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कम्पनी द्वारा उपर्युक्त निर्णय को कार्यान्वित किया जा रहा है, और

(घ) यदि नहीं, तो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले उद्योग को अगर कोई अन्य राहत दी जा रही है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) नौवहन विकास निधि समिति (उत्पादन) अधिनियम, 1986 के परिणामस्वरूप भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति की परिसम्पत्तियां तथा दायित्व केन्द्र सरकार में निहित हैं। वित्त सचिव की अध्यक्षता में प्राधिकार प्राप्त समिति, जिसमें विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं, भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति की सहायता से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली कम्पनियों से सम्बन्धित मामलों का निपटारा करती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली 2 कम्पनियों के मामले में ऋण के एक भाग के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दे दी गई है। 11 अन्य कम्पनियों के मामले में, पुनर्वास का प्रस्ताव विचाराधीन है।

'नाबार्ड' के ऋण लक्ष्य

3787. श्री बलवन्त मनवर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक "नाबार्ड" ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ऋण देने के अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान, राज्य-वार नाबार्ड के माध्यम से कृषि ऋणों को पुन: वित्त-पोषित करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं;

(ग) क्या वर्ष 1989-90 के लिये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की गई थी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में लक्ष्य की तुलना में राज्य-वार दिये गये कृषि सम्बन्धी ऋणों की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक ने सूचित किया है कि सातवीं योजना (1985-90) के लिए रखे गए लक्ष्यों की तुलना में कृषि सावधि ऋणों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त के वास्तविक संवितरण के बारे में उपलब्धि पहले तीन वर्षों अर्थात् 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान इन वर्षों के लिए निर्धारित संवितरणों के लक्ष्य से अधिक रही है। अलबत्ता, अंतिम दो वर्षों अर्थात् 1988-89 और 1989-90 में यह उपलब्धि कम हो कर क्रमश: 97 प्रतिशत और 98 प्रतिशत हो गई है। कमी इन कारणों से हो सकती है : ऋणदात्री संस्थाओं को पुनर्वित्त की निम्न पात्रता/उपयोग, सहायता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अन्तर्गत विशेष योजना के लिए बुनियादी सुविधाओं सम्बन्धी समर्थन का अभाव इत्यादि। वर्ष 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सावधि ऋण सम्बन्धी पुनर्वित्त के लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्योरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्ष के दौरान उन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में, राज्यवार, सावधि ऋण के रूप में कृषि वित्त और प्रतिशत उपलब्धि का ब्योरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-I

नाबार्ड द्वारा 1989-90 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए सावधि ऋणों के सम्बन्ध में पुनर्वित्त के लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाला ब्योरा

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
1.	चण्डीगढ़	10	6
2.	दिल्ली	94	7721
3.	हरियाणा	8159	7721
4.	हिमाचल प्रदेश	857	883
5.	जम्मू व जम्मू	1093	755
6.	पंजाब	12550	10020
7.	राजस्थान	9199	8786
8.	अरुणाचल प्रदेश	76	74
9.	असम	3909	3012
10.	मणिपुर	140	158
11.	मेघालय	60	75
12.	मिजोरम	80	13
13.	नागालैंड	34	9
14.	त्रिपुरा	694	892
15.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	97	36
16.	बिहार	83	7377
17.	उड़ीसा	5716	4763

1	2	3	4
18.	सिक्किम	34	28
19.	पश्चिम बंगाल	7737	7589
20.	मध्य प्रदेश	12697	11889
21.	उत्तर प्रदेश	23018	27329
22.	दादरा और नागर हवेली	11	16
23.	गोआ, दमन और दीव	409	292
24.	गुजरात	7222	7400
25.	महाराष्ट्र	21003	19281
26.	आंध्र प्रदेश	15324	18081
27.	कर्नाटक	15805	13946
28.	केरल	7988	8005
29.	पाण्डिचेरी	154	173
30.	तमिलनाडु	11450	11509
31.	लक्षद्वीप	10	3
	कुल	173910	170213

विवरण—2

योजना बद्ध ऋण के अन्तर्गत नाबार्ड के पुनरित्त का दर्शाने वाला ब्यौरा 1988-89 और 1989-90 के वर्षों के लक्ष्य और उपलब्धि

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1987-88 (जुलाई-जून)			1988-89 (जुलाई-मार्च)			1989-90 (अप्रैल-मार्च)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	चंडीगढ़	10	3	30	2	3	150	10	6	60
2.	दिल्ली	110	120	109	60	62	103	94	83	88
3.	हरियाणा	7700	7349	95	5540	4764	86	8160	7721	95
4.	हिमाचल प्रदेश	650	750	115	562	571	102	857	883	103
5.	जम्मू व कश्मीर	1400	1010	72	725	725	109	1083	755	70
7.	पंजाब	11900	12029	101	9435	7593	83	12550	10029	80
8.	राजस्थान	7200	7201	100	5361	5361	100	9118	8786	96
9.	अरुणाचल प्रदेश	80	85	106	38	56	147	77	74	96

10.	असम	1900	2703	142	1783	2083	117	3903	3012	77
11.	मणिपुर	100	66	66	57	42	74	140	158	113
12.	मेघालय	70	17	24	37	12	32	60	75	125
13.	नागालैंड	140	15	11	25	14	56	34	9	26
14.	त्रिपुरा	350	480	137	268	261	97	694	692	129
15.	अंदमान व निकोबार	50	25	50	38	54	142	88	36	41
16.	बिहार	10000	10322	103	10857	7121	65	8381	7377	88
17.	उड़ीसा	5000	5018	100	5180	3892	75	5716	4763	83
18.	सिक्किम	30	32	107	21	20	95	34	28	82
19.	पश्चिम बंगाल	6000	6331	106	5989	5622	94	7737	7589	98
20.	मध्य प्रदेश	10000	10532	105	11365	9123	80	12697	11889	94
21.	उत्तर प्रदेश	20300	20300	100	20537	20078	98	23018	27329	119
22.	दादरा व नागर हवेली	10	8	80	6	5	83	11	16	145
23.	गोवा दमन दीव	130	179	138	272	196	72	409	292	71
24.	गुजरात	7300	7201	99	4648	4680	101	7224	7400	102
25.	महाराष्ट्र	13800	14235	103	11552	13256	115	21003	19281	92
26.	आन्ध्र प्रदेश	13600	14260	105	13732	13758	100	15324	19081	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	कर्णाटिक	12300	12900	105	10000	10741	107	15805	13946	88
28.	केरल	5700	5803	102	5625	7126	127	7989	8005	100
28.	पाण्डिचेरी	100	141	141	84	84	100	154	173	112
30.	तमिलनाडु	9000	9056	101	7185	9697	135	11450	11509	101
31.	लक्षद्वीप	10	—	—	6	—	—	10	3	30
	कुल	145000	148191	102	131007	137015	97	173910	170213	98

गुजरात को कच्चे लोहे (पिग आयरन) की पूर्ति

3 85. श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के लिए कच्चे लोहे (पिग आयरन) का कोटा पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य के लिए कच्चे लोहे (पिग आयरन) की कुल कितनी मात्रा आबंटित की गई और उसे वास्तव में कितनी मात्रा की पूर्ति की गई; और

(ग) आगामी तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य को पर्याप्त मात्रा में कच्चे लोहे की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) कच्चे लोहे का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता।

(ख) सेल द्वारा गुजरात को की गयी कच्चे लोहे की वास्तविक सप्लाई निम्नलिखित हैं :—

	हजार मी. टन
1987-88	111.0
1988-89	88.6
1989-90	187.8

(ग) (i) कच्चे लोहे का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है।

(ii) कच्चे लोहे के उत्पादन को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है।

(iii) गौण क्षेत्र में कच्चे लोहे के विनिर्माण की क्षमता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आठवीं योजना के अन्त तक गौण क्षेत्र में कच्चे लोहे की 20 लाख मी.टन की क्षमता स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

भुगतान संतुलन की स्थिति

3786 श्री पी. नरसा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका देश की कमजोर भुगतान संतुलन स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उप वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) खाड़ी क्षेत्र में हाल की

घटनाओं से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोल उत्पादों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है जिससे देश की भुगतान शेष की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चूंकि तेल की कीमतों की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और सरकार द्वारा इसकी मांग को नियंत्रित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, इसलिए भुगतान शेष पर तेल की कीमतों में हुए परिवर्तनों के प्रभाव का परिमाणन करना कठिन है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को आयातित तेल का आवंटन

3787. श्री बाबूभाई मेघजी शाह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को आयातित खाद्य तेल का कितनी मात्रा में आवंटन किया गया और उसका मूल्य क्या था; और

(ख) खाद्य तेल के आवंटन का मानदंड क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को उनके बाजार मध्यस्थता कार्य के संबंध में आयातित खाद्य तेल की निम्नलिखित मात्रा आवंटित की गई है जो मूलतः तेल वर्ष 1988-89 से आरंभ हुआ है—

तेल वर्ष नव.-अक्तू.	मात्रा मी.टन	मूल्य (करोड़ रु.)
1988-89	63,603	95.4
1989-90	50,000	75.0 (लगभग)

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को उनके बाजार मध्यस्थता मार्ग के लिए 30,000 मी. टन दुग्ध पाउडर के बराबर मूल्य के खाद्य तेल का आवंटन किया है।

केरल में कोचीन से मन्नार तक नौका सेवा शुरु करने संबंधी प्रस्ताव

3788. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार का राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कोचीन से मन्नार तक नौका सेवा शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) और (ख) कोचीन से मन्नार तक नाव सेवाएं शुरू करने के लिए केरल सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तेल के मूल्यों में वृद्धि का विदेशी मुद्रा की स्थिति पर प्रभाव

3789. श्री एस. कृष्ण कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल के मूल्यों में वृद्धि का विदेशी मुद्रा की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) स्थिति में सुधार करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दंडवते) : (क) खाड़ी क्षेत्र में हाल की घटनाओं से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोल उत्पादों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। चूंकि तेल की कीमतों की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और सरकार द्वारा इसकी मांग को नियंत्रित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं इसलिए विदेशी मुद्रा की स्थिति पर तेल की कीमतों में हुए परिवर्तनों के प्रभाव का परिमाल्पन करना कठिन है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोल और डीजल की मांग को नियन्त्रित करने के लिए 1989-90 की तुलना में 1990-91 में केन्द्रीय सरकार के विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वाहनों में इसकी खपत को 20 प्रतिशत तक घटाने का निर्णय लेने संबंधी अनेक उपाय किए हैं। राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार के कदम उठाने की सलाह दी गई है। तेल कम्पनियों को सलाह दी गई है कि वे अपने डीलरों को कार्य दिवसों में काम के घंटे सुबह 7 बजे से साय 7 बजे तक और रविवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक, निर्धारित करने संबंधी आदेश जारी करें। यह निर्णय लिया गया है कि आपात कालिक व अन्य अपरिहार्य प्रचालन संबंधी कार्यों के अतिरिक्त, सरकारी वाहनों तथा स्टाफ कारों को रविवार को उपयोग में नहीं लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त यात्री कारों का उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा पेट्रोल उत्पादों के संरक्षण के लिए अन्य बहुत से उपायों की घोषणा की गई है।

बैंकों द्वारा खाड़ी के देशों की करेंसी को स्वीकार न किया जाना

3790. श्री कल्पनाथ राय :

श्री एस. कृष्ण कुमार

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने खाड़ी के देशों की करेंसी को स्वीकार न करने के लिए बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो खाड़ी के देशों से भारत आने वाले एवं भारत से खाड़ी के देशों को जाने वाले लोगों को हो रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार ने प्राधिकृत व्यापारियों को कुवैती दीनार अथवा खाड़ी की किसी भी करेंसी के लेन-देन को रोकने के लिए कोई निदेश जारी नहीं किया है। मध्य-पूर्व में राजनीतिक अनिश्चितता को दृष्टिगत रखते हुए, यह सूचित किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय रूप से खाड़ी की करेंसिया

स्वीकार नहीं की जा रही हैं। तथापि खाड़ी के देशों से वापिस आने वाले अनिवासी भारतीयों द्वारा खाड़ी को करेंसियों जैसे कि कुवैती दीनार, बहरीन दीनार, ओमानी रियाल, साऊदी रियाल और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम के करेंसी नोट और यात्री चेकों को भनाने में आने वाली समस्याओं को कम करने की दृष्टि से भारतीय बैंक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर प्राधिकृत व्यापारियों के विनिमय काउंटरों को इन करेंसियों के प्रति पारपत्र 5,000/- रुपए तक के रूपान्तरण की सुविधा की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है।

स्विस बैंकों में भारतीयों के खाते

3791. श्री पी. आर. कुमार मंगलम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्विस बैंकों में भारतीयों के बैंक खातों के बारे में जांच करने के लिए भारत सरकार ने यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और अन्य व्यय के रूप में कुल कितनी धनराशि व्यय की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र के सिनेमा घरों को वित्तीय सहायता

3792. श्री सुधामा देशमुख : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में ऐसे सिनेमा घरों की संख्या कितनी है जिन्हें गत पांच वर्षों से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से वित्तीय सहायता मिल रही थी और ऐसे सिनेमा घरों के नाम क्या हैं और उन्हें कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) महाराष्ट्र में नए सिनेमा घर की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान अस्वीकृत किया गया है; और

(ग) क्या ऋण की वसूली हो गई है; और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (रा. फि. वि. नि.) ने महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित थियेटरों को ऋण मंजूर किये हैं।

1.	दुर्गादास शंकरदास अग्रवाल पुसाद—यवतमाल	5,00,000/- रुपए
2.	गुलोट एग्जिबिटर एंड होटल्स प्रा. लि., महेश मण्डी सिनेमा, नगर-औरंगाबाद, अहमदनगर	10,00,000/- रुपए

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान रा.फि.वि.नि. को 15 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 5 आवेदन अपेक्षाएं पूरी न किये जाने या परियोजनाएं व्यवहार्य न पाये जाने पर रद्द कर दिए गये।

(ग) ऋणों की वसूली सतोषजनक है।

गांधी फिल्म पर हुए लाभ में भागीदारी

3793. श्री पी. पेंचालैया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "गांधी" फिल्म से शुद्ध आय कितनी हुई है;

(ख) प्रत्येक साझीदार ने फिल्म पर कितना निवेश किया; और

(ग) सह-निर्माताओं में लाभ की राशि किस अनुपात से बांटी जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) "गांधी" फिल्म से हुये निवल लाभ की राशि करीब 130 लाख पौंड स्टर्लिंग बैठती है।

(ख) फिल्म पर प्रत्येक साझीदार द्वारा किये गये निवेश का हिस्सा निम्नलिखित हैं—

		निवेश का हिस्सा (पौंड स्टर्लिंग)
1.	इन्टरनेशनल फिल्म इन्वेस्टर्स (आई.एफ.आई.)/गोल्ड क्रेस्ट फिल्मस इन्टरनेशनल (जी.एफ.आई.)	6,065,316
2.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (रा.फि.वि.नि)—(यह राशि भारतीय मुद्रा में खर्च की गई।	3,516,925

(ग) "गांधी फिल्म के सह निर्माण और वित्तपोषण अनुबंध में यह व्यवस्था है कि फिल्म से हुए निवल लाभ का बंटवारा इस प्रकार किया गया :

		लाभ का प्रतिशत हिस्सा
1.	इंडो—ब्रिटिश फिल्म लि.	45
2.	सिने आर्टिस्टस वैलफेयर फंड	5
3.	आई.एफ.आई/जी.एफ.आई	31.485
4.	रा.फि.वि.नि.	18.515

सिने आर्टिस्टस वेलफेयर फंड को देय निवल लाभ की 5 प्रतिशत राशि सर रिचर्ड एटेनबरो द्वारा फंड के नाम और इसकी उपयुक्तता को लेकर उठाई गई कुछ आपत्तियों के कारण फंड में जमा नहीं कराई गयी है।

भारत को विदेशी सहायता के सम्बन्ध में विदेशी राजनयिकों का भारत दौरा

[हिन्दी]

3794. राजवीर सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोनों देशों के बीच वित्तीय सहायता का आदान-प्रदान किए जाने के प्रयोजन से वर्ष 1989 के दौरान भारत के दौरे पर आए विदेशों के मंत्रियों सचिवों और उच्चाधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) इस संबंध में किन-किन देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और जिन विषयों के संबंध में समझौते किये गये हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

लघु और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई

[अनुवाद]

3795. प्रो के वी. थामस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री को लघु और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को रियायती दर पर अखबारी कागज सप्लाई करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है ।

मुद्रास्फीति दर

3796. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पांचवीं, छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधियों में प्रत्येक योजनावधि के दौरान मुद्रास्फीति दर की औसत तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(ख) मुद्रास्फीति रोकने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) थोक मूल्य सूचकांक (197-71 = 100) पर आधारित अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है;

अवधि	औसत वार्षिक मुद्रा स्फीति की दर (%)
पांचवी योजना	
(1974-75 से 1978-79)	6.28
छठी योजना	
(1980-81 से 1984-85)	9.34
सातवीं योजना	
(1985-86 से 1989-90)	6.62*

* 7 वीं योजना के लिए औसत प्राप्त करने के लिये, 1981-82 के आधार पर 1989-90 के लिये सूचकांक को 1970-71 के आधार पर परिवर्तित कर दिया गया है।

(ख) सरकार ने मुद्रा स्फीति को रोकने के लिये विभिन्न उपाय किये हैं, इनमें बजट घाटे को कम करना, सरकारी व्यय में सख्त किफायत बरतना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति करना, यथा व्यवहार्य आयात के जरिए घरेलू पूर्ति को बढ़ाना और जमाखोरों तथा कालाबाजारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना शामिल है।

सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण

[हिन्दी]

3797. श्री हरीश रावत : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में देश के सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में दूरदर्शन कार्यक्रमों का समुचित रूप से प्रसारण करने के लिये कोई विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है;

(ख) क्या आठवीं योजना के अन्त तक इन क्षेत्रों की 90 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन कार्यक्रम देखने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (ग) दूरदर्शन ने सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार को उचित प्राथमिकता दी है। लेकिन आठवीं योजना के तहत किये जाने वाले विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा देना सम्भव नहीं है क्योंकि योजना आयोग ने अभी तक योजना राशि को आबंटन नहीं किया है।

आयकर समाप्त करना

[अनुवाद]

3798. श्री प्रकाश कोको ब्रह्म भट्ट : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयकर समाप्त करने और व्यय कर लागू करने के प्रश्न पर चर्चा करने हेतु एक पृथक बैठक बुलाने के लिये सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए योजना आयोग से एक विस्तृत नोट तैयार करने के लिये कहा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इनके प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली राज्य सहकारी बैंक में अनियमितताएं

[हिन्दी]

3799. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली राज्य सहकारी बैंक में हो रही अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं;

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि दिल्ली राज्य सहकारी बैंक के 30 जून, 1988 को समाप्त अवधि के लिए किए गए पिछले निरीक्षण के दौरान बैंक के परिचालनों में गम्भीर अनियमितताओं/कमियों का पता चला है। अत: पंजीयक सहकारी समितियां, नई दिल्ली ने यह मामला राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंक के निदेशक मण्डल को दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिक्रमित करने के लिए उनकी अनुमति प्राप्त करने हेतु भेजा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब सूचित किया है कि उसने सहकारी समितियां, दिल्ली प्रशासन के रजिस्ट्रार को दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के निदेशक मण्डल के अधिक्रमण के बारे में अपनी अनापत्ति से अवगत करा दिया है।

भारत और जापान स्थाई समिति की बैठक में हुई बातचीत

[अनुवाद]

3800. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री आर. एन. राकेश :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक उच्च शक्ति प्राप्त भारतीय वाणिज्य प्रतिनिधि मंडल ने 31 जुलाई, 1990 को भारत जापान स्थाई समिति की ओसाका, जापान में आयोजित बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रतिनिधि मंडल में किन-किन सदस्यों ने भाग लिया;

(घ) इस बैठक में हुई चर्चा का स्वरूप क्या था; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। फिक्की और जापान चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री आदि के संयुक्त सहयोग से ओसाका में आयोजित निर्यात/निवेश सेमिनार के बाद भारत जापान बिजनेस को आपरेशन कमेटी के अधीन गठित भारत जापान स्थायी समिति की एक बैठक 31 जुलाई, 1990 को ओसाका में हुई।

(ग) प्रतिनिधिमंडल के जिन भारतीय सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया था उनके नामों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) इस बैठक में द्विपक्षीय व्यापार, भारतीय निवेश नीति, इलैक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अन्तरण, डाईस्टफस और पैकिंग तथा साफ्टवेयर लघु और मध्यम उद्यमों में सहयोग पर विचार विमर्श किया गया।

(ङ) दोनों देशों में लघु और मध्यम क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अन्तरण के सुलभ बनाने के लिए फिक्की और जापान चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री में विशेष प्रकोष्टों की स्थापना। भारत में जापानोन्मुख साफ्टवेयर पैक्स के विकास के विचार पर भी चर्चा की गई।

विवरण

1.	श्री आर पी गोयनका	अध्यक्ष
2.	श्री आनन्द मोहन अग्रवाल	सदस्य
3.	श्री के जी बालकृष्णन	,,
4.	श्री एन ए बालढोता	,,
5.	श्री दीपक बैंकर	,,
6.	डा. भरत राम	,,
7.	श्री विजय बी चौगले	,,
8.	श्री बी एस दत्त	,,
9.	श्री एम. मोहम्मद हाशिम	,,
10.	डा. पी हेबालकर	,,
11.	डा. एन ए कल्याणी	,,
12.	श्री ए एस कासलीवाल	,,

13. श्री पी कृष्णामूर्ति	"
14. श्री आर के कोल	"
15. श्री चन्द्र सिंह हंसराज मीरानी	"
16. श्री कनक नानावती	"
17. श्री ज्योतिर्मय राय	"
18. श्री श्याम एस सरदाना	"
19. श्री अमित कुमार सेन	"
20. श्री अतुल श्राफ	"
21. श्री सैनक सिंह	"
22. डा. डी सी सिंघानिया	"
23. डा. डी एच पाई पाणण्डिकर	"
24. श्रीमती नीला खांडगे	"

अभ्रक व्यापार निगम (मिटको) को खनिज तथा धातु व्यापार निगम (एम. एम टी सी) में मिलाया जाना

[हिन्दी]

3801. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अभ्रक व्यापार निगम (मिटको) तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम (एम. एम. टी. सी.) और कई अन्य कम्पनियों को मिलाकर एक बड़ी कम्पनी बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) एक होल्डिंग कम्पनी के रूप में भारत बिजनेस इन्टरनेशनल लि. की स्थापना अप्रेल, 1990 में की गई थी। मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन स्टेट कारपोरेशन, स्पाइसेस ट्रेडिंग कारपोरेशन और प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेन्ट कारपोरेशन इसकी सहायक कम्पनियां हैं। मिटको को एम. एम. टी. सी. तथा कैश्यू कारपोरेशन आफ इण्डिया को स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के साथ विलय करने का भी निश्चय किया गया है।

औषधियों का निर्यात

[अनुवाद]

3802. श्री हरि शंकर महाले : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या भारत से औषधियों का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो औषधियों का निर्यात किन-किन देशों को किया जा रहा है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी हां। भारत से औषध और भेषजों का निर्यात बल्क औषधियों मध्यवर्ती औषधियों और सूत्रों क रूप म किया जाता है।

(ख) इनका निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, डेन्मार्क, हालैण्ड, स्विटजरलैण्ड, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग, थाइलैंड, कोरिया, ताईवान, नाइजीरिया, केन्या, जाम्बिया संयुक्त अरब अमीरात आदि को किया जाता है।

(ग) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान औषध और भेषजों के निर्यात का मूल्य क्रमशः 400.1 करोड़ तथा 664.7 करोड़ रुपया था।

चाय की छोटे पैकेटों में बिक्री

3803. श्री राम नाईक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि चाय निर्माताओं से छोटे पैकेटों में चाय की सप्लाई बढ़ाने को कहा जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्देश जारी किये हैं और सरकार इनके कार्यान्वयन को किस प्रकार सुनिश्चित करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) चाय उत्पादकों से कहा गया है कि वे लगभग 10 मिलियन किग्रा. चाय उपलब्ध करायें जिसे फुटकर दुकानों के माध्यम से पैकेट में लगभग 40/-प्रति किग्रा. मूल्य पर बेचा जा सके। इस पर स्थानीय कर अतिरिक्त होगा।

(ख) राज्य सरकारों और नेशनल कंज्यूमर कोआपरेटिव फेडरेशन (एन. सी. सी. एफ.) से इस किफायती डिब्बाबंद चाय को देश के विभिन्न भागों में बेचने और इसका प्रबन्ध करने को कहा गया है। चाय की उपलब्धता और कीमतों को मानीटर करने के लिए विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक मानीटरिंग समिति गठित की गयी है।

गुजरात में आवास निर्माण हेतु ऋण

[हिन्दी]

3804. श्री सी. डी. गामित : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार गुजरात में कितने व्यक्तियों ने आवास निर्माण हेतु सरकारी क्षेत्र की आवास वित्त पोषी संस्थाओं से ऋण लेने के लिए आवेदन दिया है;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों को वर्ष-वार, ऋण मंजूर किया गया और जून 1990 तक ऋण के रूप में वास्तव में कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) सभी आवेदकों को ऋण न दिये जाने के क्या कारण हैं और सभी को कब तक ऋण दे दिया जायेगा ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गोंद निर्यातकों के जमा भंडार के सम्बन्ध में नियम

3805. श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई निर्यात-आयात नीति को ध्यान में रखकर गोंद निर्यातकों के पास जमा पड़े गोंद-भंडार के सम्बन्ध में सरकार द्वारा बनाये गये नियम क्या हैं; और

(ख) इस जमा हुए गोंद की खरीद कब तक की जायेगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) गोंद कराया के निर्यात का सरणीयन ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (टी आर आई एफ ई डी) के माध्यम से किया जाता है । पण्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अलग-अलग निर्यातकों के पास उपलब्ध सामग्री के सीधे निर्यात की अनुमति दी जा सकती थी बशर्ते कि ऐसे निर्यात विदेशी क्रेताओं द्वारा खोले गए अप्रतिदेय साखपत्र द्वारा कवर होते । जहां तक निर्यातकों के पास किसी भी शेष बचे स्टाक का सम्बन्ध है सरणीयन एजेन्सी उसकी टी आर आई एफ ई डी द्वारा अधिप्राप्ति दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक वार्ताओं के अधीन होगी ।

इस्पात वितरण में अनियमितताएं

[अनुवाद]

3806. श्री शिव शरण वर्मा :
श्री नन्दलाल मीणा :
श्री बी. एन. रेड्डी :
श्री सरजू प्रसाद सरोज :
श्री वी. श्री निवास प्रसाद :
श्री पी. एम. सईद :
श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री कमल चौधरी :
श्री हरीश पाल :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंतरिक जांच समिति ने अपनी 21.10.99 की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख

किया है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के नई दिल्ली स्थित शाखा बिक्री कार्यालय द्वारा कुछ एककों को इस्पात वितरण में अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है तथा इसमें उठाये गये मुद्दों पर क्या कारंवाई की गई है;

(ग) क्या अन्य दो लेखा परिक्षा रिपोर्टों (दिसम्बर 1989 और जनवरी, 1990) में भी इस सम्बन्ध में प्रतिकूल टिप्पणी की गई है;

(घ) यदि हां, तो इन रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कारंवाई की गई है;

(ङ) इस सम्बन्ध में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. में दो उच्चस्तरीय समितियां नियुक्त करने के क्या कारण हैं;

(च) प्रत्येक समिति के निदेश पद क्या हैं, प्रत्येक की नियुक्ति किस तिथि को की गई थी और प्रत्येक ने अपनी रिपोट किस तिथि को प्रस्तुत की;

(छ) दोनों समितियो की रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) दोनों रिपोर्टों में यदि कोई विरोधाभास है तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) आंचलिक प्रबन्धक (उत्तर), "सेल" नई दिल्ली द्वारा नियुक्त आंतरिक समिति ने अपनी दिनांक 21.10.89 की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातो का उल्लेख किया है :—

1. कुछ दस्तावेजों और स्पष्टत: उपलब्ध न होने के कारण कुछ अभिकथनों के बारे में जिनकी आन्तरिक समिति से जांच करने को कहा गया था, कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

2. कुछ पार्टियों द्वारा पंजीकृत करायी गयी मांग मे कुछ शामिल करने की सम्भावना थी।

3. कुछ ऐसी पार्टियों को माल दे दिया है जो उनके क्षमता प्रमाण-पत्रों में सम्मलित नहीं नहीं की गयी थीं।

आंचलिक प्रबन्धक, जिसने समिति को नियुक्त किया था, ने संबंधित शाखा प्रबन्धकों और समिति सदस्यों के साथ रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया। निष्कर्ष यह निकला कि क्षमता से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धांतों/स्पष्टीकरणों का शाखा ने पालन किया है। जो रिकार्ड, समिति द्वारा पहले नहीं देखे गये थे, शाखा द्वारा उनकी भी जांच की गयी और आवेदनों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त उपाय करने को कहा गया है। आंचलिक प्रबन्धकों द्वारा कोई और कारंवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) और (घ) दिसम्बर, 1989/जनवरी, 90 को सरकारी लेखा परीक्षा ज्ञापन सं. 10 और 11 में शाखा बिक्री कार्यालय दिल्ली द्वारा इस्पात के वितरण के कुछ पहलुओं पर कुछ टिप्पणियां

की गई थीं . लेखा परीक्षा द्वारा इनके बारे में शाखा बिक्री कार्यालय, दिल्ली में टिप्पणियां मांगी गई थी। शाखा ने अन्य बातों के साथ-साथ स्पष्ट किया है कि संयुक्त संयंत्र समिति/आन्तरिक मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके बाद लेखा परीक्षा ने सेल से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया।

(ङ) और और (च) संसद के पिछले सत्राम के दौरान पूछे गये संसद प्रश्नों में उठाये गये मुद्दों और उनसे संबंधित दस्तावेजों, जिसके आन्तरिक समिति की रिपोर्ट और लेखा परीक्षा का ज्ञापन भी शामिल हैं, की अलग-अलग जांच करने के लिए सेल ने दिनांक 10.5.1999 को दो समितियां नियुक्त की थी। समितियों ने अपनी-अपनी रिपोर्टें दिनांक 17 और 19 मई, 1990 को प्रस्तुत कर दी।

(छ) दोनों समितियां निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचीं :—

(i) दिल्ली शाखा ने न तो संयुक्त संरंत संयंत्र समिति के और न ही सेल के आन्तरिक मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन किया।

(ii) शाखा ने वर्षों से चली आ रही पद्धति का पालन किया।

(iii) ऐसे मामले देखे गये जिनमें कुछ दस्तावेजों के हेर-फेर/प्रतिस्थापन की सम्भावना थी। इन मामलों की और अधिक जांच करने के लिए उन्हें सेल के सतर्कता विंग को भेजने का सुझाव दिया गया है।

(ज) आन्तरिक समिति के सदस्य दोनों अनुवर्ती समितियों के सदस्य थे। विभिन्न विषयों और मुद्दों पर पूरी तरह जांच के बाद, दोनों समितियां एक समान निष्कर्ष पर पहुँचीं।

कुवैत के बैंक ड्राफ्ट आदि का भुगतान करना

3807. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक, विशेषकर केरल के बैंकों ने कुवैत के बैंक ड्राफ्टों, चैकों तथा अन्य दस्तावेजों का भुगतान करने से इन्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीयों को इसके परिणामस्वरूप वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें केरल में बैंकों द्वारा कुवैती बैंक ड्राफ्टों/चेकों या अन्य लिखतों को अस्वीकार किए जाने सम्बन्धी किसी विशेष मामले की जानकारी नहीं है। अलबत्ता, हो सकता है कुछ बैंकों ने अत्यधिक सावधानी बरतते हुए, केवल वाणिज्यिक आधार पर, मध्य पूर्व संकट के कारण खाड़ी की करेंसी स्वीकार करना बन्द कर दिया हो।

कुवैत से वापस आ रहे अनिवासी भारतीयों को कुवैती दिनार के करेंसी नोटों और कुवैती

दिनार के यात्रा चेकों की भुनाई में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित एक्सचेंज काउंटरों को भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत किया है कि वे प्रति पासपोर्ट 5,000/-रुपए तक कुवैती दिनारों (करेंसी नोट और यात्री चेकों) को रुपयों में बदल दें।

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत डीलरों को भी प्रति पासपोर्ट 5,000/-रुपए तक के बहरीन दिनारों, ओमानी रियालों, सऊदी रियालों और यू. ए. ई. दिरहमों को तत्काल भारत में सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर बदलने की सुविधा प्रदान करने के लिए कहा है ताकि आने वाले यात्रियों को असुविधा न हो।

कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना

[हिन्दी]

3808. डा. कुशाल परशराम बोपचे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990" के अन्तर्गत यह शर्त लगाई है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक फसलें लगातार 2 वर्ष से नष्ट हो रही हैं,

(ख) क्या सरकार का इस शर्त में कुछ रियायत देने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दंडवते) : (क) से (ग) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के प्रावधानों में दी गई शर्तों के अनुसार "एक खराब फसल वर्ष" का तात्पर्य उस वर्ष से है जब उस फसल के लिए घोषित अनावारी सामान्य पैदावार का 50 प्रतिशत या उससे कम थी। इसके अतिरिक्त यदि ऋणकर्ता ने ऐसे दो वर्षों का सामना किया है, जिन्हें खराब फसल वर्ष माना गया है, जिनमें से एक वर्ष के दौरान ऋण की अदायगी में उससे चूक हुई हो, चाहे ये दोनों वर्ष लगातार रहे हों अथवा लगातार न भी रहे हों तो भी ऋणकर्ता ऋण राहत प्राप्त करने का पात्र माना जायेगा। अलबत्ता, नीचे लिखे मामलों में अनावारी संकल्पना लागू नहीं होगी :—

1. लगातार अतिदेय का मामला अर्थात् 2.10.89 की स्थिति के अनुसार तीन वर्ष से अधिक समय से अतिदेय।

2. ऐसे ऋणकर्ता द्वारा लिये गये ऋण जिसकी मृत्यु 2.10.89 को अथवा इससे पूर्व हो चुकी है।

3. ऐसे ऋणकर्ता के ऋण जिसे दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा 2.10.89 को अथवा इससे पूर्व न्यायालय में जिसका आवेदन दिवालिया घोषित किये जाने के लिये विचाराधीन हो।

4. ग्रामीण कारीगर और बुनकर के मामले जिनमें परिसम्पत्तियों के समाप्त प्राय हो जाने के कारण वे पुनर्भुगतान नहीं कर सके।

पंजाब से प्रकाशित होने वाले दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र

[अनुवाद]

3809. श्री कमल चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में जिला-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ से प्रकाशित होने वाले रजिस्टर्ड दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्रों की संख्या क्या है; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक को वर्षवार कितना अखबारी कागज आबंटित किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार पंजाब और चंडीगढ़ से प्रकाशित दैनिकों/साप्ताहिक समाचारपत्रों की जिलेवार संख्या-31.12.1989 की स्थिति के अनुसार

1. पंजाब

क्रम संख्या	जिले का नाम	दैनिकों की संख्या	साप्ताहिकों की संख्या
1.	अमृतसर	3	34
2.	भटिंडा	6	7
3.	लुधियाना	23	67
4.	जालंधर	26	56
5.	पटियाला	18	94
6.	संगरूर	1	5
7.	कपूरथला	—	6
8.	होशियारपुर	—	5
9.	फिरोजपुर	—	7
10.	गुरदासपुर	1	10
11.	रोपड़	—	2
12.	फरीदकोट	—	11
2. चंडीगढ़		23	46

(ख) वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान पंजाब और चंडीगढ़ से प्रकाशित पंजीकृत दैनिक/साप्ताहिक समाचारपत्रों को जिलेवार आवंटित अखबारी कागज

1. पंजाब

क्र. सं.	जिले का नाम	1988-89		1989-90	
		समाचार पत्रों की संख्या	मात्रा मी. टन में	समाचार पत्रों की संख्या	मात्रा मी. टन में
1.	अमृतसर	4	5.95	2	3.33
2.	भटिंडा	1	2.67	1	0.46
3.	गुरदासपुर	1	3.71	—	—
4.	जालंधर	25	13858.68	22	16348.82
5.	लुधियाना	17	860.97	17	1093.64
6.	पटियाला	29	1475.66	39	1901.09
7.	संगरूर	1	54.66	2	73.89
2. चंडीगढ़		12	9972 06	12	10878.70

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित रबर रिलीज किया जाना

3810. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने पिछले वर्ष किस मूल्य पर आयातित रबर रिलीज किया था;

(ख) क्या इस वर्ष कम कीमत पर रिलीज करने के परिणामस्वरूप बाजार में प्राकृतिक रबर की कीमत में अत्यधिक गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) आयातित रबड़ की रिलीज कीमत आयात की जाने वाली रबड़ की लागत तथा सीमाशुल्क के प्रचलित स्तर को ध्यान में रखकर तय की जाती है। आयातित रबड़ की रिलीज कीमत, जो पिछले वर्ष के दौरान प्रेषण आधार पर 23,573 रु. प्रति मी. टन से 27,400 रु. प्रति मी. टन तक घटती-बढ़ती रही, इस वर्ष 22,500 रु. प्रति मी. टन तय की गई है। ऐसा इस निर्णय के अनुसरण में किया गया है कि

आयातित रबड़ के लिए रिलीज कीमत पर्याप्त रूप से उचित तथा बिना उतार-चढ़ाव के होनी चाहिए ताकि उपभोक्ता उद्योग अपनी सामान-सूची को काफी विश्वसनीयता से तैयार कर सके।

घरेलू रबड़ की कीमतों में बतलाई गई कमी एक सामान्य तथ्य है, और ऐसा तब होता है जब कि व्यस्त-उत्पादन का मौसम प्रारम्भ होता है। इसी प्रकार, कम उत्पादन अवधि में कीमत बढ़ती हैं और इन दोनों के बीच की अवधि में यह स्थिर हो जाती है।

बल्लारी, कर्नाटक में कच्चा लोहा परियोजना

3811. श्री सी॰ पी. मुदाल गिरियप्पा :

श्री एडुआर्डो फैलीरो :

श्री वी. कृष्ण राव :

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में तथा विशेषकर कर्नाटक राज्य के बल्लारी क्षेत्र में कच्चे लोहे की परियोजनाएं प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की कच्चे लोहे के उत्पादन की अनुमानित क्षमता कितनी है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स यूनो मेटल्स एलायस का कर्नाटक में बैल्लारी जिले में 60,000 मी. टन वार्षिक कच्चा लोहा विनिर्माण करने वाली इकाई लगाने का प्रस्ताव है। गोवा में मैसर्स सेसा गोवा 75,000 मी. टन क्षमता की परियोजना कार्यान्वित कर रही है। दूसरी अन्य इकाइयां भी अपनी परियोजनाओं को तैयार कर रही है। ये इकाइयां मुख्यतया लघु धमन भट्टी प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं।

अपरिष्कृत हीरों का आयात

3812. श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान तथा कुछ अन्य देशों ने कटिंग तथा पालिशिंग के लिये भारत से अपरिष्कृत हीरों का आयात करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध मे कोई समझौते किये गए हैं, और यदि हां, तो कितनी राशि के;

(ग) क्या दक्षिण अफ्रीका की किसी कंपनी ने भी तीसरी पार्टी के माध्यम से अपरिष्कृत हीरे खरीदने लिए भारत से संपर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुणाचलम): (क) और (ख) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी जे ई पी सी) द्वारा यह सूचित किया गया है कि ऐसे कोई संकेत नहीं है और न ही ऐसी कोई पहल की गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को स्विस फ्रैंक ऋण

3813. श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी बैंक ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को स्विस फ्रैंक ऋण देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

थोक व्यापारियों को दिए गए ऋण

[हिन्दी]

3814. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 30 जून, 1990 तक सम्पूर्ण देश में थोक व्यापारियों को कुल कितनी धनराशि के ऋण दिए गये हैं, और

(ख) तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा थोक व्यापार के लिये दिए गये ऋणों की बकाया रकम (अद्यतन उपलब्ध) का ब्यौरा नीचे की सारणी में दिया गया गया है :—

जून 1989 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार राज्य	बकाया रकम (लाख रुपए में)
1	2
1. हरियाणा	9057
2. हिमाचल प्रदेश	794

1	2
3. जम्मू और कश्मीर	5471
4. पंजाब	12040
5. राजस्थान	11665
6. चंडीगढ़	8556
7. दिल्ली	132138
8. अरुणाचल प्रदेश	13
9. असम	5689
10. मणिपुर	92
11. मेघालय	197
12. मिजोरम	74
13. नागालैंड	74
14. त्रिपुरा	440
15. बिहार	7781
16. उड़ीसा	5395
17. सिक्किम	42
18. पश्चिम बंगाल	43817
19. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	62
20. मध्य प्रदेश	17966
21. उत्तर प्रदेश	31499
22. गोवा	1247
23. गुजरात	15254
24. महाराष्ट्र	274745
25. दमन और दीव	2
26. दादरा और नागर हवेली	3
27. आंध्र प्रदेश	25792

1	2
28. कर्नाटक	24442
29. केरल	22621
30. तमिलनाडु	50147
31. लक्षद्वीप	—
32. पांडिचेरी	252
जोड़	703367

यह आंकड़ा जून 1989 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अनन्तिम आकलनों पर आधारित है।

बैंकों द्वारा ऋण की स्वीकृति में अनियमितता

3815. **श्री बलाई चौधरी :**

श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंको में ऋण के लिये दिए जाने वाले आवेदन पत्रों को पंजीकृत करने के लिए कोई प्रावधान है ;

(ख) क्या ऋण के लिये दिए गये आवेदन पत्रों को रद्द करने के लिये भी कारण निर्धारित करने की कोई व्यवस्था है;

(ग) क्या ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कृषि और लघु उद्योगों के ऋण आवेदनों पर गुणाव-गुण के आधार पर विचार नहीं किया जाता है और प्रबंधक ऋण स्वीकृति करने में अपना स्व:निर्णय लेते हैं; और

(घ) यदि हां, तो बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत करने में होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दंडवते) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों को जारी किये गये मार्ग निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि ऋणों के लिये आवेदनों के संबंध में शाखा में एक रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें प्राप्ति की तारीख, मंजूरी/रद्द करने एवं उसके कारणों को रिकार्ड किया जाएगा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेश ये हैं कि आवेदन रद्द करने के कारणों का आवेदन में ही रिकार्ड किया जाएगा। और संबद्ध आवेदन सूचना एवं रिकार्ड हेतु प्रायोजक प्राधिकारी के पास वापस भेज दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह अनुदेश भी दिया है कि वे आवेदनों

एवं पावतियों की क्रम संख्या आवंटित करके कमजोर वर्गों से प्राप्त होने वाले ऋण आवेदनों की प्राप्ति की सूचना दें।

(ग) और (घ) बैंकों द्वारा ऋणों को मंजूरी में बरती जाने वाली अनियमितताओं सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के खिलाफ सभी शिकायतें, जैसे एवं जब कभी प्राप्त होती हैं, वैसे ही उन्हें समुचित कार्रवाई हेतु संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है। बैंक कर्मचारियों द्वारा की गई चूकों, यदि कोई हों, की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए संबंधित बैंक का प्रबंधन सेवा विनियमों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करता है।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना

3816. प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस राज्य द्वारा भेजे गये विभिन्न प्रस्तावों का ब्योरा क्या है तथा इस पर्ई कितनी धनराशि खर्च होगी ;

(ख) क्या सरकार ने सभी प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है तथा चालू वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी धन-राशि नियत करने का विचार किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं :—

क्रम. सं. स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में)
1. ट्रैकिंग के लिए 100 तम्बू	09 60
2. मनाली में लाग हट्स	19.90
2. साहसिक खेल उपकरणों की खरीद	31·25

तम्बुओं की खरीद की मंजूरी दे दी गई है और 8 लाख रुपये की पहली किस्त रिलीज की जा चुकी है। अन्य दो प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में रिक्तियां

[अनुवाद]

3817. प्रो. रघुनाथ पाण्डेय : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में अनेक पद रिक्त हैं,

(ख) यदि हां, तो ये पद कब से रिक्त हैं, और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी हां। आय कर अपील अधिकरण में सदस्यों के 15 पद रिक्त हैं।

(ख) इन रिक्त पदों का वर्षवार ब्योरा निम्नलिखित है :—

1987	—	2
1988	—	7
1989	—	2
1990	—	4

(ग) इनमें से कुछ रिक्त पदों के शीघ्र भर लिए जाने की संभावना है। शेष रिक्त पद भरने के लिए भी व्यक्तियों का चयन किया जा रहा है।

मैसूर में पर्यटकों के लिए शयन शाला का निर्माण

3818. श्री एच. सी. श्रीकान्तय्या : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर की यात्रा करने वाले निर्धन तथा मध्य वर्ग के पर्यटकों के लिए मैसूर में एक शयन शाला (डोरमिटरी) के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और वर्ष 1990-91 के दौरान उसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने मई, 1989 में मैसूर में 60 कमरों वाले एक यात्री निवास को स्वीकृति प्रदान की है। इस यात्री निवास में डारमीट्री किस्म का 40 कमरों वाला आवास है। 36.02 लाख रुपए की स्वीकृत राशि में से 33.70 लाख रुपए की राशि रिलीज की जा चुकी है। शेष राशि उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर रिलीज की जाएगी।

तीस हजारी तथा पटियाला हाउस न्यायालयों में सामान्य जन के दस्तावेजों को अधिप्रमाणित करने के लिए मजिस्ट्रेट

3819. श्री नन्दलाल मीणा : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य जन के पत्रों, जैसे हलफनामों को अधिप्रमाणित करने के लिए तीस हजारी और पटियाला हाउस के जिला न्यायालयों में क्या व्यवस्था की गई है,

(ख) क्या सामान्य जन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन दोनों स्थानों पर पर्याप्त संख्या में इस प्रयोजनार्थ महानगर मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) नियुक्त करने का प्रस्ताव है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आयात शुल्क से छूट

3820. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आयात की जा रही वस्तुओं में से किन-किन वस्तुओं पर आयात शुल्क से छूट प्रदान की गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ और आयातित वस्तुओं पर आयात शुल्क से छूट देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) देश में आयात की जा रही ऐसी वस्तुओं के नाम, जिनके लिये छूट प्रदान की गयी है, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (1) के तहत जारी की गयी संगत अधिसूचनाओं में उपलब्ध हैं। ये अधिसूचनाएं संसद के दोनों सदनों में रखी जा चुकी हैं।

(ख) और (ग) जब कभी भी किसी आयातित माल को सीमा शुल्क से छूट देने के लिए निर्णय लिए जायेंगे तो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी तथा इन्हें संसद के दोनों सदनों में रख दिया जाएगा।

विद्यापति पर धारावाहिक का प्रसारण

[हिन्दी]

3821. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कवि विद्यापति पर धारावाहिक को दूरदर्शन पर प्रसारण हेतु पूरा समय दिये जाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) और (ख) दूरदर्शन ने "विद्यापति" पर एक टी. वी. धारावाहिक बनाने का काम एक बाहरी फिल्म निर्माता को सौंपा है। इस धारावाहिक की 6 कड़ियां होंगी। महान कवि के विभिन्न पक्षों का चित्रण करने के लिए धारावाहिक की अनुमोदित लम्बाई पर्याप्त समझी गई है।

नासिक में आकाशवाणी भवन का निर्माण

[अनुवाद]

3822. डा. दौलतराव सोनूजी आहेर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी भवन के निर्माण के लिये नासिक (महाराष्ट्र) में एक भूखण्ड अधिग्रहीत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब से आरम्भ होगा; और

(ग) उसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) और(ग) भवन का निर्माण कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है और इसके वर्ष 1990-91 के दौरान पूरा हो जाने की उम्मीद है।

बड़े उद्योगों का निर्यात-निष्पादन

3823. श्री प्रबोत कुमार पांजा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रमुख दस उद्योगों का निर्यात निष्पादन क्या रहा है और उन्हें कौन-कौन से नए लाइसेंस जारी किये गये ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान चोटी के दस निर्यात उद्योगों के निर्यात निष्पादन संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं। ये विनिर्माता एकक कुछ खरीदी गई मदों का भी निर्यात करते हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उनको जारी किए गए नए लाइसेंसों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विवरण

क्रम सं.	फर्म का नाम	निर्यात निष्पादन (करोड़ रुपये में)		
		1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, खनिज भवन, 10-3-311/ए कौंसिल मिल्स हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश-500028.	1.6609	2.2035	277.890

1	2	3	4	5
2.	मैसर्स टाटा आयरन एँड स्टील कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	25.4668	93.94(8	143.5948
3.	मैसर्स नवभारत इन्टरप्राइजेज लि., हैदराबाद	98.1824	89.5448	124.9341
4.	मैसर्स सेन्चुरी टेक्सटाइल एँड इन्डस्ट्रीज लि., बम्बई	78.2652	81.5016	108.4366
5.	मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि. बम्बई	82.2300	88,5967	85.5710
6.	मैसर्स टोरेन्ट एक्सपोर्ट्स प्रा. लि., अहमदाबाद	9.4478	19.3083	71.2120
7.	मैसर्स एम आर एफ लि. मद्रास	21.4993	56.0944	66.3295
8.	मैसर्स वी एस डेम्पो एँड कं. प्रा. लि. गोआ।	26.2300	31,5599	58.0405
9.	ए तोश एँड संस प्रा. लि. कलकत्ता	48.8600	40.4206	87.3859
10.	आई टी सी लि. कलकत्ता	22.4480	41.6865	82.5661
11.	महेन्द्रा ऐंड महेन्द्रा, बम्बई	14.9708	28.5592	56.6555

बैंकों में सफाई कर्मचारियों को पदोन्नति

[हिन्दी]

3824. श्री छेदी पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1976 में यह आदेश दिया था कि बैंकों में सफाई कर्मचारियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर चपरासी के पद पर पदोन्नति कर दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो 198' से आज तक, बैंक-वार ऐसे कितने सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है ?

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दंडवते) : (क) दिनांक 20.11.1980 को सभी बैंकों से कहा गया था कि वे सफाई कर्मचारियों, फराशों आदि के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की चपरासियों के रूप में नियुक्ति के सम्बन्ध में तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 16.6.76 के कार्यालय ज्ञापन में दिये गये अनुदेशों को कार्यान्वित करें।

(ख) 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से सात बैंकों ने गत तीन वर्षों के दौरान 161 सफाई कर्मचारियों को चपरासियों के रूप में पदोन्नत करने की अनुमति प्रदान करने की सूचना दी है।

नागालैंड में पर्यटक स्थलों का विकास

[अनुवाद]

3825. श्री शिकिहो सेमा : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के एक विशेषज्ञ दल ने कोहिमा जिले में जुलाकी, का वहां पर्यटन विकास की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो वह दल किन निष्कर्षों पर पहुंचा है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार नागालैंड में पर्यटक स्थलों का विकास करने हेतु राज्य सरकार को प्रोत्साहित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को चालू वर्ष के दौरान क्या सहायता उपलब्ध कराई जायेगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) और (ख) नागालैंड राज्य के लिए दृश्य विषयक पर्यटन योजना तैयार करने के लिए नागालैंड सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी) को कार्य सौंपा था। भारत पर्यटन विकास निगम ने दजूलेको में पर्यटक स्थल बनाने का सुझाव दिया था।

(ग) और (घ) राज्य सरकार के अनुरोध पर, केन्द्रीय सरकार भारत पर्यटन विकास को, दजूलेको और दीमापुर में पर्यटक स्थल/परिसर के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु 1.95 लाख रुपए की मंजूरी दे चुकी है।

प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी

3826. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री फूल चन्द वर्मा :
क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रौद्योगिक प्रदर्शनियां आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार आयोजित की जाने वाली ऐसी प्रदर्शनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रदर्शनियों की विस्तृत रूप-रेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) प्रौद्योगिक प्रदर्शनियां आयोजित करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इंडिया

लि. प्रगति मैदान में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विशेषीकृत मेले आयोजित करता है जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारों द्वारा प्रदर्शित कुछ सामान उच्च प्रौद्योगिकी प्रकृति का होता है।

दूरदर्शन पर अश्लील फिल्म दिखाना

[हिन्दी]

3827. श्री तेज नारायण सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरदर्शन पर कुछ अश्लील फिल्में और विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार द्वारा इस बारे में कोई ठोस कदम उठाये जा रहे हैं कि दूरदर्शन पर अश्लील और आपत्तिजनक दृश्य न दिखाए जाएं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) और (ख) दूरदर्शन केवल उन्हीं फिल्मों को दिखाता है जो कि केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित होती हैं। परिवार सहित देखने की आवश्यकता के अनुसार जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है ऐसी फिल्मों का उचित ढंग से सम्पादन भी किया जाता है. इसी प्रकार दूरदर्शन पर प्रसारित करने के लिए विज्ञापनों को अन्य बातों के साथ-साथ इस बात के आश्वस्त होने के बाद ही स्वीकार किया जाता है कि वे सार्वजनिक नैतिकता और मर्यादा के मूल्यों पर आघात नहीं करते।

दूरदर्शन/आकाशवाणी के प्रायोजित कार्यक्रमों से आय

3828. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन और आकाशवाणी को वर्ष 1989-90 के दौरान प्रायोजित कार्यक्रमों से कितनी आय हुई; और

(ख) क्या इस आय को दूरदर्शन के और केन्द्र खोलने पर अथवा कुछ अन्य कार्यक्रमों पर व्यय किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान आकाशवाणी (विविध भारती) के प्रायोजित कार्यक्रमों से 5.36 करोड़ रुपये की सकल आय हुई।

जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, इसी अवधि के दौरान विज्ञापनों तथा प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रसारण से 210.13 करोड़ रुपये की सकल आय हुई।

(ख) निवल आय "अव्यपगमनीय निधि" (नान लैप्सेबल) नामक निधि में जमा कर दी जाती है। इस निधि में से किसी प्रकार का भी व्यय, निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है।

अन्य बातों के साथ-साथ, इन नियमों में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन, दोनों के लिए, सुविधाओं में सुधार करने के वास्ते खर्च की व्यवस्था की गई है।

बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा विज्ञापनों से अर्जित राजस्व

[अनुवाद]

3829. श्री आर्थ फर्नान्डीज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र ने वर्ष 1989 में और अप्रैल, 1990 के अन्त तक विज्ञापनों से कुल कितना राजस्व अर्जित किया;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान बंगलौर दूरदर्शन से कुल कितने घण्टे क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम प्रसारित किए गए; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान कुल कितने घण्टे विज्ञापन दिखाए गए ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (ग) ब्योरा निम्नानुसार है :—

(1) विज्ञापनों तथा कार्यक्रमों के प्रायोजन से अर्जित सकल राजस्व···4.89 करोड़ रुपये।

(2) क्षेत्रीय कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए कुल घण्टों की संख्या ··1079 घंटे;

(3) विज्ञापनों के प्रसारण के लिए कुल घंटों की संख्या···45 घंटे 30 मिनट।

अजन्ता और एलोरा की गुफाओं के निकट बौद्ध केन्द्र के लिए जापान से सहायता

[हिन्दी]

3830. श्री पुंडलिक हरी दानवे : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने अजन्ता और एलोरा की गुफाओं के निकट एक बौद्ध केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोई योजना प्रस्तुत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अजन्ता और एल्लोरा गुफाओं के आसपास के क्षेत्र का अन्तर्राष्ट्रीय सहायता से विकास करने के लिए एक प्रारम्भिक प्रस्ताव भेजा है। तथापि, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव मिल जाने के बाद ही आगे की कारंवाई कर पाना सम्भव होगा।

घरेलू बाजार में प्रतियोगिता का सामना करने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. की योजनाएं

[अनुवाद]

3831. श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. दस लाख टन की क्षमता तक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुमति देने के सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए घरेलू बाजार में प्रतियोगिता का सामना करने हेतु योजनाएं बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. ने अपने उत्पादन को वर्तमान स्तर से बढ़ाने का भी निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) योजनाओं के निरूपण और पुन: स्थिति निर्धारण तथा प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रीय अर्थनीति की आवश्यकताओं तथा अन्य कारणों का ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों को बेचने के लिए नीति बनाना सेल की एक सतत प्रक्रिया है। सेल को स्वदेशी बाजार में विभिन्न इस्पात की मदों के लिए अन्य उत्पादकों से प्रति स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। सेल की योजनाओं का लक्ष्य गुणवत्ता-उत्पादन तथा बाजार में प्रतियोगी होना है।

(ग) और (घ) सेल की योजना पिछले वर्ष उत्पादित 82.7 लाख मीटरी टन अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन स्तर को बढ़ाकर आठवीं योजना की समाप्ति वर्ष (1994-95) में 131.7 लाख मीटरी टन स्तर तक करने की है।

भारी कर के बोझ के कारण मूल्यों में वृद्धि

3832. श्री वी. राज रवि वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में सबसे अधिक कर लगाने वाले देशों में से एक है,

(ख) क्या भारी कर के बोझ से मूल्यों मे वृद्धि हुई है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं। भारत सहित कुछ विकासशील और विकसित देशों के सम्बन्ध में कर : सकल घरेलू उत्पाद दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते। कीमतें बहुत से कारकों द्वारा निर्धारित होती हैं, जिसमें पूर्ति और मांग मुख्य हैं।

विवरण

विकसित और विकासशील देशों में कर-सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात

सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व

देश	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
विकसीत देश									
1. संयुक्त राज्य अमेरिका	27 76	28.23	28.07	26.53	26.56	27.24	27.03	28.14	उ. न.
2. कनाडा	31.41	33.62	33 44	32.91	32.92	32.99	33.54*	34.40*	34.39*
3. आस्ट्रेलिया	27.10	28.05	29 65	30.07	29.26	30.74	30 46	30.86	उ. न.
4. जर्मनी जर्मनी	39.92	40.23	40.36	39.92	40.07	39.86	39.42	39.30	39.11*
5. यूनाइटिड किंगडम	34.51	35.71	38.33	36.76	37.23	36.99	37.71	37.15	उ. न.
विकासशील देश									
6. इंडोनेशिया†	20.74	20.41	18.69	18.36	17.43	19.03	15.33	उ. न.	उ. न.
7. मयन्मार (बर्मा)	9.61	9.23	9.83	9.24	8.58	8.26	7.41	6.59	उ. न.
8. थाईलैंड	14.00	14.20	13.56	15.15	15.14	14.86	15.02	15.68	17.84@

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. अर्जेन्टीना†	21.17	18.26	16.94	18.31	17.53	21.52	21.26	19.11@	उ. न.
10. ब्राजील	22.03	23.51	24.71	24.14	20.96	21.52	23.86	21.44	उ. न.
11. भारत†	15.46	14.61	15.14	15.34	15.25	15.53	16.48	16.86	17.24

†स्थानीय सरकारें छोड़ दी हैं। × आंकड़े समग्र अथवा आंशिक रूप में अनन्तिम, प्रारम्भिक या पूर्वानुमानित हैं।

@पुरानी आंकड़ों के बहिर्वेशन के अनुमानित आधार पर सकल घरेलू उत्पाद के उपयोग को निर्देशित करते हैं।

टिप्पणी : भारत के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों में राजकोषीय वर्ष जुलाई से जून है, भारत में राजकोषीय वर्ष अप्रैल से मार्च है।

स्रोत : 1 से 10 तक—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष—"सरकारी वित्त सांख्यिकीय वर्ष पुस्तिका, 1989।"

11 भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय—"भारतीय आर्थिक सांख्यिकीय (लोक वित्त)," 1989।

उ. न. = उपलब्ध नहीं।

शेयर बाजार में व्यापार

3833. श्री बाबूराव पराजपे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेयर बाजार में उसके सदस्यों द्वारा शेयर व्यापार करना निषिद्ध है;

(ख) उन वित्तीय संस्थानों का ब्यौरा क्या है जो विभिन्न शेयर बाजारों में शेयरों की बिक्री और खरीद का व्यापार कर रही हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन शेयर बाजारों में व्यापार करने वाले वित्तीय संस्थान आपस में शेयर व्यापार कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के कारण व्यापार घाटा

3834. श्री ए. के. ए. अब्दुल समद : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में और रुपयों तथा एस. डी. आर. में कितने मूल्य के पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों का वर्षवार आयात और निर्यात किया गया;

(ख) कुल वार्षिक व्यापार घाटे का वर्ष-वार कितने प्रतिशत घाटा इस मद पर हुए शुद्ध व्यापार से हुआ है; और

(ग) इसी के समान शुद्ध भुगतान शेष के आंकड़ों का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात तथा आयात की वर्षवार मात्रा एवं मूल्य (रुपये तथा एस डी आर में) नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	मात्रा (मिलि. मी. टन)	मूल्य	
		करोड़ रु.	मिलियन एसडीआर
1	2	3	4
क. निर्यात			
1987-88	3.41	649	379
1988-89	2.30	524	272
1989-90	2.50	696	326

1	2	3	4
ख. आयात			
1987-88	21.68	3965	2316
1988-89	24.07	4378	2-73
1989-90	26.03	6317	2956

(स्रोत : पेट्रोलियम विभाग, पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय)

(ख) वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान कुल व्यापार घाटे में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों के कारण निवल व्यापार घाटे की प्रतिशतता क्रमशः 50.5 प्रतिशत, 48.6 प्रतिशत तथा 72.7 प्रतिशत रही।

(ग) 1987-88 तथा 1988-89 के वर्षों में चालू खाते में निवल भुगतान-शेष उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, क्रमशः 6293 करोड़ रु. (वास्तविक) तथा 10429 करोड़ रु. (अनन्तिम) था।

आभूषणों का निर्यात

[हिन्दी]

3835. श्री फूल चन्द वर्मा :
श्री मंगल लाल :
श्री माधव राव सिंधिया :
क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1989-90 के दौरान लक्ष्य की तुलना में कम निर्यात किया गया है;

(ख) क्या स्वर्ण आभूषणों के निर्यात में गिरावट आयी है जिसके फलस्वरूप कुल निर्यात लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) आभूषणों के निर्यात में कमी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/अथवा उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) वर्ष 1990-91 में आभूषणों के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए वर्ष 1989-90 के लिए लक्षित लगभग 275 करोड़ रु. के अनुमान की तुलना में इनका लगभग 282 करोड़ रु. मूल्य का निर्यात किया गया, जैसा कि जब रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने बताया है।

(ख) और (ग) जी नहीं। वर्ष 1989-90 के दौरान स्वर्ण आभूषणों के निर्यात में 65% की वृद्धि हुई है।

(घ) स्वर्ण आभूषण निर्यात हेतु एक प्रस्ट क्षेत्र है। सरकार ने स्वर्ण आभूषणों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए हैं-स्वर्ण आभूषणों के निर्यात उत्पादन हेतु विशेष काम्प्लैक्सों की स्थापना, मिनरल्स एंड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (एमएमटीसी) द्वारा इन काम्प्लेक्सों को सोने की सप्लाई के सम्बन्ध में किए गए अनन्य प्रबन्ध, अपेक्षित अन्तर्निविष्ट साधनों तथा अवस्थापना संबंधी सहायता और स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम का निरस्तीकरण, आदि।

(ङ) परिषद द्वारा किए गए एक प्रारम्भिक आकलन के अनुसार, वर्ष 1990-91 के दौरान 400 करोड़ रु. मूल्य के स्वर्ण आभूषणों का निर्यात होने की आशा है।

(स्रोत : जी. जे. ई. पी. सी.)

विदेशी मुद्रा की बचत के लिए मितव्ययिता के उपाय

[अनुवाद]

3836. श्री पी. एम. सईद : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने व्यय में कमी करने के लिए और विशेष रूप से विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए क्या विभिन्न मितव्ययिता उपाय किए हैं;

(ख) क्या विदेशों में कुछ कार्यालयों को बन्द कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कार्यालयों की संख्या कितनी है और उन देशों के नाम क्या हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) इस मन्त्रालय द्वारा खर्च में कमी करके विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उठाए गए कदमों में विदेश स्थित कुछ कार्यालयों को बन्द करना, विदेश स्थित कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना और विदेशों में प्रचार हेतु धन को प्रभावी रूप से उपयोग में लाना शामिल है।

(ख) और (ग) जी, हां। विदेशों में स्थित भारत सरकार के 19 पर्यटक कार्यालयों में से शिकागो स्थित एक पर्यटक कार्यालय 14 जून, 1990 से बन्द कर दिया गया है। इसके अलावा, स्थित तीन और पर्यटक कार्यालय बन्द किए जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

देश	स्थान	बन्द किए गए/किए जा रहे कार्यालयों की संख्या	
1. स्वीडन	स्टाकहोम	1	बन्द किए जा रहे हैं।
2. आस्ट्रेलिया	सिडनी	1	
3. सिंगापुर	सिंगापुर	1	
4. यू एस ए	शिकागो	1	बन्द किया जा चुका है।

विश्वेश्वरैया आइरन एण्ड स्टील लि. का आधुनिकीकरण

3837. श्री कांत वल्ल नरसिंहराव वाडियर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वेश्वरैया आइरन एण्ड स्टील लि., कर्नाटक के कारोबार में वृद्धि और उन्नत किस्म के उपकरणों के सम्बंध में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विश्वेश्वरैया आइरन एण्ड स्टील लि. का आधुनिकीकरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए निर्धारित धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड (वी. आई. एस. एल.) के कारोबार को बढ़ाने में पर्याप्त वृद्धि हुई है, विशेषकर दिनांक 1.8.89 को भारत सरकार द्वारा कम्पनी का अधिग्रहण करने के पश्चात्। वर्ष 1989-90 के दौरान कम्पनी का कारोबार लगभग 129 करोड़ रुपये का था। यह पिछले वर्ष से 41% अधिक था। वर्षों के बाद यह पहला अवसर था जब वी. आई. एस. एल. के उपकरणों के उन्नयन के लिए 3.21 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।

(ग) और (घ) संयंत्र को आधुनिक और प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत बनाने की विस्तृत योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इस समय लगभग 49 करोड़ रुपये की लागत से 500 घन मीटर धमन भट्टी स्थापित करना और कच्चा लोहा और फैरो वेनाडियम बनाने हेतु 4.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक विद्युत कच्चा लोहा भट्टी को परिवर्तित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

पैतृक सम्पत्ति में अधिकार

3838. कु. उमा भारती : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैतृक सम्पत्ति में पुत्री और पौत्री का अधिकार पुत्र और पौत्र के बराबर नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी हां। कुछ समुदायों में पैतृक सम्पत्ति के विरासत के विषय में पुत्र और पुत्रियों के बीच कई असमानताएं हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अधीन पैतृक सम्पत्ति में, सहदायिकी सम्पत्ति को छोड़कर, सभी दशाओं में, पुत्र और पुत्री का समान अधिकार है। उत्तराधिकार के प्रयोजन के लिए, सहदायिकी सम्पत्ति में पुत्र के साथ पुत्री को सहदायिक बनाने की दृष्टि से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन करने के लिए आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को अनुज्ञा दे दी गई हैं।

उत्तराधिकार में पुत्रियों और पुत्रों को समान अधिकार दिए जाने की पारसी समुदाय की सर्वसम्मत मांग पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 का और संशोधन करने के लिए भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 1990 नामक एक विधेयक 23 मई, 1990 को राज्य सभा में पुरःस्थापित कर दिया गया है। राज्य सभा उस पर विचार कर रही है।

राजस्थान में देशी और विदेशी पर्यटक

[हिन्दी]

3839. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 से 1990 तक के दौरान राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, और जैसलमेर में कुल कितने देशी-विदेशी पर्यटक आये;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को रास्थान सरकार से उन्हें ठहराने और परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) राज्य सरकार से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1985 से 1990 तक जयपुर उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर में पर्यटक आगमन निम्नलिखित था :—

जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर में पर्यटक आगमन

वर्ष	जयपुर		उदयपुर		जोधपुर		जैसलमेर	
	स्वदेशी	विदेशी	स्वदेशी	विदेशी	स्वदेशी	विदेशी	स्वदेशी	विदेशी
1985	356,930	137,007	506,436	50,948	415,907	21,433	73,755	15,049
1986	367,251	139,223	515,857	52,949	425,276	27,575	78,605	21,560
1987	368,513	144,498	534,390	54,487	432 442	32,123	78,860	24,498
1988	375,154	150,578	542,097	54,566	427,821	37,131	82,570	28,707
1989	385,417	155,261	549,730	67,529	430,033	44,317	82,862	37,391
1990 (जनवरी-अप्रैल)	132,190	61,690	180,662	26,248	142,539	18,157	44,993	16,273

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने सातवीं योजनावधि में डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर में कुटीरों का निर्माण करने और फतेहसन्गर झील, उदयपुर के लिए नावों की खरीद करने की स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है ।

आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

[अनुवाद]

3840. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :

श्री सुदाम देशमुख :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त सप्लाई करने हेतु उद्योग के प्रतिनिधियों से बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उद्योग के प्रतिनिधियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) जी, हां । हाल के महीनों में सबंधित मंत्रालय ने पूर्ति की स्थिति में सुधार करने तथा कीमतों को उचित स्तरों पर बनाए रखने के लिए सीमेंट, नमक, चाय, चीनी, तथा वनस्पति के विनिर्माताओं के साथ विचार-विमर्श किया । सामान्य रूप से उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है ।

अभ्रक का निर्यात किसी सरकारी एजेन्सी के माध्यम से किया जाना

3841. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक का निर्यात किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था लागू करने के कारण अभ्रक का खरीद मूल्य मिटको उत्पादन के 50 प्रतिशत मूल्य से भी कम है और निर्यात की मात्रा में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस व्यवस्था को समाप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) परिष्कृत अभ्रक की खरीद कीमतें, मिटकों के मामले में औसतन 43% के लगभग रहती है और परिष्कृत अभ्रक के निर्यात की मात्रा वर्ष 1971-72 के 19630 मी. टन से घटकर वर्ष 1989-90 में 18060 मी. टन रह गई है ।

(ख) और (ग) परिष्कृत अभ्रक से संबंधित निर्यात नीति की सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है ।

ऋण की अदायगी

3842. श्री ए. चार्ल्स : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1989 की स्थिति के अनुसार देश भर में बैंक द्वारा वितरित किए गए 10,000 रु० तक के ऋणों की कुल कितनी राशि बकाया थी,

(ख) 1 जनवरी, 1989 से 30 जून, 1989 तक की अवधि तक के दौरान, कितनी राशि की अदायगी की गई और कुल बकाया राशि का यह कितने प्रतिशत था; और

(ग) वर्ष 1990 की समान अवधि के दौरान, कितनी राशि की अदायगी की गई और कुल बकाया ऋण राशि का यह कितने प्रतिशत है ?

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दंडवते) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली, न्यूनतम आकार की ऋण सीमा के रूप में, 25,000 रुपए और उससे कम के ऋण संबंधी सूचना प्रदान करती है। जून 1983 के बाद 10,000/- रुपए और इससे कम के बैंक ऋणों के संबंधित आंकड़े एकत्र नहीं किए गए।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की मांग और वसूली से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं। पिछले दो वर्षों अर्थात् जून 1988 और जून 1989 (अद्यतन उपलब्ध) के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपए)

	मांग	वसूली	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत
जून 1988	5082.86	2 09 4)	57.2
जून 1989	5849.79	3397.70	58.1

मंत्रियों द्वारा कर योग्य सम्पत्ति की घोषणा

[हिन्दी]

3844. श्री राघव जी : वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों और पूर्व केन्द्रीय मंत्रिमंडल के उन सदस्यों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने गत तीन वर्षों में किसी एक वर्ष में अपनी सम्पत्ति रिटर्न में 10 लाख रुपये से अधिक की कर योग्य सम्पत्ति की घोषणा की है तथा उन सदस्यों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने अपनी निवल वार्षिक आय गत तीन वर्षों के दौरान एक लाख रुपये से अधिक दिखाई है; और

(ख) प्रत्येक उक्त सदस्य द्वारा दर्शाई गई कर योग्य सम्पत्ति का मूल्य क्या है और निवल आय का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी की तुलना में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण पर हुआ खर्च

[अनुवाद]

3845. श्री अमल दत्त : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के आधुनिकीकरण एवं विस्तार परियोजना में अपेक्षित विदेशी मुद्रा सहित इस पर आयी लागत का, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के संबंध में आयी अनुमानित लागत के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तोत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनियों को विदेशी मुद्रा जारी करना

3846. श्री कड़िया मुण्डा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स प्रासिम इंडस्ट्रीज, हिण्डलको, मोदी टायर्स और आई.टी.सी. लिमिटेड को गत एक वर्ष के दौरान प्रदान की गई विदेशी मुद्रा का ब्योरा क्या है;

(ख) उन कम्पनियों का ब्योरा क्या है जिन्हें गत दो वर्षों के दौरान एक करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा आबंटित की गई है; और

(ग) क्या विदेशी मुद्रा का उचित रूप से उपयोग किया गया था; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) औद्योगिक इकाइयों से संबंधित नियमों और विनियमों के अनुसार अपने विदेशी मुद्रा व्यय को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार के विदेशी मुद्रा व्यय के संबंध में कम्पनी-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग को रोकने के लिये नियमों के अधीन उपयुक्त सुरक्षा की व्यवस्था की हुई है।

बैंकों के निदेशक मंडल में अधिकारियों की नियुक्ति

3847. श्री मोधता सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मण्डलों में अधिकारी कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित मामले पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुकदमा चलता रहा है। अगस्त 1989 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि केन्द्रीय सरकार के लिए 1982 से पहले की प्रथा का अनुकरण करना सर्वथा उचित है या वह संबद्ध कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के चुनाव कराये या यदि आवश्यक हो तो इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970/1980 में उपयुक्त रूप से संशोधन करे।

इस मामले की भारतीय रिजर्व बैंक और विधि मंत्रालय के परामर्श से जांच की गई है। इस बारे में 1982 से पहले अपनाई जाने वाली प्रथा का अनुकरण करने का निर्णय लिया गया है। इस मामले में सरकार ने पहले ही कारंवाई शुरू कर दी है और सरकार का सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मंडलों में अधिकारी कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति शीघ्रातिशीघ्र करने का प्रयास है।

चन्द्रपुर के पिछड़े जनजातीय जिलों में ट्रांस मीटरों की स्थापना

3848. प्रो. महादेव शिवशंकर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के चन्द्रपुर और गढ़चिरोली के सबसे पिछड़े जनजातीय जिलों जहां पर अब तक दूरदर्शन नहीं पहुंचा है, में दूरदर्शन ट्रांसमीटर संस्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों के किन स्थानों पर दूरदर्शन ट्रांसमीटर संस्थापित करने का प्रस्ताव है और कब तक;

(ग) क्या चन्द्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी में दूरदर्शन ट्रांसमीटर संस्थापित करने के लिये कोई मांग की गयी है;

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) वहां पर दूरदर्शन ट्रांसमीटर कब तक संस्थापित कर दिये जायेंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) और (ख) यद्यपि चन्द्रपुर (चन्द्रपुर जिले का मुख्यालय नगर) तथा गढ़चिरोली (गढ़चिरोली जिले का मुख्यालय नगर) में एक-एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर, पहले से ही कार्यरत हैं, तथापि, चन्द्रपुर जिले के कुछ भाग नागपुर के उच्च शक्ति (10 कि.वा.) टी.वी. ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र में भी आते हैं। अतः इस समय इन जिलों में अतिरिक्त टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(ग) जी, हां। इस सम्बन्ध में समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) सरकार का देश के कवर न हुए भागों, विशेषकर पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में, यथासंभव दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने का प्रयास रहता है। परन्तु यह काम इस प्रयोजन के लिये साधनों की उपलब्धता के अनुरूप केवल चरणबद्ध ढंग से ही पूरा किया जा सकता है।

बजट घाटा

3849. श्री बापू सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय बजट घाटा अनुमानतः कितना था;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में वास्तविक घाटा कितना था;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मूल्यांकन को और अधिक यथार्थवादी बनाने का प्रयास कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1984-85 की कीमतों पर केन्द्र के लिये परिकल्पित समग्र बजटीय घाटा 14000 करोड़ रुपये था। इसकी तुलना में, केन्द्रीय सरकार का वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक (अनन्तिम) वास्तविक बजटीय घाटा सम्बंधित वर्षों की कीमतों पर 35658 करोड़ रुपये था। वर्ष 1984-85 की कीमतों पर यह घाटा लगभग 29552 करोड़ रुपये होगा।

(ग) घाटे में वृद्धि के कारण मुख्यतः योजना में अनुमानों की तुलना से अधिक केन्द्रीय योजना व्यय, योजना के वित्त पोषण के लिये सरकारी उद्यमों के संसाधनों में कमी और इसके परिणामस्वरूप योजना के लिये अधिक बजट समर्थन, अधिक आयोजना-भिन्न व्यय विशेषकर राज्यों को अन्तरण और आर्थिक सहायता (सब्सिडी) की अदायगी करना है। चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से भी भार और अधिक हुआ है।

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में योजना-भिन्न व्यय के संबंध में सख्त मानीटरिंग लागू करने और योजना भिन्न व्यय को आनियंत्रित करने और कर-राजस्व में सुधार करने की परिकल्पना की गई है, जिसका आशय घाटे की वित्त व्यवस्था पर निर्भरता को कम करना है।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियमों में संशोधन

3850. श्री काशीराम राणा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तम्बाकू बोर्ड अधिनियम में ऐसा संशोधन करने हेतु कोई विधेयक लाने का विचार है जो गैर-वरजिनीया किस्म के तम्बाकू के बारे में हो;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात और अन्य राज्यों से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित कानून के पक्ष और विपक्ष में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है। इसे सभा के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किए गए ऋण

[हिन्दी]

3851. **श्री मित्र सेन यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) इनमें से कितनी शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन शाखाओं ने कुल कितनी राशि के ऋण दिये हैं तथा किन-किन कार्यक्रमों और योजनाओं के अन्तर्गत ऋण दिये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में बैंकों की 148 शाखाएं कार्य कर रही थीं जिनमें से 108 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही थीं। इन शाखाओं की बैंक-वार स्थिति नीचे दी गई है :—

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
भारतीय स्टेट बैंक	12
इलाहाबाद बैंक	4
बैंक आफ बड़ौदा	34
बैंक आफ इंडिया	1
केनरा बैंक	1
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	9
न्यू बैंक आफ इंडिया	1
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1

पंजाब नेशनल बैंक	12
सिंडिकेट बैंक	1
यूको बैंक	1
यूनियन बैंक आफ इंडिया	2
फैजाबाद ग्रामीण बैंक	67
बनारस स्टेट बैंक लि.	2
	कुल 148

(ग) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंक कृषि, लघु उद्योग, परिवहन, शिक्षा, आवास आदि सहित विभिन्न उप क्षेत्रों को ऋण देते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विभेदी ब्याज दर शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिये स्वरोजगार, शहरी गरीबों के लिये स्वरोजगार कार्यक्रम आदि जैसी योजनाओं के लिये अग्रिम दिये जाते हैं। मार्च 1988, 1989 और 1990 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल बकाया अग्रिम निम्नलिखित थे :—

(करोड़ रुपए)

को समाप्त अवधि	बकाया अग्रिम
मार्च 1988	62.44
मार्च 1989	78.25
मार्च 1990	89.57

बैंकों में "नान—परफोर्मिंग परिसंपत्तियां"

[अनुवाद]

3852. श्री के. राममूर्ति : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 तक के पिछले वर्षों के बैंक खातों में "नान-परफोर्मिंग" 'परिसंपत्तियों' "प्रोटेस्टिड बिलों", "रिकाल्ड डेबिटों" को कृषि और ग्रामीण ऋण सहायता योजना, 1990 के अन्तर्गत सरकार को भेजा जा रहा है, ताकि सरकार द्वारा मूलधन, संचित ब्याज, कानूनी प्रभार, बीमा लागत आदि से सबंधित 10,000 रुपये तक की राशि की प्रतिपूर्ति की जा सके;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है या उसका ध्यान इस कदाचार (भ्रष्टाचार) की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दण्डवते) : कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के प्रावधानों के अनुसार, उन व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के सम्बन्ध में, जिन्होंने योजना में उल्लिखित किसी भी प्रयोजन के लिए ऋण लिया था, 2.1.86 की स्थिति के अनुसार सभी अतिदेय रकमें एवं 20.10.1989 की स्थिति के अनुसार बकाया रकमें, ब्याज एवं 2.10.1989 तक उस पर दण्डात्मक ब्याज समेत राहत के लिए पात्र हैं। ग्रामीण कारीगरों एवं बुनकरों के मामलों में यदि परि-संपत्तियां नष्ट हो गई हैं अथवा उपयोग के लायक नहीं रह गई हैं, तो उसे परिसंपत्तियों के नुकसान के रूप में माना जाएगा और राहत के लिए पात्र होगा।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना कार्यान्वित करने में बैंकों द्वारा किये जा रहे कदाचार के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

काफी उत्पादकों की मांगें

3853. **श्री के मुरलीधरण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी पर से क्रय-शुल्क हटाने और काफी उत्पादकों को दिये गये कम राशि के ऋणों को माफ करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) सरकार को छोटे ऋण समाप्त करने और काफी पर लगने वाले क्रय-कर को खत्म करने युक्तिसंगत बनाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। काफी उपजकर्ताओं की समस्याओं को कम करने के लिए सरकार ने ऋणों के पुनर्भुगतान का पहले ही पुनर्निर्धारित कर दिया है। जहां तक क्रय-कर का सम्बन्ध है, इस मसले को कर्नाटक राज्य सरकार के साथ उठाया गया है जो काफी उपजाने वाले दूसरे प्रमुख राज्यों के क्रय-कर के अनुरूप बनाए रखने के लिए अपने क्रय-कर की दर 13% कायम रखे हुए हैं।

आठवीं योजना के लिये निर्यात लक्ष्य

3854. **श्री नकुल नायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) आठवीं योजना में निर्यात बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी निर्धारित लक्ष्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) सातवीं योजना अवधि के दौरान निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा 87004 करोड़ रुपया है।

(ख) सरकार का प्रमुख प्रयास औद्योगिक कार्यकुशलता का उन्नयन करके प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करके, अवस्थापना को मजबूत करके और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निर्यात को वाणिज्यिक रूप से सर्वक्षम बनाना है।

(ग) आठवीं योजना का कार्य प्रगति पर है और आठवीं योजना अवधि समग्र निर्यात के लिए अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की स्थापना

3855. श्री गंगा चरण लोधी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की स्थापना को और अधिक महत्व दे रही है; और

(ख) भारत में अभी तक कुल कितनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां स्थापित की गई हैं ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) और (ख) "बहुराष्ट्रीय कम्पनी" शब्द की विश्व-स्तर पर स्वीकृत कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। हमारी निवेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकी और उत्पादन में बड़े अन्तर को समाप्त करने और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्यों से विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती रहेगी।

कनिष्क होटल, नई दिल्ली में ब्ल्यू फिल्म दिखाना

3856. श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

श्री वसंत साठे :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम के होटल कनिष्क द्वारा अपने वीडियो सर्किट पर कुछ ब्ल्यू फिल्में दिखायी गयी थीं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) और (ख) जी, नहीं। परन्तु 1 और 2 अगस्त, 1990 को आर. सी. ए.-कोलम्बिया पिक्चर्स की 'वयस्क' प्रमाण-पत्र प्राप्त दो फिल्में कनिष्क होटल में दिखाई गई थीं। ये फिल्में गैर-सरकारी पार्टी ने होटल प्रबंधकों के साथ जो संविदा किया था, उसका उल्लंघन करके दिखाई गई थी।

(ग) कनिष्क होटल में फिल्मों के मौजूदा सप्लायर के साथ संविदा का नवीकरण नहीं किया गया है और मौजूदा संविदा को समाप्त करने के लिए पार्टी को विधिवत नोटिस दिया गया है। इसके अलावा, भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने होटल एककों को सी सी टी वी पर कड़ाई

से केवल वही फिल्में दिखाने के निर्देश दिए हैं जो केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं।

न्यायालयों/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में विचाराधीन मामलों की पुनरीक्षा

3857. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालयों तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में विचाराधीन सभी मामलों की पुनरीक्षा करने तथा इन्हें सौहार्दपूर्वक अथवा लोक अदालतों की स्थापना करके सुलझाने का कोई प्रस्ताव है, ताकि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में बकाया चले आ रहे मामलों को निपटाया जा सके,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) ये अदालतें कब तक गठित की जायेंगी ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी नहीं। लंबित मामले विधिक सहायता बोर्डों द्वारा पुनर्विलोकन किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं किन्तु पीठासीन अधिकारी, मुकदमा लड़ने वालों के काउंसेल और स्वयं मुकदमा लड़ने वाले सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए लोक अदालतों के समक्ष अपने मामले रखते हैं और इसी आधार पर सुलह का प्रयास किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में लोक अदालतें

3858. श्री छेदी पासवान : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 से 1990 की अवधि के दौरान बिहार में कितनी लोक अदालतों का गठन किया गया; और

(ख) उनके द्वारा कितने मामले निपटाए गए ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) बिहार राज्य विधिक सहायता बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1987-90 के दौरान दस लोक अदालतें आयोजित की गई, जिनमें 35290 मामले निपटाए गए।

तस्करों वाले सोने की बिक्री

3859. श्री कमल नाथ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गत कुछ वर्षों के दौरान तस्करों से जब्त किये गये सोने की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री करने पर विचार कर रही है।

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय सरकार के पास कुल कितना सोना है और इसकी तुलना में कुल कितने सोने की बिक्री करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस बिक्री से लगभग कितनी धनराशि प्राप्त होगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

आयातित फिल्म के बारे में प्रचार संबंधी स्वीकृति समिति

3860. श्री प्रतापराव बी. भोसले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या आयातित फिल्म की प्रचार-सामग्री को स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के गठन की पृष्ठभूमि सहित समिति के विचारणीय विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति के कार्य-कलाप क्या है;

(घ) इस समिति के सदस्यों के चयन के मानदंड क्या हैं;

(ङ) समिति के सदस्यों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या किसी अनिवासी भारतीय को समिति का सदस्य बनाया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (ग) एन. आर. आई. सिने इन्वेस्टर्स गिल्ड ने बम्बई में आयातित फिल्मों के वास्ते प्रचार सामग्री की एक स्वैच्छिक जांच समिति गठित करना स्वीकार कर लिया है जिस प्रकार की समितियां भारतीय फीचर फिल्मों की प्रचार सामग्री की जांच करने के लिए फिल्म उद्योग द्वारा बम्बई तथा अन्य फिल्म केन्द्रों ने गठित की हैं। यह समिति अपनी कार्यप्रणाली स्वयं तय करेगी।

(घ) से (च) चूंकि प्रचार सामग्री की जांच स्वैच्छिक आधार पर की जा रही है इसलिए इन सभी मामलों पर निर्णय एन. आर. आई. सिने इन्वेस्टर्स गिल्ड द्वारा किया जाएगा।

महाभारत दूरदर्शन धारावाहिक को संक्षिप्त करके "स्टेज-कम-वीडियो" कैसेट बनाया जाना

3861. डा. सी. सिलवेरा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या लोकप्रिय धारावाहिक "महाभारत" को संक्षिप्त करके "स्टेज-कम-वीडियो" कैसेट बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस दूरदर्शन धारावाहिक को संक्षिप्त रूप में इसके मूल स्वरूप और नैतिक मूल्यों में कोई विकृति तो नहीं आयेगी; और

(घ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि इन "स्टेज-कम-वीडियो कैसेटों" का बिक्री मूल्य आम व्यक्ति की पहुंच में हो ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (घ) दूरदर्शन ने "महाभारत" धारावाहिक का "स्टेज-कम-वीडियो" रूप बनाने का कार्य किसी फिल्म निर्माता को नहीं सौंपा है।

कोचीन में पर्यटन वित्त निगम द्वारा होटल के निर्माण के लिए दी गयी सहायता

3862. श्री पी. ए. एन्टनी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन वित्त निगम ने (कोची) कोचीन में "वाटर फ्रंट" होटल के निर्माण के लिए कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) जी, हां।

(ख) भारत पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड ने कोची (कोचीन) में एक 4-सितारा होटल स्थापित करने के लिए केरल पर्यटन विकास निगम की एक सहायक कम्पनी को 136 लाख रुपये का सावधि ऋण देने की मंजूरी दी है। तथापि, कम्पनी ने अभी तक ऋण कुछ नहीं लिया है।

भारतीय अश्लील फिल्मों का प्रदर्शन

3863. श्री पलाई के. एम. मैथ्यू : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सेन्सर बोर्ड अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में अश्लील फिल्मों के प्रदर्शन के लिए अनुमति देता है;

(ख) यदि हां, तो केवल स्वदेशी फिल्मों के लिये सेन्सर बोर्ड का कठोर रुख अपनाने के क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय सिनेमा प्रोड्यूसरों, निर्देशकों, रंगमंच मालिकों और सिनेमा देखने वाली जनता की दशा सुधारने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) और (ख) जी नहीं। सभी स्वदेशी और विदेशी, फिल्मों के प्रमाणन के लिये सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जांच की जाती है। मार्गदर्शी सिद्धांत 3 (2) के अनुसार, बोर्ड, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म की जांच, उस देश जिससे फिल्म संबंधित है, के समसामयिक मानकों और लोगों को ध्यान में रखते हुए की जाए।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या

3864. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र में कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस केन्द्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम में कर्मचारियों की कुल संख्या 367 है।

(ख) केन्द्र में अनुसूचित जातियों के 47 और अनुसूचित जनजातियों के 5 कर्मचारी हैं।

(ग) जी हां।

(घ) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

सरकारी विभागों में अधिवक्ताओं/वकीलों को फीस

3865. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सरकारी वकीलों तथा महान्यायाधिवक्ताओं के लिये निर्धारित फीस से अधिक फीस पर किन-किन सरकारी विभागों द्वारा गैर-सरकारी वकीलों को नियुक्त किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो अधिक फीस पर गैर सरकारी वकीलों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री प्रारिफ मोहम्मद खान) :

(क) से (ङ) प्रशासनिक विभाग में मंत्री और विधि और न्याय मन्त्री की सहमति से भारत सरकार के विभाग ऊंची फीस पर प्राइवेट अधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं। पेनल काउंसेल के उपलब्ध न होने, विधि अधिकारियों और अन्य ज्येष्ठ काउंसेलों के उपलब्ध न होने आदि जैसे कारणों से कभी-कभी इन अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाती है।

केरल में चेन्गुनाचेरी में एफ. एम. दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

3866 श्री रमेश चेन्नीथाला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) केरल में चेन्गुनाचेरी में एक एफ. एम. दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र की स्थापना कब तक की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) जी, नहीं। चेन्गुनाचेरी में पहले ही एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यरत है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सुपर 301 के अंतर्गत प्रतिबन्ध

3868. श्री आर. प्रभु :

प्रो. महादेव शिवनकर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या भारत के विरुद्ध अमरीका व्यापार अधिनियम के उपबन्ध सुपर 301 के अन्तर्गत लगाए गये प्रतिबन्धों में छूट दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह छूट बिना शर्त के अथवा भारत द्वारा उदार नीति अपनाने की शर्त पर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) 14 जून, 1990 को संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने यह दृढ़ निश्चय किया है कि भारत सरकार द्वारा किए गए तथाकथित व्यापार प्रतिबंधक उपाय और विदेशी बीमा प्रबंधकों पर लगाए गये प्रतिबंध उपयुक्त नहीं है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार पर बोझ डालते हैं अथवा उसे प्रतिबंधित करते हैं।

तथापि यू. एस. टी. आर. ने निश्चय किया है कि संयुक्त राज्य व्यापार अधिनियम की धारा-301 के अन्तर्गत इस समय कोई भी प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई उचित नहीं है। व्यापार से संबंधित निवेश उपायों और सेवाओं पर उरुग्वे दौर की वार्ताओं में भारत सरकार के सहयोग के माध्यम से परिणामों की गुंजाइश है। अत: भारत के विरुद्ध प्रारम्भ की जांच समाप्त कर दी है और उस समय तय करने के लिए उरुग्वे दौर की वार्ताएं समाप्त होने के बाद भारत की कार्य पद्धति की समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है कि क्या धारा 301 के तहत कोई कार्रवाई करना न्यायसंगत होगा। संयुक्त राज्य ने सुपर-301 उपबंध के अन्तर्गत भारत के विरुद्ध कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाए है। इसलिए प्रतिबंधों में छूट देने का प्रश्न नहीं उठता। संयुक्त राज्य की जांच बिना शर्तों के समाप्त की गई है। हमने अपनी स्थिति बनाए रखी है कि प्रतिकार के डर से हम कोई वार्ता करने को तैयार न होंगे।

किसानों को ऋण

[हिन्दी]

3869. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण सहकारी समितियां, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेरो विकास समितियां आदि जैसे विभिन्न संगठन किसानों को ऋण उपलब्ध करा रहे हैं;

(ख) क्या किसानों को इन संगठनों से ऋण प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और अनेक बार इन संगठनो के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं;

(ग) क्या सरकार एक ही स्थान पर सब सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक ही बैंक से सभी प्रयोजनों के लिए किसानो को ऋण उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या इससे किसानों को अपना उत्पादन बढ़ाने और समय बचाने में सहायता मिलेगी; और

(ङ) इस बारे में किसानों के हित में निर्णय कब तक ले किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसानों को उन की उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ऋण दे रहे हैं। मूल स्तर पर, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां मुख्य रूप से अल्पावधि और मध्यावधि ऋण देती है, जबकि दीर्घावधि ऋण प्राथमिक/राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा दिया जाता है। वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए बहु-उद्देशीय और बहु-अवधि ऋण प्रदान करते हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि 25.000/-रुपए तक के सभी ऋण आवेदनों को पन्द्रह दिनों के अन्दर-अन्दर और 25,000/-रुपए से अधिक के आवेदन पत्रों को 8 से 9 सप्ताह के अन्दर-अन्दर निपटाएं। किसानों का बार-बार बैंकों में आने को कम करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी मार्गनिर्देशों में, ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को मंजूरी के लिये उचित शक्ति प्रदान करना, 10,000/-रुपए के ऋणों पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति या अन्य पक्ष गारंटी या

मार्जिन के लिए दबाव न डालने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने किसानों के लिए कृषि ऋण कार्ड योजना लागू की है जो उन्हें तत्काल उत्पादन ऋण प्राप्त करने में सहयोग देगा और इससे प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं भी कम होंगी।

(ग) से (ङ) वाणिज्यिक बैंक पहले ही कृषि प्रयोजनों के लिए अल्पावधि और निवेश दोनों प्रकार के ऋण प्रदान कर रहे हैं।

होटलों के निर्माण, विपणन और प्रबंधन के लिए भारत पर्यटन विकास निगम और विदेशी होटल समूहों के बीच अनुबन्ध

3870. श्री बृज भूषण तिवारी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम को होटलों के निर्माण, विपणन और उनके प्रबंधन, आदि के लिए विदेशी होटल समूहों के साथ कोई अनुबन्ध करने की अनुमति प्रदान की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) और (ख) सरकार ने रेडीसन होटल्स कार्पोरेशन (आर एच सी), मिन्नीयापोलिस, यू. एस. ए. के साथ विदेशी सहयोग के लिए भारत पर्यटन विकास निगम का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है जिसमें निगम की 4 सम्पत्तियों को शामिल किया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम को विपणन के लिये ही अनुमोदन दिया गया है न कि होटलों का निर्माण अथवा प्रबंध करने के लिए। तदनुसार, भारत पर्यटन विकास निगम ने मैसर्स आर एच सी के साथ एक 10-वर्षीय विपणन, तकनीकी तथा परामर्शी सेवा करार किया है जिसमें अशोक होटल, नई दिल्ली एवं बंगलौर, मैसूर और कोवलम स्थित होटल शामिल हैं। इस करार के अंतर्गत, आर एच सी विश्व-व्यापी विपणन निवेश, भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यपालकों को प्रतिवर्ष निशुल्क गहन प्रशिक्षण और परिचालन प्रणालियों, कम्प्यूटर सोफ्टवेयर, आदि की परामर्शी सेवाएं मुहैया कराएगा। भारत पर्यटन विकास निगम रेडीसन की विश्व-व्यापी आरक्षण प्रणाली के साथ एक "आन-लाइन हुक अप" स्थापित करेगा और दोनों कम्पनियां अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री समागमों में भाग लेंगी। यद्यपि भारत पर्यटन विकास निगम की कोवलम, बंगलौर और मैसूर स्थित सम्पत्तियां अशोक रेडीसन होटल कहलाएंगी, तथापि नई दिल्ली स्थित अशोक होटल के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और वह आर एच सी का एक संबद्ध होटल होगा।

भारत पर्यटन विकास निगम को उपर्युक्त सेवाओं के लिए निम्नलिखित वित्तीय देयताएं वहन करनी होंगी :—

(1) प्रबंध विकास (प्रशिक्षण) निरंतर होने वाले व्यय और तकनीकी तथा परिचालन परामर्शी सेवाओं के लिये 100,000 यू एस डालर की एक मुश्त फीस

(2) इस करार में शामिल चार होटलों की निवल कमरा आय के 3% की दर से फ्रेंचाइज फीस।

(3) पारस्परिक आधार पर निष्पादित प्रत्येक आरक्षण के लिये 6 यू एस डालर की आरक्षण फीस ।

बैंकों द्वारा उद्योगों को दिया गया ऋण

3871. श्री कल्पनाथ सोनकर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में मध्यम और बड़े उद्योगों, भारी उद्योगों तथा बड़े औद्योगिक घरानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी-कितनी धनराशि का ऋण स्वीकृत किया गया; और

(ख) उक्त ऋणों की कितनी धनराशि की अदायगी निर्धारित समय पर की गई और कितनी धनराशि की अदायगी की समय-सीमा पुन: निर्धारित की गई ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दंडवते) : (क) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से मझोले तथा बड़े उद्योगों, भारी उद्योगों तथा बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को स्वीकृत किए गए ऋणों से संबंधित राज्य वार/क्षेत्रवार सूचना अलग से प्राप्त नहीं होती । अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में स्थित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जून 1987, 1988 और 1989 (अद्यतन उपलब्ध) की तीन वर्षों की अवधि में उद्योगों के नाम बकाया ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार था :—

	रकम (करोड़ रुपये में)
जून 1987	1078.32
जून 1988	1975.63
जून 1989	2615.32

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों द्वारा मंजूर की गयी कार्यशील पूंजी सुविधाओं की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है और सावधि ऋणों की तरह, ऐसी सुविधाओं की अदायगी अथवा उनके पुनर्निर्धारण के लिए कोई खास अवधि निश्चित नहीं की गयी है । अलबत्ता दिसम्बर, 1987 और जून 1988 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्त तक, दिल्ली क्षेत्र में स्थित रुग्ण/कमजोर एककों के नाम, राष्ट्रीयकृत बैंकों के बकाया ऋणों की रकम क्रमश: 11. 6 करोड़ रुपए और 11.67 करोड़ रुपए बैठती है ।

तमिलनाडु को वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

3872· श्री पी. आर. एस. वेंकटेशन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वर्तमान वित्तीय संकट को दूर करने के लिये सहायता देने का कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार ने कौन से प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक घाटे को कवर करने के लिये 150 करोड़ रुपए के विशेष ऋण हेतु अनुरोध किया है।

(ग) यह प्रस्ताव विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की आशा है।

शहरी निर्धनों को सहायता देने हेतु योजना

3873. **श्री इरा अन्बारासु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी निर्धनों को सहायता देने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में इसके लिये कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सरकार ने शहरी गरीबों की सहायता करने के लिए शहरी गरीबों के लिये स्वरोजगार कार्यक्रम सितम्बर 1986 में शुरू किया था और इसे जारी रखा जा रहा है। शहरी गरीबों के लिये स्वरोजगार कार्यक्रम को वित्त मन्त्रालय सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से लागू कर रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्ड को पूरा करने वाला ऋणकर्ता 5000/-रुपये तक का ऋण प्राप्त करने का हकदार है। केन्द्र सरकार परियोजना लागत के 25 प्रतिशत की दर से सबसिडी देती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम के लागू करने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन (अद्यतन उपलब्ध) निम्नानुसार है :—

वर्ष	स्वीकृत मामलों की संख्या (लाख में)	मंजूर की गई राशि (करोड़ रुपये)
1986-87	3.41	116.14
1987-88	3.82	132.29
1988-89	3.51	134.48

विकासशील देशों के बीच व्यापार

3874. श्री शान्ताराम पोटदुखे : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ कमीशन ने 1990 के दशक तथा उससे आगे को विकट चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय नीतियों में व्यापक सुधार, विकासशील देशों के बीच सुदृढ़ सहयोग और विश्व आर्थिक ढांचे का पुनर्गठन करने का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत ने विकासशील देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए विशेषकर, "ग्लोबल सिस्टम आफ ट्रेड पर फरेन्सेज" को सुदृढ़ बनाने के क्षेत्र में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी हां। "दि चैलेन्ज टू दि साउथ" नामक दक्षिण आयोग की रिपोर्ट में 1990 और इसके बाद के दशक में दक्षिण के देशों (विकासशील देशों) में विकास के लिए उपयुक्त और लाभकारी नीतियां हैं। संस्तुतियों में इस मान्यता पर बल दिया गया है कि दक्षिण के विकास की जिम्मेदारी दक्षिण पर ही है।

(ख) भारत आम तौर पर दक्षिण आयोग के कार्य का समर्थक रहा है तथा उसने दक्षिण आयोग की रिपोर्ट का स्वागत किया है।

(ग) भारत तथा व्यापार अधिमानों की विश्वव्यापी प्रणाली (जी. एस. टी. पी.) संबंधी करार के अन्य भागीदार देश करार के अन्तर्गत अधिमानों को गहन और व्यापक बनाने की आवश्यकता तथा जी.एस.टी.पी. के तहत उपलब्ध मंच को मजबूत करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गए हैं। इस उद्देश्य के लिए यह सुझाव दिया गया है कि वार्ताओं का दूसरा दौर चलाया जाए।

कृषि-आधारित उद्योगों में किसानों को सहायता करने हेतु बैंक शाखाएं

3875. डा. वेंकटेश काबड़े : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि-आधारित विभिन्न उद्योगों में किसानों को सहायता देने के लिए नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की नई शाखाएं स्थापित की जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप किसानों को कितना अतिरिक्त लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) कृषि पर आधारित विभिन्न उद्योगों में लगे केवल किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की नई शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार के उद्देश्यों की आवश्यकताओं को बैंकों की वर्तमान शाखाओं से पूरा किया जाएगा।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

विदेशों में भारतीय पर्यटन विकास निगम के रैस्टोरेन्ट

[हिन्दी]

3876. श्री के. डी. सुल्तानपुरी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम के विदेशों में कितने रेस्टोरेन्ट चल रहे हैं; और

(ख) उनके द्वारा पिछले आठ महीनों के दौरान अर्जित आय का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम का विदेश में अपना कोई रेस्तरां नहीं है। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम मास्को में "महिला रेस्टोरेन्ट" नामक एक रेस्तरां का परिचालन कर रहा है जो भारत पर्यटन विकास निगम और मोसरेस्टोरेन्ट का एक संयुक्त उद्यम है। इस रेस्तरां ने आठ महीनों (नवम्बर 89 से जून 90) के दौरान 18.78 लाख रूबल का कुल कारोबार किया।

भारत पर्यटन विकास निगम ने वेलिंग्टन, न्यूजीलैण्ड में "महाराजा" नामक एक भारतीय भोजन रेस्तरां का परिचालन करने के लिए मैसर्स कॅनजेड कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक परिचालन सेवा का भी समझौता किया है। यह रेस्तरां 14 अगस्त 1989 से कार्य कर रहा है। भारत पर्यटन विकास निगम ने 30 जून 1990 तक मैसर्स कॅनजेड कार्पोरेशन लिमिटेड से 25,000 न्यूजीलैंड डालर फीस के रूप में प्राप्त किए हैं जिसे परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कुल कारोबार (सकल परिचालन आय) के 4 प्रतिशत पर आंका जाता है।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर पकड़ा गया सामान

[अनुवाद]

3877. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान, पंजाब तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में भारत-पाकिस्तान सीमा पर जनवरी से जून, 1990 के बीच (मद-वार) कितने मूल्य का सामान पकड़ा गया; और

(ख) उक्त जब्ती के दौरान गिरफ्तार किए गए सन्देशहरों/तस्करों/वित्त पोषकों के नामों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) राजस्थान, पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों में भू-सीमा के भारत-पाकिस्तान सेक्टर में जनवरी से जून, 1990 तक की अवधि के दौरान सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गये विभिन्न माल का मूल्य नीचे सारणी में दिया गया है :—

जिन्स	*मूल्य (लाखों रुपयों में)
सोना	917.66
चांदी	123.90
टेक्सटाइल्स	1.51
इलेक्ट्रोनिक माल	5.80
अन्य विविध माल	496.84
जोड़	1545.71

* आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) उपर्युक्त अभिग्रहणों के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क्रम सं.	नाम	क्रम सं.	नाम
1.	जगदीश राज	16.	श्रीमती अमरजीत कौर
2.	मोहम्मद सादिक	17.	लखविन्दर कौर
3.	कश्मीरा सिंह	18.	रूप सिंह
4.	बगीचा सिंह	19.	जावेद सुल्तान
5.	जिगा सिंह	20.	अमना
6.	सूरजसिंह	21.	सायरा बेगम
7.	सोहन सिंह	22.	अहमद सईद
8.	हरजिन्दर सिंह	23.	रईसा खातुन
9.	निर्मल सिंह	24.	सब्बीर हुसेन
10.	करम सिंह	25.	सज्जाद निसार
11.	सुखदेव सिंह	27.	फखरुद्दीन महबूब
12.	गुरचरण सिंह		
13.	अशोक कुमार	28.	मोहम्मद मतलूब
14.	मलक सिंह	29.	मनबमन
15.	गुरचरण सिंह	30.	रफीक सईद अन्सारी

31.	मोहम्मद नाईम	60.	जगदीश राज
32.	अमना	61.	रमेश चन्दर
33.	सलीमुद्दीन	62.	कन्डेखान
34.	इन्दरबीर सिंह	63.	दीनमल महेश्वरी
35.	श्रीमती मकसूदन	64.	रहीमखान
36.	कुमारी असीना	65.	दिनियाखान
37.	श्रीमती मजीदर	66.	रहमान
38.	श्रीमती मेम्बूर	67.	इलमखान
39.	श्रीमती हाजरी बेगम	68.	इशाक खान
40.	अरिया	69.	रतनकुमार अरोड़ा
41.	सरोपन	70.	भनवारा राम
42.	श्रीमती अनवरी	71.	बसराज
43.	श्रीमती सर्यन	72.	मुरलीधर सोनी
44.	श्रीमती हासन बासी	73.	केवल राम
45.	रहमानी	74.	शहीद खान
46.	श्रीमती फजरी	75.	गोगाराम चौधर
47.	श्रीमती नूरी	76.	साल
48.	सायरा	77.	ईश्वर सिंह
49.	मोहम्मद शरीफ	78.	अब्दुल वहीद
50.	अख्तर अहमद	79.	चन्दन सिंह
51.	श्रीमती अम्तल	80.	मख्तल सिंह
52.	अनीसा बेगम	81.	मंजीत कौर
53.	तारीक तराकश	82.	बलविन्दर सिंह
54.	जैनेल इरडोन	83.	सुखदेव सिंह
55.	सबालतलिन	84.	निर्मल सिंह
56.	आल्ड एम. डाइज	85.	किशन राम मेघवाल
57.	अली ओसमन	86.	मांगीलाल सोनी
58.	मोहम्मद इरफान	87.	प्रेमराज
59.	लच्छा सिंह		

बैंक कर्मचारियों की मांगें

[हिन्दी]

3878. श्री हरीश पाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक कर्मचारियों द्वारा 12 जून, 1990 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की क्या-क्या मुख्य मांगें थीं;

(ग) सरकार इन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(घ) यदि इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी कर्मचारियों के एक वर्ग ने बैंकों मे जनशक्ति को बढ़ाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने, सरकार/भारतीय बैंक संघ द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों मे एकपक्षीय कार्यवाही से कार्य को रोकने, प्रबन्धन के कथित दमनकारी कार्यों को रोकने आदि जैसी विभिन्न मांगों के समर्थन में दिनांक 12.6.90 को एक दिन की हड़ताल की थी। कर्मचारियों की शिकायतें बेबुनियाद थी तथा सरकार की ओर से इस पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

केरल में एर्नाकुलम में खनिज की खानें

[अनुवाद]

3879. श्री पी. सी. थामस : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के एर्नाकुलम जिले में बाक्साइट और अन्य खनिजों के भारी भण्डार उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त क्षेत्र में खनिजों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो केरल के एर्नाकुलम जिले में खनिजों के खनन के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार, एर्णाकुलम जिले में बाक्साइट निक्षेप होने की कोई जानकारी नहीं है। केरल के एर्णाकुलम जिले में चीनी मिट्टी, फायर क्ले, ग्रेफाइट और लाइम शेल के निक्षेपों की सूचना है।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अम्बालूर क्षेत्र में फायर क्ले हेतु, मुलांथुरुथी अम्बालूर अमुमाल क्षेत्र में चीनी मिट्टी हेतु तथा करामुकल-नागपुजा-नीरामपुजा पकगला और पीरालीमट्टम क्षेत्रों में ग्रेफाइट हेतु गवेषण किया है। खनिज गवेषण निगम लि. ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सहयोग से वडाकोड क्षेत्र में ग्रेफाइट हेतु गवेषण किया है। राज्य सरकार के भूविज्ञान

और खनन निदेशालय ने चीनी मिट्टी हेतु और चूना पत्थर हेतु पेरियार नदी तलहटी में; तथा केरल खनिज गवेषण विकास प्रोजेक्ट ने एर्णाकुलम जिले के पाइका क्षेत्र में ग्रेफाइट के लिए गवेषण आरम्भ किया है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को ब्याज की अदायगी

3880. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जिनमें देश के बड़े औद्योगिक गृहों ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से ऋण लेने के पश्चात उन पर ब्याज की अदायगी करनी बन्द कर दी है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास धन की कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दंडवते) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि विभिन्न कारणों से बड़े घरानों से संबद्ध एककों सहित कई सहायता प्राप्त एककों ने ब्याज के भुगतान मे चूक की है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रत्येक मामले में अलग-अलग बकाया की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाती है और उनकी वसूली के लिये उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 29 के उपबन्धों में विहित निष्ठा और गोपनीयता की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए कम्पनी विशेष का ब्योरा नहीं दिया जा सकता।

एल्यूमिनियम और एल्यूमिना का निर्यात

3881. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र से संबद्ध कम्पनीवार कितनी मात्रा और राशि का एल्यूमिनियम और एल्यूमिना निर्यात किया गया; और

(ख) निर्यात किये गये उपरोक्त एल्यूमिनियम/एल्यूमिना के उत्पादन पर अनुमानतः कुल कितनी मात्रा में ऊर्जा/विद्युत व्यय की गई ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के प्राथमिक एल्यूमिनियम धातु का निर्यात इस प्रकार है :—

(मात्रा हजार टन/मूल्य करोड़ रु.)

	1987-88		1988-89		1989-90	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सरकारी क्षेत्र						
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि.						
एल्यूमिना	77	16	384	181	449	324
एल्यूमिनियम धातु	शून्य	शून्य	15	54	27	85
गैर-सरकारी क्षेत्र						
इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी लि.						
एल्यूमिना	74	15	77	27	61	60
मद्रास एल्यूमीनियम कं. लि.						
एल्यूमिना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	9	7
एल्यूमिनियम धातु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) एल्यूमिना और एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन में ऊर्जा/बिजली की लागत, बिजली की लागत, बिजली की खपत और साथ ही निजी बिजली उत्पादन लागत एवं विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा वसूली जाने वाली बिजली दरों पर निर्भर करती है। यह लागत औसतन एल्यूमिनियम के उत्पादन लागत के 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच होती है, चाहे वह देश में बेचा जाये वह निर्यात किया जाए।

रबड़ पर उपकर

3882. श्री पी. सी. थामस : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ का मूल्य, पिछले वर्ष 26 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने के फलस्वरूप रबड़ उत्पादकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) रबड़ उत्पादकों को इस संकट से उबारने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार रबड़ पर उपकर पचास पैसे से बढ़ाकर दो रुपये करने का है।

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इसका रबड़ उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) क्या रबड़ पर उपकर बढ़ाने के लिये रबड़ बोर्ड से कोई सिफारिश प्राप्त हुई है; यदि हां तो कब ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) प्राकृतिक रबड़ के आर. एम. ए. 4 ग्रेड की कीमत जो जुलाई, 1989 में लगभग 26 रु. प्रति कि.ग्राम तथा जुलाई, 1990 में लगभग 23 रु. प्रति किग्रा. थी, इस समय 20.25 रु. प्रति किग्रा. है जिसे लाभकारी माना जा सकता है।

(ख) सरकार उपजकर्त्ताओं के हितों की रक्षा के लिये सभी संभव उपाय कर रही है जिसमें रबड़ के लिये बेंच मार्क कीमत का नियमित रूप से अद्यतन करना भी शामिल है।

(ग) से (ङ) जी, हां। रबड़ उपकर की वर्तमान सीमा को 50 पैसे कि.ग्राम से बढ़ाकर 2 रु. कर देने का प्रस्ताव है भले ही उपकर को एक दम से 2 रु. प्रति कि. ग्रा. प्रति कि.ग्रा. निगत न किया जा सके। रबड़ उत्पादन में शीघ्र ही आत्म निर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उपकर में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य रबड़ बागान उद्योग के लिये विभिन्न विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु पर्याप्त धनराशि सृजित करना है। रबड़ बोर्ड ने भी 1985 में रबड़ उपकर में वृद्धि करने की बहुत पहले सिफारिश की थी।

बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की समस्याएं

3883. **श्री हेतराम** : वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जून, 1990 को उनकी अध्यक्षता में "आल इण्डिया एस. सी. एंड एस. टी बैंक इम्प्लाइज़ कानफेडरेशन" के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार-विमर्श हुआ था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बैंक कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

पेट्रोल की खपत

3884. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजनेतर व्यय में कटौती के लिए एक उपाय के रूप में उनके मंत्रालय ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा केवल सरकारी कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक स्टाफ कार के लिए पेट्रोल की लागत की कोई सीमा लागू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमा लागू की गई है और यह किस प्रकार सख्ती से लागू की जाएगी और इसका उल्लंघन किस प्रकार रोका जाएगा;

(ग) क्या उन्हें मालूम है कि मंत्रालयों में काम करने वाले नौकरशाहों ने जो सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का कामकाज देखते हैं, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की गाड़ियां उपयोग में लानी प्रारम्भ कर दी है जिनके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) से (घ) हाल ही में सभी केन्द्रीय सरकार के विभागों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि उन्हें पेट्रोल/डीजल की समग्र खपत में 1989-90 की खपत से 20 प्रतिशत की कमी लानी चाहिए। विभागों को यह भी अनुदेश दिए गए हैं कि सरकारी निदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पेट्रोल/डीजल की खपत पर बारीकी से निगरानी रखें। ये अनुदेश सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर भी लागू होते हैं।

केन्द्रीय सरकार की मौजूदा स्टाफ कार नियमावली में सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्टाफ कार का उपयोग करने की कुछ शर्तों के अधीन अनुमति है। इन नियमों का सख्ती से पालन किए जाने की बात दोहराते हुए अनुदेश जारी किए गए हैं।

सरकार द्वारा सरकारी कार्य के लिए इस्तेमाल की गयी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्टाफ कारों द्वारा तय की गई दूरी को भी पेट्रोल की खपत के लिए निर्धारित समग्र अधिकतम सीमा के अन्दर ही समंजित किया जाना अपेक्षित है।

व्हार्टन रिपोर्ट

3885. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्हार्टन रिपोर्ट की जांच कर ली है जिसके अनुसार भारतीय सार्वजनिक उद्यम लापरवाही से प्रामिसरी नोट्स पर बहुत अधिक ऋण लेते जा रहे हैं जोकि मांग पर तत्काल विमोच्य होते हैं;

(ख) क्या इस रिपोर्ट के अनुसार, उच्च अन्तर्राष्ट्रीय श्रेणी-निर्धारण तथा मूल्यांकन एजेंसियां भारत की विदेशी ऋण को चुका देने की क्षमता के प्रति आशान्वित नहीं है;

(ग) क्या विदेशी माल की मांग भारतीय अर्थव्यवस्था की एक स्थायी विशेषता बन कर रह गयी है;

(घ) क्या भारत के लिए ऋण की बढ़ती दरों का प्रभाव उन बैंकों पर भी पड़ रहा है जो कि भारत को ऋण देते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार संकट की इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ङ) इस विषय पर प्रकाशित "व्हार्टन रिपोर्ट" नामक किसी रिपोर्ट के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

चाय बागान

3886. श्री वी. एन. रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे नये क्षेत्रों का पता लगाने का है, जहां देश में उपयोग के लिए चाय उगायी जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) देश में चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने उड़ीसा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम जैसे गैर-परम्परागत क्षेत्रों में चाय बागान हेतु एक नई चाय एकक वित्तीय योजना प्रारम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत इसके लिए क्रमश: 40,000/- रु. और 25,000/- रु. प्रति हैक्टर की दर से ऋण और राजसहायता की व्यवस्था की है।

विजाग इस्पात कारखाने के निर्माण कार्य का पूरा किया जाना

3887. श्री वी. एन. रेड्डी :

श्री जे. चोक्का राव :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजाग इस्पात कारखाने की अनुमानित लागत कितनी है और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है तथा इसका निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ख) उक्त कारखाने का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) उक्त परियोजना में कितने स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और कुल कर्मचारियों की संख्या की तुलना में इनकी प्रतिशतता कितनी है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) वर्ष 1987 की चौथी तिमाही के मूल्यों के आधार पर विशाखापट्टणम इस्पात परियोजना की अनुमोदित लागत अनुमान 6,849.70 करोड़ रुपये हैं। 31.7.1990 तक कुल खर्च 6,149.65 रुपये था। परियोजना की लागत को संशोधित किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 1992 तक।

(ग) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि कर्मचारियों की मूल स्थानीयता के आधार पर आंकड़े नहीं रखे जाते।

चाय का उत्पादन, खपत तथा निर्यात

3888. श्री कैलाश मेघवाल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान चाय के उत्पादन, घरेलू खपत तथा रुपया क्षेत्रों और दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों को मूल्य और वजन के रूप में इसके निर्यात के सम्बन्ध में सरकार के क्या अनुमान हैं; और

(ख) इन अनुमानों की गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन, घरेलू खपत और निर्यात के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में क्या स्थिति है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुणिम श्री चरन) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के दौरान चाय के अनुमानित उत्पादन, घरेलू खपत तथा निर्यात की मात्रा एवं मूल्य के आंकड़े और साथ ही पिछले तीन वर्षों के उनके वास्तविक आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

मात्रा : मिलियन कि.ग्रा.

मूल्य : करोड़ रुपये

	उत्पादन (मात्रा)	घरेलू खपत (मात्रा)	निर्यात	
			(मात्रा)	(मूल्य)
1990-91	730.00	500	230	1050.00
1989-90	702.81*	475	202.81	905.00
1988-89	682.67*	460	208.82	644.26
1987-88	677.85	445	207.57	621.82

* अनन्तिम

पिछले तीन वर्षों के दौरान रुपया क्षेत्रों तथा सामान्य मुद्रा क्षेत्रों को किए गए निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

	रुपया क्षेत्र		सामान्य मुद्रा क्षेत्र	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1989-90	131.06	601.58*	71.75	303.42
1988-89	105.75	311.23*	103.07	333.03
1987-88	103.01	305.81	103.67	316.01

*स्रोत लदान लाइसेंस आंकड़े

"टिनप्लेट वेस्ट" का आयात

3889. श्री एस. सी. वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (टिनप्लेट वेस्ट) को प्रतिबन्धित सूची से हटाकर खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत लाए जाने के कारण गत दो वर्षों के दौरान इसके आयात में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का "टिनप्लेट वेस्ट" के इस अनियन्त्रित आयात को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है जिसके कारण विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है और देश में इसकी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्री धरन) : (क) से (ख) "टिन प्लेट कचरा" भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं है और इस मद के आयात आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

केरल से कुवैत को सब्जियों का निर्यात

3890. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कुवैत में घटी घटनाओं के कारण त्रिवेन्द्रम से वहां होने वाले सब्जियों के निर्यात पर मात्रा और मूल्य दोनों ही की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) त्रिवेन्द्रम से प्रति माह कुवैत को सब्जियों और अन्य वस्तुओं की औसतन कितनी मात्रा का निर्यात किया जाता था और उससे औसतन कितना मूल्य प्राप्त होता था ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) त्रिवेन्द्रम से सब्जियों के निर्यात के सम्बन्ध में कुवैत की घटनाओं के सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव का अनुमान लगाना इस समय सम्भव नहीं है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल अनिवासी भारतीय विकास निधि

3891. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने अनिवासी भारतीयों की धनराशि का उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को स्वीकृति हेतु कितनी योजनाएं भेजी हैं;

(ख) क्या अमरीका और पश्चिम एशिया में रह रहे अनिवासी भारतीयों से धनराशि प्राप्त करने के लिए केरल अनिवासी भारतीय विकास निधि की योजना को भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) इस योजना से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की आशा है; और

(घ) इस धनराशि का संचालन किस प्रकार किया जाएगा ?

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

आन्ध्र बैंक में बकाया आरक्षित पद

3892. श्री अनादि चरण दास : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र बैंक में बहुत से आरक्षित पदों में पदोन्नति बकाया है;

(ख) यदि हां, 30 जून 90 के अनुसार पदोन्नति वाले पदों में कितना बकाया है और इस बकाया को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या पदोन्नतियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कार्यान्वयन न होने तथा पदोन्नतियों में काफी अधिक बकाया होने के सम्बन्ध में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उसके बारे में क्या कार्यवाही है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) आंध्र बैंक ने सूचित किया है कि 30-6-90 की स्थिति के अनुसार लिपिक संवर्ग से अधिकारी संवर्ग के लिए पदोन्नति के आधार पर भरे जाने वाले पहले से रिक्त पड़े आरक्षित स्थानों की संख्या 166 थी और 6-8-90 से इन रिक्त स्थानों को पर्याप्त उपयुक्त कर्मचारियों को पदोन्नत करके भर दिया गया है।

अग्नि सुरक्षा उपकरणों का आयात

3893. श्री डा. श्री निवास प्रसाद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन शिपयार्ड्स द्वारा किए जा रहे अग्नि सुरक्षा दरवाजों और खिड़कियों (फायर डोर्स एण्ड विन्डोज) के आयात में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान इण्डियन शिपयार्ड्स अथवा फर्मों को जारी किए गए आयात लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नीतिगत ढांचे के अन्तर्गत किन-किन वर्तमान नियमों के अधीन ऐसी मदों के आयात को नियन्त्रित किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) अग्नि सुरक्षा दरवाजों और अन्य सम्बद्ध उपस्करों के आयात के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) अग्नि सुरक्षा दरवाजों और खिड़कियों के आयात की अनुमति केवल लाइसेन्सों पर ही दी जाती है।

विवरण

वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान अग्नि सुरक्षा दरवाजों और अन्य सम्बद्ध उपस्करों के आयात के ब्यौरे

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

वर्ष	आयात
1987-88	शून्य
1988-89	स्वीडन से आयातित पोत सं. 007 के लिए "ए" तथा "बी" श्रेणी के दरवाजे—217 नग। कीमत—14.5 लाख रु. (एस. ई.के.—636111)
1989-90	शून्य

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

वर्ष	आयात
1987	6.25 लाख रु.
1988	5.10 लाख रु.
1989	8.43 लाख रु.

भारतीय नौसेना के लिए 4 नग अपतट गश्ती पोतों के निर्माण हेतु 65,39,130/- रु. मूल्य के आयातित अग्नि सुरक्षा दरवाजों तथा पैनलों को भारतीय नौ सेना द्वारा सामग्री पैकेज के रूप में सप्लाई की गई:

हुगली डाक एण्ड पोर्ट्स इंजीनियर्स लिमिटेड

1987-88	शून्य
1988-89	अण्डमान तथा निकोबार के लिए 400 यात्रियों वाले जलयान तथा लाइटहाउस जलयान हेतु वर्ष 1988-89 के दौरान 6.90 लाख रु. (एफ.ओ.बी.) की लागत से एक सेट का आर्डर दिया गया।
1989-90	शून्य।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा नए होटलों का निर्माण

3894. श्री प्रकाश बी. पाटिल : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का देश में कम बजट के पर्यटकों के लिए नए होटलों का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम की 1990-91 की वार्षिक योजना में कम बजट वाले होटलों सहित नई स्कीमों के लिए 400 लाख रुपये का एकमुश्त प्रावधान शामिल है। इन होटलों के स्थानों का अभिनिर्धारण अभी नहीं किया गया है। यह उपयुक्त स्थल की उपलब्धता और परियोजना की आर्थिक उपादेयता पर निर्भर करेगा।

सुदूर देशों के दूरदर्शन प्रसारणों को प्राप्त करना

3895. श्री परसराम भारद्वाज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों जैसे सुदूर देशों से कुछ शर्तों के अंतर्गत वहां के दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित दूरदर्शन कार्यक्रमों को प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विशेषज्ञों के क्या निष्कर्ष हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) समुचित सुविधाओं का उपयोग करके तथा उपग्रह के माध्यम से विदेशी टी. वी. स्टेशनों से प्रसारित होने वाले दूरदर्शन के लिए बिल्कुल संभव है। वास्तव में दूरदर्शन इसी प्रकार अन्य देशों से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सीधा प्रसारण करता है, तथापि ऐसे भी उदाहरण हैं जब असाधारण वातावरणिक परिस्थितियों के कारण विशेषतया उच्च सौर गतिविधियों के दौरान तरंग प्रक्रिया के माध्यम से सुदूरवर्ती देशों से भारत के कुछ भागों में दूरदर्शन सिगनल प्राप्त हुए थे। ऐसा कभी कभार ही होता है और प्राप्त टी. वी. सिगनल कमजोर और अनियमित होते हैं।

बदला प्रणाली

3896. श्री शान्ताराम पोटदुखे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय विद्यमान दोहरी बदला प्रणाली से शेयर बाजार में तेजड़िया प्रवृत्ति को सहायता मिल रही है;

(ख) इस बदला प्रणाली की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है तथा मुद्रा बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) शेयर बाजार में कार्य कर रहे बड़े तेजड़ियों तथा दलालों के धन के स्रोत पर यदि कोई नियंत्रण रखा जाता है, तो वह क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस बदला प्रणाली को स्थगित करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय स्टेट बैंक के पास जमाराशि

3897. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या मन्त्री वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के पास जमा होने वाली राशि अन्य बैंकों में जमा राशियों की तुलना में कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक का सर्टीफिकेट जमा पर ब्याज दर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे बैंक की जमा राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने अन्य बैंकों की तुलना में अपनी जमाराशियों में कोई कमी होने से इंकार किया है। इस प्रकार के प्रमाणपत्र जारी करने के खर्च को ध्यान में रखते हुए जमाराशि प्रमाणपत्र पर ब्याज की दर में वृद्धि करने का उनका कोई प्रस्ताव भी नहीं हैं।

राजस्थान में खनिजों का निकाला जाना

3898. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में खनिजों की खोज में कौन-कौन से केन्द्रीय और राज्य सरकार के उपक्रम लगे हुए हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा कितना कार्य किया गया है;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में सरकारी क्षेत्र इन उपक्रमों द्वारा खनन-कार्य में वृद्धि करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

औषधीय पौधों का निर्यात

3899. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान औषधीय पौधों का निर्यात बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न देशों को विभिन्न किस्म के औषधीय पौधों का कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात करने का विचार है; और

(ग) इन औषधीय पौधों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मूल रसायन, भेषज और प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल) बम्बई ने वर्ष 1990-91 के दौरान औषधीय पौधों के निर्यात हेतु 95 करोड़ रु. के निर्यात लक्ष्य का प्रस्ताव रखा है। तथापि, औषधीय पौधे को अलग-अलग मदों के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

राजस्थान में खनिजों पर रायल्टी

3900. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या इस्पात और खान मन्त्री राजस्थान में खनिजों पर रायल्टी के बारे में 20 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5823 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में खनिज भंडारों की रायल्टी की दरों में संशोधन करने के सम्बन्ध में अध्ययन दल की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल द्वारा की गई विशेष सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने राजस्थान में खनिजों की रायल्टी की दर में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) ऐसे खनिजों (कोयला, लिग्नाइट, भराई सेत एवं गौण खनिजों को छोड़कर) की रायल्टी दरों, जिनका संशोधन सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशें इस समय सरकार के विचाराधीन हैं। विचार के बाद, विशिष्ट दरें कालांतर में सरकार द्वारा अधिसूचित कर दी जायेंगी। ये अधिसूचित रायल्टी दरें देश-भर में समान रूप से लागू होंगी।

व्यापार संवर्धन के लिए विदेशों से आये मन्त्री, सचिव और उच्चाधिकारी

[हिन्दी]

3901. श्री राजवीर सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान विदेशों सेकुल कितने मंत्री, सचिव, उच्चाधिकारी भारत के साथ अपने देश के व्यापार संवर्धन हेतु यहां आए;

(ख) इस सम्बन्ध में किन-किन देशों के साथ समझौते किए गए; और

(ग) किन-किन विषयों पर समझौते किए गए ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग)

क्रमांक	देश का नाम	आने वाले उच्चाधिकारियों के ब्यौरे	क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए	हस्ताक्षरित समझौते का विषय
1	2	3	4	5
1.	सोवियत संघ	सुश्री ए. पी. बिरयुकुवा उप प्रधान मन्त्री, सोवियत संघ	किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए	
2.	चेकोस्लोवाकिया	श्री एच. ई. इंग जैन, स्टेर्बा, विदेश व्यापार मन्त्री, चेकोस्लोवाकिया	"	
3.	बल्गारिया	श्री स्टेफैन पोलैन्डकोव, उप विदेश मन्त्री, आर्थिक सम्बन्ध, बल्गारिया	"	
4.	सोवियत संघ	श्री चेपिक, सोवियत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उप मन्त्री	"	
5.	युगोस्लाविया	श्री एच ई फ्रांस, हार्वेट, विदेशी आर्थिक संबंध संघ चिव युगोस्लोवाकिया	"	

1	2	3		4
6.	सोवियत संघ	श्री वी एफ. मेझिविकोव, उप मन्त्री विदेशी आर्थिक संबंध सोवियत संघ	,,	
7.	जर्मन जनवादी गणराज्य	डा. एच मार्क्स, महानिदेशक, विदेशी आर्थिक संबंध मंत्रालय जर्मन जनवादी गणराज्य	,,	
8.	गुयाना	श्री विस्टन एस मुरे, व्यापार एवं पर्यटन मन्त्री	एक व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किए गए	भारत-गुयाना-संयुक्त आयोग की पहली बैठक के स·बन्ध में।
9.	क्यूबा	श्री अर्नेस्टो मैलेन्डेज, मन्त्री/अध्यक्ष राज्य आर्थिक सहयोग समिति. क्यूबा गणराज्य सरकार	नहीं	मार्च 1989 में वाणिज्य मन्त्री को बुलाकर द्विपक्षीय व्यापार हित के विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।
10.	अफगानिस्तान	अफगानिस्तान के उप मन्त्री द्वारा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया था।	हां	अफगानिस्तान से ताजे फलों के आयात संबंधी

				समझौता ज्ञापन को वैधता दिनांक 31-3-90 तक बढ़ा दी गई थी।
11.	आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया के प्रधान मन्त्री द्वारा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया था।	नहीं	नहीं
12.	आस्ट्रेलिया	विदेश एवं व्यापार मन्त्री द्वारा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया।	नहीं	नहीं
13.	आस्ट्रेलिया	उद्योग प्रौद्योगिकी एवं वाणिज्य मन्त्री में प्रतिनिधि-मंडल का नेतृत्व किया।	नहीं	नहीं
14.	चीन	चीन के विदेशी आर्थिक संबंध एवं व्यापार मन्त्री ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया	नहीं तथापि दिनांक 20-9-89 से 19-9-90 तक की अवधि के लिए एक व्यापार संलेख पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए।	लागू नहीं
15.	थाइलैण्ड	थाइलैण्ड के प्रधान मन्त्री ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।	नहीं	नहीं
16.	फ्रांस	फ्रांस के विदेश व्यापार मन्त्री श्री जोन मैरी पॅश ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया (कुल उच्चाधिकारियों की संख्या 13)	फ्रान्स और ब्रिटिश पक्षों के साथ हुई बैठक के समापन पर सम्मत कार्यवृत्त पत्र	भारत, फ्रांस संयुक्त समिति की बैठक के सम्बन्ध में।

1	2	3	4	5
17.	ब्रिटिश	ब्रिटेन के व्यापार एवं उद्योग राज्य सचिव आर टी. ओनरेबिल लार्ड योग ने प्रतिनिधि-मंडल का नेतृत्व किया। (उच्चाधिकारियों की कुल संख्या 8)	हस्ताक्षर किए गए गए थे।	भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति की बैठक के सम्बन्ध में।
18.	जेनेवा	गाट के महानिदेशक श्री आर्थर डंकल		ये दौरे उरुग्वे दौर के तहत बहुपक्षीय व्यापार समझौते से संबंधित विचारों के आदान-प्रदान के सम्बन्ध में थे, न कि द्विपक्षीय व्यापार संबंधों/संबधनों के संबंध में।
19.	जेनेवा	श्री आरिफ हुसैन, गाट के महानिदेशक के वैयक्तिक सहायक		
20.	ब्रुसेल्स	श्री पामेन, ई ई सी के उप महानिदेशक		
21.	जेनेवा	श्री आर्थर डंकल, महानिदेशक, गाट।		

22.	जेनेवा	श्री आरिफ हुसैन; गाट के महानिदेशक के वैयक्तिक सहायक
23.	चीन	श्री शेन जुरेन, उप मन्त्री, विदेशी आर्थिक संबंध एवं व्यापार मन्त्रालय ।
24.	चीन	श्री तैंग युफेंग, उप निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन संबंध विभाग
25.	चीन	श्री हे वेई, भारत में चीनी दूतावास के वाणिज्यिक सलाहकार
26.	चीन	श्री वांग शिचुंन, प्रभाग उपाध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन संबंध विभाग ।
27.	चीन	श्री एच ई मैन्गडू, सचिव, सामान्य विभाग, विदेशी आर्थिक संबंध एवं व्यापार मन्त्रालय ।
28.	चीन	श्री चेन तुबेन, तीसरे सचिव सचिव (वाणिज्यिक), चीनी दूतावास, भारत ।

जयपुर विमानपत्तन पर कंटेनर सेवा

3902. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात को ध्यान में रखते हुए जयपुर विमानपत्तन पर क़ंटेनर सेवा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा जयपुर विमानपत्तन पर कंटेनर सेवा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) जयपुर के निर्यातकों को सुविधा देने की दृष्टि से भारत सरकार के कहने पर राजस्थान लघु उद्योग निगम ने एक कंटेनर फ्रंटस्टेशन (सी एफ एस) की स्थापना पहले ही कर दी है। यह निगम जयपुर एयर कारगो काम्प्लेक्स की प्रबंधन एजेंसी भी है। विधिवत् भरे हुए समुद्री कंटेनरों को पोतवणिकों की अपेक्षाओं के अनुसार दिल्ली अन्तर्राज्यीय कंटेनर डिपो होकर या सीधे बम्बई के गेट के पत्तनों के बीच जवाहर लाल नेहरू पत्तन को भेजा जा सकता है परन्तु अपेक्षित सीधी वायु-क्षमता के अभाव और अवस्थापना सुविधाओं के अभाव के कारण इनलैंड एयर कारगो काम्प्लेक्स में (जिनमें जयपुर शामिल है) निर्यात खेपों के लदान के लिए वायु एयर कंटेनर अधिकतर उपलब्ध नहीं है।

औषधि उद्योग द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन

[अनुवाद]

3903. श्री पी. नरसा रेड्डी :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय ऋण को अदा करने के लिए देश को अतिरिक्त विदेशी मुद्रा का निर्माण करना होगा;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या औषधि उद्योग अथवा अन्य उद्योग विदेशी मुद्रा के अर्जन में ठोस योगदान करता है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय ऋण विदेशी करेंसियों में होता है इसलिए ऋण दायित्वों को विदेशी करेंसी में ही अदा करना होता है। ऐसे ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा संबंधी आय बढ़ाने और विदेशी मुद्रा

व्यय में बचत करने के लिए उपाय किये जाते हैं। ऐसे उपायों में निम्न उपाय शामिल हैं : आयात-नियंत्रण, निर्यात संवर्धन, अदृश्य आयों में सुधार आदि।

(ग) और (घ) 1989-90 में वस्तुओं के निर्यात से 27,681.47 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित विदेशी मुद्रा आय में से औषध और भेषज उद्योग का योगदान 651.7 करोड़ रुपए का रहा। अन्य मुख्य वस्तुएं, जिन्होंने आय में औषध और भेषज से अधिक योगदान दिया निम्नलिखित हैं : चाय, समुद्री उत्पाद, लौह अयस्क, चमड़ा, हीरे जवाहरात, रबड़ और शीशा उत्पाद, सूती वस्त्र; सिले-सिलाये परिधान और पेट्रोलियम उत्पाद।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) द्वारा औद्योगिक रुग्णता की जांच

3904. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की पश्चिम बंगाल में रुग्ण उद्योग को पुनः सुचारू रूप से चालू करने में भूमिका संतोषजनक रही है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार औद्योगिक रुग्णता की जांच करने हेतु इस बोर्ड को अधिक प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से मौजूदा कानून में कोई संशोधन करने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बोर्ड के गठन से 30 जून, 1990 तक इस पर वर्षवार कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) गैर-सरकारी क्षेत्र में बड़ी और मझौले स्केल की कंपनियों की औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समस्या को सुलझाने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई है। पश्चिम बंगाल में बोर्ड के कार्यनिष्पादन को जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, दिनांक 31 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार राज्य में धारा 15 के अन्तर्गत पंजीकृत किए गए और निपटाए गए संदर्भों से देखा जा सकता है :—

1. पंजीकृत किए गए संदर्भ	115
2. चलाने योग्य के न पाए गए खारिज संदर्भ	14
3. प्रभावी रजिस्ट्रीकरण (1-2)	101
4. बोर्ड के संतुष्टि हो जाने के पश्चात कि संबद्ध कंपनी उचित अवधि के अन्दर-अन्दर अपने आप सकारात्मक शुद्ध मालियत प्राप्त कर सकती है, धारा 17 (2) के अन्तर्गत मंजूर	12
5. धारा 18 (4) के अन्तर्गत मंजूर योजनाएं	7

6. तैयार की गई और सहमति/टिप्पणी के लिए भेजी गई मसौदा योजनाएं	7
7. धारा 20 (1) के अन्तर्गत बन्द करने के लिए सिफारिश की गई (बिक्री के लिए आदेश किए गए एक मामले सहित)	12
8. बन्द करने के लिए बनाया गया प्रथम दृष्टया विचार और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए/आपत्तियां मांगे गए सुझाव	14
9. उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय से प्राप्त संदर्भ (निपटाए गए)	1
कुल निपटान	52

(ख) जी, हां। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के कार्यकरण के सम्बन्ध में कुछ टीका-टिप्पणियां की गई हैं और विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनमें रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 में संशोधन की सिफारिश की गई है। जब इस अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव होगा तब अधिनियम में संशोधनों के सुझावों पर विचार किया जाएगा।

(ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना से लेकर दिनांक 30 जून, 1990 तक इस पर किया गया वर्ष-वार खर्च नीचे दिया गया है :—

वर्ष	खर्च (रुपए)
1986-87	69,03,231
1987-88	92,53,298
1988-89	110,57,163
1989-90	146,37,358
1990-91 (30/6)	46,25,988
जोड़	464,77,038

राष्ट्रीय आवासीय बैंक को जापानी ऋण

3905. श्री के. एस. राव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के ओवरसीज इकनामिक कोआपरेशन फण्ड राष्ट्रीय आवासी बैंक को ऋण देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराने का विचार है तथा इसकी शर्तों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सहायता से शहरों में आवास निर्माण हेतु दी जाने वाली धनराशि का ब्योरा क्या है तथा इससे कितने परिवारों को लाभ होगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना के लिए जापान सरकार ने भारत सरकार को समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि की 2900 लाख येन की आर्थिक सहायता का वचन दिया है। समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि को ऋण सहायता की वापसी अदायगी 10 वर्ष की छूट अवधि सहित 30 वर्ष की अवधि में की जायेगी और इस पर 25 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जायेगा।

(ग) इस ऋण राशि का उपयोग मध्यम आयवर्ग के परिवारों के आवास के लिए धन प्रदान करने के लिए किए जाने का प्रस्ताव है। जिस आवास इकाई के लिए धन दिया जाएगा उसका अधिकतम आकार 40 वर्ग मी. होगा। आशा है कि इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 6400 परिवारों को सहायता प्रदान की जा सकेगी।

मछली और सूखी मछली (ड्राई फिश) का निर्यात

3906. श्री राम नाईक : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान मछली और सूखी मछली (ड्राई फिश) के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ख) क्या सरकार का छोटे मछुआरो द्वारा पकड़ी गई मछली को सीधी खरीद करने और उसका स्वयं निर्यात करने के लिए कोई प्रबन्ध करने का विचार है ताकि मछुआरों को अधिकतम लाभ मिल सके; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान ताजी मछली/प्रशीतित मछली और सूखी मछली (ड्राई फिश) के निर्यात द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि निम्नानुसार थी :—

1988-89	3241.21 लाख रु.
1989-90	4820.28 लाख रु.

(ख) सरकार का छोटे मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछली को सीधी खरीद और उसका स्वयं करने का कोई विचार नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुर्गीपालन और खरगोश पालन हेतु कम दर पर वित्तीय सहायता

3907. श्री पी आर कुमारमंगलम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुर्गीपालन और खरगोश पालन को ग्रामीण उद्योग स्वीकार किया गया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) इस प्रयोजन के लिए कम दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार तमिलनाडु के सलेम जिले में कितने एककों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 2 की शर्तों के अनुसार, कृषि सम्बद्ध कार्यकलापों में अन्यों के साथ-साथ पशु पालन, डेयरी और मुर्गी पालन आते हैं, चाहे वे कृषि कार्य के स थ किए जाते हों अथवा नहीं । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विविध प्रयोजनों के तहत मुर्गी पालन और खरगोश सहित पशुपालन योजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों का सहायता प्रदान करता है ।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि वह विविध प्रयोजनों के तहत मुर्गी पालन और खरगोश पालन सहित विभिन्न पशुपालन योजनाओं के वित्त पोषण के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान कर रहा है । अलबत्ता, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा मुर्गी पालन और खरगोश पालन के लिए योजना के अन्तर्गत किसी सब्सिडी प्राप्त वित्तीय सहायता की परिकल्पना नहीं की गई है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण की जांच

3908. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंक घाटे में हैं और वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम के गोपनीयता खण्ड के अन्तर्गत इसे छुपा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का संसदीय समितियों के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकरण की जांच कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकरण की समीक्षा के लिए सरकार का अन्य क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) राष्ट्रीयकृत बैंक अपने तुलन पत्र एवं लाभ व हानि के लेखे बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में

निर्धारित फार्मेटों में तैयार करते हैं। इन बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार, उनके लेखाओं की लेखा-परीक्षा उन लेखा-परीक्षकों द्वारा की जाती है, जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन किसी कम्पनी के लेखा-परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अर्हता-प्राप्त है। 1989-90 के लिए 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से 19 बैंकों द्वारा प्रकाशित वार्षिक लेखे के अनुसार, इन बैंकों का कुल लाभ 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के वर्ष 1988-89 के कुल 203.28 करोड़ रुपए के वार्षिक लाभों की तुलना में 239.71 करोड़ रुपए है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को उस वैधानिक ढांचे के कार्य करना होता है जिसके द्वारा उनका गठन किया गया है इनमें से प्रत्येक बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार संसद के समक्ष रखी जाती है। इन बैंकों के कार्यकरण की समेकित रिपोर्ट भी प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष रखी जाती है। बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा वित्त मन्त्रालय से संबद्ध संसदीय सलाहकार समिति एवं विभिन्न अन्य संसदीय समितियों की बैठकों में भी की जाती है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के बारे में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की योजना

3909. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, देश के विभिन्न भागों में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने की संभावना का पता लगा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने यह निश्चित कर लिया है कि महाराष्ट्र के उद्योगविहीन जिलों में कौन-कौन से उद्योग स्थापित किए जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि वह अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में समस्त नई अर्थक्षम परियोजनाओं को रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करता है और उद्योगों के फैलाव एवं पिछड़े क्षेत्रों के बेहतर विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम के साथ संयुक्त रूप से विभिन्न राज्यों में 44 उद्योग रहित जिलों में उद्योगों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 1982-86 के दौरान उद्योग रहित जिला सर्वेक्षण किया। अध्ययन के परिणामस्वरूप 122 परियोजनाओं का पता लगाया गया है। जिसमें 363 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा और 20,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। 1985 में महाराष्ट्र में गढ़चिरोली का उद्योग रहित जिले के रूप में पता लगाया गया। तथापि, यह जिला उद्योग रहित जिला सर्वेक्षण के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया था।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने आगे सूचित किया है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने महाराष्ट्र में औद्योगिक परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक

एवं परामर्शदात्री संगठन लिमिटेड की स्थापना की है। महाराष्ट्र औद्योगिक एवं परामर्शदात्री संगठन लिमिटेड ने महाराष्ट्र के निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में एककों को स्थापना के लिए अब तक 47 संभावित रिपोर्ट तैयार की है जिनमें गाडचिरोली के लिए एक सम्भावित रिपोर्ट शामिल है। महाराष्ट्र औद्योगिक एवं परामर्शदात्री संगठन लिमिटेड ने औद्योगिक एकक स्थापित करने के वास्ते गाडचिरोली के कुछ उद्यमियों को प्रारम्भिक परामर्शदात्री सेवाएं भी प्रदान की हैं।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

3910. श्री एम. एस. पाल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश ने अपनी पर्यटन विकास योजना के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सहायता मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान राज्य को कितनी सहायता दी गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं/स्कीमों को प्राथमिकता दी है :—

1. खुर्जा, सीतापुर, औरिया, बागा, कालिंजर, पिपरहवा, बेवार (जनपद मैनपुर), अलीगढ़, रामगढ़, कुमायू क्षेत्र में मुक्तेश्वर, प्रेमपुर, जसोदा, मितरसेनपुर, मुराद नगर, मगलोर, बृजघाट, जसवतनगर, बदायू में बबराला, मुहम्मदाबाद और चाटियाघाट में मार्गस्थ सुविधाएं।

2. दुधवा नेशनल पार्क में वनगृह।

3. आगरा किले में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन।

4. हरिद्वार में यात्री निवास।

5. बिठूर, नजफगढ़ और चिपोली में पर्यटक परिसर।

6. शामली में फास्ट फूड काउंटर।

(ख) राज्य सरकार से विस्तृत अनुमानों सहित परियोजना प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कुमाऊं (उत्तर प्रदेश) में पर्यटन का विकास

3911. श्री एम. एस. पाल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेष रूप नैनीताल (उत्तर प्रदेश) में पर्यटन के विकास तथा इसके संवर्धन के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बस्तर में जगदलपुर दूरदर्शन केन्द्र का प्रसारण क्षेत्र

[हिन्दी]

3912. श्री मानकूराम सोढ़ी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर में जगदलपुर दूरदर्शन केन्द्र के प्रसारण क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत कितने गांवों को सम्मिलित किए जाने की संभावना है ;

(ग) क्या उक्त विस्तार से बस्तर जिले के सभी गांव दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत आ जायेंगे और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार के अन्य प्रस्ताव क्या है ; और

(घ) जगदलपुर और कान्कर में प्रसारण ट्रांसमीटरों के कब तक चालू किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जगदलपुर में कार्यरत अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के स्थान पर एक उच्च शक्ति (1 कि॰ वा.) दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है जिसका सेवा क्षेत्र लगभग 60 किलोमीटर होगा। इसके चालू होने पर बस्तर जिले के लगभग 1370 गांवों के पूर्णत: या आंशिक रूप से दूरदर्शन कवरेज के अन्तर्गत आने की उम्मीद है। सरकार का जिले के शेष भागों में शीघ्रातिशीघ्र दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने का प्रयास है लेकिन यह इस प्रयोजन के लिए धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) जबकि कांकेर में एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर पहले से ही कार्यरत है, जगदलपुर में कार्यरत अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के स्थान पर वहां एक उच्च शक्ति (1 कि. वा.) दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना के कार्य के 1991-92 के दौरान पूरा हो जाने की उम्मीद है।

एक राष्ट्रीयकृत बैंक का इसी प्रकार के एक अन्य बैंक के साथ विलय

3913. प्रो. रासा सिंह रावत :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक का इसी प्रकार के एक अन्य बैंक के साथ विलय करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयास के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रतिनिधि-संगठनों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) इस संबंध में कुछ समय पहले सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से एक प्रस्ताव मिला है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने प्रस्ताव पर विचार किया और फिलहाल इसे कार्यान्वित न करने का निर्णय लिया है।

जगतियाल मेटियापल्ली में दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना

[अनुवाद]

3914. श्री के. चोक्का राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करीमनगर जिले में जगतियाल अथवा मेटियापल्ली शहर में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी· उपेन्द्र) : (क) और (ख) जगतियाल अथवा मेटियापल्ली में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। फिर भी, सरकार का शीघ्रातिशीघ्र इस क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने का प्रयास है लेकिन यह इस प्रयोजन के लिए धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

लम्बी अवधि से बैंकों की बकाया ऋण राशियों से संबंधित विशेष न्यायाधिकरण

3915. श्री के. चोक्का राव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा देशभर में संस्थाओं, व्यक्तियों आदि को स्वीकृत किये गये भारी राशियों के ऋणों की वसूली से संबंधित कितने मामले अनेक वर्षों से न्यायालयों में लम्बित पड़े हुए हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों को निपटाने के लिये विशेष न्यायाधिकरण गठित करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास 150 लाख रुपए और इससे अधिक की धनराशि की वसूली के बकाया मामलों की संख्या 1,361 थी। इनमें लम्बित पड़े मुकदमें, डिक्री प्राप्त मुकदमें और प्रतिवादित बिन लेखों में शामिल अन्य वापस मांगे गए लेखे शामिल हैं।

(ख) सरकार बैंक ऋण की वसूली के लिए विशेष अभिकरण के गठन के मामले पर पहले ही गौर कर रही है।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अनुसंधान प्रभाग को बन्द किया जाना

3916. श्री बसंत साठे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अनुसंधान प्रभाग को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) और (ख) ऐसी स्कीमों/गतिविधियों की समीक्षा की गई थी, जिससे उन स्कीमों/गतिविधियों का पता लगाया जा सके जिनकी उपयोगिता या तो समाप्त हो चुकी है या भविष्य में जिनसे बहुत थोड़े परिणाम निकलने की आशा है ताकि ऐसी स्कीमों/गतिविधियों को पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से बन्द किया जा सके और इन साधनों का उन अन्य क्षेत्रों में बेहतर उपयोग किया जा सके जिनमें इनकी अधिक आवश्यकता है। इस समीक्षा के परिणामस्वरूप गवेषणा और संदर्भ प्रभाग की कुछ गतिविधियों का पता लगाया गया है जिन्हें बंद किया जा सकता। तथापि, इस बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

फोटोग्राफी फिल्मों की सीमा शुल्क निकासी

3917. श्री कमल चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फोटोग्राफी फिल्मों तथा अन्य सामग्री की सीमा शुल्क निकासी के लिए (31 जुलाई, 1990 को समाप्त हुए) गत आठ महीनों के दौरान राज्यवार कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए;

(ख) राज्यवार कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ग) शेष आवेदन पत्रों को स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पंजाब में उपलब्ध कराई गई भोजन और निवास सम्बन्धी सुविधाएं

3918. श्री कमल चौधरी : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में उन स्थानों का ब्योरा क्या है जहां पर भारत पर्यटन विकास निगम अथवा पंजाब सरकार द्वारा भोजन और निवास की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं ?

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में पर्यटन के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या पंजाब में पर्यटन केन्द्रों का विकास करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम इस समय पंजाब में भोजन और आवास की सुविधाएं मुहैया नहीं करा रहा है। पंजाब पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्य में मुहैया कराई जा रही मौजूदा भोजन और आवास सुविधाओं का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 1990-91 में पंजाब में पर्यटन का विकास करने के लिए कोई स्कीम/परियोजना शामिल नहीं है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब सरकार को विभिन्न स्वीकृत पर्यटन परियोजनाओं के लिए 49.27 लाख रुपये रिलीज किए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार से परामर्श करके 1990-91 के दौरान पंजाब में पर्यटन का विकास करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित की है :—

क्रम सं.	स्कीम का नाम	(लाख रुपये में) अनुमानित लागत
1.	चंडीगढ़ और जालंधर के बीच नवांशहर में मार्गस्थ सुविधाएं	10.00
2.	बरनाला में मार्गस्थ सुविधाएं	10.00
3.	फरीदकोट में मार्गस्थ सुविधाएं	10.00
4.	कपूरथला में मार्गस्थ सुविधाएं	10.00
5.	भटिंडा में पर्यटक परिसर	15.00
		55.00

विवरण

क्रम सं.	स्थान का नाम	भोजन और अथवा आवास सुविधाओं का विवरण
1.	अमृतसर	इंटरनेशनल होटल जिसमें 55 कमरे हैं।
2.	लुधियाना	अमलतास पर्यटक परिसर जिसमें 25 कमरे, बार और रेस्तरां है।
3.	पठानकोट	गुलमोहर पर्यटक परिसर जिसमें 25 कमरे, बार और रेस्तरां है।
4.	नीलो (जिला लुधियाना)	बिबंस फलावर पर्यटक परिसर जिसमें 6 कमरे, बार और रेस्तरां है।
5.	रोपड़	पिंक कासिया पर्यटक परिसर जिसमें 16 कमरे, बार और रेस्तरां है।
6.	नांगल	कदम्ब पर्यटक परिसर जिसमें 16 कमरे, बार और रेस्तरां है।
7.	सिरहिंद	मोलसरी पर्यटक परिसर जिसमें 4 कमरे, बार और रेस्तरां है।
8.	आनन्दपुर साहिब	चम्पा पर्यटक परिसर जिसमें 5 कुटीर हैं।
9.	वागाह (अमृतसर)	चमेली पर्यटक परिसर जिसमें 4 कमरे, बार और रेस्तरां है।
10.	माधोपुर	कोरल पर्यटक परिसर जिसमें 4 कमरे, बार और रेस्तरां है।
11.	फगवाड़ा	ब्ल्यू बैल्स पर्यटक परिसर जिसमें 5 कमरे, बार और रेस्तरां है।
12.	करतारपुर	मोगनालिया पर्यटक परिसर जिसमें 4 कमरे, बार और रेस्तरां है।
13.	मलोट (भटिंडा)	सिलवर ओक पर्यटक परिसर जिसमें 2 कमरे, बार और रेस्तरां है।
14.	संगरूर	बनोरी रेस्तरां।
15.	जालंधर	क्लाक टावर रेस्तरां।

प्राकृतिक रबर का न्यूनतम मूल्य

3919. प्रो. पी. जे. कुरियन :

श्री पी. सी. थामस :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्राकृतिक रबर का न्यूनतम मूल्य क्या है;

(ख) यह कब निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या न्यूनतम मूल्य में वृद्धि किये जाने की मांग है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (घ) सरकार प्राकृतिक रबड़ की न्यूनतम कीमत निर्धारित नहीं करती है क्योंकि वर्तमान बेंचमार्क कीमत के संदर्भ में उपभोक्ताओं को मिलने वाला मूल्य पर्याप्त रूप से लाभप्रद है। इसके अलावा, बेंचमार्क कीमत का लागत-अध्ययन रपट के आधार पर नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

तथापि सरकार का प्रयास है कि उत्पादकर्ताओं और रबड़ उपभोक्ता उद्योग, दोनों का हित सुरक्षित रहे।

मलेशिया से रबड़ का आयात

3920. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान मलेशिया से कुल कितनी मात्रा में रबड़ का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : पिछले तीन वर्षों के दौरान मलेशिया से आयात किए गए रबड़ के ब्यौरे निम्नानुसार है :—

वर्ष	मात्रा (एम. टन में)
1987-88	36,734
1988-89	47,468
1989-90	22,050

महाराष्ट्र में किसानों, दस्तकारों आदि के ऋणों का माफ किया जाना

3921. श्री सुधाम देशमुख : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण दस्तकारों और किसानों के ऋणों की माफी की योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को भेजी है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र के किसानों के ऋण माफ करते समय "पंसेवारी अथवा आन्नेवारी" (फसलों का अंतिम आकलन) की शर्त को ध्यान में नहीं रखा जाता है;

(ग) क्या शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दस्तकारों के बैंक ऋण माफ नहीं किये जायेंगे;

(घ) क्या विदर्भ क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश दस्तकार पारम्परिक रूप से शहरी क्षेत्रों में रहते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इन दस्तकारों को ऋण माफी का लाभ दिया जायेगा ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दंडवते) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के लिए कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना को अन्तिम रूप दे दिया है जो सामान्य रूप से भारत सरकार की योजना के अनुरूप है।

(ख) केन्द्रीय योजना की शर्तों के अनुसार, बैंक प्रबन्धक को इस बात की जांच करनी है कि क्या वह गांव, जिसका उधारकर्ता निवासी है, आनावारी प्रणाली के तहत खराब फसल वर्ष के अन्तर्गत है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बुनकरों और कारीगरों को ऋण राहत देने के मामले पर विचार किया है तथा अब यह निर्णय लिया गया है कि इन वर्गों को भी वर्तमान योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाए। उक्त निर्णय के अनुसार, ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले कारीगर भी ऋण राहत का लाभ पाने का हकदार होंगे।

चाय की नीलामी

3922. **श्री जी. एस. बासवराज :**

श्री राम नाईक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चाय नीलामियों में भाग लेने पर लगी वर्तमान पाबंदियों को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या-क्या हैं;

(ग) क्या नीलाम में चाय के लिए लगाये गए सबसे अधिक मूल्य में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो चाय के मूल्य में कितनी गिरावट आई है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) चाय नीलामी केन्द्रों में चाय की कीमतों में काफी गिरावट आ जाने के कारण चाय नीलामियों में भाग लेने संबंधी प्रतिबन्ध समाप्त कर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) विभिन्न नीलामी केन्द्रों में चाय की अलग-अलग किस्मों के लिए 7 रु. से 9 रु. के बीच गिरावट आई है। सरकार नीलामी कीमतों को नियमित रूप से मानीटरिंग कर रही है और कीमत स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए है।

पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ के लिए निर्यात नीति

3923. श्री बी. एस. बासवराजराज : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ में उभर रही व्यापक बाजार क्षमता के उपयोग के लिए कोई प्रभावी निर्यात नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) निर्यात संवर्धन पर सामान्य रूप से पूर्ण बल देने के अतिरिक्त, सरकार सोवियत संघ सहित, जो कि इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझीदार है। पूर्वी यूरोपीय देशों में निर्यात संवर्धन हेतु अनेक उपाय कर रही है। इन उपायों में (क) व्यापार मेले प्रदर्शनियां क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि में अधिक प्रभावी भागीदारी सहित बदले हुए आर्थिक परिवेश में व्यापार पर अधिक बल देना; (ख) वाणिज्यिक उद्यम स्तर पर सीधे सम्पर्कों का संवर्धन, जिसमें दोनों देशों के व्यापार चैम्बरों के बीच परस्पर विचार-विनिमय शामिल हो; (ग) नई मदों को मिलाकर तथा उनकी मात्रा में वृद्धि करके व्यापार के ढांचे का विविधीकरण और विस्तार और (घ) संयुक्त उद्यमों जैसे आर्थिक सहयोग के नए रूपों पर अत्यधिक बल देना शामिल है।

मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र में दूरदर्शन कार्यक्रमों का ठीक से दिखाई न देना

[हिन्दी]

3924. श्री योगेन्द्र झा :

श्री हुक्मदेव नारायण यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी के लोगों से शिकायतें मिली हैं कि वहां दूरदर्शन के कार्यक्रम स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

उच्च शक्ति (1 कि. वा.) दूरदर्शन ट्रांसमीटर, मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर के उच्चशक्ति (1 कि. वा.) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के कार्यकरण के बारे में किसी बड़ी समस्या की सूचना नहीं मिली है। तथापि, इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए विशेषतया नेपाल की सीमा से लगे बिहार के उत्तरी भागों में दूरदर्शन सेवा में सुधार करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सरकार का देश के कवर न हुए/काफी कम कवर हुए भागों में संतोषजनक दूरदर्शन सेवा का यथाशीघ्र विस्तार करने का प्रयास है। तथापि, इस उद्देश्य को, इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता के अनुरूप केवल चरणबद्ध ढंग से प्राप्त किया जा सकता है।

अल्पशक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर, सीतामढ़ी

सीतामढ़ी के अल्पशक्ति, दूरदर्शन ट्रांसमीटर के एंटीना तथा मास्ट को इस वर्ष जून में भारी आंधी और तूफान के कारण क्षति पहुंची है। अंतरिम उपाय के रूप में एंटीना की मरम्मत की गई और कम ऊंचाई के मास्ट पर लगा दिया गया। इसका ट्रांसमीटर के सेवा रेंज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तथापि, स्थिति में सुधार करने के लिए कार्रवाई कर दी गई है।

अल्पशक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर, मधुबनी

मधुबनी का दूरदर्शन ट्रांसमीटर इस समय कम शक्ति पर कार्य कर रहा है क्योंकि इसके एक सब-यूनिट में खराबी आ गई है। इस खराब सब यूनिट की मरम्मत/प्रतिस्थापन के बारे में कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। इस ट्रांसमीटर के कार्य निष्पादन पर बिजली सप्लाई में रुकावट आने के कारण भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस परेशानी को दूर करने के लिए प्रसारण केन्द्र में अब एक नए डीजल जेनेरेटर की व्यवस्था कर दी गई है।

अल्पशक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर, दरभंगा

दरभंगा के दूरदर्शन ट्रांसमीटर के संतोषजनक ढंग से कार्य करने की सूचना मिली है।

मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

3925. श्री कंकर मुंजारे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 1987 से लेकर आज तक मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवानी और मण्डला जिलों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार तथा वर्ष-वार कुल कितनी-कितनी राशि के ऋण दिये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि आंकड़ा सूचना प्रणाली से जिला-वार सूचना प्राप्त नहीं होती है लेकिन सूचना प्रयोजन-वार तथा बैंकवार एकत्र की जाती है। यद्यपि बालाघाट और मण्डला के जिले, मण्डला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत आते हैं, छिंदवाड़ा तथा सिवनी के जिले छिंदवाड़ा-सिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत आते हैं। मण्डला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और

छिंदवाड़ा-सिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा वर्ष 1987 से 1989 तक अपने-अपने कार्यक्षेत्र में किए गए संवितरणों का प्रयोजन-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(लाख रुपये में)

	मण्डला-बालाघाट			छिंदवाड़ा-सिवनी		
प्रयोजन/वर्ष	1987	1988	1989	1987	1988	1989
अल्पावधिक (फसलें)	0.17	2.82	0.02	4.97	7.6ʰ	19.19
सावधि ऋण (कृषि)	14.49	80.57	1.35	109.10	58.64	64.46
सावधि ऋण (संबद्ध कार्य)	12 07	—	0.86	28.31	26.62	37.46
ग्रामीण कारीगर	4.71	43.27	12 46	11.91	15.45	16.58
खुदरा व्यापार	51.56	—	54.10	64.27	76.10	91 80
अन्य	1.88	—	15 09	4.21	5.54	20 76
जोड़	84.88	126.66	83.88	2ʾ2.77	190.0ʾ2	250.25

मलंजखंड ताम्र परियोजना के अधिकारियों का स्थानांतरण

[अनुवाद]

3926. **श्री शंकर मुजारे : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) मध्य प्रदेश में मलंजखंड ताम्र परियोजना में कुल कितने राजपत्रित अधिकारी हैं और उनमें से कितने अधिकारियों ने इस परियोजना में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है;

(ख) क्या सरकार उन कर्मचारियों, जिन्होंने इस परियोजना में पांच वर्षों की सेवा पूरी कर ली है, का स्थानांतरण करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) मध्य प्रदेश में मलंजखंड ताम्र प्रोजेक्ट खान विभाग के सरकारी उपक्रम हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की एक यूनिट है। अतः यहां के अधिकारी राजपत्रित श्रेणी में नहीं आते हैं। तथापि, प्रोजेक्ट में कार्यपालक अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है :—

श्रेणी— I   171; प्रोजेक्ट में 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले 86 अधिकारियों सहित।

श्रेणी—II   5!; सभी प्रोजेक्ट में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं।

(ख) और (ग) कंपनी-कर्मचारियों का स्थानांतरण कंपनी स्तर पर किया जाता है और इससे सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। मात्र पांच वर्ष की सेवा के आधार पर किसी कर्मचारी के स्थानांतरण की इस समय हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की कोई नीति नहीं है।

बचत प्रोत्साहन हेतु भारतीय यूनिट ट्रस्ट की योजना

3927. श्री पी. नरसा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट बचत को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी किसी योजना पर विचार रहा है जिसमें यूनिट धारियों को उनकी जमाराशियों का कुछ समय बाद सोने के रूप में पुनर्भुगतान किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक लागू कर जाएगी ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) से (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने एक योजना का 1988 में प्रस्ताव किया था। सरकार ने अभी तक इस योजना का अनुमोदन नहीं किया है।

आयात और निर्यात किए जाने वाले माल की निकासी

3928 श्री पी. नरसा रेड्डी। क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात और निर्यात किए जाने वाले माल की ढुलाई और निकासी की विद्यमान प्रक्रियाएं बोझिल, अधिक समय लेने वाली और मंहगी है;

(ख) क्या कंटेनर प्रणाली प्रारम्भ करने से प्रलेखन लागत में और अधिक वृद्धि हो गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का उक्त प्रक्रिया और प्रलेखन को और अधिक सरल बनाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी अधिसूचना

3929. श्री उत्तम राठोड़ : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात और निर्यात मुख्य नियन्त्रक द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 184/89 के परिणामस्वरूप भारत से किन-किन मदों के निर्यात में असाधारण रूप से कमी हुई है;

(ख) क्या इन मदों का निर्यात भारतीय कम्पनियों को अलग करके थाइलैंड और मलेशिया से भारतीय मूल की संयुक्त उद्यम कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) सार्वजनिक सूचना सं. 184 इसलिए जारी की गई थी जिससे कि एक और एफ. ओ. बी. के आधार पर सभी आयातित अन्तर्निविष्ट साधनों के मूल्य को तथा दूसरी ओर निर्यात आय को ध्यान में रखते हुए अग्रिम लाइसेंस प्रणाली के अन्तर्गत किए जाने वाले निर्यातों में निहित वास्तविक मूल्यवर्धन का पता लगाया जा सके। इस छानबीन से विशेषरूप से औषधि क्षेत्र में इमोक्सीलिन ट्राइहाइड्रेट, एम्पीसिलीन ट्राइहाइड्रेट, केपहलेक्सिन, मोनोहाइड्रेट, एरिथ्रोमाइसीन स्टीरेट बी पी जैसी कुछ मदों के निर्यात में कमी आई है क्योंकि इन मामलो में अग्रिम लाइसेंस नीति के अनुसार 33 प्रतिशत की न्यूनतम मूल्य वृद्धि की आवश्यकता पूरी नहीं जा सकी।

(ख) थाइलैंड तथा मलयेशिया से भारतीय मूल के संयुक्त उद्यमों द्वारा भारतीय कंपनियों को निकाल कर दिये गये निर्यातों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ग) एक और अन्तर्निष्ट साधनों की लागतों में तथा दूसरी ओर निर्यात आय को देखते हुए, मुख्यालय की अग्रिम लाइसेंस समिति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त कुछ औषधि मदों के न्यूनतम मूल्य वर्धन की आवश्यकता को हाल ही में कटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है जिससे कि अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत उनके निर्यातों को सुकर बनाया जा सके।

महानगरों में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

[हिन्दी]

3930. **श्री हरि शंकर महाले :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और बंगलौर में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का इन नगरों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये और अधिक संख्या में ऐसे होटल खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) फिलहाल भारत पर्यटन विकास निगम दिल्ली में 8 होटलों और कलकत्ता तथा बंगलौर में एक-एक होटल का परिचालन कर रहा है। निगम का बम्बई में कोई होटल नहीं है।

(ख) और (ग) फिलहाल भारत पर्यटन विकास निगम का बम्बई, दिल्ली अथवा बंगलौर में कोई नया होटल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत पर्यटन विकास

निगम को कलकत्ता में एक बजट होटल बनाने में रुचि हो सकती है बशर्ते उसे उचित मूल्य पर भूमि उपलब्ध हो और परियोजना वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक हो ·

बैंक कर्मचारियों के जाति प्रमाणपत्रों का सत्यापन

3931. श्री हरि शंकर महाले : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने सितम्बर, 1989 में यूको बैंक सहित सभी बैंकों को अपने कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये आदिवासी-प्रमाणपत्रों का सत्यापन करने के लिए अनुदेश जारी किया था;

(ख) प्रत्येक बैंक द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) जाली प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के कितने मामले जानकारी में आये हैं और उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही है।

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दंडवते) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में 22 बैंको से सूचना प्राप्त हो गई है। जबकि दो बैंकों ने, अर्थात आंध्र बैंक तथा देना बैंक ने जनजाति प्रमाणपत्रों की जांच के लिये 9 मामलों को संवीक्षा समिति, पुणे को सौंपने की सूचना दी है, 19 अन्य बैंकों ने सूचित किया है कि उनके सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

31.12.89 की स्थिति के अनुसार बैंक आफ इण्डिया के पास कथित जाली जाति प्रमाण पत्र के 16 मामले थे। एक मामले में संबंधित कर्मचारी को सेवा से हटा दिया गया है तथा शेष 15 मामलों की जांच की जा रही है।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के पैनल की अवधि

[अनुवाद]

3932. प्रो. यदुनाथ पांडेय : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 1963 के नियम 4 के अन्तर्गत बनाए गए पैनल (चयन सूची के लिए कोई अवधि निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी हां। पैनल सामान्यतया बारह मास के लिए होता है किन्तु आपवादिक परिस्थितियों में उसमें छह मास की वृद्धि की जा सकती है।

जुलाई 1990 के पहले पन्द्रह दिनों के दौरान जब्त चांदी और सोना

3933. श्री माधवराव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या जुलाई, 1990 के पहले 15 दिनों में तस्करी रोधी एजेंसियों के माध्यम से चांदी और सोना जब्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान पकड़े गये सोने और चांदी का ब्यौरा क्या है तथा इनका अलग-अलग मूल्य कितना है;

(ग) क्या तस्करों के गिरोहों का इस तस्करी में सक्रिय होने का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) और (ख) जी, हां। सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1990 के जुलाई माह के पहले पखवाड़े के दौरान सम्पूर्ण देश में पकड़े गए सोने एवं चांदी की मात्रा एवं उनका मूल्य नीचे तालिका में दिया गया है :—

	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
सोना	237	8.04
चांदी	15,066	10.64

उपरोक्त आंकड़े अनिश्चित हैं

(ग) और (घ) कुछ बाहरी मुल्कों में स्थित तस्करी करने वाले सिंडीकेटों की ओर से तथा उनके सहयोग से तस्करी-कार्य में ग्रस्त कतिपय गिरोहों को सक्रिय पाया गया है।

कर्नाटक में कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि. द्वारा एक स्पंज आयरन संयंत्र स्थापित किया जाना

3934. श्री एस. सी. ओक्कालय्या : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि. ने कर्नाटक के मंगलोर में एक स्पंज आयरन संयंत्र और द्वितीय पैलेट संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावित संयंत्रों की कुल क्षमता तथा अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इन संयंत्रों के लिये तृतीय स्रोतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संयंत्रों को कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) 7.5 लाख मी. टन वार्षिक एच.बी.आई. क्षमता वाले एक स्पंज आयरन संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है। कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि. का भी लौह अयस्क सांद्रण की क्षमता 75 लाख मी. टन से बढ़ाकर 100 लाख मी. टन तथा लौह अयस्क के पैलेटों की क्षमता 30 लाख मी.टन. से बढ़ाकर 60 लाख मी. टन वार्षिक करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) स्पंज लोहा कारखाने के सम्बन्ध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव पर अभी सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है।

सुस्पष्ट कार्यान्वयन अनुसूची, निधियन की पद्धति आदि के बारे में जानकारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाने तथा प्रस्तावों के सम्बन्ध में निवेश सम्बन्धी निर्णय लिये जाने के बाद ही मिलेगी।

काफी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र

3935. श्री एच. सी. श्रीकांतय्या : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार, काफी बोर्ड और कुछ गैर-सरकारी फर्मों के संयुक्त उद्यम के रूप में बंगलौर में एक उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस प्रस्तावित एकक को बंगलौर के बजाय, कर्नाटक में चिकमंगलूर अथवा हासन, जहाँ वास्तव में काफी का उत्पादन होता है, में स्थापित करने की मांग की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) एक ऐसे उन्नत काफी प्रौद्योगिकी केन्द्र को संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर कार्रवाई चल रही है जिसमें प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र, काफी बोर्ड, भारत सरकार और काफी से सम्बद्ध उद्योग शामिल होंगे।

(ख) और (ग) हसन अथवा चिकमंगलूर में ऐसा केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई मांग नहीं हुई है।

दूरदर्शन आकाशवाणी में नैमित्तिक कलाकारों का भाग लेना

3936. प्रो. के वी. थामस : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन तथा आकाशवाणी को कार्यक्रमों में नैमित्तिक कलाकारों के भाग लेने के बारे में क्या सामान्य निदेश दिए गए हैं;

(ख) क्या इन निदेशों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) कार्यक्रमों में नैमित्तिक कलाकारों के भाग लेने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी को ये सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि इन कलाकारों को कार्यक्रम के लिए उनकी उपयुक्तता, उनके काम की गुणवत्ता, कार्यक्रम की विविधता और कार्यक्रम अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सुविधाएं दी जाएं।

(ख) और (ग) जब भी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी जांच की जाती है तथा आवश्यकतानुसार उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

वकीलों की फीस निर्धारित करना

3937. श्री सी. डी. गामित : क्या विधि और न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के वकीलों द्वारा ली जाने वाली फीस की अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा निर्धारित करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामले

[हिन्दी]

3938. श्री सी. डी. गामित :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री गुलाब चन्द कटारिया :

श्री आर. एन. राकेश :

क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायलयों में पृथक-पृथक गत 1 से 5 वर्षों, 5 से 10 वर्षों, 10 से 15 वर्षों, 15 से 20 वर्षों और 20 वर्षों से भी अधिक अवधि से कितने मामले लंबित पड़े हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में की गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने न्यायाधीशों के पदों में वृद्धि किये जाने के अतिरिक्त विधि के समान प्रश्न वाले मामलों को एक समूह में रखने, मामलों के शीघ्र निपटारे के लिये विशेष न्याय-पीठों के गठन जैसे अनेक उपाय किए हैं। सरकार ने, न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या के गहन अध्ययन और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिये उच्च न्यायालय के तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक समिति गठित की है।

विवरण

1-12-1989 को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

संबित मामलों की संख्या

न्यायालय का नाम		1 से वर्ष	5 से 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक
उच्चतम न्यायालय		% 14948	% 18057	% 6480
1		2	3	4
(% केवल नियमित सुनवाई वाले मामले)				
उच्च न्यायालय				
1.	इलाहाबाद	226090	134145	30245
2.	आंध्र प्रदेश	338 1	3050	49
3.	मुंबई	76264	32870	8649
4.	कलकत्ता	84456	64752	21741
5.	दिल्ली	51128	23131	7600
6.	गुवाहाटी	12050	3581	146
7.	गुजरात	37403	19737	2872
8.	हिमाचल प्रदेश*	5117	3516	964
9.	जम्मू-कश्मीर	24924	6753	487
10.	कर्नाटक	40572	10409	619
11.	केरल	46074	10005	17
12.	मध्य प्रदेश	24313	3632	1230
13.	मद्रास	128704	48954	1463
14.	उड़ीसा	19153	6321	633

1		2	3	4
15.	पटना*	36518	7537	3635
16.	पंजाब और हरियाणा	37701	14059	1792
17.	राजस्थान*	35394	14006	9:6
18.	मिजोरम	35	1	—

टिप्पणी* : 30-6-89 को यथा विद्यमान आंकड़े दर्शाए गए हैं।

खनन के लिए आधुनिक उपकरणों का आयात

[अनुवाद]

3939. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न खानों में उपयोग में लाए जाने वाले आयातित उपकरणों की लागत कितनी है;

(ख) उक्त उपकरण किन-किन देशों से आयात किये गए हैं; और

(ग) सरकार की भविष्य में ऐसे अत्याधुनिक उपकरणों का आयात करने की क्या योजना है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में छोटे और मध्यम स्तर के दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्रों को विज्ञापन

[हिन्दी]

3940. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के छोटे और मध्यम स्तर के दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्रों को गत सात माह के दौरान दिये गये विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन

3941. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी नहीं।

(ख) सुझाव, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19 के इस प्रकार संशोधन के लिए है जिससे कि सिंधी समुदाय की महिला उसके और उसके पति के बीच विवाद होने की दशा में, उस न्यायालय में अर्जी फाइल कर सके जिसकी अधिकारिता में वह रहती है। यह स्थिति विशेष रूप से सिंधी समुदाय में ही उत्पन्न होती है। क्योंकि साधारणतया विवाह वर के यहां संपन्न होता है।

यही ठीक समझा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के गठित हो जाने पर यह मुद्दा उसे निर्देशित करके उसके विचार जान लिए जाएं।

फिल्म वितरण नेटवर्क का पुनर्गठन

[अनुवाद]

3942. श्री वी. श्री निवास प्रसाद :

श्री एम. वी. चन्द्र शेखर मूर्ति :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम का विचार देश में अपने फिल्म निर्माण और फिल्म वित्त पोषण संबंधी गतिविधियों का विस्तार करके फिल्म वितरण नेटवर्क का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम ने योजना आयोग को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनाधिकृत रूप से वीडियो फिल्में तैयार किए जाने के कारण, राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने में विफल रहा है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के योजना परिव्यय के प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) फिल्म उद्योग के हितों के विकास में वीडियो चोरी एक प्रमुख समस्या है। वीडियो चोरी का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने उद्योग के व्यापार में लगे निकायों के साथ मिलकर कापीराइट चोरी विरोधी भारतीय संघ "इनफैक्ट" नामक एक कम्पनी बनाई है। राज्य सरकारों से भी चोरी को रोकने के लिए कापीराइट अधिनियम के अधीन कड़ी कार्यवाई करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

गतिविधियाँ	प्रस्तावित योजना परिव्यय (लाख रुपये में)
फिल्म वित्त पोषण और निर्माण	3070
थियेटर निर्माण	1730
आयात और वितरण	1800
परियोजना प्रतिस्थापन और आधुनिकीकरण	300
जोड़	6900

सहकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण

3943. माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री आर. एन. राकेश :
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या कुछ सहकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) किन-किन तथा कितने सहकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने तथा किन-किन सहकारी बैंकों को अनुसूचित बैंक किया गया था ?

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) से (घ) संभवतः माननीय सदस्य सहकारी बैंकों का उल्लेख कर रहे हैं। देश में स्थापित किए गए इन बैंकों पर कई सदस्यों का स्वामित्व होता है और

प्रत्येक सदस्य का एक ही वोट होता है चाहे उसकी शेयर धारिता कितनी भी अधिक क्यों न हो, अन्य सहकारी संस्थाओं की तरह ये बैंक भी पारस्परिक सहायता के सिद्धान्त पर आधारित होते हैं। इनके राष्ट्रीयकरण के लिए अपनाए जाने वाले किसी मानदण्ड का, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है, प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पहली सितम्बर, 1988 से 11 शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है और उसके पश्चात् किसी दूसरे प्राथमिक सहकारी बैंक को अभी तक अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, 11 प्राथमिक सहकारी बैंकों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. बम्बई मार्कंटाइल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बम्बई।
2. सारस्वत कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बम्बई।
3. अभ्युदय कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बम्बई।
4. डिवेलपमेंट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बम्बई।
5. जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे।
6. शामराव विट्ठल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बम्बई।
7. राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लि., राजकोट।
8. कालूपुर कामर्शियल कोआपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद।
9. सूरत पीपल्स कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत।
10. सांगली अरबन कोआपरेटिव बैंक लि. सांगली।
11. रुपी कोआपरेटिव बैंक लि, पुणे।

'गोल्ड बार्स वर्थ 38 लाख्स सीज्ड' शीर्ष से समाचार

3944. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री आर. एम. भोये :
क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अगस्त, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गोल्ड बार्स वर्थ 38 लाख्स सीज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में आगे क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी मुद्राओं का अन्तर्बैंक बाजार

3945. श्री शान्ताराम देशमुख : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा एक अभ्यावेदन दिए जाने पर विदेशी मुद्राओं के अन्तर्बैंक बाजार को प्रयोगात्मक आधार पर चलाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यह अन्तर्बैंक बाजार शुरूआत में किन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं का लेन-देन करेगी;

(ग) ये बैंक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से किस तरीके से उधार लेंगी; और

(घ) वर्तमान पश्चिम एशियाई संकट के परिणामस्वरूप ये बैंक खाड़ी देशों की मुद्राओं का लेन-देन किस तरीके से करेंगे और खाड़ी के बैंकों के साथ उनका कार्य किस प्रकार से होगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारम्भ में लेन-देन को अमेरिकी डालर तक ही सीमित रखा जाएगा।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ये उधार सामान्य आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य व्यापार के रूप में, विदेशी शाखाओं/प्रतिनिधियों से अस्थाई ओवर-ड्राफ्ट के रूप में लिया जाता है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को परामर्श दिया है कि वे खाड़ी की करेंसियों में लेन-देन वाणिज्यिक प्रतिफल को ध्यान में रखकर करें।

सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा विदेशों से आ रहे लोगों को तथाकथित परेशान करना

3946. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों से, विशेषकर खाड़ी के देशों से स्वदेश लौट रहे लोगों को सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा परेशान करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) क्या वर्ष 1989 और 1990 के दौरान मुंबई अथवा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा परेशान करने की ऐसी किन्हीं घटनाओं की रिपोर्ट की गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यात्रियों को ऐसी परेशानियों से बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिने मेटोग्राफ पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट

[हिन्दी]

3948. श्री खेती पासवान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चल चित्र अधिनियम, 1952 की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस पर यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भारतीय बैंकों की विदेशी शाखायें

3949. श्री खेती पासवान :

डा. बंगाली सिंह :

श्री समाधि चरण दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय बैंकों की विदेशों में कुल कितनी शाखायें हैं और वे किन देशों में कहां-कहां पर हैं;

(ख) 30 जून, 1990 को इनमें कुल कितने कर्मचारी थे और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के कर्मचारियों की प्रतिशतता कितनी थी;

(ग) गत तीन वर्षों में कितने बैंक कर्मचारी विदेश भेजे गये और उनमें अनुसूचित जन-जातियों के कितने थे;

(घ) क्या विदेश स्थित बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की आनुपातिक संख्या में तैनाती के लिए संगत अनुदेशों का पालन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) इस समय 9 भारतीय बैंकों की 114 शाखाएं विदेशों में कार्य कर रही हैं। इनका बैंक-वार और देश-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय बैंकों की विदेशी

शाखाओं में 447 भारत में रहने वाले (इंडिया बेस) अधिकारी/कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिनमें से 9 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं।

(घ) और (ङ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं में आरक्षण के सम्बन्ध में जारी किए गए ब्रोशर (7वां संस्करण) के पैरा 17.17 में यह कहा गया है कि यद्यपि विदेशों में तैनाती के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को रियायत प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई विशेष मानक उपलब्ध कराना संभव नहीं है, जब कोई मंत्रालय/विभाग आदि अपनी विदेशों में स्थित इकाइयों में तैनाती के लिए कर्मचारियों का चयन करते हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की तैनाती के लिए अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के निर्धारित पात्र कर्मचारियों को भी भेजने पर विचार किया जाए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की बाहर के देशों में तैनाती से सम्बन्धित किसी आनुपातिक संख्या के बारे में कोई प्रावधान नहीं है।

विवरण

आज की तारीख तक भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं को बैंक-वार और देश-वार ब्यौरा

देश	बैंक आफ बड़ौदा	बैंक आफ इंडिया	भारत ओवरसीज	केनरा बैंक	इण्डियन बैंक	इण्डियन ओवरसीज	भारतीय स्टेट बैंक	सिंडिकेट बैंक	यूको बैंक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. बांगलादेश	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
2. बहामास	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
3. बहरीन	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
4. बेल्जियम	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
5. केने द्वीपसमूह	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
6. चैनल द्वीपसमूह	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
7. फिजी द्वीप समूह	—	9	—	—	—	—	—	—	—	9
8. फ्रांस	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. गुयाना	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10. हांगकांग	—	2	—	—	—	2	1	—	2	7
11. जापान	—	2	—	—	—	—	2	—	—	4
12. केनिया	6	2	—	—	—	—	—	—	—	8
13. मौरीशस	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6
14. मालदीव	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
15. ओमान	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3
16. पनामा	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
17. दक्षिण कोरिया	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
18. श्री लंका	—	—	—	—	2	2	1	—	—	5
19. सिंगापुर	—	1	—	—	1	1	1	—	3	7
20. सेशलीज	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1

21. थाईलैण्ड	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
22. यू.एस ए.	1	2	—	—	—	—	4	—	—	7
23. यू.के.	11	13	—	1	—	—	5	1	2	33
24. यूएई.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6
25. जर्मन संघीय गणराज्य	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
कुल	47	25	1	1	3	6	23	1	7	114

इस्पात के मूल्य

[अनुवाद]

3950. श्री बबनराव ढाकणे : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस्पात की खपत में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) आठवीं योजना के अन्त तक इस्पात की खपत में अनुमानित वृद्धि दर क्या है,

(ग) क्या इस्पात के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस्पात के मूल्य में हाल ही हुई वृद्धि को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) इस्पात की खपत की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर निम्नलिखित है :

छठी योजना	4.49 प्रतिशत
सातवीं योजना	5.62 प्रतिशत
आठवीं योजना	8.35 प्रतिशत

(परिलक्षित)

(ग) और (घ) संयुक्त संयंत्र समिति ने जनवरी, 1989 के पश्चात् एकीकृत इस्पात संयंत्रों के सम्बन्ध में किसी आदान आधारित मूल्य वृद्धि की घोषणा नहीं की है।

पंजाब में बीमा कम्पनियों के अधिकारियों की मांगें

[हिन्दी]

3951. श्री हरीश पाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लिमिटेड, यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के अधिकारी मई, 1990 में सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर चले गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) वेतनमानों में संशोधन, कम महत्व के लाभों में सुधार; पदोन्नति नीति में सुधार,

सवारी भत्ते और यात्रा भत्ते में वृद्धि। लागत-बचत उत्पादन प्रोत्साहन को फिर से चालू करना आदि।

(ग) सरकार ने वेतनमानों और भत्तों में संशोधन करने के लिए दिनांक 13.6.1990 को पहले ही एक अधिसूचना जारी कर दी है। अन्य मांगों की साधारण बीमा निगम के प्रबंधकों द्वारा साधारण बीमा विकास अधिकारी संघ के साथ परामर्श करके जांच—पड़ताल की जा रही है।

बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण से सम्बन्धित न्यायिक मामले

[अनुवाद]

3952. श्री अनादि चरण दास : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों और एसोसिएशनों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में पदोन्नतियों तथा भर्ती तथा पदोन्नतियों दोनों ही मामलों में पिछले बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए आरक्षण नियमों को लागू न करने के सम्बन्ध में विभिन्न उच्च न्यायालयों में कितने मामले दर्ज कराये गये हैं;

(ख) 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार ऐसे कितने मामले निर्णयाधीन थे; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामले निर्णीत किये गये और इनमें से कितने मामलों में निर्णय सम्बन्धित राष्ट्रीयकृत बैंक के विरुद्ध दिया गया है ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : (क) से (ग) 20 में से राष्ट्रीयकृत बैंकों से सूचना प्राप्त हो गई है। इन 6 बैंकों ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तिगत कर्मचारियों और उनके संघों ने उनके विरुद्ध देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 12 मामले दायर किए हैं जो आरक्षण नीति के कार्यान्वयन न करने के सम्बन्ध में हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि 30.6.1990 की स्थिति के अनुसार 11 मामले लम्बित थे और पिछले तीन वर्षों में कोई भी मामला उनके विरुद्ध नहीं गया।

निर्यातक कम्पनी का दर्जा पाने हेतु पात्रता की सीमा

3953. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस्तकारी तथा परिधान निर्यातकों ने निर्यातक कम्पनी का दर्जा पाने के लिए पात्रता की सीमा को घटाकर 3 करोड़ रुपये तक करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी हां।

(ख) सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा भेजा जाना

3954. श्री विजय कुमार मल्होत्रा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनिवासी भारतीयों के साथ वित्तीय लेन-देन में भारतीय बैंकों द्वारा असन्तोषजनक सेवा प्रदान किए जाने और अनुचित विलम्ब किए जाने के सम्बन्ध में उनसे कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का ब्योरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दंडवते) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार को जब कभी भारतीय बैंकों के विरुद्ध अनिवासी भारतीयों की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सम्बन्धित बैंक के साथ मामले को उठाया जाता है और समुचित उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। सामान्यतौर पर ये शिकायतें भारत में बैंकों द्वारा विदेशों से प्राप्त किए गए प्रेषणों को जमा करने में होने वाले विलम्ब, सावधि जमा की परिपक्वता पर राशि को जमा करने में होने वाले विलम्ब आदि से सम्बन्धित होती हैं।

बैंकों में ऋण सम्बन्धी व्यवस्था

3955. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऋण सम्बन्धी व्यवस्था क्रेडिट मेनेजमेंट असंतोषजनक है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या ठोस उपाय करने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ऋण प्रबंधन प्रायः सन्तोषजनक है तथापि विभिन्न मार्गनिर्देशों, ऋण देने के सिद्धांतों और बैंकिंग मानदण्डों का अनुपालन किये बिना ऋण प्रदान करने में बैंक के विभिन्न अधिकारियों द्वारा भूल और चूक के कुछ दृष्टांत इसके समक्ष लाये हैं।

उधारकर्ताओं के विभिन्न वर्गों के लिए अग्रिमों की मंजूरी/मजूरी के बाद की कारंवाई के लिए प्रक्रियाओं और मार्गनिर्देशों की विस्तृत जानकारी देने के लिए बैंकों के अपने परिचालन मैनुअल होते हैं। जब कभी भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में बड़ी धोखाधड़िया आती हैं, तब रिकार्डों के निरीक्षण या जांच के दौरान पायी गई अनियमितताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के अग्रिमों को मंजूर करने सम्बन्धी परिचालनों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर अनुदेश/मार्गनिर्देश भी जारी किये हैं। जब कभी बैंक के पोर्टफोलियों में हानि या हानि की सम्भावना होती है तो वाणिज्यक बैंकों को स्टाफ की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए और दोषी कर्मचारियों को कड़ा दंड देने के लिए स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं और उन्हें कई बार दोहराया गया है ताकि वे दूसरों के लिए चेतावनी का कार्य करें। भारतीय रिजर्व बैंक आवधिक निरीक्षणों, विभिन्न विवरणियों, बैंकों के साथ आदान-प्रदान आदि के माध्यम से

भारत स्थित सरकारी एवं गैर सरकारी वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी भी करता है।

बिहार में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे होटल और महिला-होस्टल

[हिन्दी]

3956. श्री तेज नारायण सिंह : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा बिहार में कितने होटलों और महिला-होस्टलों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या बिहार में कुछ और महिला-होस्टलों युवा-होस्टलों, होटलों और यात्री-निवासों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या बिहार में पर्यटकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए होटलों की विद्यमान क्षमता पर्याप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने गत दो वर्षों के दौरान बिहार राज्य में निम्नलिखित होटल चालू किए है :—

होटल का नाम	चालू किए जाने की तारीख	सितारा श्रेणी	कमरा क्षमता
होटल बोधगया अशोक, बोधगया	10.7.88	3	30
होटल रांची अशोक, रांची (संयुक्त उद्यम)	13.4.88	3	30

भारत पर्यटन विकास निगम महिलाओं के लिए न तो होस्टल बनाता है और ना ही चलाता है।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम की 1990-91 की वार्षिक योजना में बिहार में नए आवास एकक स्थापित करने की कोई व्यवस्था शामिल नहीं है।

बिहार में यात्री निवासों के निर्माण के सम्बन्ध में, केन्द्रीय पर्यटन विभाग, सभी राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों पर पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता आदि के आधार

पर, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बिहार राज्य सरकार ने गया और वैशाली में एक-एक यात्री निवास स्थापित करने में रुचि दर्शाई है। तथापि, राज्य सरकार से स्थल (साइट) आदि दर्शाने वाला विस्तृत प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

महिला एवं बाल कल्याण विभाग (मानव संसाधन एवं विकास मन्त्रालय) भारत सरकार, सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा विधिवत् अनुशंसित स्वयसेवी संगठनों के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के होस्टल स्थापित करने की एक स्कीम चलाता है। इस स्कीम के तहत निम्नलिखित स्थानों पर बिहार राज्य के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए 6 होस्टल मंजूर किए गए थे जिनमें 335 कामकाजी महिलाओं को ठहराने की कुल क्षमता है :—

1. पटना
2. रांची
3. रोहतास
4. मधुबनी
5. नवहट्टा
6. दोरपा

इन होस्टलों में से, रांची और पटना के होस्टल चालू हैं और इनमे 97 महिलाओं को ठहराने की संयुक्त क्षमता है। शेष चार निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय महिला एवं बाल कल्याण विभाग को राजिन्द्र शिक्षा समिति, सीतामढ़ी नामक स्वयंसेवी संगठन से एक कामकाजी महिला होस्टल स्थापित करने के लिए एक नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, परन्तु यह अभी तक राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित नहीं है।

केन्द्रीय युवा मामले और खेल विभाग (मानव ससाधन विकास मंत्रालय) बिहार में युवा होस्टल बनाने की स्कीम लागू करता है। पटना में निर्माणाधीन एक युवा होस्टल के अलावा, सातवीं योजना के दौरान चार युवा होस्टल आवंटित किए गए हैं। तथापि, राज्य सरकार ने इन होस्टलों की अवस्थिति अभी तक तय नहीं की है।

(ख) और (ग) बिहार राज्य में निम्नलिखित अनुमोदित होटल चल रहे हैं :—

सितारा श्रेणी	होटलों की संख्या	कमरों की संख्या
5—सितारा	1	79
3—सितारा	5	179
2—सितारा	7	163
वर्गीकृत किया जाना है।	5	137

पर्यटक यातायात में वृद्धि होने से बिहार में अतिरिक्त आवास की आवश्यकता होगी। इस मांग को पूरा करने के लिए, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दिए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वह विभिन्न श्रेणियों के अधिक आवास एकक स्थापित कर सके।

सीमा शुल्क में कटौती

[अनुवाद]

3957. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने 2500 से अधिक मदों पर 30% सीमा शुल्क कम करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के इस प्रस्ताव पर उरूग्वे वार्ता के शुल्क संबंधी वार्ता दल द्वारा विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन मदों पर सीमा शुल्क में कटौती की जायेगी; और

(घ) भारत के प्रस्ताव को किस सीमा तक स्वीकार कर लिया गया है और यह किस सीमा तक भारत के लिए लाभप्रद होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) भारत ने लगभग 2500 टेरिफ लाइनों के बारे में 6 बराबर वार्षिक किश्तों में मूलभूत शुल्क में तीस प्रतिशत की कटौती करने की प्रारम्भिक और सशर्त पेशकश की है।

(ख) जी हां।

(ग) इसमें आने वाली मदें हैं : कच्चे माल, मध्यवर्ती सामान और पूंजीगत सामान जो कुछ अपवादों को छोड़कर सीमाशुल्क वर्गीकरण की एकीकृत प्रणाली के अध्याय 25 से 97 में हैं।

(घ) भारत के व्यापारिक भागीदारों ने भारतीय पेशकश का स्वागत किया है। हमारी पेशकश हमारे लिए उरूग्वे दौर के समूचे परिणामों के सन्तोषजनक होने, विशेषरूप से वस्त्र के क्षेत्र में हमारी संतुष्टि की शर्त के आधार पर है।

मुम्बई शेयर बाजार

3958. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई शेयर बाजार का शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित उप-नियमों, जिससे विक्रेता दलालों को अनुचित लाभ मिलता है, में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दंडवते) : (क) स्टाक एक्सचेंज, बम्बई द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, उनके पास शेयर अन्तरण सम्बन्धी उप नियमों में संशोधन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यात की शर्त पर पूंजीगत माल का आयात

3959. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नये निर्यातकों के लिए निर्यात की शर्त पर शुल्क की रियायती दरों के अन्तर्गत पूंजीगत माल का आयात करने की योजना लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस योजना के कार्यक्षेत्र में विस्तार करने के क्या कारण हैं; और

(घ) नये निर्यातकों को इन रियायतों से कितना प्रोत्साहन मिलेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) ऐसा प्रस्ताव है कि पिछले तीन वर्षों के निर्यात निष्पादन वाले निर्यातकों से इतर दूसरे आवेदकों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर भी वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यरत सचिवों की समिति द्वारा गुणावगुण आधार पर विचार किया जाए।

(ग) नए निर्यातकों को अलग-अलग मामले के गुणावगुण आधार पर इस योजना के दायरे में शामिल करने का उद्देश्य यह है कि निर्यात उत्पादन को और अधिक प्रतियोगी बनाकर देश के निर्यात में वृद्धि की जाए।

(घ) ऐसी आशा है कि पूंजीगत माल का रियायती शुल्क पर आयात होने के परिणाम-स्वरूप, चार वर्षों की अवधि में, इतनी अतिरिक्त निर्यात आय प्राप्त होगी जो इस योजना के अधीन आयातित पूंजीगत माल के सी. आई. एफ. मूल्य की तिगुनी राशि के बराबर होगी।

कंप्यूटर हार्डवेयर निर्यात के लिए मूल्य वर्धन सम्बन्धी मानदण्ड

3960. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कंप्यूटर हार्डवेयर निर्यात के लिए मूल्यवर्धन सम्बन्धी मानदण्डों को उदार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस मानदण्ड को किस सीमा तक उदार बनाने का विचार है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) ऐसे सुझाव प्राप्त हुए हैं जिसमें यह बताया गया है कि मूल्यवर्धन में कटौती से निर्यात आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। निर्यात उत्पादन की समुचित योजनाओं के अन्तर्गत मूल्यवर्धन सम्बन्धित परिवर्तनीय प्राचलों जैसे कि अर्जित निवल विदेशी मुद्रा अन्तर्विष्ट साधनों की लागत और स्रोत, संरक्षण क्षमता, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा उत्पाद का तकनीकी उन्नयन, तुलनात्मक लाभ तुलन, निर्यात के गन्तव्य-मिश्र आदि तथा प्रस्ताव के गुणावगुण को ध्यान में रखकर, निर्धारित किया जाता है। विवेचनात्मक मानदंड विदेशी मुद्रा में निवल सकारात्मक लाभ प्राप्त करना है।

बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र पर दूरदर्शन धारावाहिकों का प्रसारण

3961. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र से वर्ष 1989 के दौरान और जून, 1990 तक प्रसारित किये गये दूरदर्शन धारावाहिकों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) दूरदर्शन धारावाहिकों के चयन के मानदंड क्या हैं;

(ग) बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा प्रत्येक धारावाहिक के लिये कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(घ) क्या बंगलौर दूरदर्शन द्वारा हर बार केवल कुछ निर्देशकों के दूरदर्शन धारावाहिकों को चुना जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और नये निर्देशकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक अधिकारियों की मांगें

3962. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ ने 30 जुलाई, 1990 को राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या मुख्य मांगें की गयी थीं; और

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ ने अपने ज्ञापन में बैंकिंग प्रणाली के पुनर्गठन, निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी अधिकार में लेने, द्विपक्षीय तथा औद्योगिक सम्बन्धों, प्रबंधन में भागीदारी, औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन, बैंक अधिकारियों के लिए प्रशासनिक अधिकरणों के गठन, पेन्शन स्टाफ की कमी आदि सम्बन्धी माँगें प्रस्तुत की थीं।

(ग) सरकार, बैंकिंग प्रणाली में और सुधार लाने के लिए किसी भी सुझाव का स्वागत करती है। यद्यपि, सरकार अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ के बेहतर ग्राहक सेवा, उत्पादन तथा कार्यकुशलता के लिए किए गए प्रयत्नों की प्रशंसा करती है, कुछ अन्य मामलों में, जैसे स्टाफ की कमी, निर्धारित अधिकारी सेवा शर्तों में सरकार/भारतीय बैंक संघ द्वारा कथित एक पक्षीय परिवर्तन आदि के आरोप निराधार हैं और उन पर सरकार द्वारा कोई विशिष्ट कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी।

राज्यों के विधि मंत्रियों का सम्मेलन

3963. श्रीमती बासव राजेश्वरी :
श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :
श्री नन्द लाल मीणा :
श्री पी. एम. सईद :

क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1990 में राज्यों के विधि मंत्रियों का नई दिल्ली में कोई सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार लोगों को शीघ्र और कम खर्च पर न्याय दिलाना सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी हां। विधि मंत्रियों के सम्मेलन में आम राय यह थी कि सरकार द्वारा फाइल किए जाने वाले मामलों की उचित छान-बीन की जानी चाहिए; न्यायालयों में रिक्त पद शीघ्र भरे जाने चाहिए; न्याय प्रशासन को आधुनिक बनाया जाना चाहिए; सिविल प्रक्रिया की धारा 80 के अधीन प्राप्त सूचनाओं की सावधानीपूर्वक संवीक्षा की जानी चाहिए जिससे कि नागरिकों की वास्तविक शिकायतों को उसी स्तर पर दूर किया जा सके; न्याय प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का अनुसरण किया जाना चाहिए; मतभेद, न्यायालय विवाद में परिवर्तित होने के पूर्व ही दूर करने के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया विकसित की जाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और सरकारी विभागों के मामले भी लोक अदालतों में भेजे जाएं, जिसके लिए सरकार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या कम करने के लिए विधि के समान

प्रश्न वाले मामलों को एक समूह में रखने, विशेष न्यायपीठें गठित करने आदि जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। सरकार ने न्यायालय में लम्बित मामलों की समस्या का अध्ययन करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए जनवरी, 1989 में उच्च न्यायालय के तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक समिति गठित की है।

अगरबत्ती उद्योग द्वारा निर्यात

3964. श्रीमती बासव राजेश्वरी :

श्री माधवराव सिन्धिया :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरबत्ती उद्योग को जापान और चीन जैसे विदेशी बाजारों से कड़ी चुनौती और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग की सहायता करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ताकि विदेशी बाजारों में यह उद्योग उपस्थित चुनौती और प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी हां।

(ख) अगरबत्ती का निर्यात बढ़ाने के लिए 10% की दर से नकद मुआवजा सहायता और 15 प्रतिशत की दर से आयात पूर्ति प्रदान की गई है। सामान्यत: निर्यातक एककों को उपलब्ध सभी सामान्य प्रोत्साहन अगरबत्ती के निर्यातकों को भी दिए जाते हैं जैसे-शुल्क रियायत हकदारी योजना के अन्तर्गत कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात, शुल्क वापसी, आयकर की धारा 80 एच एच सी के अन्तर्गत निर्यात लाभ के सम्बन्ध में छूट, निर्यात संवर्धन क्रियाकलापों के लिए विदेशी मुद्रा आय का 10% भाग रख लेना, आदि।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन

3965. श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि निर्यात बढ़ाने और इसके लिए मूल सुविधाएं जुटाने हेतु राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार इस समय राज्यों को निर्यात बढ़ाने के लिए किस प्रकार के प्रोत्साहन देती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, इस सम्बन्ध में फिक्की सहित विभिन्न संगठनों द्वारा कुछ आम सुझाव दिए जा रहे हैं।

(घ) अवस्थापनात्मक सुविधाओं सहित निर्यात संवर्धन उपायों के आम पैकेज सभी राज्यों में निर्यातकों के लिए उपलब्ध हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के चेयरमैनों के विदेश दौरे

[हिन्दी]

3966. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक के चेयरमैन द्वारा वर्षवार किये गये विदेशी दौरों का ब्योरा क्या है और प्रत्येक दौरे का उद्देश्य क्या था; और

(ख) इन विदेशी दौरों में भत्ते के रूप में खर्च की गई कुल धनराशि और प्रत्येक बैंक के चेयरमैन को दिये गये ऐसे भत्तों का वर्ष-वार ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूरदर्शन पर राष्ट्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये आवंटित समय

[अनुवाद]

3967. श्री ए. के. अब्दुल समद : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली चार तिमाहियों के दौरान प्रत्येक तिमाही में राष्ट्रीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषाओं के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए राज्य-वार और भाषा-वार आवंटित समय का ब्योरा क्या है;

(ख) विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं और अंग्रेजी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के दूरदर्शन पर प्रसारण समय का तदनुसार ब्योरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय भाषाओं के लिये समय के आवंटन से संबंधित नीति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभापटल पर रख दिया जाएगा।

पिथोरागढ़ जिले उत्तर प्रदेश में चाय बागान

[हिन्दी]

3968. श्री हरीश रावत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश पिथोरागढ़ जिले में चाय के नये बागान लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में चाय की खेती के लिये उपयुक्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने परियोजना रिपोर्ट तैयार करने सहित सम्भाव्यता-सह-विनियोजन पूर्व अध्ययन करने के लिए परामर्शी फर्म की नियुक्ति की है जिसके मिलने की प्रतीक्षा है ।

क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों का प्रसारण

3969. श्री हरीश रावत : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु पर्याप्त समय दिया जाता है ताकि जनता को क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति की झलक मिलती रहे;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और लखनऊ के आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों से उत्तर प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल प्रभाग की संस्कृति और बोलियों के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये इस वर्ष के दौरान कुल कितना समय दिया गया;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु दिया गया समय पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन कार्यक्रमों के लिये अधिक समय आबंटित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) कार्यक्रमों की सीमितताओं के भीतर क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रमों को अधिकतम समय देने का प्रयास किया जाता है ।

(ख) कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में आकाशवाणी, अल्मोड़ा और आकाशवाणी, नजीबाबाद से प्रसारित अधिकतम कार्यक्रम, क्षेत्र की संस्कृति के और क्षेत्रीय भाषाओं में होते हैं । स्थानीय क्षेत्रों का भी प्रयोग किया जाता है ।

जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, दूरदर्शन के लखनऊ और दिल्ली केन्द्रों से जनवरी से अगस्त, 1990 तक गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषाओं के कार्यक्रमों को आबंटित कुल समय क्रमशः 266 मिनट और 145 मिनट हैं ।

(ग) और (घ) कार्यक्रम सीमितताओं को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन का, ऐसे कार्यक्रमों को आबंटित समय में वृद्धि करने का प्रयास है ।

उत्तर प्रदेश में भिकियासैण में बैंक शाखा का खोला जाना

3970. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में भिकियासैण में सरकारी क्षेत्र के बैंक की एक और शाखा खोलने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उक्त स्थान सब-डिवीजनल मुख्यालय तथा तहसील मुख्यालय है; और

(ग) उक्त बैंक शाखा के कब तक खुल जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में भिकियासेन केन्द्र में, जोकि ब्लाक मुख्यालय भी है, यूको बैंक की एक शाखा कार्य कर रही है। हाल ही में, भिकियासैन में सरकारी क्षेत्र के बैंक की कोई अतिरिक्त शाखा खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उपर्युक्त ब्लाक, जनसंख्या मानदंडों के संदर्भ में, बैंकिंग विस्तार के अनुसार सरप्लस है।

वस्तुओं के निर्धारित मूल्यों में वृद्धि

[अनुवाद]

3971. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल, चीनी, इस्पात, बिजली और रेल भाड़े के निर्धारित मूल्यों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) निविष्टियों की कीमतों में होने वाली वृद्धि को निष्प्रभावी करने तथा आर्थिक सहायता के भार को कम करने जैसे आर्थिक विचारों से प्रभावित मदों की कीमतें समय-समय पर संशोधित की जाती है। मदवार विवरण को पहले प्रकट कर देना लोकहित में नहीं होगा।

कर्नाटक में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा समुद्रतटीय सैरगाहों की स्थापना

3972. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का कर्नाटक में कुछ समुद्रीतटीय सैरगाहों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो भारत पर्यटन विकास निगम का राज्य में ऐसी कितनी परियोजनाओं की स्थापना करने का विचार है;

(ग) इस प्रयोजन हेतु किन स्थानों को चुना गया है; और

(घ) इन परियोजनाओं में कितना पूंजी-निवेश करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के वकीलों और डाक्टरों द्वारा आयकर का भुगतान

3973. श्री ए. के. राय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सबसे अधिक आयकर का भुगतान करने वाले उच्चतम न्यायालय के 20 डाक्टरों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार का वास्तविक देय आयकर राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दंडवते) : (क) आय कर अदा करने वाले तथा दिल्ली में कर-निर्धारित उच्चतम न्यायालय के उच्च कोटि के बीस अधिवक्ताओं के नामों का, अन्तिम बार कर-निर्धारित की गई उनकी आय अथवा विवरणी में भरी उनकी आय की मात्रा के इनमें से जो भी अधिक हो, आधार पर क्रमिक ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। आय कर अदा करने वाले तथा दिल्ली मे कर-निर्धारित उच्च कोटि के बीस डाक्टरों के नामों का, अन्तिम बार कर-निर्धारित की गई उनकी आय अथवा विवरणी में भरी उनकी आय की मात्रा के, इनमें से जो भी अधिक हो, आधार पर क्रमिक ब्यौरा विवरण-2 दिया गया है।

(ख) बीस एडवोकेटों के मामलो में से मामलों में कोई मांग बकाया नहीं है तथा दो मामलों में मांग अभी देय नहीं बनी है। इसी प्रकार, 20 डाक्टरों के मामलों में से 12 मामलों में कोई मांग बकाया नहीं है। शेष मामलों में बकाया आयकर की वसूली सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रशासनिक तथा कानूनी उपाय किए गए हैं।

विवरण-1

आयकर की अदायगी करने वाले उच्च कोटि के 20 एडवोकेटों (उच्चतम न्यायालय) की सूची

क्र.सं.	कर-निर्धारिती का नाम
1.	श्री शान्ति भूषण
2.	श्री जे. बी. दादाचन जी
3.	श्री रवीन्द्र नारायण
4.	श्री ओंकार चन्द माथुर
5.	श्री पी. आर. राव
6.	श्री कपिल सिब्बल
7.	श्री ए.के. सेन
8.	श्री के. के. खुल्लर

9.	श्री जी. रामास्वामी
10.	श्री आर. के. पी. शंकरदास
11.	श्री ए.वी. गांगुली
12	श्रीमती अंजना सेन
13.	श्री एल.आर. गुप्त
14.	श्री ओ.पी. खेतान
15.	श्री आर.एस. धई
16.	श्री एस.एल. वातिल
17.	श्री अवध बिहारी रोहतगी
18.	श्री बी. सेन
19.	श्री आनन्द नारायण पारिख
20.	श्री ओ.एन. वोहरा

विवरण—2

आयकर की अदायगी करने वाले उच्च कोटि के 20 डाक्टरों की सूची

क्र.सं.	कर-निर्धारिती का नाम
1.	डा. शीला मेहरा
2.	डा. (श्रीमती जे.एन. भूटानी
3	डा. राजन मैथ्यू
4.	डा. जे.एस. अरोड़ा
5.	डा. एम.जी. तलवार
6.	डा. राजीव वोहरा
7.	डा. के.पी. जैन
8.	डा. हरि मोहन
9.	डा. संजीव वोहरा
10.	डा. रमेश कुमार
11.	डा. एम.पी.एस. चावला

12. डा. आनन्द प्रकाश
13. डा. प्रेमलता सूद
14. डा. नरेश त्रेहन
15. डा. अदिति आनन्द
16. डा. एम एस. राणा
17. डा. हरीश महाजन
18. डा. के.सी. महाजन
19. डा. एस. पदमावती
20. डा. प्रभा संघी ।

राजस्थान में वन भूमि में खनिज भंडार

3974. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान मे वन भूमि में भारी मात्रा में खनिज उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों को, खनिजों का पता लगाने तथा उनके खनन के लिए वन क्षेत्र की श्रेणी से अलग रखने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्थान में तस्करी की गतिविधियां

[हिन्दी]

3975. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वर्ष 1988-89, 1989-90 में तस्करी के कितने मामले पकड़े गये और उनमें कुल कितनी मात्रा में सोना, अन्य सामग्री, विदेश मुद्रा, हेरोइन और अफीम पकड़ी गई और इस सबका मूल्य कितना था;

(ख) अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने अन्य क्या कार्यवाही की है; और

(ग) राजस्थान में तस्करी की गतिविधियां रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) वित्तीय वर्ष 1988-89 तथा

1989-90 के दौरान राजस्थान राज्य में सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने क्रमश: 613 मामलों में 3.71 करोड़ रुपए (लगभग) और 454 मामलों में 7.48 करोड़ रुपए (लगभग) के मूल्य का माल पकड़ा था। पकड़े गए सोने, मुद्रा हेरोइन और अफीम जैसे निषिद्ध माल की मात्रा और उसका मूल्य नीचे सारणी में दिया गया है :—

	1988-89 (कि.ग्रा. में)	मूल्य	1989-90 (कि. ग्रा. में)	मूल्य
सोना	30 876.	95 लाख रु. (लगभग)	19.786	60 लाख रु. (लगभग)
मुद्रा	—	—	—	—
हेरोइन	137.847		110.933	
अफीम	0.750		252.649	

हेरोइन और अफीम जैसे स्वापक औषध द्रव्यों का सही-सही मूल्य नहीं बताया जा सकता क्योंकि इनका मूल्य इनकी शुद्धता और इनके उदगम के स्थान आदि पर निर्भर करता है।

(ख) तस्करी की गतिविधियों में ग्रस्त पाये जाने वाले व्यक्तियों पर विभागीय कार्यवाहियों में अर्थदण्ड लगाया जाता है तथा उपयुक्त मामलों में उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है/उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाता है। यदि आवश्यक समझा जाता हो तो उन्हें निवारक नजरबन्दी कानूनों के अन्तर्गत भी किया जाता है।

(ग) तस्करी-रोधी अभियान को तेज कराया गया है तथा एक उपसमाहर्तालय, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, सृजन भी किया गया है जिसके क्षेत्राधिकार में भारत-पाकिस्तान सीमा का राजस्थान सेक्टर भी आता है और इसमें 5 प्रभाग और 22 रेंज कार्यालय शामिल हैं। तस्करी को रोकने तथा इसका पता लगाने में लगी सभी संबंधित एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा है। प्रवर्तन एजेन्सियों को जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया हो, वाहनों, आग्नेयास्त्रों, रात्रि में काम में लाई जाने वाली दूरबीनों, धातु-खोजी यंत्रों आदि से सुसज्जित किया गया है।

लोह और इस्पात सामग्री का वितरण

[अनुवाद]

3976. श्री बी. एन. रेड्डी :

श्री सरजू प्रसाद सरोज :

क्या इस्पात और खान मंत्री लोह और इस्पात सामग्री का वितरण के बारे में 25 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10549 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण के आंतरिक सतर्कता विभाग को पूरा मामला सौंपे जाने की सही तारीख क्या थी;

(ख) सतर्कता विभाग की जांच समिति का निदेश पद क्या था;

(ग) क्या सतर्कता विभाग ने मामलों की जांच कर ली है और यदि हां, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट किस तारीख को प्रस्तुत की थी;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिम्मेदार शाखा के कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) 24.5.1990 ।

(ख) मांग पंजीयन रिकार्ड में प्रतिस्थापन की सम्भावना की जांच करना । क्या ऐसे प्रतिस्थापन यदि कोई हों, से अन्य पार्टियों की सप्लाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाना तथा इसकी पुनरावृत्ति न होने के लिए सुझाव देना ।

(ग) जी, हां । 5.7.1990 को ।

(घ) सतर्कता ने शाखाओं में पंजीयन रिकार्डों को रखने से संबंधित पद्धति में कुछ परिवर्तन करने तथा प्रशासनिक कार्रवाई, जिसमें कुछ कर्मचारियों का स्थानान्तरण भी शामिल है, करने का सुझाव दिया है । सतर्कता रिपोर्ट में सुझायी गयी कार्रवाइयों पर सेल द्वारा कार्रवाई की गयी है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

लघु इस्पात संयंत्र

[हिन्दी]

3977. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु इस्पात संयंत्रों की संस्थापना के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) इस समय लघु इस्पात संयंत्रों की राज्यवार कुल संख्या क्या है तथा उनकी क्षमता कितनी है;

(ग) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान लघु इस्पात संयंत्रों का कुल उत्पादन कितना था, और

(घ) लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों को क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जम्मू व कश्मीर उत्तर-पूर्वी राज्यों आदि जैसे कुछेक क्षेत्रों को छोड़कर विद्युत चाप भट्टी आधारित नये लघु इस्पात

संयंत्रों की स्थापना की अनुमति नहीं दी गई। वर्तमान इकाइयों को आधुनिक बनाने/विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। तथापि, विद्युत चाप भट्टी/ऊर्जा इष्टतमीकरण प्रौद्योगिकी पर आधारित गौण क्षेत्र की 10 लाख मी. टन तक की क्षमता, जिसमें लघु धमन भट्टियां भी शामिल हैं, वाली इकाइयों में इस्पात बनाने की अतिरिक्त क्षमता सृजन करने की अनुमति देने के बारे में निर्णय लिया गया है। प्रोडक्टमिक्स तथा अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए उद्यमियों को संयंत्र के आकार के बारे में निर्णय लेने का विकल्प होगा।

(ख) लघु इस्पात संयंत्र (विद्युत चाप भट्टी) की राज्यवार संख्या तथा उनकी क्षमता (जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार) संलग्न विवरण-में दी गई है।

(ग) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान लघु इस्पात संयंत्रों (विद्युत चाप भट्टी) के अपरिष्कृत इस्पात का कुल उत्पादन क्रमशः 31.1 लाख मी. टन, 31.7 लाख मी. टन और 31.3 लाख मी. टन है।

(घ) लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना हेतु उद्यमियों को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है।

विवरण

			अतारांकित प्रश्न संख्या 3977
क्र. सं.	राज्य का नाम	इकाइयों की संख्या जिन्हें औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए	क्षमता (हजार में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9	262.8
2.	असम	2	27.0
3.	बिहार	7	316.0
4.	चंडीगढ़	1	40.0
5.	दिल्ली	1	09.0
6.	गुजरात	6	221.0
7.	गोवा	—	—

1	2	3	4
8.	हरियाणा	13	372.5
9.	हिमाचल प्रदेश	4	166.0
10.	जम्मू एंड कश्मीर	2	36.0
11.	केरल	1	50.0
12.	कर्नाटक	12	406.5
13.	मध्य प्रदेश	14	667.5
14.	महाराष्ट्र	32	1686.3
15.	मेघालय	—	—
16.	उड़ीसा	1	50.0
17.	पंजाब	9	333.0
18.	पांडिचेरी	3	178.0
19.	राजस्थान	7	145.2
20.	तमिलनाडु	6	245.0
21.	उत्तर प्रदेश	26	629.8
22.	पश्चिम बंगाल	23	525.9
	कुल	179	6367.5

लोहे और इस्पात का उत्पादन

[अनुवाद]

3978. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित इस्पात संयंत्रों में वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान लोहे और इस्पात के उत्पादन का श्रेणी-वार ब्योरा क्या है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान लघु इस्पात संयंत्रों में श्रेणी-वार और वर्ष-वार लोहे के उत्पादन का ब्योरा क्या है, और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार रि-रोलिंग मिलों का श्रेणी-वार उत्पादन का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) एकीकृत इस्पात कारखानों द्वारा किया गया विक्रेय इस्पात का श्रेणीवार उत्पादन

(लाख टन)

श्रेणी	1987-88	1988-89	1989-90
I स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. द्वारा (इस्को भी शामिल है) विक्रेय इस्पात			
(क) अर्ध-तैयार	11.65	12.49	10.98
(ख) तैयार इस्पात			
—चपटे	34.78	40.14	99.29
—अचपटे	20.31	19.98	20.36
कुल	66.74	72.61	70.63
कच्चा लोहा	12.30	10.09	12.33
II. इस्को द्वारा विक्रेय इस्पात			
(क) अर्ध-तैयार	9.29	9.04	10.33
(ख) तैयार इस्पात			
—चपटे	3.81	3.90	3.63
—अचपटे	6.04	6.50	5.70
*कुल	18.6	19.0	19.1
कच्चा लोहा	—	—	0.70

ढलाई/टूल प्रभाग में उत्पादन के लिए हस्तांतरित इस्पात समायोजन के बाद कुल विक्रेय इस्पात से संबंधित आंकड़े ।

छोटे स्टील संयंत्रों (इलैक्ट्रिक आर्क फरनेंस) में पिछले तीन वर्षों में श्रेणीवार स्टील का उत्पादन

(ख) श्रेणी	1987-88	1988-89	1989-90 (अप्रैल से सित. 89)
मृदु इस्पात	21 94	20.58	8.03
मध्यम/उच्च कार्बन युक्त इस्पात	3.85	4.85	1.75
मिश्र इस्पात	4.21	5.02	2.24
बेदाग इस्पात	1.13	1.28	0.55
कुल	31.11	31.73	12.57

वर्ष 1989-90 में हुए उत्पादन के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, हालांकि कुल उत्पादन अनंतिम रूप से 27.21 लाख मी. टन वर्ष 1989-90 के लिए श्रेणीवार उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पुनर्बेलन मिलों में इस्पात का श्रेणीवार उत्पादन निम्नानुसार हुआ :—

(लाख टन)

श्रेणी	1987-88	1988-89	1989-90 (अप्रैल-सित., 89)
छड़ें/गोल छड़ें	21.66	20.67	8.85
तार छड़ें	5.47	5.44	2.22
संरचनात्मक	9.11	7.68	3.31
हुप्स	0.22	0.07	0.01
स्पेशल सेक्शन	0.84	0.99	0.57
सिल्लियां	0.07	0.32	0.20
कुल	37.37	35.17	15.16

वर्ष 1989-90 में कुल उत्पादन के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, हालांकि कुल उत्पादन अनंतिम रूप से 31.29 लाख मी. टन है। वर्ष 1989-90 के संबंध में श्रेणीवार उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति

3979. श्री सरजू प्रसाद सरोज :

श्री कमल चौधरी :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के उच्च अधिकारियों की सेवावधि बढ़ाने की स्वीकृति मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति द्वारा प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या कदाचार, अनियमितताओं आदि में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शामिल उच्च अधिकारियों की सेवावधि बढ़ाने पर विचार नहीं किया जाता है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. के नई दिल्ली शाखा बिक्री केन्द्र कार्यालय द्वारा इस्पात सामग्री आदि के वितरण में भारी अनियमितताएं बरते जाने के संबंध में इस प्राधिकरण की आंतरिम समिति ने 21-10-89 को और लेखा परीक्षा ने दिसम्बर, 1989 और जनवरी, 1990 की रिपोर्ट में उल्लेख किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या शामिल किसी कार्यकारी निदेशक की सेवावधि को मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति द्वारा बढ़ाया जा रहा है, और

(ङ) क्या सरकार इस सम्बन्ध में अपने निर्णय पर यदि वह पहले से किया गया है पुनर्विचार करेगी ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) सेवाकाल बढ़ाने की मंजूरी देने से पहले सम्बन्धित अधिकारियों की सतर्कता संबंधित दृष्टिकोण से पुष्टि प्राप्त की जाती है।

(ग) रिपोर्टों में कुछ कार्य पद्धति संबंधी अनियमितता तथा विविधता में होने का उल्लेख किया गया है जिनका उत्तर सेल के शाखा विक्रय कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा दिया गया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित मामले में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल) के किसी कार्यात्मक निदेशक के किसी प्रकार अभिनिहित होने का कोई साक्ष्य सरकार के पास नहीं है, अतः इसका प्रश्न नहीं उठता।

फिल्म नगरी नोएडा

[हिन्दी]

3980. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) किन-किन शहरों का फिल्म नगरो/फिल्म उद्योग के रूप में विकास किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) नोएडा में किन-किन फिल्म निर्माताओं को राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई है और उसका कब्जा दिया गया है;

(ग) वहां पर अभी तक फिल्म स्टूडियो स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने का विचार है, जिन्होंने आवंटित भूमि का अभी उपयोग नहीं किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) मंत्रालय का किन्हीं नगरों को फिल्म नगर के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) नोएडा प्राधिकारियों के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फिल्म निर्माताओं/निर्देशकों या फिल्म उद्योग से संबंधित व्यक्तियों/कंपनियों, के नाम नीचे दिए गए हैं, जिन्हें नोएडा में फिल्म/श्रव्य/वीडियो आदि स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की गई है :—

(1) श्रव्य/वीडियो तथा फिल्म स्टूडियो स्थापित करने के लिए मैसर्स सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड।

(2) वीडियो स्टूडियो स्थापित करने के लिए मैसर्स लक्ष्मी प्रोडक्शन के श्री ए. पूरनचन्द्र राव।

(3) 35 एम. एम./16 एम. एम. फिल्म की प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोडक्शन सुविधाओं के लिए मैसर्स प्रसाद प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के श्री रमेश प्रसाद।

(4) फिल्म स्टूडियो, वीडियो स्टूडियो और श्रव्य स्टूडियो स्थापित करने के लिए मैसर्स रोमेश फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के श्री रमेश शर्मा।

(5) इंडोर वीडियो स्टूडियों, वीडियो के लिए तकनीशियनों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए मैसर्स यादिश्ता फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के श्री यश चोपड़ा।

(6) इंडोर स्टूडियो, डबिंग स्टूडियो, रिकार्डिंग स्टूडियों तथा प्रिव्यू एवं मिक्सिंग स्टूडियो स्थापित करने के लिए मैसर्स नरसिम्हा इंटरप्राइजेज के श्री बोनी कपूर।

(7) फिल्म स्टूडियो स्थापित करने के लिए मैसर्स पदमिनी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के श्री टूटू शर्मा।

(8) ग्राफिक स्टूडियो स्थापित करने, संपादन और साउंड ट्रांसफर सुविधाएं, साउंड और ध्वनि और दृश्य इफैक्ट के लिए मैसर्स सिने इमेजेज इंटरटेनमेंट के श्री विनोद पांडे।

(9) स्टूडियो स्थापित करने के लिए मैसर्स ईगल फिल्म्स के श्री एस. सी. मेहरा।

(10) प्रिव्यू थियेटर स्थापित करने के लिए मैसर्स मरवाह इलैक्ट्रानिक एण्ड कम्प्यूटर्स के श्री संदीप मरवाह।

(11) मैसर्स बी. के. पी. मीडिया विजर प्राइवेट लिमिटेड।

मुकदमें के अधीन

(12) वीडियो और फिल्म स्टूडियो स्थापित करने के लिए मैसर्स गौतम पिक्चर्स।

(ग) नोएडा प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अभी तक मैसर्स ईगल फिल्म्स ने काम्पलैक्स में अपना स्टूडियो स्थापित किया है तथा शूटिंग/निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है। (1) मैसर्स सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2) मैसर्स मरवाह इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स और (3) मैसर्स लक्ष्मी प्रोडक्शंस द्वारा स्थापित किए जाने वाले स्टूडियो का भवन निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा इन स्टूडियो में फिल्म निर्माण के काम के शीघ्र आरम्भ होने की संभावना है। शेष आबंटितियों का निर्माण कार्य भी चल रहा है। तथापि आबंटितियों के द्वारा कार्य देरी से आरम्भ किए जाने के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में देरी,

( ) आबंटितियों की अन्य फिल्म निर्माण कार्यों में पूर्व-व्यस्तता।

(घ) जिन आबंटितियों ने आबंटन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर अपने परियोजना का पहला दौर पूरा कर लिया हो उनके मामले में 100/-रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रियायत के रूप में प्रोत्साहन दिया गया है। भवन निर्माण कार्य की प्रगति नौएडा प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर मानिटर की जा रही है। तथा आबंटितियों को परियोजना पूरा करने के बारे में अपनी समय सारणी प्रस्तुत करने के लिए जोर डाला जा रहा है। यदि आबंटिती, आबंटन की शर्तों के अनुसार अपना कार्य पूरा नहीं करते तो विरुद्ध नोएडा प्राधिकारियों द्वारा समुचित कारंवाई की जाएगी।

कर निर्धारिती की अनुपस्थिति में आयकर छापे

[अनुवाद]

3981. श्री हरिन पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तलाशी लेने अथवा छापा मारने वाले जांच अधिकारी संबन्धित कर-निर्धारिती की अनुपस्थिति में तब तक तलाशी नहीं ले सकता है, जब तक कि उसके असहयोग के सम्बन्ध में कोई अभिलेख न हो;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 25 जुलाई, 1990 को आयकर अधिकारियों द्वारा कर निर्धारिती और उसकी पत्नी की अनुपस्थिति में कुछ परिसरों में छापे मारे गए थे;

(ग) क्या छापे के दौरान जांच अधिकारियों द्वारा मालिकों की अनुपस्थिति में और केवल नौकरों की उपस्थिति में अलमारियों और तिजोरियों के ताले तोड़े गए थे; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले में उनकी इस दखलअन्दाजी का संबन्धित अधिकारियों से कोई स्पष्टीकरण मांग गया है; यदि हां, तो उनके स्पष्टीकरण का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, हां। आयकर अधिनियम के अधीन नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति से सम्बन्धित परिसरों की तलाशी परिसर-प्रभारी व्यक्तियों तथा स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में ली गई थी।

(घ) चूंकि ये तलाशियां कानून के अनुसार ली गई थी, इसलिए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

"फेरा" कम्पनियों पर निर्यात दायित्व

3982. श्री हरिश पाठक :

श्री गंगा चरण लोधी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "फेरा कम्पनियों और/या तत्कालीन उन "फेरा" कम्पनियों, जो अपनी इक्विटी पूंजी 40 प्रतिशत से कम करने के बाद तकनीकी दृष्टि से अब भारतीय कम्पनियां बन गई हैं, को आयात की अनुमति देते समय उनके लिए कुछ निर्यात दायित्व निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कम्पनियों द्वारा अधिकांश निर्यात अपनी सहयोगी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों से किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ये कम्पनियां अधिकांशत: लघु उद्योगों तथा अन्य एककों द्वारा उत्पादित माल का निर्यात करती हैं; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन कम्पनियों द्वारा किये गये निर्यात का वार्षिक विवरण क्या है और निर्यात किए गए माल में कितना उत्पादन इनका अपना है तथा कितना उत्पादन अन्य निर्माताओं का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (च) सामान्य रूप से फेरा कम्पनियों पर आरोपित किए गए कुल वार्षिक कारोबार पर कम से कम 10% का निर्यात दायित्व फेरा अधिनियम की धारा के तहत संचालित होता है। तथापि, विदेशों में स्थित उनकी सहायक कम्पनियों से उनके आयात अथवा लघु उद्योगों और अन्य एककों द्वारा विनिर्मित उत्पादों सहित उनके निर्यात से सम्बन्धित सूचना नहीं रखी जाती है।

अमरीका द्वारा समन्वित दृष्टिकोण की मांग करना

3983. श्री अन्नासाहेब पोटदुखे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के प्रति समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की अमरीका की मांग को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत अमरीका द्वारा सभी उत्पादों पर आपसी सहमति द्वारा टैरिफ निर्धारित करने की बात पर जोर देने और भुगतान शेष के विवाद को खड़ा करने के अमरीका के प्रयास के पीछे औचित्य को समझ पाया है; और

(घ) यदि हां, तो भारत के अनुसार वर्तमान स्थिति का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरगिल औयरन) : (क) से (घ) बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के उरूग्वे दौर में टैरिफ सम्बन्धी वार्ताकारी समूह में संयुक्त राज्य अमरीका ने यह सुझाव दिया कि वह बाजार प्रवेशवार्ताओं में एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएगा। उसने संकेत दिया कि अमरीकी उत्पादों के लिए जिन गैर-टैरिफ उपायों के कारण रूकावट आती है वह अन्य सहभागियों द्वारा आफर की गई टैरिफ छूट का मूल्यांकन करते समय उनकी बारीकी से जांच की जाएगी। संयुक्त राज्य अमरीका ने यह भी बताया है कि वह तब तक कोई पारस्परिक टैरिफ रियायत नहीं देगा जब तक कि गैर-टैरिफ उपायों के सम्बन्ध में अमरीका चिन्ता पर पर्याप्त विचार करने का वादा न किया जाए। इसी दृष्टिकोण के आधार पर संयुक्त राज्य अमरीका ने टैरिफ तथा गैर-टैरिफ उपायों में कमी लाने/उन्हें समाप्त करने के बारे में विभिन्न मदों की एक अनुरोध-सूची प्रेषित की है। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा जिन प्रमुख गैर-टैरिफ उपायों का पता लगाया गया है वे हैं-आयात लाइसेंसिंग, इस्पात क्षेत्र को आर्थिक सहायता, अमरीकी फिल्मों के लिए कोटा, परस्पर व्यापार तथा कम्प्यूटरों के आयात पर कठोर संरूपण, आदि।

अमरीकी सरकार का मुख्य प्रयोजन अमरीकी निर्यात-उत्पादों के लिए अधिकतम प्रवेश पाना है।

हमने यह रूख अपनाया है कि भुगतान शेष के कारण हमने जो आयात प्रतिबन्ध लगाए हैं वे प्रवेश सम्बन्धी वार्ताओं का हिस्सा नहीं है। इससे हमें स्वतंत्र उदारीकरण उपायों के लिए ऋण का दावा करने में कोई रुकावट नहीं आती है।

भारतीय संविधान की मूल प्रतियां

3984. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय संविधान की हिन्दी और अंग्रेजी में मूल रूप से कितनी प्रतियां तैयार और विधिवत रूप से अधिप्रमाणित की गई थी;

(ख) ये प्रतियां किसके संरक्षण में रखी गई हैं;

(ग) क्या ये सभी प्रतियां उन कार्यालयों/संस्थानों के पास उपलब्ध हैं जिनके संरक्षण में ये मूल रूप से रखी गई थीं; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई आवधिक वस्तुपूरक जांच की जाती है कि मूल प्रतियां पूरी तरह संरक्षित और सुरक्षित हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी हां। संविधान सभा के विचार-विमर्श, तारीख 26 नवम्बर, 1949, जिल्द 11, सं. 12, पृ. 995 और तारीख 24 जनवरी, 1950, जिल्द 12, स. 1, पृ. 6, के अनुसार भारत के संविधान की तीन मूल प्रतियां तैयार की गई थी . उनमे से दो अंग्रेजी में थी और एक हिन्दी में, जिन्हें संविधान सभा के सभापति ने प्राधिकृत किया था।

(ख) से (घ) यह समझा जाता है कि संविधान सभा के सभापति डा. राजेन्द्र प्रसाद और अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित भारत के संविधान के प्राधिकृत पाठ की अंग्रेजी में मुद्रित एक प्रति भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की अभिरक्षा में है। भारत के संविधान की केलिग्राफ प्रतियां-एक हिन्दी में और एक अंग्रेजी में संसद पुस्तकालय, लोक सभा सचिवालय की अभिरक्षा में है।

संसद सदस्यों के पत्रों का निपटारा

3985. श्री परसराम भारद्वाज : क्या संसदीय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसदीय कार्य विभाग ने सभी केन्द्रीय मन्त्रालयों और सरकारी कार्यालयों को यह निदेश जारी किये है कि संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की उन्हें तुरन्त पावती भेजी जाए और निर्धारित समय के भीतर उन्हें अंतिम उत्तर दे दिया जाए;

(ख) यदि हां तो गत छ: महीनों के दौरान इस आशय के जारी किये गए पत्र की संख्या और दिनांक क्या हैं: और

(ग) क्या कुछ मन्त्रालयों द्वारा संसद सदस्यों के कतिपय पत्रों के उत्तर नहीं भेजे गये है और यदि हां, तो उन मन्त्रालयों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) और (ख) संसदीय कार्य मन्त्रालय ने सदस्यों के पत्रों के निपटारे के सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी कार्यालयों को कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं। तथापि ये अनुदेश केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति (पैराग्राफ 57 और 60) में उल्लिखित है जो कि एक प्रकाशित दस्तावेज है और जिसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने प्रकाशित करवाया है।

(ग) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के उत्तर देने का दायित्व प्रत्येक मंत्रालय/विभाग का है।

फिल्म प्रभाग को किराये के रूप में हुई वार्षिक आय

3986. श्री सुधाम देशमुख : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म प्रभाग की लघु फिल्मों के अनिवार्य रूप से प्रदर्शन हेतु देने पर फिल्म प्रभाग को पिछले तीन वर्षों के दौरान किराये के रूप में भारतीय फिल्म प्रदर्शकों से कितनी वार्षिक आय हुई है;

(ख) क्या सरकार को फिल्म उद्योग से लगातार इस आशय के अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि फिल्म प्रमाण की लघु फिल्मों के अनिवार्य रूप से प्रदर्शन पर सिनेमा वालों से किराया वसूल करने की प्रथा समाप्त कर दी जाये; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी· उपेन्द्र) : (क) पिछले तीन वर्षों की वार्षिक आय इस प्रकार है :—

1987-88	630.74 लाख रुपये
1988-89	651.69 लाख रुपये
1989-90	678.30 लाख रुपये

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने के पक्ष में है।

समय मान पदोन्नति

3987. श्री रविनारायण पाणि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का अपने सभी कर्मचारियों को समय मान पदों पदोन्नति देने का कोई प्रस्ताव है ताकि प्रत्येक कर्मचारी को उसके सेवा काल में कम से कम एक अथवा दो पदोन्नति मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) सरकार उन सभी ग्रुप (ग) और (घ) के कर्मचारियों को उनके सेवाकाल में एक पदोन्नति देने की संभावनाओं पर विचार कर रही है जिनकी पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हैं। इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विशाखापत्तनम में इस्पात परियोजना और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजना की स्थापना से बेदखल हुए लोगों को रोजगार

3988. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजना के लिए कितने परिवारों की भूमि और मकानों का अधिग्रहण किया गया;

(ख) इन परिवारों के लोगों को रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाए हैं और उनमें से अब तक कितने परिवारों को रोजगार दिया जा चुका है, और

(ग) यदि उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) विशाखापट्टणम इस्पात परियोजना (वी. एस. पी.) की स्थापना के लिए 14,188 परिवारों की भूमि और मकानों का अधिग्रहण किया गया था । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने विशाखापट्टणम में कोई विद्युत परि- की योजना स्थापित नहीं है ।

(ख) और (ग) रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए विस्थापित व्यक्तियों के नाम पर विशाखापट्टणम इस्पात परियोजना में गैर-कार्यपालक पदों पर भर्ती के लिए प्राथमिकता दी गयी थी । इसके अतिरिक्त कुछ पदों के सम्बन्ध में उनके नामों पर विचार करते समय निर्धारित आयु-सीमा और शैक्षिक योग्यता में छूट दी गयी थी । विशाखापट्टणम इस्पात परियोजना में 5007 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है जबकि 5060 व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने का लक्ष्य था ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए संयुक्त उद्यम

3989. श्री बसंत साठे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के डेनिस और दक्षिण कोरियाई कंपनियों के साथ पुन: करीद व्यवस्था के अन्तर्गत करार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए संयुक्त उद्यमों को आकर्षित करने के लिए उदारवादी नीति परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और उनका विपणन करने के लिए सरकार ने डेनिश और दक्षिण कोरियाई कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया है । वे हैं—

(I) मैं. ओशेनिया मर्केन्डाइज लि., हैदराबाद को मै. स्कानफिश, डेन्मार्क के साथ सहयोग के लिए । यह सहयोग दीर्घावधि पट्टे पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के तीन ट्रालर प्राप्त करने के लिए है जिसके अन्तर्गत विदेशी सहयोगी परियोजना में 40% इक्विटी प्राप्त करेगा और तकनीकी जानकारी तथा उपस्कर प्रदान करेगा ।

(II) मैं. फिशिंग फाल्कान्स लि., हैदराबाद को मैं साय इउन कारपोरेशन कंपनी लि., दक्षिण कोरिया के साथ तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग के लिए । यह सहयोग टुना

लांग लाइनिंग के लिए दो नयी नौकाओं की तत्काल खरीद के लिए है जिसके अंतर्गत विदेशी सहयोगी, कम्पनी की प्रदत्त पूंजी का 40% निवेश करेगा।

(ग) और (घ) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति को उदार बनाने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं, ये प्रयास मुख्यतः निम्नलिखित के बारे में हैं—

(I) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं के अधिग्रहण के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

(II) संयुक्त उद्यम कम्पनियों द्वारा नौकाओं का दीर्घ पट्टे पर तथा पुरानी नौकाओं का कुछ दिनों तक के लिए अधिग्रहण।

(III) विदेशी कर्मी दलों के क्लीयरेन्स के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

(IV) इस क्षेत्र के लिए अवस्थापनात्मक सुविधाओं में सुधार करने के जरिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग का विकास।

सेवा संबंधी मामलों में कानूनी राय

3990. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों द्वारा उच्च तथा उच्चतम न्यायालय न्यायालय में दायर किए गए मामलों को लड़ने से पूर्व उनके बारे में एटार्नी जनरल आफ इंडिया अथवा सालिसिटर जनरल आफ इंडिया से कानूनी राय लेती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सेवा के मामलों में कानूनी राय लेने से मुकदमों की संख्या में कमी होने के साथ-साथ सरकार द्वारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में इन मुकदमों को लड़ने पर होने वाले व्यय में भी कटौती होगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस बारे में मार्ग निर्देश जारी करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जब कभी आवश्यक समझा जाता है, भारत के महान्यायवादी और भारत के महासालिसिटर से परामर्श किया जाता है। विधिक राय प्राप्त करने के लिए स्वायत्त निकायों की अपनी व्यवस्था है।

(ग) और (घ) सरकार के मंत्रालय/विभाग भी, आवश्यक होने पर सेवा संबंधी मामलों में राय लेते हैं।

भीलवाड़ा में सरकारी क्षेत्र के एकक स्थापित किया जाना

3991. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में खड़िया पत्थर पर आधारित उत्पादों के निर्माण हेतु सरकारी क्षेत्र के एकक स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर क्या कारंवाई की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में घियापत्थर (सोपस्टोन) और अभ्रक (माइका) पर आधारित उत्पादों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में यूनिट लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है -

(ख) और (ग) प्रश्न नही उठता।

12.00 मध्याह्न

अध्यक्ष महोदय : श्री कमल नाथ

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बैंठ जायें।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : आप हमें मौका देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : राही जी, आप बैठ जायें।

श्री राम लाल राही : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, आपने यह व्यवस्था दी है कि जो लोग लिख कर देंगे, उनको बात उठाने की परमीशन देंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैंठ जायें :

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री कमल नाथ (छिन्दवाडा) : पिछले 9 महीने से हम प्रधान मंत्री तथा सरकार की पंजाब समस्या के बारे में कार्य योजना के सम्बन्ध में सुन रहे हैं। आरम्भ में हमने प्रधान मंत्री को एक खुली जीप में अमृतसर में घूमते हुए देखा और समझा कि यह पंजाब की सभी समास्याओं का समाधान हैं। प्रधान मंत्री ने हाल ही में पंजाब की यात्रा की तथा दूरदर्शन पर दिखाया गया कि वहां पर बहुत अधिक शान्ति है। वहां पर प्रधान मंत्री ने अनेक हिदायतों की घोषणा की प्रधानमंत्री तथा इस सरकार की असफलता तथा गलत नीतियों के कारण आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जो

कि आज के समाचारपत्रों में दर्शाई गई है। एक मांग उठाई गई है जो कि किसी व्यक्ति विशेष अथवा लोगों के किसी ग्रुप ने नहीं उठाई है बल्कि एक ऐसे राजनैतिक दल ने यह आवाज उठाई है जिसका कि एक चुनाव चिन्ह है, जिसने चुनाव लड़े हैं तथा जिसके उम्मीदवार जीत कर लोक सभा के सदस्य बने हुए हैं। चुनाव के दौरान इस राजनैतिक दल का जनता दल से चुनावी समझौता था। हमें इस पृष्ठभूमि को भूलना नहीं चाहिए। उसी राजनैतिक दल ने जिसका कि पिछले लोकसभा चुनावों में जनता दल के साथ चुनावी समझौता था, उसने अब एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र तथा अलग सिख राष्ट्र, खालिस्तान की मांग की है। इस पृष्ठ भूमि को हमें ध्यान में रखना होगा क्योंकि इससे प्रधान मंत्री तथा उनकी सरकार की नीति स्पष्ट होती है। अब आगे क्या हुआ है ? अब यह सुना जा रहा है कि राज्यपाल ने घोषणा की है कि चुनाव करवाए जायेंगे। और इस राजनैतिक दल तथा इसके अध्यक्ष का कहना है कि ठीक है, हम मतपेटी के द्वारा खालिस्तान प्राप्त करेंगे। क्या सरकार मान की स्थिति को गंभीरता को समझती है ? अब यह राजनैतिक दल संयुक्त राष्ट्र संघ को लिख रहा है और चुनाव आयोग की बजाय संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में चुनावों की मांग कर रहा है। इसलिए क्या सरकार की इस सम्बन्ध में कोई नीति योजना अथवा प्रतिक्रिया है या वह इन सब मुद्दों के प्रति उदासीन है ? क्या माननीय गृह मंत्री अथवा माननीय प्रधान मंत्री इस संबंध में वक्तव्य देंगे ?

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) 13 अप्रैल, 1990 को तलवंडी साबो के दमदमा साहिब गुरुद्वारे में बैसाखी के मेले के दौरान श्री सिमरनजीत सिंह मान ने जनमत संग्रह की मांग की थी। उन्होंने यह घोषणा की थी कि उनका दल प्रभुसत्तासम्पन्न, स्वतंत्र तथा अलग सिख राष्ट्र "खालिस्तान" बनवाने के लिये अभियान चलायेगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत में जनमत संग्रह करवाने की मांग की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है। मैंने कार्य सूची में यह पढ़ा है कि अध्यक्ष महोदय चार सदस्यों को विचार व्यक्त करने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार श्री सिमरनजीत सिंह मान के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है जो कि अभी भी संसद सदस्य हैं। यह सरकार कमजोर है। यह सरकार पंजाब में लोगों को, पुलिस तथा प्रशासन को आतंकित कर रही है। पंजाब समस्या को सुलझाने की बजाय यह सरकार मंडल आयोग जैसी सस्ती चालें चल रही है। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि वह अलगाववादी तत्वों तथा आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (करवा) : पिछले कुछ समय से पंजाब की स्थिति बिगड़ रही है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस सत्र में हमें इस पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। नवीनतम रिपोर्ट बहुत ही चौंका देने वाली है। श्री मान के कथन से स्पष्ट है कि पंजाब में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए चुनावों सहित जो भी कदम उठाए जायेंगे, आतंकवादी इस सब को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। खालिस्तान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्री मान ने संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में चुनावों की मांग की है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि 6 अगस्त, 1990 को अमरीका के भारत में राजदूत ने पंजाब की यात्रा की तथा वहां पर सिख स्टूडेंट फैडरेशन ने उन्हें एक ज्ञापन दिया जिसमें खालिस्तान की प्राप्ति के लिए अमरीका की सहायता मांगी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस देश में इन सब गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कोई प्राधिकरण है तथा क्या राजदूत को स्पष्ट रूप से बता दिया

गया था कि उन्हें भारत में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करने दी जायेगी जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिले। इसलिए, मैं सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं तथा यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस षड्यंत्र की किसी को चिन्ता है जो कि देश में रचा जा रहा है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो आशा की गई थी कि पिछले वर्षों के दौरान जो उलझनें पैदा हुई हैं, उनके साथ-साथ पंजाब समस्या को भी सुलझा लिया जायेगा। इन उम्मीदों तथा अपेक्षाओं को और भी बल तब मिला जब प्रधान मंत्री की अमृतसर यात्रा के द्वारा इस दिशा में एक कदम बढ़ाया गया तथा उन लोगों को छोड़ने की घोषणा की गई जिन्हें बिना पर्याप्त आधार के बन्दी रखा गया था, और दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में हुए दंगों के मामलों को निपटाने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया गया। हमने उन कदमों का स्वागत किया। मेरे दल तथा मेरी बाईं तरफ के सहयोगियों ने इसका स्वागत किया था। यह कदम ठीक दिशा में उठाए गए परन्तु मेरे विचार में जो बहुत ही उलझन भरी बात रही तथा जिसके कारण देश पंजाब में हुई मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का लाभ नहीं उठा पाया, वह थी श्री सिमरन जीत सिंह मान के सम्बन्ध में गलत आकलन जिसने कि सरकार के दृष्टिकोण, नीति तथा पंजाब का समस्या से निपटने के तरीके को उलझन में डाल दिया है। मेरी पार्टी ने पहले ही दिन से सरकार को सावधान कर दिया था और कहा था "आखिर एक ऐसा व्यक्ति सामने आया है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। उसे जेल भेजा गया। उसे जेल से बाहर आने दीजिए और अपनी वास्तविक स्थिति समझने दीजिए कि व्याप्त परिस्थितियों में उसका क्या अस्तित्व है और उसी के अनुसार पंजाब में जो आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसके लिए आपको उसे केन्द्रीय व्यक्ति बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। मेरे विचार में सरकार के इसी दृष्टिकोण के कारण सुरक्षा सेनाओं को भी यह संकेत मिल गए और वहां रह रहे लोगों को भी जो कि अपनी जान जोखिम में डाल कर आतंकवाद का सामना कर रहे है तथा उससे लड़ रहे हैं। उनका यह सोचना है कि अगर इन्हीं लोगों ने कल हम पर शासन करना है तो इस प्रकार के आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने का क्या लाभ है। मेरे विचार में यह पिछले 8-9 महीनों मे पंजाब समस्या से निपटने में सबसे बड़ी कमजोरी तथा कमी रही। (व्यवधान)। मैं व्यक्तिगत रूप से तथा मेरा दल दोनों ही सरकार को ऐसा न करने के लिए सावधान करते रहे हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि पहली बार सरकार ने श्री मान के कथन की निन्दा करते हुए वक्तव्य दिया है यद्यपि इस प्रकार के वक्तव्य पहले भी दिए जाते रहे हैं। मुझे श्री मान द्वारा दिया गया एक बहुत ही भद्दा वक्तव्य याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो इस देश के सिख भारत का साथ नहीं देंगे। यह देश भक्त सिख समुदाय को कलंकित करने वाला वक्तव्य था। यह बहुत ही शर्मनाक तथा घृणित बात है। परन्तु इस प्रकार के वक्तव्य वे देते है और जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं, उन्होंने इस बारे में पहले ही सावधान कर दिया था, यद्यपि मेरी इस व्यक्ति के प्रति इसलिए सद्भावना रही क्योंकि इसने उत्पीड़न सहा है, दुख झेला है इसलिए इस व्यक्ति में कुछ असन्तुलन होगा तथा उसका विपरीत दृष्टिकोण समझ में आता है। परन्तु, सरकार के लिए ऐसे व्यक्ति को मुख्य भूमिका सौंपना गलत था, और मेरे विचार में हम सब ने इसका मूल्य चुकाया है और अभी समय है जब आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सिख समुदाय मे इस विश्वास की भावना जागृत हो "यह आपका देश है तथा आप देश के प्रमुख निर्माता हैं।" देश के लिए उनकी सेवा का इतिहास ऐसा है जिस पर सारे देश तथा देश के इतिहास को गर्व है। परन्तु इसके साथ-साथ सरकार को एक लक्ष्मण रेखा निर्धारित करनी होगी जिसके अनुसार यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में समझौता

नहीं किया जाएगा चाहे अलगाववाद हो या आतंकवाद, इनसे किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जायेगा, और मेरे विचार में इस सम्बन्ध में सारा सदन सरकार के साथ है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने श्रीमती गीता मुखर्जी का नाम पुकारा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, आप उस समय पीठासीन नहीं थे। इस महीने की 27 तारीख को वामपंथी दलों ने एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था जिसमें पंजाब के हजारों लोगों ने भाग लिया था और उन्होंने यह मांग की थी कि जहां तक आतंकवादियों की अलगाववादी गतिविधियां तथा हिंसा का प्रश्न है उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। यह भी मांग की गई कि सिखों में विश्वास की भावना जागृत की जानी चाहिए और दंगों आदि की समस्याएं जो बाकी हैं, उन्हें सुलझाया जाना चाहिए। महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने सभी दलों से बातचीत आरम्भ की है। इसलिए, महोदय, मेरा यह निवेदन है कि शीघ्र बातचीत की जाए तथा एक ऐसी सकारात्मक स्थिति बहाल की जाए जिसमें आतंकवादी देश की अखण्डता को चुनौती न दे सकें तथा साम्राज्यवादी ताकतों से सम्बन्ध न रख सकें। मुझे आशा है कि ऐसा निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, इस सभा के अन्य माननीय सदस्यों के साथ मैं पंजाब की बिगड़ती हुई स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। श्री मान जो कि अब तक इस सभा के एक माननीय सदस्य रहे हैं बहुत समय से भारत से पंजाब के अलग हो जाने के समर्थन में अपने विचार प्रकट कर रहे है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक देशभक्त और ऐसे व्यक्ति को जो देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखना चाहता है, इस सभा के एक माननीय सदस्य द्वारा दिये गये इस प्रकार के वक्तव्य की निन्दा करनी चाहिए। श्री मान द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की निन्दा अन्य सदस्यों के साथ मैं भी करता हूं। पंजाब के सम्बन्ध मे अन्य पहलू भी है जो हमारे लिए चिन्ता का कारण हैं। हाल ही में हमे जानकारी मिली है कि सरकार मानव अधिकार संगठनो को पंजाब और कश्मीर के अनेक भागों का दौरा करने की अनुमति देने पर सहमत हो गया है और जैसाकि मुझसे तुरन्त पहले श्री सैफुद्दीन चौधरी जी ने कहा कि अमरीका की इस बात में बहुत अधिक दिलचस्पी है कि अलगाववादी ताकतों को अन्य ताकतों से भी बढ़ावा मिले। आपको याद होगा कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका के सीनेट में एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमे यह मांग की गयी थी कि यदि मानव अधिकार संगठनों को इस देश के इन भागों का दौरा करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो भारत को दी जाने वाली सम्पूर्ण सहायता राशि बन्द कर दी जानी चाहिए। यह और कुछ नहीं बल्कि हमारे देश के आन्तरिक मामलो मे एक खुला और स्पष्ट हस्तक्षेप है। यह भी चिन्ता की बात है। इस सन्दर्भ में सरकार को अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर देनी चाहिए। तीसरे, एक बात यह भी हुई है कि विधान सभा जो कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से कार्य नहीं कर रही है, उसके पुनर्गठन की चर्चा हो रही है। इस बात का स्पष्ट रूप से वायदा किया गया था कि राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त होने से पूर्व पंजाब में

चुनाव कराये जायेंगे। अब इस सम्बन्ध में हम कुछ नहीं सुन रहे हैं। यदि हमें अलगाववादी और आतंकवादी ताकतों के विरुद्ध लोगों को तैयार करना है, तो लोगों को लोकप्रिय आधार पर संगठित करने की आवश्यकता है। मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि वास्तव में उनका उद्देश्य क्या है, क्या वे चुनाव कराने जा रहे हैं अथवा वे पुराने पंजाब विधान सभा का ही पुनर्गठन करने जा रहे हैं। (व्यवधान) पुन: एक बार मैं पंजाब के बहादुर और राष्ट्रभक्त लोगों से भारत के लोगों के साथ जुड़े रहने का और आतंकवादी तथा अलगाववादी ताकतों को अलग-अलग कर देने का एवं हमारे देश की एकता, अखण्डता, प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रता को मजबूत बनाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती विमल कौर खालसा (रोपड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पंजाब की समस्या की तरफ दिलाना चाहूंगी। वहां किसानों की समस्या बहुत गम्भीर है। कई दिनों से लाखों की गिनती में किसानों ने अपने कर्जे माफ करवाने के लिए चण्डीगढ़ में धरना दिया हुआ है। परन्तु सरकार ने उनकी मांगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सरकार को चाहिए कि उनके 10-10 हजार के कर्जे माफ करे। बहुत लम्बे समय से उनकी यह मांग है। यह पूरी करनी चाहिए। इस सरकार ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में भी यह कहा था कि किसानों के 10 हजार के कर्जे माफ होंगे। दूसरे, यह भी कहा था कि पंजाब की समस्या का समाधान प्रायोरिटी पर किया जाएगा। परन्तु दुख की बात है कि अभी तक पंजाब की समस्या हल करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह बातें कही जा रही हैं कि पंजाब में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है और मान साहब ऐसे बयान दे रहे हैं। मैं यह पूछना चाहती हूं कि पंजाब की समस्या पैदा करने के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या पंजाब की समस्या एक दिन में पैदा हो गयी? सिखों को खालिस्तान के बारे में सोचने के लिए किसने मजबूर किया? दूरदर्शन को आटोनामी देने के लिए सभी अपोजीशन पार्टियों ने सहयोग दिया। देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए, यूनिटी और इंटीग्रीटी को कायम रखने के लिए दूरदर्शन को खुदमुख्त्यारी देना, आटोनामी देना जरूरी है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि देश की एकता और अखण्डता को बरकरार रखने के लिए क्या स्टेट को आटोनामी देना जरूरी नहीं है? क्या कभी किसी देश को आटोनोमी की ओर ध्यान दिलाया। कभी किसी ने ध्यान दिलाया कि स्टेट को आटोनोमी मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पंजाब में जो आतंकवाद पैदा हुआ है और 1984 में जब दरबार साहब पर अटैक हुआ, उस समय सिख कौम की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल-तख्त साहब के ऊपर हमला किया गया। उस टाईम सिखों के हृदय को बहुत ज्यादा चोट लगी···(व्यवधान) जो कत्ले-आम हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है और सिखों का क्या किया गया। जिन्होंने कत्ले-आम किया उसके लिए आपने क्या सजा दी। उस टाईम के प्रधान मंत्री ने यह कहा कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने स्पेशल कोर्ट्स बनाए थे कि दिल्ली दंगे के जो दोषी हैं उनको सजा दी जायेगी। मैं यह पूछना चाहती हूं कि आज तक छह साल बीत जाने के बाद कितने दिल्ली के दंगे के दोषियों को सजा दी गई है। जिन लोगों ने यह बोला कि जब पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। क्या उन लोगों का घटना में हाथ नहीं था। क्या वे लोग सिखों को मरवाने के लिए जिम्मेदार नहीं थे······

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : हम साफ कर देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई हाथ नहीं है और हम पूरी निंदा करते हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. आर. कुमारमंगलम (सलेम) : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री टी. बशीर (चिरायिकिल) : क्या आप इन सब बातों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल कर लेने की अनुमति दे रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिए इजाजत नहीं दे रहा हूं। कोई एलीगेटरी रेफरेंस है तो वह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल चौधरी : कम से कम हमारी सरकार ने इस कार्यवाही की निन्दा की है।...... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : आप उनकी भावनाओं को नहीं समझते।

अध्यक्ष महोदय : आप जितना समझते हैं मैं उससे कहीं अधिक समझता हूं। आप कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बी. शंकरानन्द।

श्री बी. शंकरानन्द (चिक्कोडी) : यह वास्तव में एक संतोषजनक बात है कि पंजाब में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, उस पर कम से कम आज पूरी सभा गम्भीरतापूर्वक चिंतित है। आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि सरकार के समर्थकों सहित इस सभा का प्रत्येक वर्ग पंजाब की स्थिति के बारे में गम्भीरता पूर्वक चिंतित है। (व्यवधान) मुझे किसी व्यक्ति को वाद विवाद मे पराजित नहीं करना है। हम एक बहुत ही गम्भीर विषय के बारे में, इस देश की एकता और अखण्डता के बारे में विचार कर रहे हैं। हमें चाहे विपक्ष में अथवा सरकार के पक्ष में अपनी गतिविधियों के कुछ मुद्दों को लेकर वाद विवाद में किसी को पराजित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने का यह समय नहीं है। यदि आप अभी भी इसी पहलू पर विचार कर रहे है तो मुझे दुःख है कि आप राष्ट्र की एकता को ले कर वास्तव में चिंतित नहीं हैं और मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी इस स्थिति पर इतने हल्के ढंग से विचार कर रहा होगा। जैसा कि श्री कमल नाथ जी ने कहा है

कि आज की स्थिति बहुत ही गम्भीर है। हमें शान्त हो कर सोचना चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति होने के कारण क्या हैं और क्या किया जाना चाहिए। क्या सरकार इस बारे में चिंतित है?

वर्तमान सरकार में शायद ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने आप में बहुत ही भयभीत हैं। वे अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से परामर्श लिये बिना उनको समर्थन देने वाले दलों से विचार-विमर्श किये बिना ही प्रतिदिन वक्तव्य जारी कर राष्ट्र का ध्यान एक संकट से हटा कर दूसरी ओर करने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अब इश्यू पर आओ।

[अनुवाद]

श्री बी शंकरानन्द : मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। वे सभी दल, जिन्हें इस देश पर शासन करना चाहिए, विगत चुनावों के पश्चात आज तक यह राग अलाप रहे हैं कि इस देश की सभी समस्याओं के लिए सिर्फ राजीव गांधी और कांग्रेस उत्तरदायी है। लेकिन गत वर्ष नवम्बर के बाद से आज तक देश की स्थिति क्या रही है?

आप इस बात पर मुझसे सहमत होंगे कि जिन लोगों ने बहुत ही दृढ़ता पूर्वक सरकार का समर्थन किया वे आज गम्भीरतापूर्वक उनके और उनकी सरकार के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। इसके लिए कौन उत्तरदायी हैं? मुझे दुःख है कि यहां कुछ माननीय सदस्य जो कि भारत के संविधान के अन्तर्गत और भारत के निर्वाचन आयोग के निरीक्षण में पंजाब से निर्वाचित हुए हैं, पंजाब में उत्पन्न हो रही स्थिति के लिए मेरे दल के नेता के विरुद्ध दोषारोपण कर रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? उसने पंजाब में किसानों की समस्याओं के बारे में कहा है। जी हां। मैं सहमत हूं। किसानों के साथ मेरी सहानुभूति है। पंजाब में उनकी समस्याओं के बारे में मैं जानता हूं। उनकी समस्याओं का भी समाधान करना है। लेकिन, सरकार क्या कर रही है? क्या उनके पास कोई कार्यक्रम या कार्य योजना है? उनकी कार्य योजना पंजाब में जीप पर अथवा पैदल जाने तथा दूरदर्शन पर अपने आपको दिखाने की है। उनकी सिर्फ यही कार्य योजना है और कुछ नहीं है। इस प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। क्या उन्होंने गोल मेज सम्मेलन के बारे में कभी गंभीरतापूर्वक विचार किया है। क्या उन्होंने कभी इसकी कोशिश की है? (व्यवधान) क्या मैं माननीय सदस्यों से कहूं कि उनमें प्रधान मंत्री जी, विशेषकर जनता दल के प्रधान मंत्री जी अभी तक हमारे साथ बैठे हुए थे और मैं नहीं जानता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी के पास समय है, क्या आपने उन्हें सोचने की अनुमति दी है अथवा वे अपने बारे में सोचने में असमर्थ हैं या वे पंजाब में कार्य योजना और कार्यक्रमों के बारे में सोचने में असमर्थ हैं? हमें सिखों की देश भक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करके हम राष्ट्र को क्षति पहुँचाने जा रहे हैं। हमें उनकी ईमानदारी पर शंका नहीं करनी चाहिए। चूंकि कुछ लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं कुछ दल ऐसा कर रहे हैं, हमें सम्पूर्ण सिख समुदाय पर, उनकी राष्ट्र भक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सिखों की ईमानदारी पर, सिखों की उत्तरदायित्व की भावना पर, सिखों की राष्ट्र भक्ति पर संदेह कर सकते हैं। हमें उन पर संदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि वे ही ऐसे लोग हैं जो

राष्ट्र और सिक्खवाद के रक्षक हैं। हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हमें यह बात फिर से नहीं करनी चाहिए। यह समय है जब सरकार सिक्खों की समस्याओं पर विचार करे। पंजाब में उत्पन्न हो रही समस्याओं पर उन्हें विचार करना चाहिए। पंजाब के लिए जिन लोगों ने खून बहाया है, उनसे परामर्श लेने की बात पर उन्हें विचार करना चाहिए । यह एक बहुत ही गम्भीर स्थिति है। मेरा दल और मेरे नेता इस देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करने में सबसे आगे हैं...... (व्यवधान) वास्तव में पहले श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए अपना खून बहाया था। सम्पूर्ण राष्ट्र इसे भूल नहीं सकता। उन्होंने इस राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए अपना बलिदान दिया था। हमें मजाक नहीं करना चाहिए। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्रभक्त पर संदेह करके आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। उन पर संदेह मत कीजिए। उनकी गतिविधियों पर संदेह मत कीजिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और राजनैतिक नेताओं से दलगत भावनाओं और चालबाजियों से ऊपर उठने का अनुरोध करता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं माननीय प्रधान मंत्री तथा अन्य राजनैतिक नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे एकजुट हो, अपने विचारों का आदान-प्रदान करें क्योंकि यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। हम एक क्षण के लिए भी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, यह सारा सदन पंजाब···

अध्यक्ष महोदय : वह तो हो गया, आपने जो लिखकर दिया है, उस पर बोलिये। पंजाब पर तो बहस होनी है। आप मेहरबानी करके अपने सवाल पर बोलिये।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, यह बात करना जरूरी है कि सारा सदन खालिस्तान के रेज्यालूशन से खिलाफ है···जनता दल से कोई नहीं बोला खालिस्तान जनमत संग्रह, संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप सारा भारत, सारी लोक सभा इसके खिलाफ है।

अध्यक्ष महोदय : पंजाब का बजट आ रहा है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, अखबारों में छपा है कि कामर्स मिनिस्ट्री फारेन एक्सचेंज कमाने के लिए देश से बन्दरों के निर्यात करने की बात दोबारा कर रही है। मैं आपके माध्यम से दो-तीन बातें कहना चाहता था। पहली बात तो यह है कि देश के अन्दर पर्यावरण की दृष्टि से कई वन्य पशुओं और खासकर टाईगर, गेंडा या दूसरे पशुओं का निर्यात बंद कर दिया गया है। सन् 1978 में बन्दरों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था और अब बन्दरों को बाहर निर्यात करके फारेन एक्सचेंज कमाना बहुत ही गलत काम है। दूसरी बात यह है कि अमीर मुल्क गरीब देशों या विकासशील देशों में पर्यावरण को समाप्त कर अपने मुल्क में पर्यावरण बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि बन्दरों के साथ जिस प्रकार परीक्षण के लिए अमानवीय व्यवहार किया जाता है और उन्हें यातनायें देकर क्रूर काम किया जा रहा है, उस दृष्टि से इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगना चाहिये। चौथी बात यह है कि हमारे यहां के करोड़ों लोगों की धार्मिक नैतिक भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं अतः इस प्रकार के निर्यात पर फौरन रोक लगनी चाहिये और सरकार से कहा जाये कि ऐसे कदम बिलकुल नहीं उठाये जायें।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लोढा जी, आप बैठ जायें, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं आपको बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री माणिक सान्याल (जलपैगुडी) : महोदय, आज मैं सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं जो हमारी सरकार और कर्मचारियों से संबंध रखता है। इस क्षण समस्त सभा पंजाब की गंभीर स्थिति के प्रति चिंतित है। इसकी तुलना में मेरी समस्या निश्चित रूप से बहुत छोटी समझी जाएगी। किन्तु फिर भी, मैं सदन और वाणिज्य मंत्रालय का ध्यान पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीयकृत चाय बागानों की शोचनीय दशा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पूरी बात बताने के लिए एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि आवश्यक है और सदन को सरकार और कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली समस्या से तरदात्म्य स्थापित करने के लिए पूरी पृष्ठभूमि जाननी चाहिए। 1976 में, सरकार ने कर्मचारियों और बागानों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए, एक निजी चाय कम्पनी पशोम चाय कम्पनी लिमिटेड से चाय के बागानों का अधिकार ले लिया था ताकि बागानों और वहां के कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके और बागानों को लाभप्रद बनाया जा सके। किन्तु बहुत दुःख से मुझे कहना पड़ रहा है कि भारतीय चाय व्यापार निगम, जो कि एक केन्द्रीय सरकार का उपक्रम है, को सौंपे गए बागान में सरकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कभी भी कोई कदम नहीं उठाए गए। तत्पश्चात्, 1985 में, चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और प्रबंधन) अधिनियम में संशोधन करके सरकार ने चार चाय बागानों—पशोद, लुकसान, बेह-दुक्तर और पोलोंग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। किन्तु आज तक, वहां कोई पूंजी निवेश नहीं किया गया, मजदूर-कल्याण का तो प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने कोई अल्पावधि या दीर्घावधि योजनाएं नहीं बनाई हैं और न ही बागानों को लाभप्रद बनाने के प्रयास किए हैं। (व्यवधान) आज कोई भी बागान घाटे का सौदा नहीं समझा जा सकता और निजी चाय कम्पनियों के अधीन सभी बागान काफी लाभ कमा रहे हैं और टी.टी.सी.आई. के बागान दिन प्रति दिन घाटे में जा रहे हैं। मेरा प्रस्ताव बहुत स्पष्ट है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री माणिक सान्याल : समस्या के समाधान के लिए मैं दो सुझाव रख रहा हूं। ये सभी बागान पश्चिम बंगाल विकास निगम को दे दिए जाएं या बागानों के कामकाज में प्रबन्ध के लिए उचित प्रबंधकीय ढांचा बनाएं, इसके पुनर्नवीकरण के लिए और श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों के साथ कारखाने के निर्माण के लिए पूंजी निवेश करें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बीच में खड़े हो रहे हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, मैं खुद आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं हो सकता, पहले आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मक्कासर।

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान राज-स्थान के उन तीन कृषि फार्मों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो केन्द्रीय सरकार को इस आशय से हमारी राजस्थान सरकार ने दिये थे कि उनका प्रबन्ध ठीक से रखा जायेगा। वे फार्म सूरतगढ़, सरदारगढ़ और जैतसर में हैं, जिनके अंतर्गत 50 हजार एकड़ जमीन है। वे फार्म हिन्दुस्तान के ही नहीं, एशिया के सर्वोत्तम फार्म थे लेकिन आज बरबादी के कगार पर हैं। यहां का मिस-मैनेजमेंट, शहजादों की तरह वहां के अधिकारियों का कोठियों में रहना और उनके भ्रष्ट आचरण के कारण, आज उन फार्मों के कर्मचारी पिछले चार दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं। इन फार्मों के कर्मचारियों की संख्या हजारों में है। मैं आपके मारफत सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इन फार्मों में काम करने वाला मजदूर आज गुलामों की जिन्दगी जीता है, बन्धुआ मजदूर की भांति अपने दिन काट रहा है। बीस-बीस साल तक लगातार काम करने के बावजूद उन्हें डेली वेजिज पर रखा जाता है जब कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है कि इस देश में जो भी व्यक्ति या मजदूर किसी कार्यालय या संस्थान में 240 दिन पूरे कर लेगा, उसे कोई भी संस्थान या कार्यालय नौकरी से हटा नहीं सकता, उसे परमानेंट करना ही पड़ेगा। वहां के मजदूरों की जिन्दगी इतनी नर्क बना दी गयी है और ऊपर से पुलिस के जुल्म, उनकी औरतों पर पुलिस के जुल्म, उनकी समय समय पर पिटाई होती रहती है, उन्हें बेइज्जत और जलील किया जाता है। ऐसी सूरत में मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हिन्दुस्तान के उन सबसे बढ़िया फार्मों को बर्बाद होने से बचाने की कोशिश की जानी चाहिये।... (व्यवधान)

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। माननीय अध्यक्ष जी पंजाब के विषय में अभी यहां चर्चा चलते-चलते बीच में बन्द हो गई है। मुझे पंजाब के सम्बन्ध में अपनी छोटी-सी बात कहनी है कि आज सरकार बनने के 8 महीने के बाद भी, जो पंजाब के हालात हैं, जिनका जिक्र 3 महीने पूर्व मैंने इसी सदन में किया था, उन हालात में कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं आई है, बल्कि स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। पंजाब के लोगों के मन में हताशा और निराशा और ज्यादा बढ़ गई है।

माननीय सोमनाथ चटर्जी, आज इस सदन में उपस्थित हैं, मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि एक बार उन्होंने समूचे सदन का आह्वान किया था और ऐसा करने में सारे सदन की उनको सहमति थी कि सदन के माननीय सदस्य सुसंगठित तरीके से पंजाब के अन्दर जाएं और पंजाब के बहादुर लोग आतंकवाद और आतंकवादियों का जो इतनी बहादुरी और एकता के साथ मुकाबला कर रहे हैं, उनकी हौसला-अफजाई करें। मैं माननीय चटर्जी और इस सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों को उस संकल्प का स्मरण दिलाना चाहती हूं और इसके साथ ही साथ मैं एक सवाल करना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय, उन लोगों से जो आतंकवाद और आतंकवादियों की वकालात कर रहे हैं या उनके दुष्कृत्यों को छिपाने की चेष्टा कर रहे हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि

जब दरबार साहब के अन्दर से प्रसाद का दोना लेकर के डी.आई जी. अटवाल माथा टेक करके आ रहा था और उनको गोली मारकर दरवाजे पर ही हत्या कर दी गई और हत्या करने वाला व्यक्ति पुनः हरमंदर साहब में चला गया था, तो वह व्यक्ति कौन था और क्या उसने तब हरमंदर साहब को अपवित्र नहीं किया था ? जब आपरेशन "ब्लैक थण्डर" हुआ था, तो उस समय आतंकवादियों ने मल-मूत्र का जो विसर्जन किया था और टीन, कनस्तरों में उसे भरकर, हरमंदर साहब के अन्दर रखा था, तो क्या उन्होंने दरबार साहब को अपवित्र नहीं किया था ? उस समय पर जो लड़कियां वहां से बरामद हुई थीं, जिनकी बेइज्जती की गई थी। क्या उन दुराचारियों ने हरमंदर साहब को अपवित्र नहीं किया था ? इसलिए मेरा निवेदन है कि इस समय जो माननीय सदस्य आतंकवादियों के प्रति अपनी सहानुभूति जाहिर करते हैं, यदि वास्तव में उनमें हिम्मत है, तो वे आतंकवादियों के इस दुष्कृत्य की और इस दुराचरण की भी निन्दा करें। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, अन्त में एक निवेदन करना चाहती हूं कि कोई प्रधानमंत्री पंजाब की यात्रा करें या न करें, लेकिन एक स्पष्ट नीति को लेकर इस देश के सामने वे आएं और जो लोग आतंकवाद की गतिविधियां कर रहे हैं, उनके साथ सख्ती से निपटने का रवैया अपनाया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उमा जी, हो गया। अब आप बैठ जाएं। (व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन भी करना चाहती हूं कि सीमा को सील करने के बारे में विचार किया जाए अन्यथा पंजाब की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : महोदय, पंजाब की स्थिति पर बोला जा रहा है, तो हरियाणा वालों को बोलने का समय तो मिलना ही चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पंजाब की स्थिति पर बहस होगी, तब मौका मिलेगा। आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू को उठा रहा हूं जिसके कारण इस देश के एक प्रदेश के मुख्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और वह था टेलीफोन टैपिंग का मामला। इस सदन के अन्दर भी यह मामला आया और माननीय चन्द्रशेखर जी ने जब यह मामला उठाया, तो उस समय सरकार की ओर से यह कहा गया था कि इसके बारे में सी.बी.आई. की जांच कराई जाएगी। सी.बी.आई. में एक रिपोर्ट लिखवाई गई और उसकी जांच हुई। मेरी जानकारी के अनुसार यह रिपोर्ट पिछले सप्ताह प्रधान मंत्री के पर्सनल आफिस में पहुंच गई है। चूंकि घोषणा इस सदन में की गई थी इसलिए उस रिपोर्ट को सदन के अन्दर पेश किया जाए।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय यह है कि आज भी दिल्ली के अन्दर बहुत से नागरिकों की टेलीफोन टैपिंग हो रही है। दिल्ली के एक क्षेत्र की मेरे पास यह सूची है। इसके अन्दर तो यह है

कि चुनाव के 3 दिन पहले टेलीफोन टैपिंग बन्द कर दी गई थी, लेकिन यह मेरे पास एक सूची है, आज भी दिल्ली के अन्दर टेलीफोन टैपिंग हो रही है। यह दिल्ली प्रशासन के एक हिस्से को मेरे हाथ में सूची है। मेरी जानकारी यह है कि आज भी केन्द्र सरकार की भी एक लिस्ट है जिसके अनुसार दिल्ली के कुछ लोगों के फोन टेप हो रहे हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि एक तो यह बताएं कि श्रीमान् चन्द्रशेखर जी के फोन टेपिंग की जो रिपोर्ट आ गई है, इस सत्र के अंदर उसको इस सदन के पटल पर रखा जाए। दूसरा यह कि क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आदेश से आज भी दिल्ली के कुछ नागरिकों के फोन टेप हो रहे हैं, यह बताएं और यदि यह नहीं है तो मैं इस सूची को इस सदन में पेश करने के लिए तैयार हूं।

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ दिलाना चाहता हू। आप जानते हैं कि इस देश में जितने भी सरकारी, चाहे वे केन्द्र से संबंधित हैं चाहे राज्यों से, विभागीय कर्मचारी हैं उनके संगठन हैं, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के संगठन हैं। जो सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिष्ठान हैं, उनमें काम करने वाले लोगों के, लेबर्स के संगठन है। यह दुर्भाग्य रहा है कि अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों का कोई संगठन नहीं था। सौभाग्य से पिछली कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण मजदूरों को संगठित करने के लिए 1982-83 मे एक योजना कार्यान्वित की थी और 425 ब्लाकों का चयन करके उन ब्लाकों में अवैतनिक लोगों को नियुक्त किया था। उन लोगों को दो महीने की ट्रेनिंग दी गई थी और यह कहा गया था कि वह ग्रामीण मजदूरों को संगठित करें। मुझे एक सरकारी कार्यालय के माध्यम से सूचना मिली है, जो सम्बन्धित कार्यालय हैं उनके द्वारा एक नोटिस के जरिए कि यह योजना जो केन्द्र द्वारा चलाई जाती थी, इसको समाप्त कर दिया गया है। 425 लोगों को, ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने का जो काम करते थे, उनको हटा दिया गया है। केन्द्र के मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए बहुत अरसे बाद जो संगठन का काम शुरू हुआ था, उस पर भी सरकार ने प्रहार कर दिया है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार उस योजना को पुन: लागू करे और हम चाहते है कि देश में जितने भी विकास केन्द्र हैं, उनमें ग्रामीण मजदूरों को संगठित करने के लिए वह योजना चलाई जानी चाहिए। केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि योजना समाप्ति के आदेश को वापिस ले लें और जो लोग काम में लगे हुए थे उन्हें लगाया जाए।

[अनुवाद]

श्री आर. गुंडू राव (बंगलौर दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, बंगलौर में भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड डिफेन्स फैक्टरी है। यह शांतिपूर्वक चल रही थी। किन्तु कुछ दिनों से, श्रमिकों और प्रबंधकों में विवाद शुरू हो गया है। यह विवाद बोनस के भुगतान को लेकर है। वे हमेशा 20 प्रतिशत बोनस देते थे। किन्तु आवश्यक रूप से, इस समय, वे एक समस्या खड़ी कर रहे हैं और 15 दिनों से कारखाने में हड़ताल है। केन्द्रीय सरकार को लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आज मुझे बताया गया कि कर्मचारी संघ के नेताओं और प्रबंधकों के बीच कुछ समझौता हुआ था। प्रबंधक भुगतान करने को तैयार हो गए हैं पर वे केन्द्रीय सरकार के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः, मैं आपके द्वारा आग्रह करूंगा कि यह अनावश्यक विलम्ब वहां कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी करेगा। सरकार को शीघ्र इस मामले की छानबीन करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि समस्या शांति से सुलझ जाए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमोहनभाई संजीभाई डेलकर (दादरा और नगर हवेली) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संघ प्रदेश दादरा और नगर हवेली में 80 प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं। वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने जमीन सुधार कानून के मुताबिक भूमिहीन मजदूरों के लिए करीबन 1.00 एकड़ जमीन लैंडलार्डस से ऐक्वायर की थी। वह जमीन उन आदिवासियों को देने के बजाए वहां के कलैक्टर ने शुगर फैक्ट्री प्रोजैक्ट को दे दी है। इस तरह से वहां के आदिवासियों के साथ धोखा हुआ है और वहां के कलैक्टर ने सीलिंग एक्ट का वायलेशन किया है। हमारी सरकार भूमिहीन आदिवासियों को जमीन देने के लिए बहुत सारे कानून बनाती है लेकिन उस कानून से भूमिहीन आदिवासियों को जमीन नहीं मिलती है। मैं यह बात सरकार के सामने लाया हूं, मिनिस्टर साहब को भी मैंने लिखा है लेकिन अभी तक इसकी सही जांच नहीं हुई है। यह लैंड जो शुगर प्रोजैक्ट को दी है, उस लैंड में वहां के कलैक्टर और जमींदार का बहुत बड़ा हाथ है। मैं चाहता हूं कि इस सारे स्केण्डल की जांच होनी चाहिए और सी.बी.आई. के थ्रू होनी चाहिए।

मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि यदि यह जांच सही ढंग से नहीं हुई तो वहां के आदिवासी लोग बहुत बड़े पैमाने पर एजीटेशन करने वाले हैं। मेरी आपके थ्रू सरकार से यह विनती है कि लैण्ड स्कैण्डल की सी.बी.आई. के थ्रू इन्क्वायरी कराई जाय और जब तक इन्क्वायरी न हो और उसकी रिपोर्ट सामने न आ जाय तब तक इस प्रोजैक्ट की तमाम कार्यवाही बन्द की जाय।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, बिहार के रोहतास और भोजपुर जिले में अनावृष्टि की वजह से किसानों की तमाम खरीफ की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस सदन की सर्वदलीय कमेटी बनाकर मामले की जांच कराई जाय तथा प्रभावित किसानों को पर्याप्त मात्रा में मुआवजा दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुमान मल लोढ़ा।

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के सामने रखना चाहता हूँ...

कुमारी मायावती (बिजनौर) : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : लोढ़ा जी बैठ जायें, मायावती जी का पाइण्ट आफ आर्डर है।

कुमारी मायावती : माननीय अध्यक्ष जी, जीरो आवर के बारे में कई बार आपने आल पार्टी लीडर्स को भी बुलाया, उसमें यह फैसला लिया था कि जिस विषय पर एक सदस्य बोल देगा, उसको दोबारा से रिपीट नहीं किया जायेगा। जैसे पंजाब... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, कोई पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है।

कुमारी मायावती : आप बात तो सुन लें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई रूल का वायलेशन नहीं हुआ, आप बैठ जायें।

कुमारी मायावती : ··· और देश के अन्दर जो आये दिन घटनाऐं हो रही हैं, उससे देश की एकता और अखण्डता को खतरा उपस्थित हो सकता है···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें न, आपने लिखकर नहीं दिया है।

कुमारी मायावती : ··· जिला बिजनौर के अन्दर तीन जगह बम विस्फोट हुए हैं ··

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, कोई पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है।

कुमारी मायावती : मैं बैठ रही हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए आप।

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जायें, यह व्यवस्था का सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : तिब्बत में दलाई लामा ने दीपक शर्मा को इण्टरव्यू में यह बताया है कि तिब्बत के अन्दर कोकोनट लेक के ऊपर न्यूक्लियर फैक्टरी स्थापित की गई है और वहां से ब्रह्मपुत्र के अन्दर न्यूक्लियर का सारा वेस्ट डाला जा रहा है, जिससे एनवायरमैण्टल खतरा पैदा हो गया है और न्यूक्लियर फैक्टरी के कारण से भारत की सार्वभौमिकता को बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार इसके बारे में सुरक्षा की दृष्टि से जांच करे और कार्यवाही करे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। मि. हरीश रावत।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, सौभाग्य से माननीय वित्त मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। मैं एक अत्यधिक गम्भीर मामला, जिससे एक्साइज डिपार्टमैंट, जो उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आता है, उसमें एक गम्भीर अनियमितता बरती जा रही है, उसकी ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक्साइज डिपार्टमैंट ने छापे के अन्दर एक सिगरेट कम्पनी, आई. टी. सी. के ऊपर 80 करोड़ रुपये बकाया पाया। उन्होंने कहा, इनके ऊपर 80 करोड़ रुपये का बकाया है। वह कम्पनी इलाहाबाद हाईकोर्ट में गई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे देने से इन्कार कर दिया, हाई कोर्ट में वह केस हार गये और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे देने से इन्कार कर दिया। डिपार्टमैंट द्वारा 1990 की शुरुआत से लेकर आज तक करीब 7 महीने का वक्त बीत गया यह प्ली लिया जा रहा है और माननीय मंत्रीगण से इस बात को कहलवाया जा रहा है, मुझे दुख है कि माननीय अनिल शास्त्री जी के मुंह से यह कहलवाया गया कि सरकार इसलिए एक्शन नहीं ले सकती है, कम्पनी के खिलाफ इसलिए कम्पनी से जबरदस्ती वसूल करने की, रेवेन्यू की रिकवरी करने की प्रक्रिया नहीं कर सकती है, क्योंकि, कम्पनी के इस यूनिट के बन्द हो जाने का खतरा है। मेरी समझ में यह नहीं आता है···

12.55 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक कम्पनी बार-बार टैक्स इवेजन करे, चोरी करे, देश के कानून को चुनौती देने का काम करे···हाई-कोर्ट में हार जायें, सुप्रीम कोर्ट उसे स्टे प्रदान न करे और उसके

बाद यदि मंत्रालय और मंत्रीगण उनके डिफेंस में आते हैं और यह कहते हैं कि इस लिए रियलाइज हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कोई मैथड नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो इससे कंपनी के क्लोजर को खतरा पैदा हो जाएगा, यूनिट विशेष के क्लोजर को खतरा पैदा हो जाएगा । यह एक गम्भीर बात होगी, टैक्स इवेजन को बढ़ावा मिलेगा और इसी का सबसे बड़ा ज्वलन्त प्रमाण यह है कि सरकार ने ऐसी कई कम्पनियों को, जिन लोगों ने इस तरीके से सेन्ट्रल एक्साइज के विषय में इवेजन किया था और नाना प्रकार की अनियमितताओं के दोषी थे, उनको अब पैसा रिफण्ड करने के सवाल पर विचार किया जा रहा है और मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि प्रधानमंत्री जी के निर्देशों पर किया जा रहा है । इस विषय में मैं सौभाग्य सदन का समझता हूं कि श्री चन्द्रशेखर जी जैसे व्यक्ति सदन में मौजूद हैं, जिन्होंने साहस करके इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां इस तरीके के भयंकर घोटाले हो रहे हों और उन जैसे सोशियलिस्ट व्यक्ति के, उन जैसे कमिटमेंट वाले व्यक्ति की देखरेख में चलने वाले मंत्रालय के अन्तर्गत हो रहे हों, तो कृपया ध्यान दें और अनियमितताओं को दूर करने के लिए कदम उठाने का काम करें ।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी रावत जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह गम्भीर प्रश्न है । मैं नहीं समझता कोई भी कंपनी अगर एक्साइज का भुगतान न करे, तो इस आधार पर सरकार किसी के भुगतान को नहीं कराती है कि कंपनी बन्द हो जाएगी और वह भी एक सिग्रेट कंपनी । यह कंपनी एक मल्टी-नेशनल कंपनी है । मैं यह जानना चाहता हूं इस तरह की सुविधा क्या और कंपनियों को दी जा रही है ? अगर यह बात सही है, जैसा कि रावत जी कहते हैं, सदन में यह बात कही गई है कि भले ही कंपनी बन्द हो जाए, लेकिन इस तरह की असमर्थता सरकार की ओर से व्यक्त करना ठीक नहीं है । मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं दंडवते जी को पिछले 36 वर्षों से जानता हूं और मैं यह अपेक्षा नहीं करता हूं कि वित्त मंत्री होने के नाते वे इतनी असमर्थता जाहिर करें कि कोई कंपनी इतने दिनों से इसका भुगतान नहीं कर रही है और वह कंपनी बन्द हो जाएगी तो कोई राष्ट्र का काम बन्द हो जाएगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । जिन अधिकारियों ने इस तरह का जबाब तैयार किया है, जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है, न केवल उसका भुगतान होना चाहिए, बल्कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्य-वाही करनी चाहिए । प्रश्न बड़े सवाल का नहीं, लेकिन कोई भी कंपनी इस तरह का काम हमारी सरकार से करा सके, इससे बड़ी लज्जा की बात, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है । मैं समझता हूं कि इस सवाल के ऊपर माननीय वित्त मंत्री जी जरूर ध्यान दें और आज शाम के पहले कदम उठाना चाहिए तथा कार्यवाही करनी चाहिए ।

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की नोटिस में लाना चाहता हूं कि नवम्बर, 1984 में कांग्रेस राज में जो जुल्म हुए, उससे प्रभावित परिवारों के बचे-कुचे लोगों ने और पंजाब में टेरेरिस्टों से प्रभावित लोगों ने, रिसैटलमेंट के लिए कुछ कर्ज लिए थे और वे इतने कामयाब नहीं हो सके हैं । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जैसे किसानों के कर्ज माफ हुए हैं, वैसे ही लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर उनके कर्ज माफ होने चाहिए । यह मेरी सरकार से दरख्वास्त है ।

दूसरी बात मैं पंजाब के मुताल्लिक एक हाउस में कहना चाहता हूं । जो आग मेरे दोस्तों ने राजीव गांधी की सरकार ने भड़काई है, उसको बुझाने के लिए पता नहीं कितना समय लगेगा और

अभी भी ये भड़का रहे हैं···(व्यवधान)···तमाम दुनिया के टैरेरिस्टों से बात की है, लेकिन सरकार पंजाब के टैरेरिस्टों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं उन को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह कहता हूं कि जो मापदंड दीगर जगहों के लिए जैसे मिजोराम, नागालैंड, गोरखालैंड और सब जगहों के लिए माने गए हैं, उन मापदंडों को यहा क्यों नहीं रखा जाता है। जो प्रोपेगंडा सरकार की तरफ से किया गया है, इनको मालूम है कि जो गोले दरबार साहब पर पड़े थे, वह सिक्खों के लिए क्या मायने रखते हैं। यह बात उनको पता होनी चाहिए। सन् 1985 में सिक्ख लोगों के लिए प्रचार किया था, जिनको मार-मार कर भगाया था कि यह देश तुम्हारा नहीं है, भाग जाओ दिल्ली से, भाग जाओ बोकारो से, भाग जाओ कानपुर से··· (व्यवधान) ··इनके घर जला दिए गए, अगर उनमें ऐसी भावना पैदा होती है, तो उसे ठीक करने का कौन सा ढंग होना चाहिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर बहस कराई जाए, ताकि हम भी अपनी बात कह सकें।

1.00 म.प.

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब का मसला, एक बड़ा भारी गम्भीर मसला है, इसके लिये सारा सदन और देश बड़ी भारी चिन्ता में है। इसके बारे में बहुत डिटेलस में अगर मैं कहूंगा तो बहुत समय लगेगा, इस बारे में बाद में जब पंजाब के लिए डिसकशन होगा तो मैं सारी बातें डिटेल से कहूंगा। लेकिन इस समय सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं जो 4·5 प्वांट यहां पर उठाये गये कि दरबार साहब पर बड़ा भारी हमला किया गया, ऐसे महानुभावों से मैं यह बात पूछना चाहता हूं कि हमले का क्या कारण था? किन हालात में, कितना मजबूर हो करके सरकार को ये कार्यवाही करनी पड़ी थी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। किस तरह से उग्रवाद, किस तरह से कातिल और किस तरह से इन लोगों ने उस हरमंदर साहब को अपवित्र करने की कोशिश की और बड़े से बड़ा जुल्म करके, वहां के लोग उस गुरुद्वारे में आ करके छिप जायें और जिन लोगों के जिम्मे प्रबन्ध था उन्होंने भी इसके बारे में कोई बात नहीं कही। किस तरह की मोर्चाबन्दी वहां की गई और किस तरह से उस गुरुद्वारे के अन्दर क्या-क्या हालात थे, इसको आप जानते ही हैं और किस तरह से वहां लोगों की बहन-बेटियों की इज्जत लूटी गई। (व्यवधान) मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं लेकिन किन हालात और मजबूरियों में जब देश टूटने को हो गया खालिस्तान के झण्डे वहां लगने लगे, ऐसे हालात में क्या सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी? आज तक किसी ने भी इस बात के लिए कंडम नहीं किया कि हरमंदर साहब के अन्दर उग्रवादियों का पूरा अड्डा बन गया था, देश को तोड़ने की साजिश बन गई थी, इसलिये मजबूर हो करके भारत सरकार को कार्यवाही करनी पड़ी थी, राजीव गांधी के बारे में यह कहना, कि राजीव गांधी ने यह कह दिया कि अगर बड़ा पेड़ गिरता है तो आस-पास की जमीन हिलती है। राजीव गांधी ने उस महान मां की हत्या होने के बाद देश के अन्दर कोने-कोने में सब मुख्य मन्त्रियों को आदेश दिया कि कहीं पर किसी सिख के साथ ज्यादती, जुल्म और अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर राजीव गांधी ऐसा आदेश न देते तो पता नहीं इस देश के अन्दर क्या हालात हो जाते, जिस महान मां की जान गई हो, जिस देवी ने इस देश की एकता के लिए अपना खून दिया

हो और जिसके हत्यारे ही रक्षक से भक्षक हो गये और वे लोग यहां आ करके इस तरह से भड़ास निकालते हैं, इस बात को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सीरियस मामला है, जब आप टाइम देंगे तो मैं सारी बातों को आपके सामने रखूंगा। कितने लोग पंजाब में आज भी मरते हैं। हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गए हैं। इस पर सरकार को सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी. ए. एन्टनी (त्रिचूर) : महोदय...

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. महादेव शिवनकर (चिमूर) : उपाध्यक्ष जी, माननीय भजन लाल जी ने जो कहा कि रक्षक, भक्षक हो गये, वे यहां आ करके हुये थे। ये जो वाक्य है, यह इस सदन के समस्त लोगों के लिए अपमानजनक है। इस वाक्य को रिकार्ड से निकाल दीजिए। यह मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, एन.सी.एल. सिंगरौली जो कि कोल इण्डिया लिमिटेड की एक कम्पनी है जिसके सी.एम.डी. के द्वारा छः सौ करोड़ रुपये का कोयला जला दिया गया और जला करके उस कोयले को बेचा गया और बेचने के बाद सरकार को उन्होंने यह रिपोर्ट दी कि ये कोयला जल करके राख हो गया है। ये कोई उपयोग की चीज नहीं है। इस सम्बन्ध में मैंने 6 महीने पूर्व भारत सरकार के मन्त्री को लिखा था।

उपाध्यक्ष महोदय, यह अति गम्भीर मामला है इसमें 6 सौ करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है और सरकार ने अभी तक इसकी जांच नहीं कराई है। इस तरह से वहां के भ्रष्ट अधिकारी जनता को तंग करने का काम करते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अति शीघ्र जांच करा कर ऐसे भ्रष्ट और दोषी पदाधिकारियों को वहां से मुअत्तिल कराया जाये।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी. मरबनियांग (शिलांग) : मैं सरकार का ध्यान मेघालय में शिलांग में व्याप्त जातीय विद्वेष की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस महीने की 29 तारीख से कुछ छुरेबाजी की घटनाएं हुईं जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग का एक व्यक्ति मारा गया। उसके बाद शिलांग में कर्फ्यू लगा दिया गया। मिजोरम, सिल्चर और मणिपुर को जाने वाली सभी आवश्यक वस्तुएं शिलांग से ही जाती हैं। इन लोगों के लिए यह अनिश्चित कालीन कर्फ्यू बहुत खतरनाक होगा। अल्पसंख्यक भी दहशत में जी रहे हैं? अखबारों में सेना के फ्लैग मार्च के विषय में एक खबर छपी है। ऐसा लगता

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

है कि वहां शासन कर रही अल्पमत सरकार के लिए कानून और व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में मुश्किल हो रही है, और वहां कानून और व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां शांति और साम्प्रदायिक सद्भाव की बहाली के लिए प्रयास करें।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : आप जानते हैं कि कुवैत से लौटने वाले सभी भारतीयों को अभी तक 5000/- रुपए दिये गये हैं। (55/- रु. प्रति दिन की दर से) अब मुझे बताया गया है कि भारत सरकार ने इसे 5000/- रुपए से कम करके 1000/- रुपये तक करने का एक नया निर्देश दिया है। इससे बहुत मुश्किल पैदा होगी। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह ऐसा न करे और पुरानी राशि ही दी जाए।

श्री पलाई के. एम. मंथ्यू (इडुक्की) : कुवैत के नवीनतम घटनाक्रम के बारे में नवीनतम जानकारी बहुत चिंतनीय एवं हृदय दहलाने वाली है। कुवैत में स्थिति लगभग नाटकीय अवस्था में पहुंच गई है। लगभग 25,000 सैनिक उन सभी दुकानों को लूट रहे हैं जहां खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सामग्री भण्डार करके रखी हुई है। एक दिन का राशन प्राप्त करने के लिए 50° सेल्सियस तापमान में छ: घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मुझे अपने किसी मित्र से पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि वे 'आग खा रहे हैं। अगर लोगों की वापसी विदेश मन्त्री द्वारा घोषित गति से हो, तो वहां से लोगों को निकालने में 100 से भी ज्यादा दिन लगेंगे। इसलिए, स्थिति अत्यन्त शोचनीय दशा में पहुँच गई है। भारतीयों को वहां से निकालने और उनके पुनर्निवास के लिए शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां से मैं चुन कर आया हूं, उस जिले के बहुत से लोग खाड़ी के देशों में रहते हैं। आज कुवैत की हालत देख कर वहां से बहुत से लोग अपने बैग एण्ड बैगेज के साथ अपने गांव में लाने के लिए जब हवाई अड्डे पर उतरते हैं या रेल में सफर करते हैं तो हवाई अड्डे के कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, रेल कर्मचारी, सब उनको परेशान करते हैं। बहुत मामूली सामान लाने पर भी एक-एक लाख रुपये ड्यूटी लगाई जा रही है, उनसे सारा सामान रखवा लिया जा रहा है, अगर पैसा नहीं देते है तो परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे संकट के दिनों में जो लोग बाहर से अपने देश में आ रहे हैं, उनके मामले में सारे कर्मचारियों को हिदायत दी जानी चाहिए कि इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, मानवीय आधार पर व्यवहार किया जाए। जो लोग अपने गांवों को जाना चाहते हैं, सम्मान पूर्वक उनको जाने दिया जाये। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस संबंध में कार्यवाही की जाए और अधिकारीगणों को हिदायत दी जाए कि ऐसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाये ताकि उनको सम्मान की जिन्दगी मिल सके तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो सर्वदलीय बैठक केवल मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर बुलाई गई है, ठीक है, लेकिन एक सर्वदलीय अपील भी आज प्रेस को रिलीज की जाए, ताकि सारे हिन्दुस्तान में जो आन्दोलन चल रहा है, वह रुक सके।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा रखी गई है।

श्री बाऊ दयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आज सारी जगहों पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ आन्दोलन चल रहा है। इसके लिए एक सर्वदलीय अपील सारे हिन्दुस्तान के विद्यार्थियों से की जानी चाहिए कि वे आन्दोलन न करें। आज सारे हरियाणा में 9-10 दिन से ट्रैफिक जाम है। मैं अभी रेलवे रिजरवेशन से आया हूं, राजधानी एक्सप्रेस जो सुबह 4 बजे आती है, रात को साढ़े 9 बजे आएगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि या तो प्रधानमंत्री जी द्वारा या एक सर्वदलीय अपील की जाए ताकि देश के अन्दर शान्तिपूर्ण वातावरण बन सके। आज सारे हिन्दुस्तान में यह मनःस्थिति बन चुकी है। मण्डल आयोग के मामले में कोई न कोई निश्चित निष्कर्ष निकालें। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, इस प्रकार की मनःस्थिति सारे नेताओं की, सारे दलों की बन चुकी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि···

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, जो कह रहे हैं, रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मण्डल आयोग के खिलाफ जो आरक्षण विरोधी आन्दोलन चल रहा है, किसी जगह पर फायरिंग नहीं हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानपुर में विद्यार्थियों पर लाठी-चार्ज भी हुआ और फायरिंग भी हुई। यह पहली बार हुआ है। उन्हें जेल ले जाया गया। यह बहुत बर्बरतापूर्ण हुआ। आज अखबार में यह है कि उड़ीसा में भी मुख्य मंत्री ने कहा कि शूट ऐट साईट। मण्डल आयोग को लेकर जनता की आवाज को इस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। जो आरक्षण के विरोध में बोल रहे हैं उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी पालीटीकल पार्टीज को बात करने के लिये कहा जा रहा है। आज जनतन्त्र में इस तरह की बात हो रही है, लाठी और गोली का इस्तेमाल हो रहा है। आरक्षण विरोधी आन्दोलन को इस तरह से नहीं दबाया जा सकता है। सरकार इसका जवाब दे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री अनिल शास्त्री

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं प्वाइंट आफ आर्डर व्यक्तिगत कैपेसिटी में उठा रहा हूं, अपनी पार्टी की तरफ से नहीं उठा रहा हूं। आल इंडिया मेडिकल इंस्टीच्यूट में हालत बहुत गम्भीर हो गयी है। आज स्थिति यह है कि अन्य अस्पतालों के कर्मचारियों ने भी धमकी दी है कि हम उनकी सहानुभूति में हड़ताल पर चले जायेंगे। ऐसा लगता है दिल्ली में रोगियों को बड़ी भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। सरकार इस विषय में कोई कदम नहीं उठा रही है। उपाध्यक्ष जी, कृपा करके सरकार को कहिये कि इस मामले में कदम उठाये। ताकि और अस्पतालों में स्ट्राइक न हो। आल इण्डिया मेडिकल इंस्टीच्यूट, जो संस्था है, इस तरीके से बन्द न हो। इस बात की जितनी निन्दा की जाए वह कम है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं कहूंगा कि यह प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं है। इस प्रश्न को सब लोग उठा रहे हैं। गवर्नमेंट जितना हो सकेगा उसके लिये करेगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मेरे पास यहां एक पत्र है, जिसे श्री गुजराल लाए हैं, तथा इसे कुवैत से श्री टी. ओ. बावा, जो केरल में संसदीय कांग्रेस समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष के दामाद द्वारा भेजा गया था। मैं इस पत्र को यहां पर पढूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभा इस बात पर ध्यान दे। वह लिखते हैं कि मैं स्वयं इसका अपना अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि यह मलयालम में है, जिस तादाद में सरकार भारतीयों को कुवैत से निकाल रही है, हमारा नाश हो जायेगा। महोदय, उनका कहना है कि "हमारा नाश हो जाएगा।" मलयालम में वह कह सकते हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप अनुवाद कर रहे हैं तब आपको मलयालम में ही यही बात कहने की आवश्यकता नहीं है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : दूसरे, यह कहते हैं कि 'हमारे पास खाद्य सामग्री मात्र एक सप्ताह तक की ही है। और जितनी कुछ यह सामग्री है भी सेना आती है और उसे ले जाती है। यदि हमारे पास एक सप्ताह के अन्दर और खाद्य-सामग्री पहुँचेगी, तो इसके बहुत गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।" मैं श्री गुजराल द्वारा लाए गए इस पत्र में से पढ़ रहा हूं। चूंकि वित्त मंत्री तथा अन्य मंत्री भी यहां पर उपस्थित हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि रेड-क्रास अथवा किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से एक ही सप्ताह में कुवैत में खाद्य-सामग्री पहुँचाने के लिये शीघ्र कदम उठाये जाएं। अनेक पत्र आ रहे हैं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वहां पर खाद्य-सामग्री की कमी है, तो सरकार को कुछ उपाय करने चाहिये।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, उप वित्त मंत्री यहां पर उपस्थित है। उन्होंने लिखा है कि एयर इंडिया अनिवासी भारतीयों के चैक अथवा भारतीय मुद्रा को स्वीकार नहीं कर रही है, तथा वह केवल विदेशी मुद्रा की ही मांग कर रही है, कृपया एयर इंडिया को आप निदेश दें कि वह अनिवासी भारतीयों के चैकों को स्वीकार करे, क्योंकि उनके पास अन्य कोई पैसा नहीं है। कुवैत में बैंक खुले नहीं है। उनके पास नकद पैसा नहीं है। अतः एयर इंडिया इंडिया को निदेश दिये जाने चाहिये कि वह अनिवासी भारतीयों के चैक स्वीकार कर ले।

तीसरे, सीमा शुल्क अधिकारी इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे कि उन्हें पता ही न हो कि वहां क्या हो रहा है। वे लोग कुवैत से आने वाले व्यक्तियों को तंग कर रहे है। आप उनको निदेश दीजिए कि वे लोग खाड़ी देशों से विशेषकर कुवैत से आने वाले व्यक्तियों के साथ थोड़ा नरमी से पेश आए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री अनिल शास्त्री।

1.16 म. प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं।

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा.का.नि. 474(अ), जो 11 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट पेट्रोकेमिकल्स के निर्माण में प्रयोगार्थ अभीष्ट कच्चे नेफ्था और पुनरुत्पादित नेफ्था पर 60 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से उत्पादन शुल्क की रियायती दर की व्यवस्था करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 486(अ), जो 16 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उपशीर्ष संख्या 2202.90 के अन्तर्गत आने वाले कतिपय सामान पर 10 प्रतिशत की मूल उत्पाद-शुल्क की प्रभावी दर की व्यवस्था करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 487(अ), जो 16 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मई, 1990 की अधिसूचना संख्या 8/90-के.उ.शु. तथा 12/90-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 488(अ), जो 16 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 23/89-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि लघु सीमेंट संयंत्रों द्वारा निर्मित सीमेंट पर 90 रुपये प्रति टन का प्रभावी मूल शुल्क विहित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 489(अ), जो 16 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुए थे तथा जिनका आशय उप-शीर्ष संख्या 2505.60 के अन्तर्गत आने वाले चूने को उस पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 490(अ), जो 16 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 24/90-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि डी एम टी तथा पीटीए पर 15 प्रतिशत का प्रभावी शुल्क विहित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 491(अ), जो 16 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 175/86-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि रबड़ के टायर फ्लैपों को छूट के दायरे में लाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 492 (अ), जो 16 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 138/86-के.उ.शु. तथा 139/86-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 493 (अ), जो 16 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 नवम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या 253/82-के.उ.शु., 1 मार्च, 1987 की अधिसूचना संख्या 65/87-के.उ.शु. तथा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 47/90-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 494 (अ), जो 16 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1987 की अधिसूचना संख्या 64/87-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि लेपित (कोटिड) टेक्सटाइल्स पर (बिक्री के स्थान पर) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की प्रभावी दर विहित की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 495 (अ), जो 16 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1987 की अधिसूचना संख्या 63/87-के.उ.शु. तथा 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 82/88-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि शीर्ष संख्या 73/10 के अन्तर्गत आने वाले लेपित (कोटिड) टेक्सटाइल्स पर मूल उत्पाद-शुल्क की प्रणाली दरें विहित की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 496 (अ), जो 16 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मई, 1988 की अधिसूचना संख्या 181/88-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि धातु के आधानों पर 15 प्रतिशत का प्रभावी मूल शुल्क विहित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 497 (अ), जो 16 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मई, 1988 की अधिसूचना संख्या 180/88 के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि द्रव कीटनाशियों की पैकिंग में प्रयोग किए जाने वाले एल्युमिनियम के आधानों को पूर्णतः छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 498(अ), जो 16 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 69/90-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि टैक्सटाइल प्रोसेसिंग मशीनरी पर 10 प्रतिशत की दर पर मूल प्रभावी शुल्क विहित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 499(अ), जो 16 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय शर्तों के अध्यधीन पी.वी.सी. विद्युत रोधी वाइंडिंग तारों की कतिपय किस्मों को पूर्ण छूट देना तथा तांबे और एल्युमीनियम की पी.वी.सी. विद्युत रोधी वाइंडिंग तारों पर शुल्क की प्रभावी दरें विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 500 (अ), जो 16 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 74/90-के.उ.शु. से कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि बिना रिकार्ड की हुई तथा रिकार्ड की गयी ओडियो कैसेटों पर शुल्क से पूर्ण छूट दी जा सके और बिना रिकार्ड की गई तथा रिकार्ड की गयी ओडियो टेपों पर शुल्क की प्रभावी दरें विहित की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 567(अ), जो 12 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय साईकिल वाल्वों और इसके संघटकों उन पर बढ़-ग्रहणीय उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 609 (अ), जो 2 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 73/90-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1366/90]

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा.का.नि. 452 (अ), जो 19 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 27 अप्रैल, 1989 की अधिसूचना संख्या 153/90-सी.शु. को विखंडित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 453 (अ), जो 19 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 142/90-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 458 (अ), जो 25 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 नवम्बर, 1983 की अधिसूचना संख्या 295/83-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि टिटेनियम स्क्रैप पर जब उसका आयात टिटेनियम मिश्र धातु उत्पादों के विनिर्माण के लिए किया गया हो, मूल सीमा शुल्क की दर को 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सके और उसमें निर्दिष्ट समय सीमा का लोप किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 463 (अ), जो 30 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई 1977 की अधिसूचना संख्या 131/77-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए हैं तथा जिनका आशय चूर्ण या चूरा के रूप में औद्योगिक हीरों पर आयात शुल्क की रियायती दर निर्धारित करना है ताकि उक्त माल पर भी अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 465 (अ) तथा सा.का.नि. 466 (अ), जो 3 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आयात निर्यात नीति 1990-93 के पैरा 197 के उपबन्धों के अनुसार आयात किए गए पूंजी माल पर मूल्य सीमा-शुल्क के उतने भाग से जितना मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक हो तथा उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क तथा उपयंगी सीमा शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 482 (अ) तथा सा.का.नि. 483 (अ), जो 16 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एसेप्टिक फार्म फिल सील मशीन की सहायता से औषधियों की पैकिंग के लिए एसेप्टिक पैकिंग सामग्री के निर्माण में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट ग्रेड के एल.डी.पी.ई. पर 30 प्रतिशत की दर से उपयंगी शुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 484(अ), जो 16 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 अगस्त, 1984 की अधिसूचना संख्या 219/84-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि रद्दी पेपर पर मूल सीमा शुल्क को घटा कर 15 प्रतिशत किया जा सके तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 485 (अ), जो 16 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 489/86-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि पालि-प्रोपलिन बी.सी.एफ. यार्न निर्माण करने वाले संयंत्रों को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि. 513(अ), जो 30 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 जून, 1986 की अधिसूचना संख्या 356/86-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि इसमें निर्धारित समय सीमा को समाप्त किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा.का.नि. 539(अ), जो 1 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 13 के अन्तर्गत आने वाले माल को उस पर अवग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा.का.नि. 540(अ), जो 1 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 नवम्बर, 1983 की अधिसूचना संख्या 315/83-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा.का.नि. 546(अ), जो 5 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 86/90-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि लघु पैमाने की उन इकाईयों को, जिनके पास वैध रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र हो अधिसूचना में उल्लिखित रियायत दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा.का.नि. 561(अ), जो 8 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 1988 की अधिसूचना संख्या 215/88-सी.शु. की वैधता अवधि बिना किसी विनिर्दिष्ट समय-सीमा के बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा.का.नि. 580(अ) तथा 581(अ), जो 18 जून, 1990 के भारत के

राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उच्च श्रेणी के कच्चे धू-स्पंज लोहे पर मूल्यानुसार 30 प्रतिशत मूल रियायती सीमा शुल्क निर्धारित करना है जबकि उसका लोह चूर्ण के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 582(अ), जो 18 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 105/90-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि 100 प्रतिशत मूल्यानुसार के वर्तमान मूल सीमा शुल्क के स्थान पर 10 रुपया प्रति स्पार्किंग प्लग की विशिष्ट दर से मूल सीमा शुल्क को निर्धारित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 602(अ), जो 27 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 522/86-सी शु. की वैधता अवधि 31 मार्च, 1991 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 639 (अ) तथा सा.का.नि. 640(अ), जो 16 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सूती सूत, सूती रोंआदार तोलिया फैब्रिक और सूती रोंआदार तोलियों पर 25 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क तथा "शून्य" अतिरिक्त शुल्क को निर्धारित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा.का.नि. 649(अ), जो 19 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 49/90-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि सेलुलोस ऐसिटेट फलेक पर उस स्थिति में मूल्यानुसार 25 प्रतिशत की दर पर मूल सीमा शुल्क निर्धारित किया जा सके जब इसका आयात भारत में किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1367/90]

(3) (एक) भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1368/90]

(4) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक के 9 जुलाई, 1988 से 30 जून, 1989 तक की अवधि के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1369/90]

(5) संयुक्त परामर्श दात्री तंत्र (जेसीएम) योजना के अंतर्गत माध्यस्थम् बोर्ड द्वारा पंचाट के प्रतिक्षेपण के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1370/90]

———

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री पुजारी के व्यवस्था के प्रश्न को सुनूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी अन्य को अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने श्री पुजारी का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, नियम 10 के अधीन आपकी वही शक्तियां प्राप्त हैं, जो अध्यक्ष को प्राप्त हैं। हमारे दल के अनेक ऐसे माननीय सदस्य हैं, जिन्हें अभी तक शून्य काल के दौरान मामले उठाने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। एक सदस्य महोदय कर्नाटक में सूखे के बारे में एक मामला उठाना चाहते हैं (व्यवधान) अध्यक्ष पीठ केवल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को ही अनुमति देती रही है। रोजाना श्री विजय कुमार मल्होत्रा और श्री खुराना को अवसर दिया जाता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी, आपने देखा होगा कि मैंने कांग्रेस दल के अनेक सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी, आप अध्यक्षपीठ से इस प्रकार से अनुमति प्राप्त नहीं कर सकते।

श्री जनार्दन पुजारी : हमें अधिकार प्राप्त है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं 500 सदस्यों को इस प्रकार से बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : आपको अपनी इच्छा से निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी, आप इस प्रकार हो अध्यक्षपीठ पर आक्षेप लगा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : यदि आप मुझे सदन से बाहर भेजना चाहते हैं, तो भेज सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि यदि मैं आपको बाहर भेजना चाहूँ तो भेज सकता हूं। परन्तु मैं आपको बाहर भेजना नहीं चाहता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी से संबंधित अगला मद लेते हैं।

1.18½ म. प.

सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : दिनांक 30 अगस्त, 1990 को सभा में प्रस्तुत किये गये सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति अपने दूसरे प्रतिवेदन में सिफारिश की गयी है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दर्शायी गयी अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :—

1. स. अतिन्दर पाल सिंह—19.3.90 से 15.3.90
2. श्री पी. वी. नरसिंह राव—7.8.90 से 10.8.90 और
   16.8.90 से 7.9.90
3. श्री वाई. एस. महाजन—7.8.90 से 10.8.90 और
   16.8.90 से 7.9.90
4. श्री वामनराव महाडीक—7.8.90 से 10.8.90 और
   10.8.90 से 7.9.90

क्या सभा की राय है कि समिति द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार अनुमति दी जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा।

1.19½ म. प.

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री बबनराव ढाकणे (बीड): मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 29 अगस्त, 1990 को हुई बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1.20 म.प.

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.20½ म. प.

सभा का कार्य

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 3 सितम्बर, 1990 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

(क) संविधान (72वां संशोधन) विधेयक, 1990

(ख) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में संविधान (70वां संशोधन) विधेयक, 1990

(ग) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में संविधान (71वां संशोधन) विधेयक 1990

3. मोटर कार पर उत्पाद-शुल्क में बढ़ोतरी से सम्बन्धित संकल्प पर चर्चा

4. भारतीय विधन कार्य परिषद अध्यादेश, 1990 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में भारतीय विधन कार्य परिषद विधेयक, 1990 पर विचार और पारित करना।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिए स्थगित होती है।

9.22 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन से लिए 2.20 म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.26 म. प।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.26 म। प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम ३७७ के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे। श्रीमती जमुना।

(एक) सहकारी बैंकों से किसानों आदि द्वारा लिये गये 10,000 रुपये तक के ऋण माफ किये जाने की मांग

श्रीमती जे. जमुना (राजामुन्द्री) : राष्ट्रीय मोर्चे ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में वायदा किया था कि वह किसानों, कारीगरों आदि द्वारा लिये गये 10,000 रुपये तक के ऋणों को माफ करेगा। व्यवहारिक रूप में, ऋण माफी की योजना को अनेक शर्तों के साथ केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों तक के मामले में ही लागू किया गया है।

अधिकांश ऋण सहकारी बैंकों से लिये गये हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से सहकारी बैंकों के ऋणों को माफ करने के लिये 50 प्रतिशत वित्तीय भार वहन करने के लिए कह रही है।

सरकार नैतिक रूप से इस बात के लिए बाध्य है कि वह सहकारी क्षेत्र के ऋणों सहित ऋण माफी की योजना को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करे।

मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वह राज्य सरकारों को सम्बद्ध किये बिना सभी सहकारी ऋणों को माफ करे।

(दो) दिल्ली की निचली अदालतों के वकीलों के आन्दोलन को लोगों के हित में शीघ्र समाप्त कराये जाने की मांग

श्री जे. पी. अग्रवाल (चांदनी चौक) : दिल्ली की निचली अदालतों के वकीलों ने पिछले चार महीने से जो अधिक समय से आन्दोलन छेड़ रखा है। इससे उन लोगों को भारी कष्टों और कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके मुकदमे अदालतों में विचाराधीन हैं। वकीलों के आन्दोलन की वजह पर सरकार शीघ्र ध्यान दे। यदि हम इसके समाधान में विलम्ब करते हैं, तो हम कानून के बारे में कथित उक्ति, "न्याय देने में विलम्ब का तात्पर्य न्याय से मनाही है,' के विरुद्ध जाते हैं। सरकार को इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और वकीलों को अपना आन्दोलन वापस लेने के लिए राजी करना चाहिए। यह बात केवल तभी सम्भव है, जब सरकार वकीलों के साथ-साथ मुकदमों में सम्बद्ध पक्षों के हितों की रक्षा के लिए कुछ उपचारी प्रयास प्रस्तुत करे : अतः इसका शीघ्र समाधान करने का निवेदन किया जाता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह निचली अदालतों के वित्तीय अधिकार क्षेत्र को 5 लाख रुपये तक करने की वकीलों की मांग को स्वीकार कर ले।

तीन कर्नाटक के चिकमगलूर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने तथा वहां औद्योगिक विकास केन्द्र की मंजूरी दे दिए जाने की मांग

श्री डी. एम. पुट्टे गौड़ा (चिकमगलूर) : उपाध्यक्ष महोदय, कर्नाटक राज्य में चिकमगलूर जिला पश्चिमी घाट पर स्थित है और पर्वतीय तालुकों में कुछ बागान फसलों को छोड़कर यह औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है। वास्तव में, वहां जिले के लिए तथा और अधिक संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पर्याप्त उद्योग नहीं हैं।

कर्नाटक राज्य चिकमगलूर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की शीघ्र आवश्यकता है।

मैं केन्द्रीय सरकार से कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर जिले के लिए एक औद्योगिक विकास केन्द्र मंजूर करने और उक्त क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का भी निवेदन करता हूं।

[हिन्दी]

(चार) सम्भल, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से होने वाले भू-कटाव को रोकथाम किए जाने की मांग

डा. एस. पी. यादव (सम्भल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करता हूं :—

"मेरे लोक सभा क्षेत्र सम्भल के विधान-सभा क्षेत्र गुन्नौर में तथा गंगेश्वरी में गंगा नदी की बाढ़ तथा कटाव की विनाशलीला चरमसीमा पर है। गुन्नौर तहसील के दो गांव महरोला नवाबाद तथा सिंगोला हीरा सिंह गंगा नदी की बाढ़ में कट गए हैं। भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दे कि उस सरकार के विचाराधीन तीन ठोकर बांध अविलम्ब बनाए जाएं ताकि अन्य बहुत से गांवों के कटाव भी खतरे से बाहर हो जाएं। साथ ही उक्त दो गांव जो कट गए हैं, उनके भूमि तथा भवनहीन बेघरबार लोगों को समुचित आर्थिक सहायता अविलम्ब प्रदान की जाए, ताकि ग्रामीणों का जीवन सुधर सके।

दूसरे गंगेश्वरी क्षेत्र के हसनपुर बांध के कटाव को रोकने के लिए तत्काल जल संसाधन मंत्री स्वयं जाकर निरीक्षण करें तथा कटाव रोकने के लिए सभी साधन जुटाए जाएं। बांध का कटाव रोकना अत्यधिक आवश्यक है अन्यथा मुरादाबाद एवं बदायूं जिलों के लगभग 100 गांव प्रतिवर्ष बाढ़ से पीड़ित रहा करेंगे।"

(पांच) देश में आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों को रोकने तथा देवरिया जिले के सलेमपुर के लिए मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाए जाने की मांग

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित विषय सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं :—

"देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आसमान छू रहे हैं। जिससे सामान्य लोगों पर आर्थिक संकट का दबाव बढ़ता जा रहा है। मूल्य नियंत्रण की दिशा में अब तक का सरकारी प्रयास निष्प्रभावी है।

वनस्पति घी 42 रुपए प्रति कि. ग्रा. तथा सरसों का तेल 32 रु. प्रति कि. ग्रा. के भाव पर पहुँच गया है। इसी प्रकार साबुन, डालडा आदि के मूल्यों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। नियंत्रित वस्तुओं में चीनी 9 से 10 रुपए प्रति कि. ग्रा. तथा मिट्टी का तेल 6 से 8 रुपए प्रति लीटर काले बाजार में बिक रहा है तथा इनका अभाव बना हुआ है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से शहरी क्षेत्रों में चीनी एक कि. ग्रा. प्रति यूनिट तथा मिट्टी का तेल 10 लीटर प्रति कार्ड वितरित होता है जब कि देहातों क्षेत्रों में चीनी 130 ग्राम प्रति यूनिट और मिट्टी का तेल 2 लीटर प्रति कार्ड वितरित किया जाता है जिससे ग्रामीण उपभोक्ता और भी दुखी हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र सलेमपुर (देवरिया) में जितनी मिट्टी के तेल की आवश्यकता पड़ती है, उसकी आधी मात्रा में कोटा आवंटित किया गया है, जिससे अधिकांश उपभोक्ता अपने कार्डों पर भी मिट्टी का तेल नहीं ले पाते हैं। वस्तुओं की कमी एवं बढ़ते हुए मूल्यों से आम जनता में आक्रोश व्याप्त है।

मैं माननीय सदन के समक्ष इस विषम परिस्थिति को प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मन्त्री एवं माननीय नागरिक आपूर्ति मन्त्री से प्रभावकारी नियंत्रण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं तथा सलेमपुर में मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाए जाने की भी मांग करता है।"

(छः) फलों और उनके रस का प्रयोग बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 का निम्नलिखित विषय सदन में उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं :—

"भारत में 75 मिलियन टन फल एवं सब्जियों की उपज होती है जिसमें से लगभग 30 प्रतिशत उपभोक्ताओं तक पहुंचने के पूर्व ही नष्ट हो जाती है। यदि उत्पादित फल एवं उनका रस समुचित मात्रा में उपभोक्ताओं तक पहुंच सके, तो देश की कुपोषण भयंकर समस्या का समाधान हो सकता है और फलोत्पादकों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सकता है। ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से अनुरोध है कि फल एवं फलों के रस को आम जनता तक पहुंचाने के लिए साफ्ट ड्रिंक्स की फैक्ट्रियों में बनने वाले पेय में 20 प्रतिशत फलों का रस डाला जाना मैंडेटरी बनाया जाए, भारत सरकार एवं सभी राज्य सरकारों के शासकीय आयोजन, सभा एवं समितियों में साफ्ट ड्रिंक्स के रूप में केवल फलों का रस ही सप्लाई हो, जो सहकारी संस्थाएं शुद्ध फलों के रस का विपणन करती हैं, उनको प्रारंभिक अवस्था में ही 30 प्रतिशत सबसिडी की व्यवस्था की जाए तथा व्यापक स्तर पर फलों के रस को प्रयोग करने का प्रचार किया, जाए जिससे लोग स्वस्थ रहें।"

(सात) एन. ओ. सी. आई. एल मुम्बई को पर्यावरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस न दिए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री विद्याधर गोखले (मुम्बई उत्तर प्रदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, 16.11.1989 को उद्योग मन्त्रालय ने एन. ओ. सी. आई. एल. को नई मुम्बई में भारी पेट्रो-रसायन परिसर के विस्तार एवं नई स्थापना के लिए आशय पत्र जारी किया जिससे इस क्षेत्र मे असंख्य रसायन उद्योगों के विस्तार के लिए एक परम्परा और रास्ता बन गया जो नई मुम्बई के अन्दर और इसके आसपास पर्यावरण और लाखों बस्तियों के लिए हानिकर है।

एन. ओ. सी. आई. एल. को मन्त्रालय द्वारा लाइसेंस नीति में दिसम्बर 1987 में लिए गए निर्णयों को रद्द किए जाने के पश्चात स्थान सम्बन्धी प्रतिबन्धों से मुक्त रखा गया है। एन. ओ. सी. आई. एल. का प्रस्ताव विगत में अनेक स्तरों पर अस्वीकार किया गया है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त की गई आधे दर्जे से अधिक समितियों ने मुम्बई महानगर क्षेत्र में उद्योगों की अतिरिक्त स्थापना अथवा विस्तार का निरन्तर विरोध किया है।

जनता तथा "ठाणे क्षेत्र पर्यावरण तथा मानव जीवन संरक्षण समिति" जैसे विभिन्न पर्यावरण संगठन ने पहले ही सरकार को सामूहिक हड़ताल की धमकी दी है। मैं भी इस स्थिति की गम्भीरता को सम्बद्ध मन्त्रालयों के नोटिस में लाया हूं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि एन. ओ. सी. आई. एल. को स्वीकृति और औद्योगिक

लाइसेंस न दें। मैं समझता हूं कि इतने महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित के मामले में न्यायिक पूछताछ आवश्यक है।

(आठ) पान के पत्तों को निर्यात-योग्य कृषि उत्पाद के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग

श्री चित्त बसु (बारसात) : महोदय, पान के पत्ते मूलतः कृषि उत्पाद है। इसकी खेती से ग्रामीण जनता को भारी संख्या में रोजगार मिलता है। पश्चिम बंगाल इसका प्रमुख उत्पादक है।

इस वर्ष पान के पत्तों का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है, किंतु मूल्यों में भारी कमी के कारण उत्पादक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पिछले वर्ष एक हजार पान के पत्तों का प्रचलित मूल्य 400 रुपये से 500 रुपये था। इस वर्ष यह केवल 40 रुपये से 50 रुपये तक गिर गया है। ऐसा मुख्यतः इस कारण हुआ है क्योंकि इस वस्तु की दक्षिण पूर्वी रेलवे के उन स्टेशनों से बुकिंग में कमी के कारण हुआ है जो पान की खेती वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं।

इसका दूसरा कारण यह है कि भारत सरकार ने इसे निर्यात-योग्य कृषि उत्पादों की सूचि में सम्मिलित नहीं किया है, यद्यपि पश्चिम बंगाल सरकार इसे निर्यात करने योग्य कृषि उत्पाद मानता है।

भारत में प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपये के मूल्य के पान के पत्तों का उत्पादन होता है और इसकी पश्चिम बंगाल का अंश लगभग 500 करोड़ रुपये है। भारत इस सम्बन्ध में लगभग एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाता है।

अतः मैं कृषि मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि पान के पत्तों को निर्यात-योग्य कृषि उत्पाद के रूप में मान्यता दें और एन. ए. एफ. ई. डी. और राज्य व्यापार निगम को इस उत्पाद की वसूली और निर्यात आरंभ करने की सलाह दें जिसके लिए अनेक विदेशों में बिक्री हो सकती है।

मैं रेल मन्त्री से निवेदन करता हूं कि दक्षिण पूर्वी रेलवे को विशेष आदेश जारी करें कि उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए अधिक मात्रा को निरन्तर बुकिंग की जाए।

(नौ) राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ में अनियमितताओं की जांच किए जाने की मांग

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ को इस आधार पर भंग किया गया था कि कि उसमें करोड़ों रुपये का घाटा और भारी अनियमितताएं थीं। संघ पर यह भी आरोप था कि वहां काफी भ्रष्टाचार और लापरवाही है। इसी आधार पर सारे निदेशक मण्डल को भंग किया गया था, किन्तु ज्ञात हुआ है कि उसके चुनाव कराये जा रहे हैं। चुनाव कराने से पहले न तो निदेशक मण्डल को अयोग्य करार दिया गया और न ही उनको चुनाव के अयोग्य घोषित किया गया। संघ को भंग किये जाने के बाद घाटा भी बढ़ा है और बिक्री भी कम हुई है। ऐसी स्थिति में आडिट रिपोर्ट में कही गई कोई भी कार्यवाही किये बिना चुनाव कराये जाने का फैसला उचित नहीं है, क्योंकि, जब तक ऐसे व्यक्तियों को चुनाव से दूर नहीं रखा जाता,

जिन पर आरोप हैं तथा जिन्हें बदइन्तजामी, आर्थिक अनियमितताओं और घाटे के कारण पदों से हटाया गया है।

अतः यह मामला बहुत महत्व का है। यह आवश्यक है कि इस प्रकार की अनियमितताओं में संलग्न उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

2.40 म. प.

स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९९० के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) विधेयक; विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९९० के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब एक संख्या 8 से 11 पर एक साथ चर्चा होगी। मेरा यह सुझाव है कि श्री जसवन्त सिंह अपने नाम के आगे क्रम संख्या 8 और 10 पर दिए गए सांविधिक संकल्प का प्रस्ताव करे और फिर बोलें। या प्रो. मधु दंडवते अथवा श्री अनिल शास्त्री उनके नाम में क्रम संख्या 9 और 11 पर दो विधेयक विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा 30 जुलाई, 1990 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापति स्वापक औषधि और मनः-प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश संख्या 4) का निरनुमोदन करती है।"

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा 30 जुलाई, 1990 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

मेरी आपत्ति अत्यन्त साधारण है। ऐसा इस लिए है क्योंकि केन्द्रीय वित्त मन्त्री जैसा मेरा एक अच्छा मित्र जिनकी संसदीय योग्यता हम सब से कहीं अधिक है। मेरी आपत्ति मुख्यतः इस आधार पर निर्भर है कि यह दोनों अध्यादेश, जो अन्यथा आवश्यक थे, संसद की बैठक बुलाने के पश्चात् प्रचारित किए गए, और मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय वित्त मन्त्री जो मेरे अच्छे मित्र और वरिष्ठ साथी हैं इस बात की प्रशंसा करेंगे कि जो मुद्दा मैं व्यक्त कर रहा हूं वह मामूली नहीं है। वह अपना मंत्रालय अत्यन्त कुशलता और बड़ी लगन से चला रहे हैं। यह साधारण अध्यादेश उन्हीं उपबन्धों का और अधिक अवधि के लिए विस्तार है जिन पर हमने आपत्ति उठाई है।

निश्चय ही मंत्रालय के सचिवालय में पहले ही इस बात पर विचार किया होता कि इन को और बढ़ाने की आवश्यकता है और संसद की बैठक बुलाने से पूर्व अध्यादेश के द्वारा यह कदम उठाया जा सकता था।

मैं यह मसला यहीं छोड़ देता हूं क्योंकि इस समय चर्चा के लिए कोई मामला नहीं है और मैं जानता हूँ कि जब मैं यह निवेदन करता हूं सम्भवतः यह उचित समय नहीं हैं कि इस सम्बन्ध में चर्चा करें और भुगतान शेष की रुकावट और विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को देखते हुए मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री इस बात की जांच करें कि क्या यह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम अथवा विदेशी मुद्रा सरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम जिसके बारे में अब कहा जाता है इसका विदेशी मुद्रा के संरक्षण अथवा नियंत्रण का उद्देश्य पूरा किया गया था। अब हमें इन पहलुओं की ओर पुनः ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, एक उपबन्ध यह है कि हमें देश में विदेशी निधियों के आने को बढ़ावा देना है। यह एक उपबन्ध है। इस पर चर्चा नहीं हो रही है। मैं केवल सुझाव दे रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय ने कहा है कि यदि इसे लागू किया गया संभवतः यही समय है कि यह दो विनियम पुनः विचार करने योग्य है।

मेरी आपत्ति साधारण और तकनीकी थी। मैंने संक्षेप में 4 मिनट में कहा कि मैंने आपसे पूछताछ की थी।

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दंडवते) : क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी बोलूं ? अन्य लोग बोल सकते हैं। और भी बोलने वाले हैं क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय :-हां हैं।

प्रो. मधु दण्डवते : तब तो मैं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : किंतु अभी आपको विधेयक प्रस्तुत करना है।

प्रो. मधु दण्डवते : इन दोनों के सम्बन्ध में परम्पराएं रही हैं। मैंने पूरी संसदीय कार्यवाही देखी। सांविधिक संकल्प के प्रस्तुत होने के पश्चात् सामान्य चर्चा जारी रहती है। मैं यही कहता हूं।

मैं केवल प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा। जहां तक बोलने का सम्बन्ध में, वह काम करूंगा। मैं यही कहता हूं।

चूंकि दोनों मुद्दे साथ साथ उठाने हैं, मैं दोनों विधेयक विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कर सकते हैं।

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"कि यह सभा 30 जुलाई 1990 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित स्वापक और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश संख्या 4 का निरनुमोदन करती है।"

"कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि यह सभा 30 जुलाई, 1990 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

"कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है, मैंने केवल औपचारिक तौर पर विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत किया था। मैं भाषण समाप्त होने के पश्चात बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हां। अब डा. चिन्ता मोहन बोलें।

डा. चिन्ता मोहन (तिरुपति) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक 1990 के अध्यादेश संख्या 5 का सम्बन्ध है, इसे अध्यादेश के रूप में प्रस्तुत करना मुझे उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। प्रो. दंडवते, एक वरिष्ठ सांसद हैं तथा उन्हें पता है कि इसका कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसलिये अध्यादेश के रूप में प्रस्तुत करने के बदले उन्हें इसे विगत बजट सत्र में ही विधेयक के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए था। लेकिन भाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश, उन्होंने इसे 30 जुलाई को प्रस्तुत किया है। लेकिन इस अध्यादेश पर चर्चा करने से पूर्व मैं पिछली आठवीं लोकसभा के दौरान अपने अनुभवों को बताना चाहता हूं। जब प्रो. दण्डवते विपक्ष में थे तो जब भी अध्यादेश की बात की जाती थी तो वह कहा करते थे कि अध्यादेश का सहारा लेना अलोकतांत्रिक है। वह इस पर हमेशा

अपना असंतोष व्यक्त किया करते थे। मैं नहीं जानता कि प्रो. मधु दण्डवते जैसे वरिष्ठ सांसद को इस अधिनियम को एक अध्यादेश के रूप में क्यों प्रस्तुत करना पड़ा। अध्यादेश के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय उन्हें इसे विधेयक के रूप में विगत बजट सत्र के दौरान ही प्रस्तुत करना चाहिए था। यदि वे ऐसा करते तो हमें खुशी होती। बहरहाल, अब वे सत्तापक्ष में हैं। वह कुछ भी कर सकते हैं। वे अध्यादेशों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अध्यादेशों का उपयोग बहुत कम किया जाना चाहिये। वे इस अध्यादेश को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और संसद की गरिमा को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

दूसरा, 1974 का विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम है। मैं नहीं जानता कि यह कितना सहायक है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या ये नियम वास्तव में तस्करी पर नियंत्रण पाने में सक्षम हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि आठ-नौ महीनों में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत कितने मामले दर्ज किए गये और उन पर इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई। मेरे विचार से राजस्व गुप्तचर निदेशालय के अधिकारी मामला दर्ज करते हैं और कुछ समय बाद यह मामला किसी अन्य बोर्ड या अपीलीय बोर्ड या ऐसी ही किसी अन्य संस्था में भेज दिया जाता है। इसके बाद यह उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय में जाता है। अंततः इस मामलों में कई वर्ष लगा दिये जाते हैं। अंत में वे यह कहते हैं कि इस तरह के मुकदमों में कोई साक्ष्य नहीं है। यदि ऐसे मामलों में कोई साक्ष्य मिलता भी है तो दो साल तक की कैद की सजा मिलती है। उन्होंने धारा (9) की उपधारा (1) में कहा है कि उनकी नजरबन्दी की व्यवस्था है। लोग तस्करी से करोड़ों रुपये अर्जित करते हैं। उनके लिये साधारण कैद अथवा पांच सौ रुपये का जुर्माना कोई मायने नहीं रखता है। कृपया आप अन्य पड़ोसी देशों को देखें। वहां कैद की अवधि सात से दस वर्ष तक है। मंत्री जी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अपराधियों के मामलों में इतनी ही कैद की अवधि का प्रावधान क्यों नहीं करते हैं? धारा 10 में उन्होंने कहा है कि नजरबन्दी की अवधि कम से कम दो वर्ष की होगी। दो वर्ष के बदले उन्हें 7-8 वर्ष की अवधि का प्रावधान करना चाहिये था। ऐसा करके हम वास्तव में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की समस्या पर नियंत्रण पा सकते हैं। संसद में आने से पहले मैंने एक बात देखी थी। राजस्व गुप्तचर निदेशालय के कुछ अधिकारियों ने एक प्रसिद्ध बड़े उद्योगपति श्री मनु छाबड़िया को बुलाया। लेकिन वे नहीं आए और अपनी टिप्पणी भी नहीं दी। ऐसी प्रथा चल पड़ी है। प्रो. दण्डवते एक वरिष्ठ सांसद हैं। वह इस अधिनियम का उपयोग ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिये कर सकते हैं। लेकिन वे ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिये मैं उनसे यह निवेदन करता हूं कि वे इस अधिनियम को और प्रभावशाली बनाएं और सुनिश्चित करें कि इसके अनुरूप कार्य किया जा रहा है। कई अधिनियम हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर वे कर क्या रहे हैं। वह कैसे देश की विदेशी मुद्रा स्थिति से निपटेंगे? मैं इस सम्बन्ध में ब्यौरा प्राप्त करना चाहता हूं।

महोदय, इन शब्दों के साथ के साथ मैं संसद के समक्ष प्रस्तुत किये गये इस प्रकार के अध्यादेशों के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करता हूं। लेकिन चूंकि देश के लिये ये अधिनियम महत्वपूर्ण हैं इसलिए हम उन्हें स्वीकार करने के लिये बाध्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों को बोलने की अनुमति देने से पूर्व मैं सदन को यह बता दूं कि विधेयक के संशोधन विधेयक प्रस्तुत किये गये हैं। एक संशोधन नहीं गिरधारी लाल भार्गव के द्वारा

प्रस्तुत किया गया है। परिचालन संबंधी अन्य संशोधन का प्रस्ताव श्री हरीश रावत का है और परिचालन संबंधी तीसरा संशोधन श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति का है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे अपने संशोधनों को प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव — प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री हरीश रावत — प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति — उपस्थित नहीं।

माननीय सदस्यों द्वारा कुछ संशोधन का सुझाव दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि क्या वे अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं अथवा नहीं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव — प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल — उपस्थित नहीं।

श्री हरीश रावत — प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति — उपस्थित नहीं।

श्री प्यारे लाल हान्डू (अनन्तनाग) : मैंने भी संशोधन का सुझाव दिया है···

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि आपने जिन संशोधनों का सुझाव दिया वह परिचालन के लिये न हो। वे खंडों में संशोधन के लिये हो सकते हैं। अब मैं श्री अजय मुखोपाध्याय को बुला रहा हूं।

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयकों का मैं समर्थन करता हूं जो अध्यादेशों का स्थान लेने के लिए लाए गए हैं। मेरा भी यही विचार है कि इस विधेयक को संसद के पिछले सत्र में ही लाया जा सकता था। इस टिप्पणी के साथ मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

नशाखोरी संपूर्ण राष्ट्र और विश्व के लिए एक बड़ी समस्या है। यदि मुझे कहने की अनुमति दी जाए तो मैं यह कहूंगा कि यह मानव सभ्यता के लिये एक बड़ी चुनौती है। जहां तक मुझे पता है, भारत में औषधियों का अवैध व्यापार हथियारों की तस्करी और आतंकवाद से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस के पास कुछ आतंकवादियों के बारे में ऐसे प्रमाण हैं जो नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े हैं। स्वापक औषधि सम्बन्धी आयोग ने यह पाया है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दुनिया के कई भागों में नशीली दवाओं की तस्करी करने वालों का स्पष्ट संबंध आतंकवाद और संगठित आपराधिक गतिविधियों से है। हमें पता है कि मध्य पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में तैयार की गई स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार के लिये भारत का उपयोग किया जाता था। वर्तमान में भी देश के कई स्थानों पर अफीम का कई चरणों में प्रसंस्करण कर 'हेरोइन' तैयार किये जाने का भी प्रमाण है। अमरीका और इटली के माफिया इसमें भूमिका अदा कर रहे हैं और माफिया के सम्बन्ध में भी बढ़ते जा रहे हैं।

जहां तक मंत्रालय के वर्ष 1989-90 की वार्षिक रिपोर्ट का संबंध है, मैंने यह पाया है कि भारत उन थोड़े से देशों में से है, जिसे निर्यात के लिए अफीम पैदा करने की अनुमति दी गई थी। भारतीय अफीम का निर्यात किया जाता है। लेकिन आंकड़ों से यह पता चलता है कि इसमें गिरावट आई है। संयुक्त राज्य अमरीका और टर्की जैसे देशों से इस व्यापार में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में संशोधन कर इसे दृढ़ता प्रदान की गई है और इसमें सम्पत्ति जब्त करने की भी प्रावधान किया गया है। यहां तक कि कुछ मामलों में दूसरी बार दोषी पाये जाने पर मृत्यु दण्ड का भी प्रावधान है। लेकिन हमें नहीं पता है कि अब तक एक भी मामले में किसी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है या नहीं इसमें कोई शक नहीं है और न कोई दो राय होनी चाहिये कि नशाखोरी के खतरों से जूझने के लिये इन उपायों को मजबूती प्रदान की जानी चाहिये, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। राष्ट्र को नशाखोरी से बचाने के लिये सामाजिक चेतना पैदा की जानी चाहिये; प्रचार माध्यमों का प्रभावशाली तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए तथा सभी राजनीतिक पार्टियों तथा जन संगठनों को सामने आना चाहिये। चूंकि हमारी भावी पीढ़ी नशाखोरी के रास्ते पर आ रही है। इसके लिए सरकार को एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करना चाहिये।

मैंने पहले ही कहा है कि यह एक विश्वव्यापी समस्या है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका इसमें सबसे ऊपर है। मुझे पता चला है कि विशेषज्ञ औषधि निर्माताओं द्वारा निर्मित एक असबवाब 'हैरोइन' के समतुल्य, जो कि हैरोइन से भी ज्यादा हानिकारक है, इस समय संयुक्त राज्य अमरीका में बहुत लोकप्रिय हो रही है।

एक ही पदार्थ की अणु संरचना में थोडा बहुत फेरबदल करके नई दवाईयों को बनाया जा रहा है। इसका नतीजा यह है कि जो औषधि तैयार की जा रही है, यह वास्तविक औषधि से कई हजार गुना ज्यादा असरदार है। फिर भी, जो औषधि निर्माता इन्हें बना रहे हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है यह एक तकनीकी कमी के कारण होता है क्योंकि जो नई दवा बनाई गई है और जो हजार गुना ज्यादा असरदार है, उसका औषधियों की प्रतिबंधित सूची में नाम नहीं है। जो प्रतिबंधित औषधियों की सूचियाँ प्रकाशित की गई हैं, उनमें इस औषधि का नाम नहीं है। यह एक खतरनाक बात है। हाल ही में हमने यह देखा है कि संयुक्त राज्य अमरिका प्रशासन ने केवल इसी आधार पर कि जनरल मैनुएल एन्टोनियों नोदिगा एक अंतर्राष्ट्रीय नशीली औषधियों में संलग्न है, पनामा में खुलेआम सशस्त्र हस्तक्षेप करने में हिचकिचाहट नहीं की थी।

3.00 म. प.

जो राष्ट्र नशीली औषधियों की तस्करी की सूची में सर्वोच्च शिखर पर है, वही उसी आधार पर एक अन्य राष्ट्र पर बिना किसी शर्म के गलत तरीके से हमला कर रहा है। वह अन्य देशों पर हमला कर रहा है। यह विरोधाभास है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार को इस बढ़ती हुई सामाजिक बुराई के समूल नाश के लिये कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। यह कार्य केवल सरकार का ही नहीं है। यह उत्तरदायित्व सभी राजनैतिक संगठनों और जनसंगठनों का है कि इस नशे की लत के विरुद्ध लोगों को तैयार करें। अत: यहां प्रस्तुत विधेयक, जो अध्यादेशों का स्थान लेगा, उसे कानून बना कर अवश्य लागू किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि समूचे राष्ट्र व सभ्यता को बचाने का उत्तरदायित्व प्रत्येक पर विशेषकर जन प्रतिनिधियों पर है, जो यहां एकत्रित हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, ये दोनों बिल सदन के सामने हैं और एक अच्छे उद्देश्य को लेकर के लाये गये हैं और मैं इनका स्वागत करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इन दो छोटे अमेंडमेंट्स के जरिए जो टैक्नीकल डिफीकल्टीज इनके सामने हैं, वह दूर हो जायेगी। नशीले पदार्थों को हम ड्रग्स की संज्ञा में रखते हैं, उनका प्रचलन बढ़ता जा रहा है और स्मगलर बहुत बड़े पैमाने पर एक नियोजित तरीके से इस काम में लगे हुए हैं। वह धीरे-धीरे न केवल हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिये, हमारे अर्थतंत्र के लिये बल्कि देश की सम्प्रभुता लिये और देश की सीमा के लिये भी खतरा बनता जा रहा है। इस समय हमारे देश के अन्दर जो मोस्ट वलनरेबल एरियाज हैं चाहे जहां कस्टम डिपार्टमेंट आपरेट करता है और तमिलनाडु के चारों तरफ या जो ऐसे एरियाज हैं जैसे गुजरात और कश्मीर के वहां सेना की गतिविधियों के बढ़ने और अर्ध-सैनिकों के बढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि हम इसको कंट्रोले नहीं कर पा रहे हैं और इसको कंट्रोल करने पर फोड़ा गया। एक एरिया जो नापाल का है तो उसी मात्रा से तस्करी की मात्रा बढ़ रही है। जो छोटे-छोटे सामान जापान से व दूसरे देशों से आते हैं, अब वहीं से भी ड्रग्स आने लगी है और माफिया भी आपरेट करने लगा है। हमारे उत्तर प्रदेश में नैनीताल के अन्दर ऐसा नहीं होता था। अब बड़े पैमाने पर उस तरह के गैंग हैं जिनका संबंध राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर है, वे इस तरह की गतिविधियों में संलग्न हैं। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से यह आग्रह करना चाहता हूं और सदन भी इस बात को जानने का इच्छुक है इसलिए आप मेहरबानी करके हमें बतायें कि इस दौरान ऐसी वारदातों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि आजकल नये गिरोह बनते जा रहे हैं। यदि हम पुराने लोगों के कार्यवाही करते हैं तो उनके ही छुटभैये लोग अन्य नये नामों से नये गैंग्स बना रहे हैं और इस काम में संलग्न हैं। हमारी मशीनरी के कुछ अंग भी इसमें सम्मिलित हैं। इससे समाज के अन्दर बहुत बड़ा खतरा पैदा होता जा रहा है। दिल्ली में नौजवानों को जिस सरलता से ये मादक द्रव्य मिल रहे हैं उससे उनमें मादक द्रव्य सेवन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल के छात्रों को यह ड्रग्स उपलब्ध होती हैं। किसी को तो इस विषय में जानकारी रहती होगी, पुलिस को रहती होगी, लेकिन हम लोग यह नहीं सुनते हैं कि कोई बहुत बड़ा गिरोह या व्यक्ति जो इस तरह के कार्य में संलग्न है उसको पकड़ा गया है। सीमा पार जिन लोगों को पकड़ा गया है उनमें भी अधिकतर छुटभैये ही होते हैं, जिनके जरिये वह आपरेट करते हैं उन्हीं को ही पकड़ा जाता है, बम्बई में भी यही हालत है। जो हमारे वायु मार्ग हैं जैसे सिंगापुर, थाइलैंड से जो लोग आते है वे भी इसमें संलग्न हैं और उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस कार्य में लगे हुए संगठनों को उनके कार्यों को पूरे तरीके से रिवाइटलाइज किया जाना चाहिए, उनको फिर से इस बात की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि उनके पास आधुनिकतम यंत्र हों और आधुनिकतम जानकारियां हों जिससे मादक द्रव्य के धंधे में लगे लोगों को पकड़ा जा सके। इस समय हालत यह है कि हमारे जो संगठन हैं जिनकी यह जिम्मेदारी है कि वे ड्रग्स ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे उनके पास जिस प्रकार इन तस्करों को पकड़ने के यंत्र हैं मैं कहना चाहता हूं कि वे बहुत ही पुराने हैं। क्योंकि तस्करों के पास अप टू डेट मशीनरी होती है जो भी नवीनतम तकनीक है वह उनके पास मिलेगी। इसलिये हमको फालो करना पड़ता है कि उन्होंने

कौन-से तरीके अपना लिये हैं और उन तरीकों का हम जब कोई जवाब ढूंढते हैं तो वे अपना लेते हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय में एक दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिए जिसके तहत हम काम कर सकें और दावे से कह सकें कि निश्चित तौर पर ड्रग्स ट्रेफिक में जो लोग लगे हुए हैं उनको कंट्रोल कर पायेंगे।

मैं दो बातें और माननीय मंत्री जी से आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा। जो नौजवान इस समय मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं उनकी दशा को सुधारने के लिए और उनकी लत छुड़ाने के लिए मनोचिकित्सालय हैं और दूसरे सामाजिक संगठन भी हैं उनकी दशा सुधारने की जरूरत है। मैं यह नहीं कहूंगा कि दिल्ली में और खोलने की जरूरत है, लेकिन जो हैं उनको और सुधारने की जरूरत है। यदि सरकार को उसके लिए ज्यादा आर्थिक सहायता भी देना पड़े तो वह देनी चाहिए। विशेष तौर से जो सामाजिक संगठन इस काम में लगे हुए हैं उनको और प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरीके आर्गेनाइजेशंस दूसरे प्रांतों में भी काम कर रहे हैं उनको भी बढ़ावा देने की जरूरत है। जिस प्रकार से दिल्ली में व्यवस्था की गई है वह और भी जगह की जानी चाहिए। हिन्दुस्तान के किनारे के एरियाज हैं, चूंकि उनमें इस प्रकार की बुराई नहीं थी। अब वहां पर प्रचलन में आ रही है। जिन मादक द्रव्यों का हमने नाम नहीं सुना था, उनके नाम वहां के नौजवानों के सामने अब खुले आम होने लग गये हैं। छोटे-छोटे कालेज के हास्टलों में खुले आम ये चीजें बिक रही हैं। यहां तक कि हमारे कांस्टीट्यूएन्सी के अन्दर पिछले दिनों ऐसी 4-5 वारदातें मेरी नालेज में आयी हैं। जो एरियाज इस प्रकार की चीजों के विषय में सुनते नहीं थे, अब उनको मालूम हो गया है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस काम को रोकने के लिए जो सोशल आर्गनाईजेशंज लगे हुए हैं, उन्हें और मदद दी जाये। साथ-साथ जो सरकारी ढंग से चलाये जा रहे हैं, उनकी दशा को सुधारने के लिए कदम उठाये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान अफीम पैदा करने वाले किसानों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर अफीम की खेती करने का काम किसान करते हैं। विभाग उनको नियंत्रित करने का काम भी करता है। उनके ऊपर बहुत चौकसी भी रखता है लेकिन सब के बावजूद भी जो लोग स्मगलिंग के काम में लगे हुए तस्कर हैं, वे लोग किसी न किसी प्रकार से कुछ गांवों में अपनी इस प्रकार की सैटिंग कर लेते हैं कि उससे आम किसान भी जो सरकार को पैदावार देता है, बदनाम हो जाता है। मैं आग्रह करूंगा कि जो किसान इस प्रकार के काम में लगे हुए हैं, उन्हें किसी और प्रकार के धन्धे में लगाने के लिए सरकार उपाय करे और यदि उसके लिए धन की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार से बातचीत करके लिए उसके आवश्यक व्यवस्था करे। इसके साथ ही जो किसान अफीम की खेती करते हैं, उनके बजाय यह काम सरकारी फार्मस पर करवाना चाहिए लेकिन किसान से यह काम नहीं करायें। इस संबंध में यदि किसी दूसरे धन्धे में किसान काम करना चाहे तो उसके लिए आवश्यक प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करें। देहरादून के कुछ इलाकों में खेती परम्परागत तरीके से होती है वहां पर मैंने कुछ व्यक्तियों से बातचीत की है तो उन्होंने बताया कि क्या करें कि जब इसका प्रभाव नहीं जानते थे, नुकसान का पता नहीं था, उस समय से इस काम को करते आ रहे हैं और अपनी तरफ से कोई गलत काम नहीं करते हैं लेकिन इसमें कुछ बिचौलिये या व्यापारी मिलकर गलत काम करवाते हैं, उसकी वजह से कुछ केसेज हमको भुगतने पड़ते हैं और बदनामी भी होती है। इसलिए इन लोगों से बातचीत करके यदि सरकार इनको किसी अन्य खेती के काम में लगाकर

मदद दे सके तो ये लोग और अच्छा कमा सकते हैं। इन लोगों का भी कहना है कि इसके लिए सरकार यदि व्यवस्था कर दे तो ये लोग तत्पर हैं बजाय आप इसके लिए कोई प्रांवेंटिव एक्शन लें या बाद में कानून के जरिये इनको चेज करना पड़े। जहां तक उसकी बुनियाद है, उस पर हमला करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं।

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोनों ही विधेयकों का समर्थन करते हुए बहुत ही संक्षेप में अपने विचार रखूंगा। चूंकि इसमें निरोध की अवधि 3 वर्ष के लिए और आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, इसलिए इस संशोधन का लाभ उठाते हुए मैं कुछ विशेष बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चूंकि स्मगलिंग व्यवसाय बन गया है जिसमें अवैध रूप से हजारों लोग लगे हुए हैं, यह एक प्रकार से अन्तर्देशीय मामला नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मामला है। इस अन्तराष्ट्रीय अवैध व्यापार को रोकने के लिए जितने कड़ाई के कदम उठाए जा रहे हैं, उतने ही ये कदम निष्प्रभावी होते जा रहे हैं। इसके कारण इसका कुप्रभाव दिन प्रति-दिन समाज के ऊपर पड़ता जा रहा है और समाज के अन्दर कई प्रकार की बुराईयां खड़ी हो गयी हैं। आज हशीश, ब्राउन शुगर, हेरोईन ये सब खुले आम बाजारों में मिलने लगी है। चाहे आप पान की दुकान पर खड़े होकर स्मैक मांगे तो वहां उपलब्ध हो सकती है लेकिन इस सब पर नियंत्रण या रोकथाम के उपाय आपके पास नहीं है और न ही सरकार इसको रोकने में समर्थ हो पा रही है। यद्यपि आपने दण्ड का प्रावधान किया है लेकिन इन सब के होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह बन गये हैं। अभी समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिला कि एक नाईजीरियन यात्री के पास यह एक ड्रग कैप्सूल के रूप में बरामद हुई है और वह भी स्टामेक से बरामद की गयी है। अब यदि किसी के स्टमक से ऐसी चीजें बरामद हुई, जो एक्सरे के जरिए देखी गई, ये चीजें बरामद हुई तो आप समझ सकते हैं कि इन चीजों को स्मगलिंग के लिए लोग किन किन उपायों का सहारा लेते हैं, कौन कौन से तरीके अपनाते है और उन प्रयोगों के जरिये धोखा देने का प्रयत्न करते हैं। यही उसका परिणाम है कि आज दुनिया भर में चारों तरफ इन चीजों का विस्तार होता जा रहा है। इसमें एक विशेष बात यह है कि हमारे अधिकारी भी तस्करी के काम में संलिप्त हो जाते हैं। मुझे एक घटना अच्छी तरह से याद है कि एक अधिकारी ने कहीं जाकर हिरोइन पकड़ी परन्तु बाद में उसने केस को दूसरी तरह से रफादफा करने का प्रयत्न किया, बाद में वह हिरोइन-हिरोइन नहीं रही। एक दूसरी जगह आपके अधिकारी ने भारी मात्रा में अफीम पकड़ी और उसने भी कुछ ले-देकर उस अफीम को अमलतास में परिवर्तित कर दिया। मेरा मतलब है कि जब इन चीजों की तस्करी में आपके अधिकारी भी शामिल हो जाते हैं ऐसे संदिग्ध निष्ठावाले अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिए। अन्यथा तो फिर आप दण्ड के प्रावधान भले ही और ज्यादा कठोर कर लें, कठोरतम बना लें, जब तक उन अधिकारियों पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं कर पायेंगे, आपको कहीं भी सफलता नहीं मिल सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं, वह क्षेत्र एशिया में सबसे पहला अफीम का उत्पादन करने वाला इलाका है, इसलिये मैं इस की कठिनाइयों से अवगत हूं। इसके साथ-साथ किसान की कठिनाइयों को भी पूरी तरह जानता हूं। मेरा अनुभव है कि अफीम के मामले में किसान आज ज्यादा परेशान है, दुखी है। अफीम के बोने, उसे तोड़ने और उत्पादन के समय, किसान ही सबसे ज्यादा पीड़ित रहता है क्योंकि आपके अधिकारियों की अफीम के अन्तर्राष्ट्रीय

तस्करों के साथ मिलीभगत होती है, अधिकारी स्वयं उसमें संलग्न रहते हैं, और किसान को उसका दण्ड भुगतना पड़ता है। अधिकारी और तस्कर सारा लाभ उठा ले जाते हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो व्यक्ति आपको तस्करी के विरुद्ध सूचना दे, तस्करों को पकड़वाने में सहायता करे, उसे केन्द्र सरकार की ओर से विशेष पुरस्कार दिया जाना चाहिए। आप राज्य सरकारों को भी ऐसे निर्देश दें कि वे भी अपने यहां ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था करें जो तस्करी से सम्बन्धित प्रकरणों को पकड़वाने में मदद करे ताकि इन सामाजिक अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की जा सके। दण्ड की व्यवस्था को यदि और मजबूत करने की आवश्यकता हो, तो वह भी करनी चाहिए। (व्यवधान) यहां कीमतों का उतना बड़ा सवाल नहीं है, वह मामला दूसरा है कि सरकार कितनी कीमत देती है पूरी कीमत देती या नहीं देती, किसान को ब्लैकमार्केट में कितनी कीमत मिलती है, किसान की मजबूरी क्या है? वह केवल अफीम से सम्बन्धित प्रश्न हो सकता है। मैं चाहता हूं अफीम काश्तकारों को अच्छा मूल्य मिले। जब कि सदन में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उसका क्षेत्र व्यापक है, उसमें हशीश, हिरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर आदि कई चीजें शामिल हैं, जिनका विस्तार रोकने के लिये यह बिल लाया गया है। इन बिलों का सम्बन्ध केवल अफीम से सम्बन्धित न होकर, अन्य सभी पदार्थों से है विदेशी मुद्रा से है। जिन पदार्थों की, विदेशी मुद्रा की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी होती है। उसकी रोकथाम के लिए इस प्रकार के प्रावधान लाना निश्चित रूप से हितकर होगा। इसके साथ-साथ मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन अवश्य करूंगा कि इन वस्तुओं के उत्पादन में जो किसान लगे हैं, वे जिस तरह से पीड़ित हैं, दुखी हैं, उन्हें संरक्षण मिल सके, इसकी व्यवस्था भी आपको करनी चाहिए। यदि आपको वर्तमान कानून को और अधिक कठोर करने की आवश्यकता महसूस हो तो आप उन्हें कठोरतम बनाइये ताकि इन सामाजिक अपराधों की रोकथाम हो सके। आज इस समस्या ने अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लिया है। इसका प्रभाव केवल भारत में ही नहीं, लंका, बर्मा, और थाइलैंड जैसे देशों पर भी पड़ रहा है। एक समाचार तो यह भी है कि अमेरिका में भी 75 प्रतिशत लोग इन पदार्थों के प्रयोग से प्रभावित हैं। वहां एक सर्वे हुआ था, जिसमें यह बात कही गयी है। इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है और इसकी प्रभावी रोकथाम के लिये ठोस उपाय करने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ, मैं समझता हूं कि दोनों विधेयक आवश्यक थे, इस तरह के संशोधन लाना आवश्यक था, हमारे प्रावधान कठोरतम होने चाहिये ताकि यह सामाजिक बुराई समाप्त हो सके और हम ऐसी समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान कर सकें। चूंकि समय रहते संशोधन प्रस्तावित नहीं किया गया और विलम्ब हुआ है। अतः निरनुमोदन प्रस्ताव आया है। मैं प्रस्तावक महोदय से उसे वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) विधेयक, 1990 जो अब सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, का समर्थन करता हूं। इस विधेयक में अधिनियम की धारा 10 को तीन वर्ष के लिए और बढ़ाने का प्रस्ताव है। मैं महसूस करता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक कानून है। मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को नियन्त्रण में रखने के व्यापाक कार्य का विश्व की सभी सरकारें सामना

कर रही हैं। भारत में भी कानूनी और गैर-कानूनी, दोनों तरह से बड़ी संख्या में अफीम का उत्पादन हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1987-88 में 22,500 हेक्टेयर भूमि में 50 मीट्रिक टन अफीम का उत्पादन होता था। उस वर्ष 2000 मीट्रिक टन का भंडार था। हमने 600 मीट्रिक टन की बिक्री की है। हम प्रत्येक वर्ष 100 मीट्रिक टन का उपभोग कर रहे हैं। इसका वास्तव में दूर-दराज के गांवों और शहरों के पारिवारिक जीवन पर भी पड़ा है। अब प्रत्येक स्थान पर अलग-अलग तरह की स्वापक औषधियां उपलब्ध हैं। शहरों में माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल और कालेजों में भी नहीं भेज सकते हैं क्योंकि शैक्षिक संस्थाओं के इर्द-गिर्द भी विभिन्न प्रकार की स्वापक औषधियां प्राप्त करने की अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं और बच्चे धीरे-धीरे इनका दुष्प्रभाव जाने बिना प्रयोग शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें सख्त कार्यवाही करनी है। परन्तु दुर्भाग्यवश हमने अधिकांश प्रयास उन व्यक्तियों के विरुद्ध किए हैं जो समाज के निचले वर्गों से हैं तथा जिनका इस्तेमाल बड़े-बड़े सरगना कर रहे हैं।

अभी एक सप्ताह पहले एक समाचार आया था कि अमेरिका में अमेरिकी ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी के एक विशेष एजेंट को उसके सहयोगियों ने उस समय गिरफ्तार किया जब 26 किलोग्राम कोकेन उन लोगों को भेज रहा था जिनके विरुद्ध वह संघर्ष कर रहा था। इस प्रकार ऊंचे पदों पर कार्यरत व्यक्ति जिनसे औषधियों के अवैध व्यापार को रोकने की अपेक्षा की जाती थी स्वयं एक ऐसा एजेंट था जो इसका व्यापार कर रहा था। अधिकांश मामलों में ऐसे बड़े मुखिया अवसर बच जाते हैं। मैं त्रिवेन्द्रम के एक ऐसे विशेष मामले को जानता हूं जिसमें कम मात्रा में अफीम की बिक्री के लिए दो लड़कों का प्रयोग किया जाता था। जोखिम जाने बगैर इन दोनों लड़कों को एक आटोरिक्शा में भेजा गया। एक अन्य व्यक्ति भी था। उनमें से एक लड़का दो छोटे पैकेट ले जा रहा था। वास्तव में वह लड़का नहीं जानता था कि उनमें क्या है, पुलिस आयी और वाहन को रुकवाया। जो व्यक्ति इन लड़कों का प्रयोग करता था वह भाग गया। जो बच्चे यह नहीं जानते थे कि उनमें क्या है उन्हें पकड़ लिया गया। यह ऐसा मामला है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। आश्चर्य की बात है कि जब यह मामला न्यायालय में पहुंचा तो केवल एक पैकेट था और दूसरा पैकेट गायब था। उसे पुलिस ले गयी थी। दुर्भाग्य की बात है कि इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकद्दमा चल रहा है परन्तु उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया जो उसी आटोरिक्शा में था। उसका पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। असली अपराधी का पता लगाने के लिए अब प्रयास किया गया है। इसलिए कानून जो कुछ हो परन्तु हमें यह निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित करना चाहिए कि असली अपराधियों को पकड़ा जाए और कड़ा दण्ड दिया जाए।

तस्करी में दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में लाभ कमाने के अनेक अवसर हैं। इन औषधियों की तस्करी से सोने की तस्करी की तुलना में अधिक लाभ कमाया जा सकता है। इस प्रकार यह एक लालच है। हमें ऐसा कोई तरीका निकालना है कि जिससे कि बहुत बड़ी मात्रा में लाभ कमाने के ढंग को रोका जा सके ताकि तस्करी के लालच को कम किया जा सके। तस्करी के अनेक तरीके हैं। रिपोर्टों में बताया गया है कि जिन पोतों के द्वारा फल भेजे जाते हैं उनके अधिकांश भाग का औषधियों के तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्नीचर की खोखली टांगों में भी तस्करी की हुई औषधियां भर दी जाती हैं। इन पदार्थों को बगल के पोकेटों में भी छिपा दिया जाता है। निर्यात अथवा आयात में भी ऐसा होता है। इस प्रकार तस्करी के अनेक तरीके हैं।

हमें ऐसे तरीकों का पता लगाना है जिनसे इनको रोका जा सके। फिर भी हमें इस प्रकार के औषधियों के अवैध व्यापार के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी है ताकि भावी पीढ़ी को इस समस्या से बचाया जा सके।

मैं त्रिवेन्द्रम का प्रतिनिधित्व करता हूं इसलिए मुझे यह कहते हुए कष्ट होता है कि यूनिवर्सिटी कालेज, त्रिवेन्द्रम अर्थात मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, जिसमें मुझे चार वर्षों तक अध्ययन करने का अवसर मिला है तथा यह केरल के पुराने कालेजों में से एक थो, 1988 में दहलाने वाली रिपोर्ट आयी थी यह रिपोर्ट केरल गोमती में प्रकाशित हुई थी जो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों में से एक है। मुख्य पृष्ठ पर यूनिवर्सिटी कालेज के एक छात्र का फोटो था जिसे दिन में जब कालेज में पढ़ाई हो रही थी। एक विशेष औषधि का इंजेक्शन दिया गया था। हालात यहां तक पहुंच गए हैं। यदि हम असली अपराधियों का पता लगाने और उन्हें उचित दण्ड देने के लिए कड़ी कार्यवाही नहीं करेंगे तो भावी पीढ़ी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं अपने उन सहयोगियों की चिन्ता से पूरी तरह सहमत हूं जो पहले बोल चुके हैं और इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय द्वारा जो दो विधेयक लाए गए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और सरकार से यह मांग करता हूं कि अफीम में ज्यादा उगाई होने के कारण किसान उसको पैदा करते हैं और उसका इतना बुरा असर है, जहां अफीम की खेती की जाती है वहां पर छोटे-छोटे बच्चे इसका खाने में उपयोग करते हैं। नतीजा यह होता है कि इस देश में जहां-जहां अफीम की पैदाइश की जा रही है, वहां बेसिक चीज उससे गड़बड़ा रही है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि इस चीज की समाप्ति मात्र कानून से होने वाली नहीं है, आपको अपने स्तर से किसान को प्रोत्साहित करना होगा, ताकि उसको वैसा लाभकारी मूल्य प्राप्त हो और उसको पैदा करने को वह बहिष्कार करे।

अभी तक आप कानून बनाते गए और कानून बनता गया तथा जहां कहीं पर भी अफीम की पैदाइश होती है, वह बढ़ती गई और घटी नहीं। इससे यह महसूस होता है कि हम लोगों को अपने स्तर से, सरकार का ज्यादा से ज्यादा वहां के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और जब सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाए तो लोग इसको छोड़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या करना चाहिए ?

श्री सूर्य नारायण यादव : अफीम की खेती नहीं करने के लिए और खेती में दूसरी फसल की उगाई के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उनको वैसे लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकें।

मुझे यही कहना है और मैं सरकार से जोरदार ढंग से मांग करता हूं कि भविष्य में आने वाले किसानों के बच्चों के लिए और इस कानून को सही मायनों में उतारने के लिए आप सख्ती से कार्यवाही करें और किसानों को लाभकारी मूल्य दें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री महेश्वर सिंह (मण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने इस माननीय सदन में रखे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और जो कुछ इस सदन के सामने

माननीय सदस्य, श्री जसवंत सिंह जी ने स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण के बारे में कहा है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक नशीले पदार्थों का सम्बन्ध है, आज यह चीज शहरों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि दूर-दूर तक फैल चुकी है। जैसा कि आपको विदित ही है कि पहाड़ों के लोग आम तौर पर ईमानदार, मेहनतकश और भोले-भाले होते हैं, लेकिन जब से यहां हिप्पियों का इस देश में आगमन हुआ है, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में और जिस क्षेत्र से मैं सम्बन्ध रखता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : महेश्वर जी, अब आप इस पर कल बोलिएगा, क्योंकि अब प्राइवेट मैम्बर बिजनेस शुरू होगा।

3.29 म.प.

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प सम्बन्धी समिति

नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव पाटिल (इरन्दोल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 29 अगस्त, 1990 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 29 अगस्त, 1990 को सभा में प्रस्तुत किए गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उपायों के बारे में संकल्प-(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा 17 अगस्त, 1990 को श्री दिलीप सिंह भूरिया द्वारा प्रस्तुत किए गए किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उपायों के बारे में संकल्प पर आगे चर्चा करेगी। श्री दिलीप सिंह भूरिया अपना भाषण जारी कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि हमारा देश

कृषि प्रधान देश हैं और इसकी 80 प्रतिशत पापुलेशन खेती पर निर्भर है। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के आने के बाद भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने जो सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है: उससे किसान के बारे में घोषणा की गई कि किसान की किस तरह से मदद की जाये। मगर अभी तक वह खुश नहीं है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि ये जो दशक है, इसको फार्म के दशक के रूप में बनाया जाये, मगर ये सब घोषणायें ही घोषणायें हैं: मैं तो सरकार से यह कहूँगा कि आज हमारे देश में जो टोटल एग्रीकल्चर कृषक हैं वे 10 हेक्टेयर के ऊपर 2.4 प्रतिशत हैं, लेकिन उनके कब्जे में कुल कृषि योग्य भूमि का 22.8 प्रतिशत है और इसके मुकाबले 56.5 प्रतिशत सीमांत कृषकों के पास कुल जमीन का सिर्फ 12.2 प्रतिशत हिस्सा है। उपाध्यक्ष महोदय, अब जितने ही भाईयों के आपस में बंटवारे होते जा रहे हैं उतनी ही जमीनों के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं। अब वे बंटवारे वायऐबल नहीं रहे। आज सरकार को यह बात मालूम होगी कि हमारे देश में भूमिहीन कृषकों और मजदूरों तथा श्रमिकों की संख्या 8 करोड़ है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभापति के पेनल के सदस्यों की अनुपस्थिति मे मेरा सुझाव है कि श्री कालका दास इस सभा का समापित करें। यदि इस पर सभा की अनुमति है, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आसन ग्रहण करें।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

3.33 म. प.

[श्री कालका दास पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : चेयरमैन साहब, आपको बधाई। आज इस देश में 8 करोड़ श्रमिकों की संख्या है और हर साल एक करोड़ आदमी किसान परिवार के शहर की ओर दौड़ते आ रहे हैं, चाहे आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और बिहार कहीं भी देख लीजिये बल्कि इससे भी ज्यादा श्रमिक आते हैं। आज किसानो की ऐसी हालत होती आ रही है इसके बारे में सरकार को स्पष्ट नीति निर्धारण करनी चाहिए कि सरकार को हमें किस रास्ते पर ले जानी चाहते हैं आज जैसे किसान इसके खेत में कोई बीमारी लग जाये, उसके लिए दवाई बनाने की बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां बना दीं, उसमें बहुत सारी मल्टीनेशनल कम्पनिया आ गई, वह करोड़ों रुपए का प्रोफिट कमा रही हैं। अब आप किसान के ऊपर बैन रखते हैं कि इससे ज्यादा भाव पर किसान माल न बेचे। उसके साथ साथ आपने सपोर्ट प्राइस लगा दी। सपोर्ट प्राइस से भाव अगर नीचे जाए, तब सरकार खरीदती है, ऊपर कितना भी जाए तो सरकार नहीं खरीदती, यह नहीं होना चाहिए। भानु प्रताप सिंह कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हम एग्रीकल्चर को उद्योग मानें तो अगर कृषि को उद्योग मान लिया तो क्या किसान को अपनी कृषि कम्पनी ला के अन्तर्गत रजिस्टर करवानी होगी। अगर किसान को इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के झगड़े में डाल दिया तो वह तो और गरीब हो जाएगा। किसान आज भी कानूनी पहलुओं को नहीं जानता, आज भी वह पटवारी के चक्कर में रहता है। राजाओं और अंग्रेजों के जमाने में जो पटवारी था, आज भी उस पटवारी को गांव का सबसे बड़ा आदमी माना जाता है। किसान को लोन आदि लेने के लिए और दूसरे कामों के लिए जब उसके

को या खाते की नकल चाहिए होती है तो जब तक वह रिश्वत नहीं देता तब तक उसको वह नकल नहीं मिलती। तो आप उद्योग और कृषि दोनों को साथ-साथ नहीं जोड़ सकते। उद्योगों में इतनी तरह का उत्पादन होता है, क्या कभी सरकार ने उनकी प्राइस फिक्स की है, आप कर के देख लीजिए कि इतने भाव से आप अधिक नहीं बेच सकते हैं, उद्योगपति कभी इस चीज को नहीं मानेगा, लेकिन किसान पर आपने बेन लगा दिया है। तो यह जो आपकी नीतियां हैं, यह ठीक नहीं हैं। मैं मानता हूं कि आप लोगों ने किसान के हित की बड़ी-बड़ी बातें की हैं और सरकार में आए हैं, मगर जो वादे आप लोगों ने किये हैं, उनको निभाना चाहिए। आज तक आपने कितने किसानों का कर्ज माफ किया, कोई राज्य सरकार इस बात को बता दे, बल्कि किसान डिफाल्टर हो गया है। सरकार ने पहले मीडिएटर खत्म किया है, आप फिर मीडिएटर लाना चाहते हैं। मैं भी किसान हूं और किसान अपने स्वाभिमान को खोकर अगर मीडिएटर के पास जाता है, उसको जाना पड़ता है, झुकना पड़ता है तो यह किसान के लिए बहुत शर्मनाक बात होती है।

सभापति महोदय, यह अच्छी बात है कि आप यहां पर हैं, मंत्री जी भी यहां पर हैं, यंग भी हैं, ओल्ड भी हैं। यंग और ओल्ड का कांबीनेशन है।

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : ओल्ड कहने से ये बुरा मानते हैं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : ठीक है, मैं जवान कह देता हूं।

सभापति महोदय : दिल से जवान हैं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : मैं कहना चाहता हूं कि काम करने में आप शक्ति दिखाइए। मैं सुझाव देना चाहता हूं, सभापति महोदय, आप भी जानते हैं कि दिल्ली के आस-पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो उद्योग भी चलाते हैं और खेती भी उनके पास है। ऐसे लोगों से जमीन छीनिए, अगर आपकी सरकार प्रोग्रेसिव है तो खेती का पट्टा उसको दीजिए जो खेती करता है। उनसे जमीन लेकर दूसरों को जमीन देने की जरूरत है। जो लोग उद्योग चलाते हैं, उनको लायसेंस मिलता है, तो यह दोहरी व्यवस्था क्यों चल रही है। टैक्स चुराने के लिए लोग खेती के नाम से इधर-उधर करते हैं, ऐसे लोगों के पास जमीन मत रहने दीजिए। जो असली किसान है, हल चलाता है, खेती करता है, खेती पर निर्भर है, उसको आप जमीन दीजिए। आज लोगों ने कुत्ते-बिल्ली के नाम से जमीनें रखी हुई हैं, क्या ऐसे लोगों से जमीन ली गई है। कहीं भी कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। यदि आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो ताकत दिखाइए, शक्ति दिखाइए, जो कानून बने हैं, लैंड सीलिंग एक्ट बना हुआ है, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करवाइए। इसी तरह से आपने गांवों में तो किसानों पर बेन लगा दिया है, लेकिन शहरों में लोगों ने किसानों की जमीनें लेकर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना ली हैं, हवेलियां बना ली हैं, उनके ऊपर कोई बेन नहीं है। जिन किसानों की जमीनें ली गई हैं, उनके पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है, आज सिर्फ वह देख सकता है कि कभी यह जमीन हमारी थी, उसके बाप-दादाओं की थी, लेकिन आज वह किसान उस जमीन पर नहीं रह सकता। यह कौन सा समाजवादी समाज है, इस प्रजातंत्र में हम दिन-प्रति दिन ऐसे लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं, उनके अन्दर एक आक्रोश बढ़ा हो रहा है, यह आक्रोश एक दिन हमारे देश के प्रजातंत्र के लिए खतरा होगा। इसलिए वह हमारे साथ आकर रहे, हमारी

बराबरी में आ कर रहे, इस समाजवादी समाज में प्रजातंत्र और अपने देश को माने, यह सरकार की सबसे बड़ी ड्यूटी है। मैं चाहता हूं कि यह सरकार कर के दिखाए।

सभापति महोदय, आज किसान की अनेक चीजें हैं। चाईना ने हार्टीकल्चर में एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ी। हमारे देश में कई तरह के रिसर्च हुए, लेकिन हमने केवल गेहूं में सफलता पायी है। बाकी चीजों में ज्वार में, मक्का में क्या हुआ? हमारे पहाड़ी भाई मोटा अनाज पैदा करते हैं, उसमें क्या रिसर्च हुई? कौन से फलदायक वृक्ष सक्सेस हो सकते हैं इसमें क्या रिसर्च हुई। एक-एक इंच जमीन में हमें उन क्षेत्रों को आईडेंटीफाई करना चाहिए जहां एग्रीकल्चर बेसड फरस इण्डस्टरी हो सकती हैं। उसमें केवल किसान का प्रवेश हो, दूसरे का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मल्टी नेशनल कम्पनीज में दवाई वाले का प्रवेश हो जाये, दूसरे का प्रवेश हो जाए लेकिन किसान के एरिया में किसान का ही प्रवेश हो। जैसे लक्ष्मण रेखा है कि यहां से आगे जाओगे तो भस्म हो जाओगे। हमारे कानून में प्रावधान होना चाहिए कि शोषित और शोषण करने वाले आदमी उस क्षेत्र में नहीं आने चाहिए। सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि आज हमें इतनी छोटी-छोटी चीजों की रिसर्च करनी है। आज हमारा किसान इतने फल-फ्रूट पैदा कर सकता है, इसलिए हम किसान को नया विज्ञान दें, नयी-नयी चीजें ला कर दें। तेल के मामले में हम एक हजार करोड़ रुपया खर्च करते हैं, तिलहन भी बाहर से मंगवाते हैं। हमारे देश का किसान इतना मेहनती है कि अगर हम उसे नयी-नयी चीजें रिसर्च करके दें, उत्पादन को बढ़ाने के लिए नयी-नयी योजनायें बनाएं तो मैं समझता हूं कि हमारा किसान आपको कोई चीज बाहर से लाने नहीं देगा। इसकी जरुरत नहीं पड़ेगी, देश का किसान इन चीजों का उत्पादन करके देगा। वह फल-फ्रूट, दाल और तेल दे देगा, मगर किसान की मदद करना बहुत जरुरी है। आप बिचौलिए को हटाईये, नये-नये रिसर्च सेंटर खोलिए। हर डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ी जमीन में कुटु-कोपड़ा पैदा हो सकता है, झाड़-झंकार पैदा हो सकता है, यह हमें करवाना चाहिए। क्योंकि हमें जलाऊ लकड़ी की जरुरत है। फारेस्ट से लकड़ी काटेंगे तो हम हरियाली कैसे बढ़ा सकते हैं। तो किसान को नयी चीजें देनी चाहिएं। ये चीजें देने की आवश्यकता है। अगर ये चीजें हमने दे दीं तो मैं समझता हूं कि हमारे देश की बहुत तरक्की होगी।

किसान को पानी की बहुत आवश्यकता है। आज हमारे देश में कितने प्रतिशत खेतों में पानी जाता है। मुश्किल से 20-30 परसेंट खेतों में पानी जाता है और 70 प्रतिशत खेती देश में सूखी होती है। वहां एक फसल होती है, दो फसलें नहीं होती हैं। जो बड़ी नदियां हैं, जिनका पानी समुद्र में जाता है हम कैसे उस पानी को रोकें, स्टोरेज करें, मल्टी परपज डैम बनाएं जिसमें पीने के पानी की व्यवस्था हो, किसान के खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो, यह हमें देखना है। अंडर ग्राउंड पानी हमारे देश में धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में जो पहाड़ी जंगल थे, झाड़ थे, कई चीजें थी, ये धीरे-धीरे खत्म हो गयी। हिन्दुस्तान में एक दिन यह तकलीफ खड़ी हो जाएगी कि सब चीजें हमें मिलेंगी लेकिन शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। मैं गांव का रहने वाला हूं। मैं घर जाता हूं तो वहां न एयर-कंडीशन की जरुरत पड़ती है, न पंखे की जरुरत पड़ती है, शुद्ध हवा मिलती है। हमारा जो विज्ञान है, टैक्नोक्रेट लोग हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज है हिन्दुस्तान की एक-एक इन्च जमीन को हरियाली बना देना चाहिए और सरकार को योजना बनानी चाहिए। सरकार कुछ योजना लाए। अगर उसको कानून बनाने की बात है तो उसको कानून बनाए। हमारे देश में 70 प्रतिशत सूखी खेती है और कौन सी फसल हो सकती

है उसको बनाना चाहिये। मैं मंत्री जी से यही कहूंगा कि किसानों को अधिक बिजली मिले, जिससे अधिक ट्यूबवेल चले और पानी भी अधिक मात्रा में मिले। बहुत सी जगहों में बिजली रात को दी जाती है तो रात को कैसे किसान पानी चलायेगा। हमारे देश के उत्पादन को ताकतवर बनाना है तो वह किसान ही कर सकता है। इन चीजों पर ध्यान देकर मैं सरकार से यही कहूंगा कि उसको मेहनत का वाजिब मूल्य मिले। यह सबसे बड़ी ड्यूटी सरकार की है। उसको मेहनत का दाम नहीं मिलता है तो किसान गरीब हो गरीब रह जाता है। उसका अच्छा मकान बने, अच्छे कपड़े पहने और अपने आपको समझे कि मैं इस धरती का मालिक हूँ, अन्न देता हूं और हिन्दुस्तान मेरा है। यह चीज वह अपने आप में महसूस करे। सरकार ऐसे कानून बनाये और ऐसी योजना बनाए। यहां पर हमारे बहुत से साथी बैठे हुए हैं और हम गांव से, तहसील से और जिले से आते हैं। तो हमारा यह प्रयास रहता है कि दिल्ली और गांव में कितना फर्क है। उसको बराबर लाने के लिए कितना समय लगेगा। मंत्री जी आप भी गांव के आसपास होंगे। मैं चाहूंगा कि जो सुविधाएं शहरों में मिलती हैं वहां सुविधायें गांवों मे मिलनी चाहिये जैसे पीने का पानी, अच्छी दुकान, अस्पताल, बच्चों की शिक्षा, सुन्दर सड़क व टेलीफोन और टी.वी. आदि हों। जापान और अमेरिका के गांवों में किसान मल्टीपरपज खेती करते हैं और उन्होंने गांवों को डेवलप किया है। ऐसा ही चायना ने भी किया है। शहरों और गांवों की खाई को पाटने का एक ही तरीका है कि हम गांवों का विकास करें। इस देश मे भेदभाव नहीं हो कि शहरों और गांवों में कुछ दिखे बल्कि एक जैसा हिन्दुस्तान दिखे। सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है कि मेहनत करने वाले किसानों को उसका वाजिब मूल्य मिले। मैं अपनी यहीं हर बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया इसलिये धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : मैं श्री युवराज जी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वे अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते है। वे प्रेजेन्ट नही हैं।

[अनुवाद]

श्री एस. एन. सिंह देव (आस्का) : सभापति महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों का जो यह संकल्प सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या अर्थात किसानों को उचित मूल्य देने तथा उन्हें सभी उपकरणों और आदानों की आपूर्ति के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में व्यापारिक रूप से प्रति वर्ष, प्रति महीने प्रत्येक वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप को मालूम है कि विगत कुछ महीनों के दौरान सामान्य मूल्य सूचकांक में 10-12 पाइंट की वृद्धि हो गयी है। परन्तु अभी बुनियादी फसलों जैसे धान और गेहूं के मूल्य बढ़े हैं। इसलिए जनसंख्या के अधिकांश भाग अर्थात किसानों पर सबसे प्रभाव अधिक पड़ता है क्योंकि उन्हें अपनी दैनिक जरूरत की वस्तुओं और अन्य वस्तुओं को अधिक दामों पर बाजार से खरीदना पड़ता है जबकि वे अपने उत्पादों को बाजार में सस्ते मूल्य पर बेचते हैं। इसलिए किसानों के प्रति सरकार का कर्तव्य होना स्वाभाविक है। यद्यपि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कृषि समुदाय के लिए बहुत कुछ किया है परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। किसान अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहते हैं; किसान नहीं चाहता कि उसका कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया जाए। यह मांग कर रहे है कि उनके कर्ज माफ कर दिए जायें क्योंकि वे उनकी अदायगी नहीं कर सकते है। यदि आप उन्हें उनके उत्पादों का उचित मूल्य देंगे तो कोई किसान नहीं कहेगा कि उसका कर्ज माफ कर दिया जाए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।

कुछ महीने पहले, उड़ीसा सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की दर 11 रुपये से बढ़ा कर 25 रुपए कर दी है। अब खेती मजदूर तथा औद्योगिक मजदूर दोनों की मजदूरी बढ़ गई है। मजदूरी निर्धारित करने के लिए जो समिति गठित की गई थी; उसमे एक भी कृषक अथवा कृषि वैज्ञानिक नहीं था। समिति में केवल कुछ मजदूर नेता, उद्योगपति तथा अधिकारी लोग ही शामिल थे। उन्होंने न्यूनतम दैनिक मजदूरी 25 रुपए निश्चित की है उड़ीसा में धान का मूल्य कम हो गया है। स्वतंत्रता से अब तक इसकी कीमतों में इतनी कमी कभी नहीं हुई। उड़ीसा में यह 120 रुपए प्रति क्विटल की दर से बिक रहा है। इसमें कुछ हेरफेर हो सकता है। जबकि कृषक समुदाय को कृषि में उपयोग आने वाली वस्तुओं के लिए अधिक कीमतें देनी पड़ती हैं, उनके उत्पाद की कीमतें वही रहती हैं और खरीद मूल्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। माननीय मंत्री महोदय से मैंने संसद में एक प्रश्न पूछा था कि जब दैनिक मजदूरों की मजदूरी की दर में वृद्धि की गई है, तो क्या सरकार खरीद मूल्यों में भी वृद्धि करेगी। उन्होंने कहा "नहीं, मूल्य राज्यवार निश्चित नहीं किए जा सकते। इसलिए, अगर आप कृषि उत्पादों की खरीद मूल्य राज्यवार निश्चित नहीं कर सकते तो आप मजदूरी दर राज्यवार कैसे निश्चित कर सकते हैं ?

सरकार की इस सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है। वे राज्य सरकारों को न्यूनतम दैनिक मजदूरी निश्चित करने की तो अनुमति देते हैं; परन्तु अलग-अलग उत्पादों का राज्यवार न्यूनतम खरीद मूल्य निश्चित करने को तैयार नहीं। जब हम कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाने की बात करते हैं तो सरकार को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए कि मूल्य निर्धारित कैसे करते हैं। सरकार की इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति होनी चाहिए। कीमतों का निर्धारण करना बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपके गन्ने का उदाहरण देता हूं। गन्ना एक मुख्य कृषि उत्पाद है और भारत एक प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है। परन्तु यहां पर गन्ना उत्पादकों की दशा दयनीय है। इस सम्बन्ध में हमारी नीति बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। वह इसलिये क्योंकि सरकार की नीति उपभोक्ताओं के लिए चीनी का मूल्य कम रखने की है। गन्ने का लेवी मूल्य नियमों के अनुरूप नहीं है। गन्ने के उत्पादन पर जो लागत आती है, उस पर विचार नहीं किया जाता। महत्व इस बात का है कि सरकार उपभोक्ता तथा उत्पादक तीनों के हितों को ध्यान में रखा जाए तथा उसके अनुसार कीमतें निर्धारित की जानी चाहिए। सरकार चीनी की मिलों से कम कीमत पर चीनी खरीदती है। सरकार मिलों से 40 प्रतिशत लेवी चीनी कम कीमतों पर खरीदती है। परन्तु उपभोक्ता को 9 रुपए प्रति किलो की दर से मिलती है। इस प्रकार 4-5 रुपए प्रति किलो का अन्तर हो जाता है। यह सरकार की दोषपूर्ण वितरण प्रणाली के कारण होता है। बिचोलियों द्वारा कालाबाजारी की जाती है। कृषकों का इसका लाभ नहीं मिलता। न ही सरकार को इसका कोई लाभ पहुंचता है। इसलिये यह काफी महत्व रखता है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत के ढांचे पर उचित विचार किया जाए और जो समितियां कीमतें निर्धारित करती हैं, उन में कृषक समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 'कृषि मूल्य आयोग केन्द्रीय सरकार के अधीन है। परन्तु कोई भी कृषक समुदाय का प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं है। इसकी नीति कृषि उत्पादों को कम मूल्यों पर उपलब्ध कराने की है।

आपको मैं गन्ने का एक और उदाहरण देता हूं। गन्ने की वास्तविक उत्पादन लागत आज कल 300 रुपये से 400 रुपए प्रति टन आती है। परन्तु सरकार ने न्यूनतम मूल्य 190 रुपये निर्धारित किया है। परन्तु यह सौभाग्य की बात है कि कुछ राज्यों ने खरीद मूल्य बढ़ा दिया है। इससे कृषकों

को राहत मिलती है। अब गन्ना उत्पादकों के 300 करोड़ रुपए बकाया हैं। उन्हें यह राशि अभी तक नहीं की गई है। यह अब सरकार की मूल्य न निर्धारित करने की नीति के कारण हो रहा है। इसी प्रकार उत्पादकों को सामग्री की आपूर्ति भी की जानी चाहिए जहाँ तक हम जानते हैं, सरकार की इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं है।

इसलिए हमें इस प्रस्ताव की ओर ध्यान देना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि सरकार कुछ ऐसे ठोस कदम उठायेगी जिससे सरकार की नीति में परिवर्तन होगा और किसानों तथा उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और इस बिल के लिये चार घण्टे का समय दिया गया है। आधा घण्टा हो चुका है। बोलने वाले सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है। मेरे पास बहुत बड़ी सूची है। मैं निवेदन करूंगा कि इस महत्वपूर्ण बिल पर अपनी बात को बहुत थोड़े शब्दों में रखने की कृपा करें ताकि सभी सदस्यों का इसमें नम्बर आ सके।

4.00 म. प.

श्री के. डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आज आपको सभी मैम्बर्स ने अपना सभापति बनाया है, इसके लिए आपको बधाई, और दूसरी बधाई मैं अपने साथी भूरिया जी को देना चाहता हूं, वे भी इस किस्म का रिजोल्यूशन सदन में लाने के कारण बधाई के पात्र हैं और उन्होंने वास्तव में इस देश के किसानों के हित में बात की है। आज हमारे किसानों की हालत यह है कि उन्हें अपने उत्पादन का समर्थन मूल्य या ठीक भाव नहीं मिलता है। इस देश में बिचौलिए हमेशा से किसानों की लूट-खसोट करते आये हैं। सारे देश का किसान उन बिचौलियों के शोषण का शिकार हो रहा है और वह शोषण आज तक बंद नहीं हुआ। हमने बड़ी कोशिश की कि हर तरह से किसान की मदद की जा सके, लेकिन किसान को मदद नहीं हो पा रही है। हम किसान की मदद के लिये जितनी व्यवस्थाएं करते हैं, उनसे भी किसान लाभान्वित नहीं हो पा रहा है। आप लैंड रिफार्म्स को ही देख लीजिये, जब हमारे सामने भूमि के वितरण का सवाल आता है तो इस देश में जितने किसान, मजदूर, हरिजन, आदिवासी या पिछड़े वर्गों के लोग हैं, अभी तक उन्हें भूमि पर ठीक प्रकार से कब्जे नहीं मिले हैं। यही कारण है कि आज हमारा किसान दिन-रात एक करके मेहनत करके जो कुछ प्रोडक्शन करता है, उसके बावजूद उसे भूखे रहकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसका कारण है कि हम अभी तक ऐसा कोई रास्ता खोज नहीं पाये जिससे किसान की वास्तव में मदद की जा सके। आपने दावा किया है, बड़ी बड़ी बातें की हैं, घोषणाएं की हैं कि हम किसान के हित में, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करने का प्रयत्न कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपकी मंशा तो अच्छी है परन्तु हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है। जिन दिनों चौधरी देवी लाल जी कृषि मंत्रालय देखते थे, मैं भी एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी का एक मैम्बर था। जब उसकी पहली मीटिंग हुई तो चौधरी साहब ने कहा था कि हम इस देश के किसान के हित में सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मैं उनका भी बड़ा आभार मानता हूँ क्योंकि जिस समय उन्होंने यह बात कही, उस मीटिंग में सभी दलों के माननीय सदस्य हाजिर थे। लेकिन आज जब हम इस सरकार की किसानों के प्रति नीति देखते हैं तो आज भी किसानों का शोषण बदस्तूर जारी है और इसी से मैं सारे सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। आज किसान जो

कुछ पैदा करता है, उसे अपने उत्पाद के ठीक दाम नहीं मिलते। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में किसान दो तरह की खेती करता है। कुछ तो हमारे यहां अनाज की खेती होती है, जिसमें कनक, मक्की, ज्वार आदि शामिल है, और दूसरी तरह की खेती हमारे यहां फल फ्रूटस की होती है, वही असली पैदावार हमारे हिमाचल प्रदेश में है, जिसमें सेब, आडू, प्लम, खुमानी, नाशपाती आदि फ्रूटस शामिल हैं। सभापति जी, मैं यहां अपने प्रदेश की बात करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के फ्रूट ग्रोअर्स के साथ आज बड़ा अन्याय हो रहा है। भारत सरकार इस मामले में मौन है और कोई कदम नहीं उठा रही है। मैंने 16 जुलाई को चौधरी साहब को एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन आज तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला। उसके बाद 80 मैम्बर्स आफ पार्लियामैंट के हस्ताक्षरों से युक्त एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को दिया गया, जिसमें अपील की गयी थी कि हिमाचल प्रदेश के सब उत्पादकों के लिए, जो लोग सेब पैदा करते हैं, उनके लिये समर्थन मूल्य घोषित किया जाये, जिस तरह से आपने संतरे का और माल्टे का समर्थन मूल्य घोषित किया है। मेरे एक प्रश्न के जवाब में यहां पर कहा गया था कि हम इस विषय पर विचार करेंगे लेकिन अभी वह विचार ही चल रहा है, कोई निर्णय नहीं हो पाया है। आज स्थिति यह है कि हमारा किसान बड़ा संकटमय जीवन व्यतीत कर रहा है। जैसा मैंने कहा हमारे यहां हिमाचल प्रदेश में दो तरह की खेती होती है

(व्यवधान)

मैं तो इसी विषय पर बोल रहा हूं किसानों से सम्बन्धित बात ही कह रहा हूं कि हमारे यहां दो तरह की खेती होती है, एक अनाज की और दूसरे फ्रूटस की। आप डिस्टर्ब न करें, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कहने दीजिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : इनको अपनी बात कहने का अधिकार है, ये किसान की बात ही कर रहे हैं, सेब भी किसान ही पैदा करता है, इसलिये इन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री के. डी. सुल्तानपुरी : सभापति जी, मैं कह रहा था कि हमारे यहां हिमाचल प्रदेश में प्रमुख खेती फ्रूटस की होती है, अनाज भी पैदा होता है मगर वह निचली बैल्ट में होता है जबकि हिमाचल के अधिकतर भाग में फल पैदा होते हैं, जहां से भाई महेश्वर जी और इनकी पार्टी के दूसरे साथी आते हैं, वहां भी सेब पैदा करने वाले किसान बहुतायत में हैं, इसलिए मैं सदन में कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि जिसे किसानों के विरुद्ध कहा जा सके या मेरे साथियों को ऐसा लगे कि मैं किसानों के खिलाफ जा रहा हूं।

सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी को 80 मैम्बर आफ पार्लियमेंट ने दस्तखत करके दिए हैं और उसमें सभी दलों के लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कहा गया है कि किसानों को समर्थन-मूल्य दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उनको समर्थन मूल्य नहीं मिला है। मैं यह कहता हूं कि पिछली सरकार ने, यानी कांग्रेस सरकार ने वहां के सेब-उत्पादकों को 2.75 के हिसाब से प्रति किलो समर्थन मूल्य दिया, लेकिन आप की, वर्तमान सरकार ने फैसला किया है कि सेब का समर्थन मूल्य रु. 1.50 दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : 2.75 में से पेमेण्ट कितनी की? (व्यवधान)

श्री के. डी. सुल्तानपुरी : सभापति महोदय, किसानों की बात को हाई-लाइट करने का मुझे अधिकार है। इसलिए मैं किसानों की बात अवश्य कहूंगा। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश की भूमि को किसानों ने जगह-जगह फलदार वृक्ष लगाकर और सेब के पौधे लगाकर बचाया जिससे सायल-कंजरवेशन हुई। फारेस्ट्री का काम इस प्रकार से फलदार पौधे लगाकर हमारे लोगों ने किया। हमारे लोगों ने 16 साल तक पौधों को बच्चों की तरह पालकर बड़ा किया है। लेकिन इतना त्याग करने के बाद भी न तो फारेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, न भारत सरकार की तरफ से, लेकिन वहां की राज्य सरकार की तरफ से उनको मदद मिलती है। इससे किसानों का दुखी होना स्वाभाविक है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में निर्देश दें कि अब मंत्री जी अपना जवाब दें, तो इन बातों का भी जवाब दें। मैंने मंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी, तो उपेन्द्रनाथ वर्मा जी ने कह दिया कि वह चिट्ठी मैंने कृषि राज्य मन्त्री जी को प्रेषित कर दी। ये नौजवान मंत्री हैं, मेरा इनसे आग्रह है कि हिमाचल की तरफ भी आप कुछ ध्यान देंगे। पिछली सरकार ने सेब का समर्थन मूल्य जो रु. 2.75 रखा था वह ठीक था। इस वर्ष भी कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में बताना चाहता हूं जब चुनाव का समय था, तो गुजराल जी वहां से गए और लोग गए, उन्होंने वहां की जनता से कहा कि हमें लाओ, तो हम आपको रु. 2.75 क्या रु. 5.00 प्रति किलो समर्थन मूल्य देंगे। जब जनता ने आपकी सरकार वहां बना दी तो आपने उनके सेब का समर्थन मूल्य घटाकर 1.30 रुपए कर दिया। यह ठीक नहीं किया गया है। इससे वहां के किसानों में बड़ा रोष है।

सभापति महोदय, किसानों को अच्छा समर्थन मूल्य देने के विषय में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हिमाचल प्रदेश के किसानों ने 3 जुलाई को प्रदर्शन किया और उन्होंने सरकार से मांग की कि हमारे लिए समर्थन-मूल्य दिया जाए, उसके बाद से एजीटेशन चल रहा है और आज स्थिति यह है कि हिमाचल के 12 जिलों में से 7 जिलों में यह एजीटेशन फैल चुका है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में कहना चाहता हूं कि यदि आपको उत्पादन का खर्चा जोड़ें तो जो एक्सपर्ट की मेरे पास रिपोर्ट है, उसके अनुसार एक नंबर के सेब का उत्पादन खर्च 9 से 10 रुपए प्रति किलो आता है। तीन किस्म का सेब होता है एक तो पेड़ से अपने-आप नीचे गिर जाता है, वह बेकार होता है, उसका कोई उपयोग नहीं। दूसरा सेब जो ओले लगने से दागी हो जाता है, उसका थोड़ा उपयोग होता है, तीसरा सेब एक नंबर का होता है, जिसे "ए" ग्रेड का सेब कहते हैं। उसकी कीमत किसानों को 9 से 10 रुपए प्रति किलो पड़ती है। वह भी बाग से ट्रक में लादकर मंडी तक लाने में खर्च अलग होता है, लेकिन मंडी में आकर किसान की हालत खराब ही होती है, उसको उसके उत्पादन लागत का मूल्य भी नहीं मिल पाता है। मंडियां 200-200 किलोमीटर दूर होती हैं। मंडी में आढ़ती अपनी मरजी से भाव लगाता है। वहां आजाद पुर मंडी में तो आढ़ती के पास एक लम्बा झोला होता है। उसको कंधे पर डाले घूमता रहता है और शाम को चुपके से किसान को बता देता है कि ये भाव बिका। महोदय आप इस बात को गम्भीरता से लें। किसान का भाव चारों तरफ से शोषण हो रहा है।

सभापति महोदय, जो आदमी आपके देश की रक्षा करता है, जो देश की रक्षा के लिए

बार्डर पर फलदार वृक्ष लगाता है, प्लांटेशन करता है और अपना सेब उत्पादन करता है, आडू, नाशपाती आदि फलदार वृक्ष लगाता है, उसके लिए आपकी सरकार क्या करने जा रही है ? चौधरी देवी लाल जी चले गए, किसान को कुछ नहीं मिला। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने निवेदन किया कि बोलने वालों की संख्या बहुत है और दूसरों के साथ भी न्याय हो जाए।

(व्यवधान)

श्री के. डी. सुल्तानपुरी : मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप थोड़ा समय और बोलने के लिए दीजिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने जल्दी बोलने के लिए प्रार्थना भेजी थी, मैंने उसको स्वीकार किया अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री के. डी. सुल्तानपुरी : मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि किसानों को लाभप्रद मूल्य मिले। आज हमारे गांवों की दशा बहुत ही खराब है, वहां की सड़कें टूट गई हैं। मैंने अभी अपने क्षेत्र का दौरा किया है, वहां पर मैंने देखा है कि रोहड़ू सब-डिवीजन में, जो कि चौदह हजार फीट की ऊंचाई पर है, वहां मार्केट को जाने वाली सड़कें टूट गई हैं, मार्केट को जाने वाले सेब जो गांवों की पंचायतें ले जाती थी, वे सड़कें टूट गई हैं। वहां इतना फलड आया कि लोगों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है और दुकानें बह गई हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री के. डी. सुल्तानपुरी : मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां किसानों की बहुत ही दुर्दशा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार उनकी मदद करे और उन सड़कों को बनाए, ताकि वे काम कर सकें और किसानों को लाभ पहुंच सके। अगर आप यह कहते हैं कि किसानों को कुछ नहीं देना है और किसानों के लिए "किसान-वर्ष" मना रहे हैं तथा कहते हैं कि यह किसानों के लिए किसान वर्ष होगा, तो मैं कहता हूं कि किसानों को असत्य आश्वासन देकर इस तरह का काम न करें। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आप इस तरफ तवज्जह दें।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के अन्दर कोटगढ़ के अन्दर तीन नौजवानों को गोली से उड़ा दिया पुलिस ने (व्यवधान) वे किसानों की मांग को लेकर आगे आ रहे थे (व्यवधान)

सभापति महोदय : सुल्तानपुरी जी, आप विषय से भटक गए हैं।

श्री के. डी. सुल्तानपुरी : मैं विषय पर हूं। किसानों को राहत प्रद मूल्य देने के लिए अपने मैमोरेंडम को देने के लिए एस डी एम के पास जा रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप विषय पर आइए, दूसरे विषय पर आइये। मेरा निवेदन है कि आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री के. डी. सुल्तानपुरी : वहां वे एस डी एम के पास मैमोरेंडम देने जा रहे थे, इस पर वहां गोली चलाई गई और तीन आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। मेरे क्षेत्र में यह दुर्घटना हुई है। किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए आगे आए तो उनको पीटा गया, उनकी औरतों को पीटा गया, (व्यवधान) मैं समझता हूं कि बी. जे. पी. के लोग वहां के लोग वहां की सरकार को समझायें। (व्यवधान) वे किसानों का शोषण करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसानों का शोषण किया है और मेरे क्षेत्र में यह गोली कांड हुआ है, यह पहली सरकार है जिसमें कि गोली कांड हुआ है। (व्यवधान) उस समय जो सरकार थी, उसने किसानों के लिए यह फैसला किया था (व्यवधान) आज वहां यह पोजीशन है कि कोई एम एल ए और आपका कोई मिनिस्टर नहीं जा सकता है, मेरे क्षेत्र के अन्दर (व्यवधान) उनको गोलियों से मौत के घाट उतारा जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। प्रस्ताव विशेष रूप से किसानों तथा अनाज के सम्बन्ध में है। परन्तु मेरे मित्र मूल प्रस्ताव से भटक कर राजनैतिक मुद्दों पर बोलने लग गए हैं। इस मुद्दे पर मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई असंसदीय शब्द नहीं कहे हैं। उन्होंने थोड़ा सा वेरिएट किया, तो मैंने उनको रोकने की कोशिश की है।

(व्यवधान)

श्री के. डी. सुल्तानपुरी : मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि—

सभापति महोदय : आपकी बात हो गई। आपका भाषण पूरा हो गया। आप तो समाप्ति से भी आगे चले गए हैं। आपने दूसरा विषय ले लिया है। आपका परपज हल हो गया है। आपने अपनी बात कह ली।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरा सहयोग करिए। आप मेरे साथ सहयोग करिए। मैंने आपको सहयोग किया है, आपको पहले बोलने के लिए बुलाया है। आप मेरे साथ सहयोग नहीं करेंगे, मैं पहली बार बैठा हूं।

(व्यवधान)

श्री के. डी. सुल्तानपुरी : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप उनको अपनी बात रखने का समय दें और (व्यवधान)*

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : अब आगे आपकी भाषण रिकार्ड में नहीं जाएगा। डा. महादीपक सिंह शाक्य,

डा. महादीपक सिंह शाक्य (एटा) : माननीय सभापति जी, मैंने अभी अपने मित्र के भाषण को बहुत अच्छी तरह से सुना। मैं कोई बात कहूँ, इससे पहले मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ जो किसान की रक्षा के रूप में प्रस्तुत किया गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसान का मूल्य क्या है ? कीमियागर धातुओं को फूंक कर सोना बनाता है लेकिन हमारे देश का किसान मिट्टी से सोना बनाता है। ये हमारे देश के किसान की कीमत है और मैं अपने साथी से पूछना चाहूंगा कि मैंने आपका वक्तव्य बड़े ध्यान सुना। आपने कहा कि यह संकल्प बहुत अच्छा है, यह हमारे मित्र इस हाउस के मेम्बर बहुत पहले से हैं, वह सरकार जो 4३ वर्ष तक छाई रही, इस संकल्प को अभी तक क्यों नहीं लाई। उसने दो प्रकार से हमारे किसानों का शोषण किया, एक तो यह कि इस संकल्प को लाई नहीं और दूसरा यह कि किसान को कुछ ऐसी समस्याओं में फांस दिया जैसे गरीब, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मंहगाई राशनिंग व्यवस्था, इस प्रकार की सरस्याओं में किसान को पिछली सरकार ने फांस दिया। उनको क्यों फांस दिया, उनका किसानों के इस बारे में एक बड़ा गलत आइडिया सोचा था, उन्होंने सोचा कि यदि किसान को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सोचने का मौका मिल जायेगा तो सरकार का तख्ता पलट जायेगा। (व्यवधान) इसलिए वह इस विधेयक को नहीं लाई।

अब हम इस संसद को बधाई देना चाहते हैं कि यह जो विधेयक पेश किया गया है, यह आपने बहुत अच्छा काम किया है। माननीय सभापति जी हमारे देश की आबादी लगभग 70 करोड़ है, जिसमें कुल आबादी का 80 फीसदी इस देश का किसान है। हमारे देश का किसान राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। यदि किसान उठेगा तो हमारा गांव उठेगा, गांव उठेगा तो शहर उठेगा और यदि शहर उठेगा तो हमारा देश उठेगा। इसलिए किसान की तरफ रक्षा का प्रावधान करना, यह जो संकल्प लाया गया है, बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं इसका बड़ा स्वागत करता हूं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ किसानों की समस्यायें सरकार ने समय-समय पर इस प्रकार की उठाई, लेकिन ये किसानों तक नहीं पहुँची। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने अपने संकल्प में यह कहा है कि 2-3 माह पूर्व किसानों की फसल के मूल्यों की घोषणा और जो उपयोगी उन्नतशील बीज है, उनकी व्यवस्था बुआई के काम से पहले करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं देहात का रहने वाला हूं और देहात से आता हूँ। मैंने ब्लाक स्तर पर देखा है कि मिनि पैकेट, जिनमें उन्नतशील बीज आते हैं रसायनिक खाद जो किसान के लिए उपलब्ध कराई जाती है, सिंचाई के साधन और डीजल इंजन इत्यादि जो सुविधायें दी जाती हैं, वे किसान तक कब और कैसे पहुंच पाती हैं। जिस वक्त किसान की बुवाई का टाइम होता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि वह टाइम निकल जाता है, उसके बाद में आप मिनि पेकेट भेजते हैं और सिंचाई की व्यवस्था करते हैं तथा रसायनिक खाद किसानों को देते हैं। ये जो त्रुटियां हैं इन पर कंट्रोल किया जाना चाहिये और मेरे मित्र ने यह ठीक ही कहा है कि यह किसान उपयोगी बीज 2-3 महीने पूर्व आनी चाहिए। अगर दो-तीन महीने पूर्व नहीं तो कम से कम कुछ दिन पूर्व तो दी जानी चाहिये ताकि किसान को यह मौका मिले कि जिस प्रकार वह बीज बोता है उसके लिए अपने खेत

को जुताई, बुवाई करके उस खेत को तैयार कर लें ताकि उसमें बीज बोए जायें उससे कुछ उत्पादन बढ़ा सके।

मैं दूसरी बात आपको यह बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो रसायनिक खाद और मिनि पैकेट वगैरह दिये जाते हैं, इसमें प्रशासन क्या करता है ? एक तो यह पैकेट देर से पहुंचते हैं, दूसरा प्रशासकीय योजनायें ऐसी होती हैं कि किसान समय पर बीज नहीं प्राप्त कर पाता। इन उन्नतशील बीजों और रसायनिक खाद को या तो प्रशासन में बैठे हुए कर्मचारी बेच कर खा जाते हैं और यदि किसान को मिल भी जाता है तो वह खेत तक नहीं पहुंचता। इसलिए यदि टाइम पर कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी तो किसान की रक्षा का कभी प्रश्न ही नहीं उठता।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज अगर देश की आबादी का वर्गों में विभाजन किया जाए तो 4 प्रकार के वर्ग हैं, किसान, बिजनेसमैन, सरकारी कर्मचारी और भिखारी या असहाय, इन सब का पेट किसान भरता है, इन सब को किसान खिलाता है, लेकिन ये सब मिलकर किसान को खाते हैं। जब तक किसान की रक्षा नहीं होगी, तब तक देश की रक्षा नहीं हो सकता।

एक बात की तरफ और मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जिस तरह से महामारियों से इंसान को खतरा है, इन्सान को महामारियां खा जाती हैं, इसी तरह से किसान की खेती के लिए भी चार प्रकार की महामारियां हैं। ओला, पाला, अतिवर्षा और सूखा, इन सारी महामारियों से किसान की रक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए सरकार ने क्या किया है। जब तक इन बीमारियों का उपचार नहीं किया जाएगा, निराकरण नहीं किया जाएगा तब तक किसान की उन्नति नहीं हो सकती, रक्षा नहीं हो सकती, जब किसान की रक्षा-नहीं होगी तो देश की रक्षा नहीं होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो बातें मैंने कही है, उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, एक बात की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन बीमारियों का आखिर उपचार क्या है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने पिछले समय में कुछ योजनायें बनाईं, उन योजनाओं में एक फसल बीमा योजना भी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार किसान किसको मानती है। क्या सरकार ने कभी इस बात की समीक्षा की है। क्या गेहूं का उत्पादक या गन्ने का उत्पादक ही किसान की श्रेणी में आता है, मैं कहना चाहता हूं कि जो किसान जमीन से किसी भी फसल का उत्पादन करता है, उसको किसान माना जाना चाहिए, वह नीति बनाई जानी चाहिए कि किसान जो फसल पैदा करता है हर फसल का बीमा होना चाहिए। जब तक बीमा नहीं होगा, तो इन चार महामारियों से किसान की रक्षा नहीं की जा सकेगी। जब किसान की रक्षा नहीं हो सकेगी तो देश की रक्षा नहीं हो सकेगा। सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात, बिहार, उड़ीसा आदि प्रदेशों में एक फसल बहुत ज्यादा पैदा होती है, जिसका उपयोग हर घर में, हर व्यक्ति करता है आज यह पूछा जाए कि क्या अन्न के बगैर कोई व्यक्ति जिंदा रह सकता है तो उत्तर मिलेगा कि नहीं, इसी तरह से जो व्यक्ति तम्बाकू का उपयोग करता है, वह भी तम्बाकू के बिना नहीं रह सकता। वह सर्वव्यापी बन गई है। इसलिए मेरा कहना है कि जिन क्षेत्रों में तम्बाकू की खेती होती है, वहां पर तम्बाकू की फसल के लिए भी बीमा योजना लागू की जानी चाहिये। (व्यवधान)

सभापति महोदय, किसान की रक्षा के लिए एक तो मैंने बीमा योजना का सुझाव दिया है और दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान को जो बिजली दी जाती है, उसकी दर मे 1/4 कटौती होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण चीज होगी, क्योंकि बिजली की दर आज निरन्तर बढ़ती जा रही है।

इसी तरह से दस सदस्यों की एक समिति बनाई जानी चाहिए, जिसमें 5 मेम्बर आफ पार्लियामेंट, जिन्होंने अपने हाथ से खेती की हो और 5 किसानों के प्रति निधि होने चाहिए और इनके ऊपर मूल्य निर्धारण का काम सौंपा जाना चाहिए। ये लोग ही जानते हैं कि किस प्रकार खेती का काम होता है कितनी लागत आती है और यह सब बातें ध्यान में रखते हुए जो मूल्य यह समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा, वही सही मूल्य होगा और इससे किसान की रक्षा होगा। सभापति महोदय, जब किसान की रक्षा होगी तो गांव की रक्षा होगी, गांव की रक्षा होगी तो शहर की रक्षा होगी, शहर की रक्षा होगी तो देश की रक्षा होगी। इसलिए जब किसान उठेगा तो शहर उठेगा, शहर ऊपर नहीं उठेगा तो देश ऊपर नहीं उठेगा, इसलिए किसान को देश की रक्षा के लिए उठाना होगा उसकी रक्षा करनी होगी।

[अनुवाद]

श्री सुशांत चक्रवर्ती (हावड़ा) : सभापति महोदय, कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य के बारे संकल्प प्रस्ताव लाया गया है। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसानों की दयनीय स्थिति को जानते हैं जो अनेक फसलें उगाते हैं. हम जानते हैं कि हमारे देश के किसान स्वतंत्रता के बाद और पहले भी बिचौलियों के शिकार बने हुए जो उनका सारा लाभ ले लेते हैं। हमारा देश मुख्यत: ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है और देश के विकास तथा राष्ट्रीय आय में कृषि का प्रमुख योगदान है। इसलिए कुल मिलाकर भारत सरकार तथा हमारी यह सुनिश्चित करना जिम्मेदारी है कि किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिले। समस्या यह है कि यदि हम कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य देते रहेंगे तो क्या इससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी जिसके लिये हमने नियोजित विकास का रास्ता अपनाया है ? हम चाहते हैं कि कृषि उत्पादन, में वृद्धि की जाए, रोजगार पैदा किये जाएं और आय का समान रूप से वितरण हो। हमारी अर्थव्यवस्था और समाज का यही उद्देश्य है जिसकी हमारे संविधान में गारन्टी दी गई है।

विगत कुछ वर्षों से कृषि उत्पादों के लिये समर्थन मूल्य देने के बारे में ध्यान दिया गया है। परन्तु, यदि हम स्थिति का विश्लेषण करें, तो हमें इस बात का पता चलेगा कि अन्य उत्पादों की अपेक्षा खाद्यान्नों अधिक महत्व दिया गया है। इस मूल्य निर्धारण की नीति के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था तथा क्षेत्र में एक असंतुलन पैदा हो गया है। उन लाभों के कारण, जो कि इन उत्पादों को प्रदान किए गए हैं, हमारे किसानों को रुचि दूसरी फसलों की अपेक्षा खाद्यान्नों की ओर अधिक बढ़ गई है। इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि खाद्य पदार्थ तेलों अथवा अन्य चीनी की कीमतों में हमारे देश में वृद्धि क्यों हो गई है।

जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उस में सरकार से केवल यह मांग ही नहीं की गई है कि वह भिन्न-भिन्न फसलों के समर्थन मूल्य बुआरी के मौसम के तीन महीने पहले घोषित करे, बल्कि यह भी मांग की गई है कि सरकार खेती में उपयोग होने वाली वस्तुएं तथा औजार उचित मूल्यों

पर उपलब्ध कराये और किसानों का सारा उत्पादन खरीदे। इसी बात पर मैं जोर देना चाहूंगा। पिछली सरकार ने कृषि उत्पादों के मूल्यों की घोषणा की थी। वर्तमान सरकार ने भी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के अन्तर को कम करने के सिद्धांत पर अमल करते हुए कृषि क्षेत्र पर अधिक बल दिया है तथा कुल निवेश राशि का पचास प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करने का निर्णय लिया है। जो मूल्य-नीति अभी पिछले दिनों घोषित हुई है, उससे मेरे मन में कुछ शंकायें उत्पन्न हो गई हैं। इससे किसको लाभ मिलेगा, सीमांत किसानों को, गरीब किसानों को, मजदूरों को, जोकि कृषि व्यवसाय में लगे हुए हैं? उनको कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। मैं अगर ऐसा कह सकता कि हां, इससे उनको लाभ होगा, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती। परन्तु नहीं, मैं ऐसा कहने की स्थिति में नहीं हूं।

कीमतें बढ़ गई हैं। मैं एक लेख पढ़ रहा था जिसमें आंकड़े दिए हुए हैं कि नई मूल्य-नीति से किसको लाभ मिलेगा। नई नीति से 22 लाख किसानों को लाभ होगा जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। इसके बाद 134 लाख किसान आते हैं जिनके पास एक या दो हेक्टेयर भूमि है। मूल्य प्रोत्साहन से मुख्यत: एक हेक्टेयर भूमि वाले लगभग 1000 लाख किसान वंचित रह जायेंगे। उनके पास बिक्री के लिए बहुत थोड़ा उत्पाद रहेगा। इन गरीब सीमांत किसानों और भूमिहीन किसानों के लिए अधिक प्रोत्साहन मूल्य का अर्थ है महंगे खाद्यान्न। अत: सरकार को उत्पादन बढ़ाना चाहिए। सरकार को कृषि उत्पादों की उत्पादकता में वृद्धि पर जोर देना चाहिए और ऐसा करने का एकमात्र रास्ता यह नहीं है कि केवल किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाए और केवल लागत में वृद्धि की ओर ही ध्यान दिया जाए परन्तु सरकार को एक विशेष स्थिति अथवा विशेष अवधि के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की ओर भी ध्यान दिया जाए। इसमें सभी कुछ आ जाएगा और इससे हमें उचित मूल्य मिल जाएगा जो किसानों को दिया जाना है।

सरकार की नीति यह है कि कृषि उत्पादों के लागत समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय कृषि लागत सरकार द्वारा कानून में प्रत्याभूत न्यूनतम सांविधिक मजदूरी प्रबन्ध सम्बन्धी लागत और सबसे बढ़कर व्यय को ध्यान में रखा जाता है। यदि मूल्य का परिकलन इस प्रकार किया जाता है तो क्या आप समझते है कि गरीब तथा सीमांत किसानों को इससे लाभ होगा? स्थिति यह होगी कि इससे गरीब किसानों को उपयोगी वस्तुएं बाजार से नहीं मिलेगी। इस स्थिति से बचने के लिए इस नीति की पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

जैसा मैंने कहा, कृषि विकास में असन्तुलन है। सिंचाई की ओर समुचित ध्यान न दिए जाने से यह असन्तुलन उत्पन्न हुआ है। मैं इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं करना चाहता हूं। मेरे मित्र इस सम्बन्ध मे कहेंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी ओर ध्यान दे। यद्यपि समर्थन भी निर्धारित किया जाएगा किंतु इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धनतम व्यक्ति का हित नहीं होगा। सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए।

अत:, मैं यह सुझाव देता हूं कि अधिक ध्यान उत्पादन वृद्धि की ओर दिया जाना चाहिए और केवल ऐसा करने से किसान की आर्थिक आशाएं सुनिश्चित हो सकती है। कृषि वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को अन्य सुविधाएं देनी हैं, उदाहरण के तौर पर कृषि संबंधी उपकरण एवं अन्य सुविधाएं, सिंचाई आदि।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और सरकार को इस मामले की ओर ध्यान देने के लिए कहता हूं।

[हिन्दी]

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : सभापति जी, असली बात यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सोच का ढंग है "विश्यस सर्कल" अंग्रेजो में एक शब्द है, हिन्दी में बहुत अच्छा शब्द नहीं है "धन चक्कर" कहते हैं। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि समस्याओं का निदान, समस्याओं की समझ, पकड़ और उनका समाधान

[अनुवाद]

रोग की पहचान और इलाज को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

बात यह है कि कभी कृषि नीति पर चर्चा हो जाती है, कभी किसान की चर्चा की जाती है, कभी औद्योगिक नीति की चर्चा हो जाती है, यह कोई नहीं कहता कि हमारा सारा देश उसकी समूची अर्थव्यवस्था

[अनुवाद]

इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था दुष्चक्र में पड़ी हुई है और उस चक्र को पूंजीपति अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है।

[हिन्दी]

खाद का दाम कोई और तय करेगा, इनपुट्स जिसे कहा जाता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स ट्रैक्टर वगैरह कोई और तय करेगा, पम्पिंग सैट्स कोई किर्लोस्कर बनायेगा और खेती का दाम हमारे नौलाख जी तय करेंगे या इनका एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन तय करेगा जिसके कम्पोजीशन के विषय में सब पड़े हैं कि उसमें किसान कितने हैं, नौकरशाह कितने हैं, कृषि वैज्ञानिक कितने हैं। यह तो उसी तरह से हो गया जैसे कम्पोजीशन के बारे में झगड़ा है कि माइनोरिटी गवर्नमेंट है या मेजोरिटी गवर्नमेंट है कि क्रचेज पर चलने वाली गवर्नमेंट है। कभी समय नहीं मिलता, छोटे दल वाले कहते हैं कि हमारा हक मारा जा रहा है जैसे इस हाउस का कम्पोजीशन है वैसे ही यहां की अर्थव्यवस्था है, वैसे ही किसान की हालत है

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : जैसी अर्थव्यवस्था है वैसी ही हाउस की कम्पोजीशन है।

[अनुवाद]

श्री मान्धाता सिंह। यहां तो दूसरी बात है मेरा मित्र मेरी बातों में संशोधन कर रहा है।

[हिन्दी]

जैसी उधर हालत है उसी का रिफ्लेक्शन यहां पर है।

सभापति महोदय : आप इनमें ही अटक जायेंगे तो अपनी बात नहीं कह पायेंगे। घड़ी की सुइयां आपका समय बता रही हैं।

श्री मांधाता सिंह : मैं तो घड़ी को नहीं आपको ही देख रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं आपको भी देख रहा हूं और घड़ी को भी देख रहा हूं।

श्री मांधाता सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्व वक्ता ने सही और इशारा किया कि जो भी समर्थन मूल्य है, दूसरे अवसरों पर मैंने समर्थन मूल्य की तीखी आलोचना की थी, लेकिन जो रिवाज है वह रिवाज है। समर्थन मूल्य के मायने बेसहारा किसान है वह किसके फ्रेज पर चलाया जा रहा है जब तक यह मांधाता नहीं बदलती कि सरकार के या हमारे नीतीश जी के फ्रेज पर, इनके समर्थन मूल्य पर किसान चलेगा, तब तक इस देश की कृषि नीति का उद्धार नहीं होने वाला है। हमारे साथी ने सही कहा कि जो भी समर्थन मूल्य है, उनके ताजा आंकड़े दिये कि अधिकांश लाभार्थी थोड़ी सी जमीन वाले हैं, उससे कम संख्या में जो एक डेढ़ हेक्टेयर वाले हैं और करोड़ों लोग जो भूमिहीन कहलाते हैं उनको सिंह देव जी .5 रुपए पर भी आपत्ति कर गये, ठीक है वह बड़े किसान होंगे। तो उन्हें इस बात का कष्ट है। मान्यवर इस प्रस्ताव में एक शब्दावली है, एक शब्द है फार्मर। फार्मर की परिभाषा क्या है? वह बिग लैंड होल्डर है, मीडियम लैंड होल्डर है, वह स्माल लैंड होल्डर है और लैंडलैस लेबर है। क्या लैंडलैस लेबर फार्मर नहीं है? इसकी परिभाषा कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार या संसद करे तो शायद कुछ कल्याण हो सकता है। दूसरी बात यह कि सपोर्ट प्राईस क्या है, इन्पुट्स के दामों की बात है। चाहे वे सारे प्रोड्यूस सरकार खरीद ले, ये तीन बातें इस प्रस्ताव में मुख्य रूप से कही गयी हैं। इन तीनों स्थितियों के लिए किसान के लिए एक कविता श्री सोहन द्विवेदी ने की है;

तेरी हिम्मत पर किसान हमारे किसान का गीत
ये देश खड़ा है तेरी हिम्मत पर किसान.
तेरी मेहनत पर किसान, तेरी हड्डी पर किसान,
तेरे खून और पसीने पर किसान ॥

लेकिन प्रो. रंगा किसानों की सेवा करते-करते इस आयु को प्राप्त कर सके लेकिन न वे कभी सपोर्ट प्राईस दिलवा पाये और न उनकी रक्षा करवा पाये। हमारे बहुत से साथी यह जिम्मेदारी खाता लेकर बैठे रहे। जो नेक्सस है जो पूंजीवादी व्यवस्था है—इन्पुट्स कोई और पैदा करेगा, फर्टिलाईजर कोई और पैदा करेगा, इरिगेशन या बिजली कोई और पैदा करेगा। सब का दाम अलग-अलग तय होगा तो किसान के लिए सिवाय भीख मांगने के कुछ नहीं रहता और वह सपोर्ट प्राईस की क्या वकालत करता? मान्यवर, इसलिए अगर उसको अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाये

[अनुवाद]

हमारे गरीब किसान को बाजार की शक्तियों से जूझना पड़ता है।

[हिन्दी]

वह जुआ है। जब बाजार भाव बढ़ेगा तो उसका शोषण इन्पुट्स के जरिये होगा। यदि बाजार भाव गिरेगा

तो बाजार में उसकी क्राप नहीं बिकेगी या कम दाम पर बिकेगी। तो कहने का मतलब यह है कि सब तरफ से उस बेचारे को मार पड़ेगी। अभी हमारे साथी नेचुरल कलेमिटीज और इन्श्योरेंस की बात कह रहे थे। प्रकृति की मार भी उसे पड़ेगी। यदि ओला गिरता है तो इस बेचारे किसान पर गिरता है, किसी पूंजीपति या सरकारी प्रतिष्ठान पर नहीं गिरता है। सूखा और बाढ़ दिल्ली की मल्टी-स्टोरीज बिल्डिगग्ज को प्रभावित नहीं करता। वह बिहार, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश को बंगाल की खाड़ी में धकेल देता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि आप सपोर्ट प्राईस चाहे तीन महीनों में तय करिये या छः महीनों में घोषित करें लेकिन यह आज तक नहीं तय हुआ कि इस धरती में कितनी फसल पैदा हो सकती है या कितनी फसल पैदा कर सकती है? यह दो या तीन या चार फसलें पैदा करेगी? यहां पर जापान का उदाहरण तो दिया गया। मेरे मित्र उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जो इस सदन के लिए अपरिचित नहीं हैं, वे पिछले बार जापान गये थे तो एक प्राईवेट टाक में मुझसे कहा था कि उन्हें टमाटर का पौधा दिखाया गया जिससे एक पौधे में दस हजार फल लगते हैं। तो इस तरह का मुकाबला करने से नहीं होगा। न जापान की तरफ देखने से होगा और न किसी उन्नतशील देश की तरफ देखने से होगा। सवाल यह है कि हम अपनी अर्थ व्यवस्था को उस विषम सर्किल से कैसे मुक्त करायें? मेरा तो यह मानना है कि मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि कृषि नीति टुकड़ों में नहीं बन सकती है और न ही उद्योग नीति बन सकती है और न ही मजदूरों की नीति बन सकती है। एक होलेस्टिक व्यू होना चाहिए। अर्थव्यवस्था की ओर "होल व्यू" होना चाहिये तभी बात बनेगी। मान्यवर, मैं अन्तिम चरण में यही कहना चाहूँगा कि चूंकि आपकी निगाह मेरे ऊपर है. मुझसे ज्यादा घड़ी पर है। इस डर के मारे मैं जल्दी बात समाप्त करूंगा।

मान्यवर, अब यदि मैं पैरलल डिपार्टमैंटल चैनल्स के विषय में कहूं तो कैसे, अभी यहां बैठे थे जो ग्रामीण विकास विभाग को देखते हैं। पता नहीं कहां चले गये। क्या अब शहरों में भी खेती होने लगी है शायद। यदि आपके मंत्रालय में खेती हो तो सब का भला हो जाये। कृषि मंत्री जी सदन में मौजूद हैं और तीसरे, सबसे जिम्मेदार मंत्री, जिनके पास देश के जितने कल्याणकारी विभाग हैं, जिनके पास प्रोग्राम इम्प्लीमैंटेशन का प्रभार है, इन्चार्ज हैं वे मंत्री जो यहां बैठे हैं (व्यवधान) हां, प्लानिंग में ही सब कुछ शामिल है: वह आपकी हैरिटेज है, कोई नई बात नहीं है, जो अंग्रेज अपने पीछे छोड़ गये हैं, 40 साल बाद, आज भी हम उसी से चिपके हुए हैं, हम लोग भी उसे छोड़ने में देरी कर रहे हैं, इसलिये जहां तक पैरलल डिपार्टमैंटल चैनल्स का प्रश्न है, क्या यह सत्य नहीं है कि हर ब्लाक में, हर जिले में, कोआपरेटिव सोसायटीज की तरफ से भी फर्टिलाइजर बिकता है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के सीड स्टोर्स की तरफ से भी बिकता है, प्राइवेट एजेंसियां भी फर्टिलाइजर बेचती हैं और अन्य कई येजेंसियों की तरफ से भी फर्टिलाइजर बेचा जाता है, इसलिये मिडिलमैन वाली बात सिर्फ अनाज के खरीदने में ही नहीं है, इनपुट्स की सप्लाई करने में भी मिडिलमैन हैं।

[अनुवाद]

बिचौलिये आजाद है, वे हमारी जनता को लूट रहे हैं।

[हिन्दी]

मैं हमेशा से एडवाकेसी करता आया हूं, वकालत करता आया हूं कि सिंगल चैनल सिस्टम हमें

इनवोल्व करना होगा और वेस्टेड इंटरेस्ट, चाहे वह कृषि विभाग में हों, चाहे सहकारिता विभाग में हो, चाहे प्राइवेट ट्रेडर्स में हो, हर जगह से उन्हें एलिमिनेट करना होगा। इन्हें एलिमिनेट किये बिना न तो इनपुटस की प्रोपर गारन्टी दी जा सकती है और न कोई दूसरा काम हो सकता है।

सभापति जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए, आखिरी सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इस प्रस्ताव से आखिरी संकेत किसान के पूरे उत्पाद के सम्बन्ध में है, एन्टायर प्रोड्यूस के बारे में है। खैरियत है कि दुबे जी के विधेयक में तो फूडग्रेन्स के बारे में ही कहा गया था परन्तु यह विधेयक एग्रीकल्चरल प्रोडक्टस के बारे में है, इसका स्कोप बड़ा है, जिसमें कपास भी शामिल है, सेब भी हो सकता है, अंगूर भी हो सकता है यानी जमीन से जो कुछ पैदा होता है, वह सब इसमें शामिल है। मैं कहना चाहता हूं कि यह तभी सम्भव है जब तक हम कम्पलीट टेक ओवर आफ होलसेल ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टस, नाट मानली फूड ग्रेन्ज, नहीं करते। मैंने पहले भी यही बात कही थी, और आज फिर उसे ही दोहरा रहा हूं और अच्छी बात को जितनी बार दोहराया जाये, उतना ही अच्छा होता है। जब तक हम ठीक तरह से जिन्सों का समर्थन मूल्य घोषित नहीं कर पायेंगे, तब तक न कन्ज्यूमर्स को सही ढंग से खाना खिला पायेंगे और न किसानों का भला कर पायेंगे। अब प्रश्न है कि जितने बड़े नेटवर्क, जितने बड़े संगठन की बात इस विधेयक में कही गयी है, मैं समझता हूं शायद अभी हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, लोगों ने भी उसकी कल्पना नहीं की होगी। हम राइट टू वर्क के लिए कमिटिड हैं। तमाम हुगामें खेल चले हैं। बहस की मांग की जा रही है और शायद आज बहस भी हो जाती परन्तु होगी अवश्य। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा नवयुवक कुण्ठाग्रस्त होता जा रहा है, फस्ट्रेटिड होता जा रहा है, आज करोड़ों हाथों को काम नहीं मिल पा रहा है, अच्छा हो यदि किसानों के नाम पर ही सही, कम्पलीट टेक ओवर आफ होलसेल ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टस, इसे करने का जिम्मा सरकार उठाये, मिडिलमैन को एलिमिनेट करे, पाइपलाइन को सच्चाई से मिडिलमैन को हटाये, कन्ज्यूमर्स की पाइप लाइन से मिडिलमैन को एलिमिनेट करे तभी किसानों का भी भला होगा, सबका भला होगा, देश का भला होगा और इस पार्लियामेंट का भी भला होगा।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने सम्मानित साथी भूरिया जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि किसानों के हितों की रक्षा के सम्बन्ध में वे यहां पर एक संकल्प लाए और उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। हमने वे विचार सुने और कई अन्य माननीय सदस्यों के विचार सुनने का अवसर मिला और यह जानने का भी अवसर मिला कि यह सदन पूरी तरह से इस बात के लिए सहमत है कि किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य मिलना चाहिए, किसानों के हितों की रक्षा होनी चाहिए।

श्रीमन्, किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य मिले, उनके उत्पादन की बीच में लूट न हो और बुवाई से पहले, जैसा कि संकल्प में है, 3 महीने पहले सरकार किसानों के उत्पाद का मूल्य सुनिश्चित कर दे, यह बात बहुत जरूरी है। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आम तौर से देखने में आया है कि जब किसान के खेत में फसल पकती है और खलिहान से जब घर पहुंचती है, तो किसान के उत्पादन का दाम एक दम से गिर जाता है और जब वह बेच देता है तो उसी उत्पाद के दाम आसमान छूने लगते हैं। जब वही चीज उसे जरूरत पड़ने पर खरीदनी होती है, खाने के

लिए या बीज के लिए, तो वह बहुत ऊंची कीमत पर उसको खरीदनी पड़ती है। दुगनी और तिगनी कीमत में वही अन्न खरीदना पड़ता है, जो उसी ने उत्पादित किया और बेचा।

सभापति महोदय, हमारे दुबे जी अनाज बोर्ड विधेयक लाए थे और उस पर कुछ दिन पूर्व चर्चा हुई थी। मैंने उस पर बोलते हुए भी यह बात कही थी और अब फिर मैं जोरदार शब्दों में पुनः इसी बात को कहना चाहता हूँ कि किसानों के केवल गेहूँ, चावल, धान, गन्ना, कपास और मूंगफली आदि चीजों के ही दाम निर्धारित नहीं होने चाहिए. बल्कि वह जो भी उत्पादन करता है, और जिसके विषय में हमारे प्रति सम्माननीय सदस्य ने बताया, वह सारा उत्पादन जो किसान करता है, उसके मूल्य निर्धारित होने चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूं जहां तक नियंत्रण का सवाल है, वह बड़ा कठोर है। कभी-कभी बड़ा नुकसान यह करता है। किसान जहां खाद्यान्न पैदा करता है, साग-सब्जी पैदा करता है, फल पैदा करता है वहां वह लकड़ी और फलदार पेड़ भी पैदा करता है। श्रीमन् हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि यहां पर एक कठिनाई यह भी है कि पेड़ पौधे चाहे आम के हों, जामुन के हों और चाहे शीशम के हों, फलदार पेड़ हों या लकड़ीदार, वे सब किसान की सम्पत्ति हैं। किसान अपने परिवार के लिए यह उत्पादन इसलिए करता है कि एक तो उसको फल मिलें, दूसरे जब उसके परिवार को जरूरत पड़े, तो वह इस पेड़ को बेचकर, इससे अपनी जरूरत पूरी कर ले, लेकिन हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है और ऐसा कानून बना हुआ है कि पर्यावरण के नाम से, कहीं दूसरे नाम से, पेड़ किसान का, मालिक किसान, लेकिन वह बेच नहीं सकता। उसके लिए बिचौलिये हैं एक फारेस्ट, दूसरा जिला प्रशासन और तीसरी पुलिस प्रशासन।

सभापति महोदय, आज किसान को अगर एक पेड़ की जरुरत पड़ जाए, उसे अपनी लड़की की शादी करनी है या कोई और काम करना है, तो वह अपनी मरजी से उसको बेच नहीं सकता है। जब कि उसने उस पेड़ को इसीलिए लगाया कि जब जरूरत पड़ेगी तो वह उसके काम आएगा, उसका वह इस्तेमाल करेगा, लेकिन असंवैधानिक रूप से, गलत तरीके से, प्रशासन का हस्तक्षेप बना हुआ है। उसको परमिट लेने जाना पड़ेगा। जब यह परमिट लेने जाए तो वहां उसकी लूट होती है, फारेस्ट में जाए, तो वहां लूट, जब कटवाने लगे तो पुलिस वाले परेशान करें कि यह सूखा है या नहीं, यह फलदार तो नहीं है और तरह-तरह के आब्जेक्शन लगाकर वह उसको रोक देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि फल का मालिक किसान जब उस पेड़ को काटने की स्थिति पहुंचता है, तो पेड़ की कीमत उसको केवल एक-चौथाई तक मिल पाती है और तीन-चौथाई प्रशासन लूट लेता है। यह स्थिति कोई एक जगह की नहीं है, पूरे हिन्दुस्तान में इसी तरह की व्यवस्था है। किसानों के उत्पादन की लूट होती है। मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मंत्री जी गांव के हैं, तो गांवों के लोग उनसे मिलने के लिए आते होंगे और उनको अपनी समस्यायें बतलाते होंगे, इस पर विचार होना चाहिए। किसान पेड़ को अपनी आवश्यकता के लिये लगाता है, देवी-आपदा के समय इस्तेमाल करने के लिए या कोई खुशी का मौका हो या जरूरत हो या जिस तरह की बात हो, उस वक्त के लिये वह पेड़ लगाता है, लेकिन उसकी लूट बीच में होती है। इस लूट को समाप्त किया जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है इस संबंध में मंत्री जी विचार करेंगे और कोई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, जिससे बिचौलिए बीच में न आ सकें। पर्यावरण के सवाल को लेकर यदि आप पेड़ को काटने से रोकते हैं, तो आप इसका कोई दूसरा उपाय कीजिए। आप कह दीजिए, यदि आपको पेड़ काटना है, कानून आप इस तरह का

बनाइए, मान लीजिए एक पेड़ की उम्र पचास साल है, साठ साल है या सत्तर साल है, जब तक वह पकने की स्थिति में आये, तो आप किसानों से कह सकते हैं, तीन साल पहले, कि एक पेड़ काटने के स्थान पर आपको चार पेड़ लगाने होंगे या पांच पेड़ लगाने होंगे। जब यह हो जायेगा, तब ही आपको काटने की इजाजत दी जाएगी। इससे आपकी पर्यावरण की समस्या भी हल होगी और फिर आपने कह दिया है कि एक पेड़ काटने पर चार पेड़ लगाने होंगे और दो पेड़ काटने पर आपको पांच पेड़ लगाने होंगे। इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि किसान बिचौलियों की लूट से बच सकें।

एक समस्या की ओर मैं और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं एक बात किसानों की उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए कहना चाहता हूं। मैं नहीं जानता, माननीय सदस्य श्री भूरिया जी अपने प्रस्ताव में क्यों शामिल नहीं कर पाए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं किसानों की स्थिति को जानता हूं। किसानों की लूट हो रही है मैं उसकी गरीबी की स्थिति को जानता हूं, उसकी दुर्बलता की स्थिति को जानता हूं, लेकिन इससे ही केवल किसानों की दुर्बलता, उसकी कमजोरी और उसकी गरीबी जाने वाली नहीं है, आपको और भी बहुत से उपाय करने होंगे। सीलिंग का मामला है, गांवों में जमीन बांटी और बहुत लोगों को मिली है मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं, लेकिन इससे क्या गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो पाया, मेरा ख्याल है कि नहीं हो पाया। यदि मैं इसके विस्तार में जाऊंगा, तो सदन का बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और वह मेरी समझ में है। मैं समझता हूं कि हमारे देश में जो गांवों की स्थिति है, जो वातावरण है, जो जलवायु है, जिस पर कि सारी स्थिति निर्भर करती है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि खेती के अलावा किसानों के लिए उससे संबंधित चीजों को, धन्धों को उपलब्ध कराना चाहिए। जब तक गांव के लोगों का विकास सुनिश्चित नहीं है, तब तक गांवों की माली-हालत दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को इस तरह के उपाय करने चाहिए कि जो कृषि से लगे हुए धन्धे हैं वे गांव के लोगों को मिले और इसमें सबसे बेहतर, धन्धा है पशुपालन। हमारे देश में कुछ नस्ल-सुधार के काम हुए हैं, लेकिन इतने सुधार नहीं हुए है कि हर दरवाजे पर, गांव के हर व्यक्ति के दरवाजे पर दुधारू पशु हो, जो कम से कम सात, आठ, दस, बारह किलो तक दूध दे सके। यह काम नहीं हो सका है। इसलिए सरकार को चाहिए वह कदम उठाये और यदि वह गांवों का विकास चाहती है, डेवेलपमेंट चाहती है और चाहती है कि किसानों का विकास हो और उनको दूसरे धन्धे मिलें, तो इसके लिये आवश्यक है कि वह पशुओं की नस्ल के सुधार का काम करे और इस पर जोर दे। कुछ ऐसे उपाय करें कि सुधरी-

5.00 म. प.

हुई नस्ल के पशु गांव के गरीब लोगों के, किसानों के दरवाजे पर बंधने चाहिए। इससे केवल उनकी आर्थिक स्थिति ही मजबूत नहीं होगी, बल्कि आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टियों से उनकी स्थिति मजबूत होगी। इस देश में गरीबी और बीमारी दोनों के विनाश का एक ही उपाय है कि अच्छी नस्ल के पशु हों। जब तक यह उपाय नहीं किया जायेगा तब तक हम बहुत कुछ कहते रहेंगे और होगा कुछ नहीं। हम बहुत कुछ वितरण की, मूल्य वृद्धि की, मूल्य सुधार की बात करते रहेंगे। जब तक हम किसानों को नये किस्म के साधन उपलब्ध नहीं करायेंगे तब तक आर्थिक स्थिति सुधरने वाली नहीं है, गांव का विकास और डेवेलपमेंट होने वाला नहीं है, न ही तब तक गांवों की गरीबी दूर हो सकती है।

इसलिए मेरा यह भी सुझाव है कि सरकार और हमारे कृषि मंत्री जी जो यहां बैठे हैं क्यों कि पशुपालन कृषि से भी सम्बद्ध है, इसलिये कुछ ऐसे तरीके का प्रयास करें जिससे इस देश के पशुओं की नस्ल सुधरे, अच्छे दुधारु पशु पैदा हों और गांव के हर घर में पशु बंध सकें। इस देश के किसानों को गरीबी और बीमारी से मुक्ति दिलाई जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

5.02 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख (अमरावती) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दिलीप सिंह भूरिया ने जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इन्होंने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है इसमें किसानों के हितों की रक्षा का उपाय जो सुझाया है वह मुख्य रूप से इसका सार है। किसानों के हितों की हमें रक्षा करनी है। मैं जिस इलाके से आता हूं वह महाराष्ट्र का सबसे अच्छा इलाका है जहां पर कपास ही कपास पैदा होती है, 90 परसेंट काटन होती है। 4 डिस्ट्रिक्ट में कपास के सिवा कुछ पैदा नहीं होता। गये 20 साल में किसानों को कपास का जो उचित दाम मिलना चाहिये था उसके लिये हमने थोड़ा-बहुत आन्दोलन किया, जिसमें हम यह मांग करते रहे कि किसानों को रेम्युनरेटिव प्राइसेज किसानों को मिलनी चाहिये। उसके लिए एक मोनोपली स्कीम भी बनाई गई थी उसे इस सरकार ने मान्यता क्यों नहीं दी, पता नहीं? कपास का निकलना अभी शुरू हो रहा है, यह 1990-91 की अभी शुरूआत है लेकिन सरकार ने अभी तक प्रक्योरमेंट की स्कीम को कोई मान्यता नहीं दी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है कि यह प्रक्योरमेंट की पालिसी जल्दी तय की जानी चाहिये। यह किसानों के हितों की बात है इसलिये इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह जो रेम्युनरेटिव प्राइस का सवाल है, कास्ट आफ प्रोडक्शन पर आधारित प्राइसेस, सीलिंग प्राइसेज, सुपोर्ट प्राइसेज आदि से किसानों के हितों की कोई रक्षा होने वाली है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। हम इसकी लोजिक में फंस जाते हैं कि ये प्राइसेज देने से उनको फायदा होने वाला है। सच बात तो यह है कि किसान जिस चीज को पैदा करता है उसे उसके भाव कम मिलते हैं और जिस चीज को इन्डस्ट्री पैदा करती है उसके भाव उनको ज्यादा देना पड़ता है। कपास सस्ता कपड़ा महंगा, गन्ना सस्ता शक्कर महंगी, टूबेको सस्ता सिगरेट महंगी और बेसन सस्ता भुजिया महंगी। इस तरह से उसके द्वारा पैदा की गई चीज पर इंडस्ट्री का हाथ लगते ही चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। बात यह है कि किसान जो चीजें स्माल ट्रेडर्स से खरीदते हैं, वह अपने लिये नहीं बल्कि इंडस्ट्री और कम्पनियों के लिये खरीदते हैं इसलिये उनकी वस्तुओं की कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। लाजिक यह है कि किसान की प्रोडक्ट का मूल्य कम मिलता है और दूसरे लोगों को इसका फायदा होता है। और इंडस्ट्री की चीजें जहां पर इंडस्ट्री की मोनापली है, उसकी चीजें कोस्ट आफ प्रोडक्शन से बहुत अधिक कीमत पर बेची जाती हैं। इसका हमने एक अध्ययन किया है, कुछ अध्ययन दल इसके लिए बनाए गए हैं, जिन्होंने कुछ नतीजे निकाले हैं, स्टेटिसटिक्स एक्सपर्ट्स ने कुछ चीजों के बाजार भावों का और उनकी कोस्ट आफ प्रोडक्शन का अध्ययन किया है, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। सिबाका टूथपेस्ट 100 ग्राम का कोस्ट आफ प्रोडक्शन 1.40 रुपए है, बाजार भाव आप

जानते ही हैं। पंखा जो घरों में चलता है, इसका कोस्ट आफ प्रोडक्शन 402 रुपये है और बाजार भाव सब जानते हैं। सिग्रेट का कोस्ट आफ प्रोडक्शन सिर्फ दो पैसे है, इस पर 25 पैसे तो सरकार ले लेती है और बाजार मे कितने दाम पर बिकती है, आप सब जानते हैं। साइकल ट्यूब का कोस्ट आफ प्रोडक्शन 5.75 रुपये और सायकल टायर का कास्ट आफ प्रोडक्शन 9.30 रुपये है, बाजार भाव इससे काफी अधिक है। इसी तरह से साबुन की बड़ी बट्टी का कोस्ट आफ प्रोडक्शन 1.30 रुपये है और बाजार में लक्स, हमाम आदि 5-6 रुपये मे मिलते हैं। प्रोटलैंड सीमेंट का कोस्ट आफ प्रोडक्शन 438 रुपये प्रति टन है। प्रिया स्कूटर का 5885 रुपये है जो बाजार में 12000 का मिलता है।

(व्यवधान)

इस तरह सेवा की चीजें भी हैं, लेकिन मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं, इस बात का जो मर्म निकाला है वह यह है कि महंगाई का जो यह विशेष सर्कल चला हुआ है, इसको अगर तोड़ना है तो इंडस्ट्रीज को कहना होगा कि वे कोस्ट आफ प्रोडक्शन के आधार पर ही अपनी चीजों को बाजार में बेचें। जबतक कोस्ट आफ प्रोडक्शन के आधार पर चीजें नहीं बेची जाएंगी, तब तक जनता को महंगाई के इस दुष्चक्र से नहीं बचाया जा सकेगा। इसका और कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन के सामने यह बात होनी चाहिए, वह देश के पैमाने पर इस बात को कहे कि इंडस्ट्री में कोस्ट आफ प्रोडक्शन क्या है, जनता को इस बात से अवगत कराया जाए। इस सम्बन्ध में मैंने पार्लियामेंट में भी तीन सवाल किए, जब कम्पनीज से इस बारे मे पूछा गया तो उन्होंने पार्लियामेंट को जवाब दे दिया कि यह ट्रेड सीक्रेट है। बैलेंस शीट क्या ट्रेड सीक्रेट है। मैंने जो जानकारी सदन को बताई है, यह भी कम्पनीज द्वारा तैयार माल के कास्ट आफ प्रोडक्शन के आधार पर ही तैयार की है, लेकिन वहां पर इस तरह का जवाब भेज दिया जाता है कि यह ट्रेड सीक्रेट है। पार्लियामेंट के सामने कास्ट आफ प्रोडक्शन के आंकड़े नहीं रखे जाते। सवालों का जवाब ही नहीं दिया जाता, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इस तरह से घुमा-फिरा कर जवाब दे दिया जाता है, लेकिन कास्ट आफ प्रोडक्शन के सवाल को टाल जाते हैं। अगर हमने किसानों को इन्साफ देना है तो हमको पीजनट आंदोलन में इस जगह पर लाना होगा कि इंडस्ट्रीज में कास्ट आफ प्रोडक्शन को जाहिर करो। ऐसा करने से हम टर्म्स आफ ट्रेड इनइक्वेलिटी को दूर कर सकेंगे, रेशनल बेसिस पर आएंगे। आज इस बात का डर बताया जाता है कि किसानों द्वारा उत्पादित चीज को महंगा करने से महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है हम कहते हैं कि आप किसानों की चीजों का भाव मत बढ़ाइए, महंगाई कम करिए, किसानों को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, महंगाई बढ़ाना किसानों की मांग नहीं है, लेकिन महंगाई तभी कम होगी जब उद्योगो में तैयार माल की कास्ट आफ प्रोडक्शन के आधार पर उसको बेचा जाएगा। इसके बाद शहर और देहात का अन्तर दूर हो सकेगा, महंगाई दूर हो सकेगी। इसके अलावा महंगाई रोकने का और कोई रास्ता नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाई ने जो प्रस्ताव इस सदन में रखा है, उसकी मैं ताईद करता हूं और पार्लियामेंट की तरफ से यह मांग होनी चाहिए कि उद्योगों में तैयार माल का कास्ट आफ प्रोडक्शन जाहिर करना कंपलसरी किया जाए, तभी यह महंगाई हम दूर कर सकेंगे। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री दिलीप सिंह जी ने इस सदन में रखा है, मैं उसके समर्थन मे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इन्होंने अपने प्रस्ताव

में कहा है कि किसान की उपज की बिजाई से कम-से-कम तीन माह पहले सरकार कीमत तय करे और खाद इत्यादि की जो किसान को जरूरत है वह भी समय पर उसे उपलब्ध करवायी जाए। इस बात के लिये मैं इनको बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए एक कहावत थी "उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और न्यूनतम नौकरी"। लेकिन पूर्व सरकार की गलत नीतियों के कारण यह बिल्कुल उलट हो गया है। आज उत्तम नौकरी हो गयी, मध्यम व्यापार और न्यूनतम खेती हो गई। अगर किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिले तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आज किसान गांव से शहर की ओर नहीं भागेगा। आज किसान खेती से नौकरी की ओर नहीं भागेगा और जो बेरोजगारी की समस्या है उसका समाधान हो सकता है अगर किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिल जाए।

जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है, मेरे मित्र ने बिल्कुल सही कहा कि हिमाचल प्रदेश फलों का प्रदेश कहलाता है। इसका श्रेय वहां के फल उत्पादकों को जाता है। आज वह प्रदेश सेब का प्रदेश कहलाता है, क्योंकि उस प्रदेश में 34 हजार सेब उत्पादक हैं। जहां तक हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन का संबंध है, यह आज वहां के सेब उत्पादकों के लिये और सरकार के लिये चिन्ता का विषय बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश की सरकार फल उत्पादकों की ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहती है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के बड़े सीमित साधन हैं। पूर्व सरकार 85 करोड़ रुपये का घाटा छोड़कर चली गयी और 290 करोड़ का बजट बना कर चली गयी।

आज इस माननीय सदन में जब हिमाचल प्रदेश के मेरे मित्र श्री सुलतानपुरी जी बोल रहे थे तो वे प्रस्ताव पर कम बोले। ऐसा लग रहा था कि वे राजनीतिक भाषण दे रहे है। उन्होंने यह कहा कि पिछली सरकार सेब उत्पादकों के लिए दो रुपये पचहत्तर पैसे का समर्थन मूल्य देकर गयी। लेकिन वे यह बात भूल गये कि वह सरकार केवल अनाउंस करके चली गयी। अनाउंसमेंट भी कब की, जब चुनाव का वर्ष था। वह सरकार किसानों के हित में कम सोचती थी, केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए 2.75 रुपये समर्थन मूल्य अनाउंस करके चली गयी। वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि इनकी सरकार ने 31 करोड़ का सेब खरीदा था और किसानों को केवलमात्र 5 करोड़ की पेमेंट की, 26 करोड़ का घाटा छोड़ कर चले गए। अच्छा होता, इस माननीय सदन में माननीय सदस्य हिमाचल प्रदेश की सरकार को इस बात के लिये बधाई देते और धन्यवाद करते कि 26 करोड़ की पेमेंट छोड़कर पिछली सरकार चली गयी, वह सारी की सारी पेमेंट वर्तमान सरकार ने, शांता कुमार जी ने की। इसके अतिरिक्त भी सरकार चाहती है कि किसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। इसलिये हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री बार-बार केन्द्र की सरकार से मिले। उन्होंने आग्रह किया कि हमारी मदद की जाए ताकि वहां के फल उत्पादकों को ज्यादा से ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जाए। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश की सरकार की इस विषय में कोई मदद नहीं कर सकी। यह ठीक है जब वहां पर समर्थन मूल्य की घोषणा की गयी, जिसके मुताबिक कल्ड फ्रूट का समर्थन मूल्य 1.30 रुपये घोषित किया गया। वर्तमान सरकार के पूर्व उप-प्रधान मंत्री श्री देवी लाल जी ने चण्डीगढ़ से घोषणा की थी कि जो डिफरेंस है उसको देने के लिए भारत सरकार तैयार है। उसी दिन हिमाचल प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं उनको चण्डीगढ़ भेजा गया। उन्होंने देवी लाल जी से बात की और आग्रह किया कि यदि

अन्तर आप दे देते हैं तो 2.75 रुपये की क्या बात है, हम छोटे किसान को समर्थन मूल्य 3.00 रुपये प्रति किलो देने को तैयार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अब देवी लाल जी मंत्रिमण्डल में नहीं हैं, लेकिन वह सरकार का आश्वासन था, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये उस अन्तर को हिमाचल प्रदेश को देंगे ताकि वहां के किसानों को, फल उत्पादकों को 3 00 रुपये या 2.75 रुपये के हिसाब से समर्थन मूल्य मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में जब वनों के संबंध में प्रश्न आया तो उसके अनुपूरक प्रश्न में मैंने जानना चाहा था कि क्या यह सच्चाई नहीं है कि अगर हिमाचल प्रदेश का सारा फल लकड़ी के डिब्बों में भेजा जाए तो हिमाचल प्रदेश के हर वर्ष 666 हेक्टेयर जंगल कटेंगे तो वहां की सरकार के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है। सरकार चाहती है कि जंगल बचाए जाएं और जितनी वहां की प्रोडयूस है उससे दूसरे पैकिंग मेटीरियल या कार्टन में पैक करके भेजा जाए। लेकिन आज कार्टन इतना महंगा है कि उस पर सब सिडी देने में सरकार असमर्थ है। जो 20 किलो की पैकिंग है वह 33 रुपये में पड़ रही है। मंत्री महोदय ने इस सदन में आश्वासन दिया है कि हिमाचल प्रदेश को सरकार अगर वहां से प्रस्ताव भेजेगी तो लकड़ी के अतिरिक्त जितना भी पैकिंग मैटीरियल है, उस पर सब सिडी प्रदान की जायेगी। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि यह सबसिडी प्रदान की जाएगी। मैंने इस सदन में नियम-377 के अधीन यह निवेदन किया है कि यदि कम से कम बीस परसेंट फसल कोल्ड ड्रिंक्स में उपयोग किया जाता है तो न केवल सेब उत्पादकों को बल्कि सभी फल उत्पादकों को लाभ पहुंचेगा। एक राजनीतिक बात इन्होंने कही कि कोटगढ़ में फायरिंग हुई है। मैं इस सदन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा और मुख्य मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने ज्युडिशियल इंक्वायरी बैठा दी है और जो भी दोषी पाये जायेंगे उनको बख्शा नहीं जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री के. डी. सुल्तानपुरी : 2 रुपये 75 पैसे पिछली सरकार ने किया है और यह गलत है कि 385 करोड़ रुपये का घाटा दिया। ये असत्य बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि शांता कुमार जी भी चलते बने।

[अनुवाद]

श्री पी. नरसा रेड्डी (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री भूरिया द्वारा प्रस्तावित संकल्प का समर्थन करता हूं। हमारे देश में कृषि उत्पादों को मूल्य सामान्य जनता के लिए एक अभिशाप रहे हैं। इनसे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता है और उन्हें अपने श्रम का उचित फल नहीं मिल पाता है। कृषि मूल्य निर्धारण पूर्णरूपेण राजनीतिक रहा है। इसका निष्कक्षता, आय-वितरण, उपभोग, उत्पादन और आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव है। अत: जब मूल्यों में वृद्धि का प्रश्न उठता है तो देश में उपभोक्ताओं द्वारा सख्त विरोध किया जाता है इस बात के बावजूद कि किसान अपने उत्पादन के लिए कितना खर्च करता है वह उसके द्वारा किए गए श्रम और पूंजी-निवेश के अनुरूप होना चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में मूल्यों का निर्धारण अफसर शाहों और शहरी विशिष्ट वर्ग द्वारा किया जाता है जो ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं और कमजोरियों और कठिनाईयों के प्रति मामूली सहानुभूति रखते हैं। अत: जब कभी धान अथवा गेहूं में 10 रु. या 20 रु. की मूल्य वृद्धि होती है, तो यही कहा जाता है कि उन पर किसी प्रकार की कृपा की जा रही है या उन्हें दान दिया जा रहा है, और इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया जाता

है कि किसान ने 6-8 महीने कितना परिश्रम किया है। वह मानसून के बदलते तेवर को झेलता है। वह अधिक खर्च का सामना करता है जो उसको सामान्यत: उर्वरक न मिलने मजदूर न मिलने पर करना पड़ता है। कभी-कभी उसे पर्याप्त बिजली नहीं मिलती है। इन सभी तेवरों का उन्हें सामना करना पड़ता है। फिर जब उसको फसल मिलती है तो किसान स्वयं मूल्य निर्धारित नहीं करता है बल्कि बाजार में इसका निर्धारण व्यापारी की इच्छानुसार होता है जो अशिक्षित और कमजोर किसान के शोषण के लिए जो चाहे कर लेता है।

सामान्यत: कहा जाता है कि जब से हरित क्रांति आई है हम बच गए हैं। अत: प्राय: यही कहा जाता है कि सरकार जो 4000 करोड़ रुपये की सहायता किसानों को उर्वरक के लिए दे रही है वह बहुत अधिक है। और विदेशी मुद्रा को, बजट घाटे को, और किसी भी चीज को बचाने के लिए यहां या राज्यों के सचिवालयों में, वे कहेंगे कि जो आर्थिक सहायता उर्वरकों पर देते हैं उसे कम किया जाना चाहिए क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब वे कह रहे हैं कि सरकार द्वारा 1700 लाख टन खाद्यान्न इकट्ठा किया गया है अब खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है।

मैं आप का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में जो लोग कृषि का काम करते हैं उनकी संख्या 5800 लाख है और इनकी प्रतिमाह प्रति व्यक्ति आय मुश्किल से 100 रुपये है। यह 1984-85 के जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित है जिसका उदाहरण श्री अलिक्जेंडर जैसे व्यक्ति ने दिया है जो तमिलनाडु राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल थे। उन्होंने कहा है "यद्यपि खेतों में काम उतने लोगों से किया जा सकता था जिनकी संख्या इस काम में लगे हुए लोगों से आधी है तो भी उत्पादन इतना ही होता, किंतु फिर भी उन्हें उतनी ही आय से संतुष्ट होना है जितनी उन्हें प्राप्त है। मैं विकासशील देशों के लिए कृषि मूल्य नीति पर श्री जानमुलर और रईसुद्दीन अहमद द्वारा लिखी पुस्तक से एक उदाहरण दे रहा हूं। इस तथाकथित हरित क्रांति से क्या हुआ है? मैं पंजाब राज्य के आंकड़ों का उदाहरण दे रहा हूं। वर्ष 1955-57 में 1.1 टन उत्पादन के लिए 2.3 क्विंटल लागत आती थी। 1969-70 में जब हरित क्रांति आई, तो उत्पादन 2.7 टन प्रति हेक्टेयर था और लागत 7.5 क्विंटल लगेगी। अत: उत्पादन में 73 प्रतिशत वृद्धि हुई। जहां तक कुल आय का संबंध है, मैं चाहूंगा कि आप इस बात की ओर ध्यान दें कि 1969-70 में 30.79 क्विंटल उत्पादन के लिए कुल मिलाकर 21.07 क्विंटल उर्वरक, श्रम, पानी आदि की जरूरत पड़ी। और जो उसके पास केवल मुश्किल से 9.72 क्विंटल रह जाता था। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि 1980 में यद्यपि उत्पादन 46 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया है लागत भी 33.5 क्विंटल तक पहुंची है और शेष मुश्किल से 12.7 क्विंटल बचता है। मेरा नम्र निवेदन यह है, कि जहां तक उत्पादन पर लागत का संबंध है, यद्यपि बाजार में भरमार है, यद्यपि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, लागत में भी वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1969-70 से 1981 तक फसल क्षेत्र, खेती क्षेत्र केवल 1.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। इस बात को भी समझना है कि किसान द्वारा लगाई जाने वाली लागत के अतिरिक्त उसको दो कठिनाइयों का सामना करना है। एक संकट मानसून का है और दूसरी बाढ़ भी एक और संकट यह है कि जब उत्पाद बिक्री के लिए बाजार में आता है और मूल्यों में आकस्मात गिरावट आती है। इसके अतिरिक्त खेती की भूमि का 70 प्रतिशत भाग ऐसा है जहां सिंचाई नहीं होती है। अभी जो उत्पादन के आंकड़े मैंने दिए हैं वह पंजाब के हैं जहां सिंचाई, पानी, बिजली सब कुछ पर्याप्त है। किंतु 70 प्रतिशत भूमि में सिंचाई नहीं होती है, जहां ज्वार, बाजरा, दालों, तिलहन और कपास 32 से 40 प्रतिशत चावल

का उत्पादन होता है। मेरा निवेदन है कि जब मूल्य निर्धारण की बात होती है, तो सदैव ही इसे इस नजरिए से देखा जाता है कि उपभोक्ता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

पिछले दिनों हमारे वित्त मंत्री प्रो. मधु दण्डवते बता रहे थे कि मूल्यों में वृद्धि हुई है। लेकिन उपभोक्ता तो इस बारे में बहुत बेचैन हैं। वे कह रहे हैं कि धान के मूल्य में 20 रुपये की वृद्धि हुई है और गेहूं के मूल्य भी बढ़े हैं। लेकिन अगर हम इस संबंध में होने वाले व्यय के आंकड़े देखें तो जो मूल्य वृद्धि हुई है वह बहुत अधिक नहीं है।

दूसरे मूल्य बढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है। मूल्य में होने वाली इस वृद्धि का फायदा किसान तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं जैसे बाजार, गोदाम, संस्थागत वित्त भी उसे उपलब्ध कराएं। माननीय कृषि मंत्री ने भारतीय खाद्य निगम को आदेश दिया है कि आंध्र प्रदेश में तुफान से प्रभावित खराब हुए धान को खरीदा जाए। लेकिन भारतीय खाद्य निगम ने कहा कि केन्द्र सरकार का आदेश कुछ भी हो, अथवा किसानों की दयनीय स्थिति जो भी हो, वे केवल 10% धान ही खरीदेंगे, क्योंकि वे घाटा नहीं चाहते। निगम का इस प्रकार यह रवैया है।

दुर्भाग्य से गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़कर, बाकि क्षेत्रों में हमारे सहकारिता आंदोलन का कार्य अच्छा नही है। हमारा सहकारिता आंदोलन जापान जैसा बेहतर नहीं है, वहां पर बहुउद्देशीय सहकारी-समितियां हैं। वे उत्पाद लेकर उन्हें गोदामों में रखती हैं। वे जरूरत मंद किसानों को उनके उत्पाद का आधा मूल्य अग्रिम राशि के रूप में देती हैं, और उनके उत्पाद केवल तब बेचती हैं जबकि उनके अधिक मूल्य हो। लेकिन हमारे यहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसलिए सिर्फ मूल्य बढ़ाने से किसानों की सहायता नहीं होगी। बाजार जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार सहकारी-समितियों और निगमों को सख्त आदेश दे कि इस मूल्य वृद्धि का लाभ किसानों को मिले। अन्यथा अलाभप्रद मूल्यों पर मजबूरन बिक्री करनी पड़ेगी। जैसे ही कोई उत्पाद बाजार में आता है, तो व्यापारी उसका भंडार जमा कर लेते है और जो किसानों के लिए नुकसानदायक ही होता है बाद में उसका अधिक मूल्य वसूल करते हैं,

हम सरकार के सिर्फ इस कथन से संतुष्ट नहीं हैं कि उसने बजट का 50% ग्रामीण विकास के लिए रखा है। जब तक यह नीति इस प्रकार कार्यान्वित नहीं होती, कि मेहनती किसान को इस नीति का लाभ मिले, और खेत में काम करने वाला कृषक यह पाए कि उसको कड़ी मेहनत से प्राप्त उत्पाद का उसे अच्छा मूल्य मिले, यह नीति प्रभावी और कारगर नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री राम सागर (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण पिछड़ेपन को दूर करने संबंधी हमारा संकल्प था। लेकिन मुझे लगता है कि यह आज नहीं आने वाला है। इसलिए मुझे श्री भूरिया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसई चौधरी।

श्री ददई चौधरी (रोसड़ा) । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद श्री दिलीप सिंह भूरिया जो रिजोल्यूशन लाये हैं, वह वास्तव में देश के हित में है और इस देश की 80 प्रतिशत जनता के मतलब का है । सभी लोग इस बात से चिंतित रहते हैं कि देश के किसान जो गांवों में रहते हैं और अन्न का उत्पादन करते हैं, उनका कल्याण कैसे हो ? उनके बारे में हमेशा ही चिन्ता की जाती है । लेकिन आज इस देश की विडम्बना है कि जो किसानों द्वारा अन्न पैदा किया जाता है, वही किसान भूखा और नंगा रहता है । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के बारे में आज एक कारगर नीति बनाने की जरूरत है । आज किसान की जो लागत मूल्य है, वह भी उसे नहीं मिलती है । इसी का नतीजा है कि हमारे देश में पैदावर कम हो रही है और अन्न की कमी होती जा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारे देश के किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं है । उन्हें हमेशा की प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है फलस्वरूप हमारी खेती और हमारे किसान पिछड़ते जा रहे हैं । हमारे किससानों के सामने आज सबसे बड़ी समस्या बिजली की समय पर आपूर्ति न किया जाना है, जिसे लेकर किसान भारी चिन्तित है । आज भी किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल पातीं, नियमित रूप से उन्हें बिजली की आपूर्ति नहीं की जाती । यदि बिजली की आपूर्ति की भी जाती है, तो अनियमित आपूर्ति के बावजूद, उनके अपेक्षाकृत ज्यादा कीमत वसूल की जाती है, किसानों को बिजली महंगी दर पर दी जाती है । बिजली की कीमत ज्यादा होने के कारण भी कई किसान उसका उपयोग करके अपनी पैदावार नहीं बढ़ा पाते । आज हम देखते हैं कि देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों को कम कीमत पर बिजली की आपूर्ति की जाती है जब कि किसान को वही बिजली महंगी दर से मिलती है, जो इस देश के लिए अन्न का उत्पादन करता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस देश के किसानों को नियमित रूप से बिजली को आपूर्ति की व्यवस्था करे और उन्हें बिजली उसी दर पर दी जाये, जिस दर पर उद्योगपतियों को दी जाती है । उससे ज्यादा दर किसानों से नहीं ली जानी चाहिए । इस ओर तुरन्त ध्यान देना आवश्यक है ।

दूसरे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे किसानों को ठीक समय पर कभी खाद और बीज की आपूर्ति नहीं की जाती । उसी का नतीजा है कि हमारा किसान ठीक ढंग से खेती करके वांछित उत्पादन नहीं कर पाता । हमारे यहां बिहार में किसानों को जो खाद बीज की आपूर्ति की जाती है, उसमें ज्यादातर नकली खाद बीज होता है । हमारे कृषि राज्य मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी, सौभाग्य से इस सदन में मौजूद हैं, उन्हें स्मरण होगा कि जब किसानों को एस.सी.आई. की ओर से नकली खाद और बीज सप्लाई कर दिये गये थे जिसके फलस्वरूप किसानों की फसल तबाह हो गयी बरबाद हो गई, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को सही किस्म के बीज और खाद की आपूर्ति करने के सम्बन्ध में सरकार ठोस कदम उठाये, कोई भी खाद या बीज आपूर्ति करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे बीज या खाद स्टैंडर्ड मानकों के अनुरूप हैं या नहीं । हमारे यहां अधिकतर किसान अनाज का उत्पादन करते हैं, साग सब्जी की पैदावार करते हैं कुछ फलों का उत्पादन भी करते हैं, परन्तु उनके पास अपना उत्पाद रखने की कोई व्यवस्था नहीं है । मेरा निवेदन है कि सरकार की ओर से हर कस्बे में, हर प्रखण्ड में कम से कम एक गोदाम का निर्माण होना चाहिये ताकि किसान अपने उत्पाद को उन गोदामों में रख सके और जब बाजार में उस जिन्स की कीमत ज्यादा हो, उस अवसर पर अपना उत्पाद गोदामों से निकाल कर बाजार में बेच सके और ज्यादा लाभ कमाये । इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने एक घोषणा यह की थी कि हम प्राकृतिक आपदा या विपत्ति के समय किसान की क्षतिपूर्ति करेंगे । मैं आपको बिहार का उदाहरण देना चाहता हूँ जहां बाढ़ से किसानों को भारी क्षति हुई थी, उनकी फसल तबाह हो गयी थी, बर्बाद हो गयी थी । वहीं कुछ हिस्सों में सुखाड़ की वजह से किसानों को भारी हानि उठानी पड़ी, कहीं प्राकृतिक प्रकोप के कारण किसानों को क्षति उठानी पड़ी, कहीं

प्राकृतिक प्रकोप के कारण किसानों को क्षति उठानी पड़ी। इस सबके बावजूद क्षतिपूर्ति के रूप में किसान को कुछ नहीं मिला। मेरा निवेदन है कि क्षतिपूर्ति के मामले में सरकार को उदारतावादी रुख अपनाना चाहिये और किसानों को भरपूर मदद करनी चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके और वे ज्यादा पैदावार की दिशा में उत्साहित हों।

हमारे देश में खेती को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है। हमारी पार्टी समाजवाद में विश्वास रखती है और देश में समाजवाद लाना चाहती है। हम लोगों का हमेशा यह नारा रहा है कि जो खेत को जोते बोये, वही खेत का मालिक होए : मैं कहना चाहता हूं कि आज वह समय आ गया है जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार इसे लागू करे और मैं यहां अपने मित्र नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आप इस समाजवादी नारे को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहयोग दें ताकि इस देश में छोटे किसानों के साथ जो अन्याय और शोषण सदियों से होता आया है, उससे उन्हें मुक्ति मिल सके।

हमारे बिहार में और खासकर उत्तर बिहार में तम्बाकू का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, तम्बाकू की खेती ज्यादा होती है परन्तु उसके सम्बन्ध में रिसर्च करने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अनुसंधान केन्द्र अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। यहां केन्द्रीय स्तर पर एक आयोग अवश्य है परन्तु उस राष्ट्रीय आयोग में पता नहीं किसानों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है या नहीं। यदि मिला भी है तो किन किसानों को उसमें शामिल किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्तमान राष्ट्रीय आयोग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये जो तम्बाकू की खेती से जुड़े हों, जो तम्बाकू उत्पादकों का हित हो सकता है। इन शब्दों के साथ में इस रिजोल्यूशन का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. एस. राव (मछली पटनम) : महोदय, मैं अपने मित्र श्री भूरिया को बधाई देता हूं, कि उन्होंने देश में सबसे अधिक पीड़ित किसान वर्ग से जुड़ा मुद्दा यहां उठाया है। यद्यपि हम सभी पार्टियों के सदस्य जहां कहीं भी जाते हैं, तो कुछ हवाला देते हुए अथवा वायदा करते हुए इस संबंध में अपना दबाव दिखलाने का प्रयास करते हैं लेकिन हम जानते हैं कि वस्तुतः किसान ही देश में सबसे पहला पीड़ित व्यक्ति है। मैं इस संबंध में अपने विचार आपको तथा सभा को स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो किसान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है और यह हमारे नियंत्रण की बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इन समस्याओं के बारे में पहले से ही पाता है। वास्तव में हर सदस्य ने इन समस्याओं पर प्रकाश डाला है। आप इन समस्याओं के समाधान का उल्लेख कीजिए। समस्याओं का समाधान महत्वपूर्ण है।

श्री के. एस. राव : महोदय, मैं समाधान पर भी बोलूंगा। फिर भी, समस्याओं पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफी उन्नति हुई है। लेकिन प्रौद्योगिकी उस स्थिति में नहीं पहुंची है, कि इसके द्वारा तूफान या बाढ़ का रुख बदला जा सके। इस प्रकार, किसान इनसे बचाव नहीं कर सकते। दूसरी विचारणीय बात

यह है कि सही प्रकार का उत्पाद प्राप्त हो अथवा उत्पादन ही बढ़ाया जाए। लेकिन बेहतर प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए किसान के पास वित्त उपलब्ध हो और यह तभी सम्भव है जब उसे लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो। जब माननीय उपप्रधान मन्त्री ने सभा में यह आश्वासन दिया कि समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय प्रबन्ध संबंधी निवेश भी ध्यान में रखा जाएगा तो मुझे बहुत खुशी हुई। तब मैंने उन्हें कहा कि जब भारत सरकार उर्वरक उद्योगपतियों को इक्विटी और उनके निवेश पर इस तर्क के तहत ब्याज दे रही है कि जिस मूल्य पर वे उर्वरक बेच रहे हैं उस पर उन्हें उचित आमदनी नहीं हो रही है, और किसानों को दी जा रही राज-सहायता को ध्यान में रखते हुए अब उद्योगपति सरकार से लाभ प्राप्त करने का विशेषाधिकार प्राप्त कर सकते हैं तो क्या उप-प्रधान मंत्री इस पर विचार करेंगे कि लाभप्रद मूल्य निर्धारित करते समय इस ब्याज को भी ध्यान में रखा जाएगा, उनका उत्तर था कि 'हां' ऐसा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से वह अब मंत्री नहीं है। इस बारे में उन्होंने जो कुछ कहा, वह सरकार की नीति होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं पाता हूं कि किसी कृषि उत्पाद का समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय प्रबन्ध सबंधी निवेश या ब्याज को जोड़ा जाता है। मैं माननीय मन्त्री को यह भी बताना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में 18 एकड़ की भूमि-सीमा के तहत अगर यह मान लें कि एक किसान को प्रति एकड़ 25 बोरी की अधिकतम उपज प्राप्त होती है, तो इसमें से 15 बोरी तो निवेश पर व्यय हो जाती हैं और उनके पास केवल 10 बोरी रहती है। यदि 18 एकड़ में 180 बोरी उत्पादन होता है तो यह प्रति वर्ष 2700 रुपये के बराबर है। इसमें एक परिवार के चार सदस्यों की मेहनत का निवेश शामिल है। इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें प्रति वर्ष लगभग 7000 रुपये प्राप्त होते हैं अर्थात् प्रति माह 600 रुपये से कम। लेकिन एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी एक अशिक्षित, सफेदपोश व्यक्ति जो किसी उद्योग में मेहनत नहीं करता, उसे 1000 रुपये से अधिक 2000 रुपये प्राप्त होते हैं। मैं तो किसान की स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं, ताकि उन पर ध्यान दिया जाए। एक किसान का जीवन, जिसे मौजूदा कानूनों के तहत अधिकतम जमीन रखने की अनुमति है, देश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से भी अधिक खराब है। अतः यह स्वाभाविक है कि हमारी आबादी के 70 प्रतिशत किसानों की भलाई के लिए सरकार खुले दिमाग से तथा और अधिक ध्यान दे।

अब मैं इस मुद्दे पर आता हूं कि जो कुछ माननीय उप मन्त्री ने कहा है उसे कैसे कार्यान्वित किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके क्या समाधान हैं ?

श्री के. एस. राव : मैं तम्बाकू का मामला लेता हूं। तम्बाकू का मूल्य कभी भी निवेश अथवा निर्यात मूल्य के आधार पर निर्धारित नहीं किया गया है। इस बारे में मैं तो यही समझता हूं। जब सरकार तम्बाकू निर्यातकों के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करती है, चूंकि इसका बाजार पूर्णतया अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर निर्भर करता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तम्बाकू का मूल्य न्यूनतम निर्यात मूल्य से प्राप्त हो और इसके लिए उस संभावित लाभ को भी ध्यान में रखा जाए जिसे सरकार निजी निर्यातकों तथा अन्य के लिए छोड़ना चाहती है ? यह किया जा सकता है। मैंने तम्बाकू बोर्ड का सदस्य होने के नाते जब यह मुद्दा वाणिज्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के सम्मुख रखा, तो उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इस समस्या को हल कर सकती है। यदि हम न्यूनतम निर्यात मूल्य से तम्बाकू उत्पादकों को दिया जाने

वाला मूल्य तय करे, जैसा कि आपने निर्णय लिया है, तब तम्बाकू उत्पादकों की स्थिति आज जैसी दयनीय नहीं रहेगा।

इसी प्रकार, मैं कपास का मुद्दा लेता हूं। आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर, कृष्णा और अन्य जिलों में कुछ कपास उत्पादकों ने आत्महत्या की है। एक आदमी कितनी निराशाजनक स्थिति में आत्म-हत्या करता है ? ऐसा केवल तब होता है जब उसकी प्रतिष्ठा दांव पर होती है। एक किसान बैंकों और अन्य निजी पार्टियों से लिए गए ऋण चार-पांच वर्षों तक चुकाने का प्रयास करता है जब वह इन्हें चुकता करने में असमर्थ रहने पर इन ऋणों को माफ कराने के लिए सरकार से आवेदन करता है और जब सरकार उसकी विनती को अनसुना कर देती है और उसके पास कोई चारा शेष नहीं रहता, तो उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। फिर भी सरकार की समझ में नही आता। मेरे पास इसके सुधार का भी उपाय है।

वर्ष 1990 में जब सरकार ने कपास के निर्यात की अनुमति दी और उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त हुआ तो वे बहुत खुश थे और उनका जीवन संतोषपूर्ण था, लेकिन उन स्वदेशी निर्माताओं के इशारे पर क्या हुआ जो रूई के मूल्य पर नियंत्रण करना तथा किसानों की कीमत पर मूल्य को कम करना चाह रहे हैं ? यदि सरकार चुप रहती है तो इससे यह पता चलेगा कि किसानों के प्रति उसमें दया की कोई भावना नहीं है, फिर चाहे वह संसद के अन्दर अथवा बाहर कुछ भी कहती रहे। जब कभी कपास का मामला हो तो सरकार को इसका निर्यात करने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे किसान भी कपास को अधिक से अधिक उत्पादन करने में खुशी महसूस करें। यही बात जूट के साथ भी लागू होती है।

अब मैं तिलहनों की चर्चा करता हूं। सरकार तेल के आयात करने के लिए तो हमेशा तैयार रही जिस पर हजारों रुपयों की विदेशी मुद्रा खर्च होती है, लेकिन सरकार ने कभी भी किसानों को उचित मूल्य देने के संबंध में पहले से कभी आश्वस्त नहीं किया। इस देश के किसान उतने तिलहनों का उत्पादन करने मे सक्षम हैं, जितने की देश को आवश्यकता है। 'आप किसानों को उचित मूल्य दें और आयात में कटौती करें। सरकार द्वारा किसानों को पर्याप्त तकनीकी सहायता और प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाने से पहले अस्थाई तौर पर तेल के मूल्य में वृद्धि हो सकती है और यह स्थिति एक दो वर्ष तक बनी रह सकती है फिर भी जैसाकि मैंने कहा है, यदि आप किसानों को उचित मूल्य दें और आयात में कटौती करें, तो इससे इस समस्या का उचित समाधान हो सकता है।

सब्जियों और फलों के मामले में भी ऐसी ही स्थिति है। ऐसे भी अवसर आये हैं जब एक किसान जो टमाटर उगाता है, उसे अपने उत्पादन का इतना भी मूल्य नहीं मिल पाया कि वह बाजार तक उसे लाने का भाड़ा भी दे पाता। अतः उसे अपने उस उत्पादन को फेंक देना पड़ा। दूसरी तरफ हम यह पाते हैं कि वर्ष 1987 में उपभोक्ताओं को टमाटर 12 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से खरीदना पड़ा। और शायद वही स्थिति अब भी बनी हुई है। केवल टमाटर ही क्यों ? कोई भी सब्जी या फल, जो उपभोक्ता तक पहुंचता है, उपभोक्ता के लिए मूल्य बहुत अधिक होता है, जबकि इसमें से उत्पादकों को बहुत ही कम मिलता है। इसका क्या हल है ? इस समस्या का हल यही है कि सरकार द्वारा किसानों की कम कीमत पर फलों और सब्जियों के भंडारण की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि इन्हें सड़ने गलने से बचाया जा सके और उस समय इन्हें बेचा जाए जब उन्हें

इसका उचित मूल्य प्राप्त हो सके। इसमें बिचौलियों को बजाय किसानों को पूरा लाभ मिल सकेगा। आज केवल बिचौलियों को ही लाभ मिल रहा है। इस प्रकार, हमारे पास इन सभी समस्याओं का निदान है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास समस्याओं का निदान ही नहीं हो।

अब मैं धान के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसकी फसल तैयार हो जाने तक भी इसके मूल्य का पहले से निर्धारण नहीं हो पाता है, या किसानों को विपणन सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इससे उन्हें एक बार फिर उन चावल मिल के मालिकों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है जो उनके उत्पादों को अपनी इच्छा और पसंद पर खरीदते हैं। एक गरीब किसान, जिसे अपनी बेटी की शादी करने की जल्दी होती है, अपने उत्पादों को कम कीमत पर बेच देता है। यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि जैसाकि सरकार ने कुछ चुने हुए जिलों में धान के भंडारण के लिए 18 प्रतिशत ऋण देने की योजना बनाई है, यदि इस योजना को पूरे देश के लिये लागू कर दिया जाए और किसानों को अपने फसल के उत्पादन पर ऋण लेने की सुविधा दे दी जाए तो यह उन किसानों के हित में फायदेमन्द होगा।

गरीब किसानों को छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा पर खर्च की गई धनराशि की पुन: अदायगी जैसी सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। उन्हें भविष्य निधि उपदान या पेंशन कुछ भी नहीं मिलता है। उन्हें कोई यात्रा भत्ता या महंगाई भत्ता भी नहीं मिलता है। उन्हें सभी स्थितियों का सामना करने के लिए अपनी ही जेब टटोलनी पड़ती है। जब हम कर्मचारियों को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की सोच सकते हैं, तो उन्हें भी यह सभी सुविधाएं क्यों नहीं देते? मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस पर ध्यान दें और हमारे मित्र श्री भूरिया द्वारा लाए गए संकल्प पर विचार करे। कृपया आप इसे हल्के तौर पर मत लीजिये। आप इसे समझें और विचारों जैसाकि उपाध्यक्ष महोदय सुझाव दे रहे थे, इन समस्याओं का हल है; ऐसी बात नहीं है कि इनका कोई हल हो नहीं है। आप में केवल इन्हें लागू करने की इच्छा होनी चाहिये। मात्र चर्चा करने से कुछ नहीं होता।

श्री चित्त बसु (बारसात) : महोदय यह संकल्प बहुत ही उचित समय पर प्रस्तुत किया गया है। आपने भी यह पाया होगा कि संकल्प के प्रस्तावक ने सदन, सरकार और पूरी जनता का ध्यान तीन सुस्पष्ट और विशिष्ट मुद्दों की ओर आकर्षित किया है। ये तीन सुस्पष्ट और विशिष्ट मुद्दे हैं : कृषि उत्पादों के कानूनी मूल्य की समय पर घोषणा। दूसरा, सरकार द्वारा किसानों से फालतू फसल की खरीद। और तीसरा, सस्ती दरों पर कृषि आदान उपलब्ध करना।

ये ही तीन विशिष्ट मुद्दे हैं। मेरे विचार से यह बात पूरी तरह से सरकार की कृषि नीति से जुड़ी हुई है। महोदय, इस चर्चा में हस्तक्षेप करने को मैं इसलिए प्रोत्साहित हुआ हूं, ताकि मैं मंत्री महोदय और सरकार का ध्यान उस प्रस्तावित कृषि नीति की ओर आकर्षित कर सकूं, जो वह तैयार करने जा रही है। मेरे विचार में ऐसी चर्चाएं तब बहुत ही जरूरी होती हैं, जब सरकार एक राष्ट्रीय कृषि नीति की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में हो, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि देश के लिए एक वैसी ही कृषि नीति होनी चाहिये, जिस प्रकार की औद्योगिक नीति और अन्य नीतियां हैं।

महोदय, विस्तार में जाए बिना मैं सरकार का ध्यान विभिन्न किस्मों की फसलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दो प्रकार की फसल होती है एक खाद्यान्न फसल और दूसरी नकदी

फसल। नकदी फसल वे हैं जो देश के किसानों को कुछ अधिक क्रय शक्ति प्रदान करती हैं। यह बढ़ी हुई क्रय शक्ति ही केवल हमारे देश के कृषक वर्ग के आर्थिक स्थिति में परिवर्तन ला सकती है। उदाहरण के लिये पटसन। मेरा सम्बन्ध उस राज्य से है, जहां मुख्यत: पटसन पैदा किया जाता है और मैं उन लाखों पटसन उत्पादकों के कष्ट या कठिनाइयों को भुला नहीं सकता हूं।

श्री के. एस. राव : यह जानते होंगे कि उनके राज्य में भी पटसन पैदा करने वाले लोग हैं। अन्य राज्य जैसे बिहार में भी पटसन का उत्पादन होता है। मैं केवल कुछ राज्यों का ही जिक्र नहीं करना चाहता। पटसन एक ऐसा उद्योग है, जिसे इसका उत्पादन करने वाले लोग चलाते हैं। पटसन उद्योग तब तक नहीं चल सकता, जब तक कि कच्चे पटसन का उत्पादन नहीं किया जाए। पटसन उद्योग की खास विशेषता यह है कि इससे विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। जब हम इसका उल्लेख कर रहें तो हम सरकार का ध्यान पटसन उत्पादकों की दयनीय स्थिति की ओर भी आकर्षित करना चाहेंगे, जिनका सामना उन्हें आज भी करना होता है। पटसन का मौसम शुरू हो गया है। पिछली बार, मौसम शुरू होने पूर्व, एक पटसन उत्पादक को प्रतिक्विंटल पटसन 600 से 700 रुपये प्राप्त होते थे। अब, जबकि कच्चा पटसन बाजार में आ गया है, तो इसका मूल्य घटकर 300 रुपए या इसके आस-पास हो गया है। कानूनी तौर पर जो दर निर्धारित की गई है, वह उससे भी कम है। इसलिए पटसन के उत्पादक क्यों अपना पटसन भारतीय पटसन निगम को बेचेंगे? इस संकल्प का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकार को पूरी फसल प्राप्त कर लेनी चाहिए। जहां तक भारतीय पटसन संगम का सम्बन्ध है, मैं पूरी तरह से यह जानता हूं कि इसने एक बार भी देश के कुल पटसन उत्पादन का 10 प्रतिशत से अधिक भाग नहीं खरीदा।

जहां तक कपास का सम्बन्ध है, मुझे जानकारी मिली है कि सी. सी. आई. ने कभी भी देश में कपास के कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत से अधिक भाग नहीं खरीदा।

जहां तक दक्षिण में नारियल का सम्बन्ध है, वहां भी इसी प्रकार के उदाहरण हैं। अत: हमारे किसानों की क्रयशक्ति बढ़ाने वाली नकदी फसलों के मूल्य औद्योगिक और व्यापारिक घरानों द्वारा कृत्रिम रूप से कम कर दिए जाते हैं। सरकार द्वारा प्रस्तावित कृषि नीति का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है।

कृषि नीति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है। हमारे देश में प्रत्येक अर्थशास्त्री इस बात को मानता है कि कृषि और उद्योग में व्यापार शर्तें सदा से किसानों के प्रतिकूल रही हैं और रहेंगी। जब तक कि कृषि और उद्योग के बीच व्यापार शर्तें सन्तुलित नहीं की जाती, तब तक हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार की कोई सम्भावना नहीं है। अत: मैं कृषि सम्बन्धी भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल प्रश्न अर्थात् व्यापार शर्तों के इस पहलू की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरा विचार है कि हमारे देश की कृषि नीति को अन्तिम रूप देते समय सरकार इस पहलू पर गहनता से विचार करेगी।

इस प्रकार और भी खाद्य फसलें हैं। अब इस बारे में यह सामान्य तर्क दिया जाता है कि यदि किसी फसल का खरीद मूल्य ही अधिक है तो शहरी उपभोक्ताओं को इसे ऊंचे दामों पर के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मेरे विचार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के मेरे अनेक मित्र भी मुझसे इस बारे में बहस कर सकते हैं। यह ठोस अर्थव्यवस्था नहीं है, जिसमें सारे समाज के भले की बात होती है। यहां राज सहायता की बात आती है।

आज दुर्भाग्य से चाहे यह सरकार हो या पिछली सरकार हो विश्व के सभी देशों, यहां तक कि समाजवादी देशों में भी राज सहायता समाप्त करने की नीति को अपनाया जा रहा है। अर्थ-व्यवस्था के लिए यह बहुत खतरनाक संकेत है।

जहां तक भारत का सम्बन्ध है, मैं राज सहायता की नीति को समाप्त करने के विचार या प्रस्ताव के बिल्कुल विरुद्ध हूं और मैं समझता हूं कि खाद्य फसलों के मामले में राज सहायता दी जानी चाहिए ताकि उपभोक्ता राशन आदि की वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ते दामों पर प्राप्त कर सकें।

अत: इस राज सहायता को समाप्त करने की कोई बात नहीं की जानी चाहिए।

सामाजिक न्याय की बात है। मैं अनुभव करता हूं कि दोहरी मूल्य प्रणाली होनी चाहिए; इसका अर्थ यह है कि विभिन्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को भिन्न-भिन्न दरों पर खाद्य पदार्थों का सप्लाई की जानी चाहिए अर्थात् मूल्य के आधार दोहरे होने चाहिए।

तत्पश्चात् भारत को ग्रामीण और शहरी भारत में बांटने का प्रश्न सामने आता है। आज अनेक राजनीतिज्ञों के लिए यह आधुनिकता बन गई है कि जैसे ग्रामीण लोग 'भारत' के हों और शहरी लोग 'इण्डिया' से सम्बन्ध रखते हैं। ग्रामीण भारत और शहरी भारत में कोई कृत्रिम अन्तर नहीं हो सकता। भारत, भारत है। इसे ग्रामीण भारत और शहरी में बांटा जा सकता है। शहर में भी गरीब हैं और गांव में भी गरीब रहते हैं। यदि आप देश की हालत पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि यहां भी जनसंख्या का एक बड़ा भाग ऐसा है, जिसकी मासिक आय समाज के किसी आम ग्रामीण की मासिक आय से कम है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वे ग्रामीण लोग हैं।

श्री चित्त बसु : वे भी ग्रामीण लोग हैं। उनकी ग्रामीण पृष्ठ भूमि है। कुछ राजनीतिज्ञ राजनैतिक लाभ उठाने के लिए भारत को ग्रामीण और शहरी भारत में विभाजित करने के नारे लगाते हैं।

भारत की सर्वांगीण उन्नति कृषि के साथ-साथ उद्योग पर भी निर्भर करती है। अर्थशास्त्री इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि जब तक कृषि का विकास नहीं होगा तब तक उद्योगों की प्रगति नहीं हो सकती। इसी प्रकार जब तक औद्योगिक विकास नहीं होगा तब तक कृषि का विकास नहीं हो सकता। कृषि और उद्योग परस्पर जुड़े हुए हैं। इस प्रकार शहरी और ग्रामीण भारत को कृत्रिम रूप से विभाजित करने वाला कोई भी सिद्धांत या विचार हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव डालेगा।

मैं सिफारिश करता हूं कि सरकार को देश की कृषि नीति को अन्तिम रूप देते समय इन अत्यन्त महत्वपूर्ण और मैं कहूंगा बुनियादी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो मैंने और अन्य सदस्यों ने कही है। ठोस औद्योगिक नीति के अनुरूप ठोस कृषि अपनाकर हमारे देश के लोग अत्यन्त प्रसन्न होंगे। मुझे आशा है कि इस बारे में इन दोनों के बीच कुछ तालमेल होगा।

[हिन्दी]

श्री सरजू प्रसाद सरोज (मोहनलालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाने के लिए मैं अपने सम्माननीय साथी को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने किसानों की रक्षा के सम्बन्ध में इस सदन में संकल्प प्रस्तुत किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। भारत कृषि पर आधारित देश है, यहां की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और 75 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। किसान और मजदूर धरती माता के वरद पुत्र हैं, गांव में रहते हैं, गांव राष्ट्र की आत्मा है और किसान भारत की रीढ़ है।

उपाध्यक्ष महोदय, तमाम साथियों ने जिन मुद्दों पर चर्चा की है, मैं अधिक समय लेकर उन मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप यहीं अपनी बात रोक दें। आप इसे अगली बार जारी रख सकते हैं। सभा सोमवार 3 सितम्बर, 1990 को 11.00 म. पू. पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 3 सितम्बर, 1990/12 भाद्र, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

———

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स दिल्ली-6